खण्ड-311, अंक-5
गुरूवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1896
(22 अगस्त, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 311 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २२ अगस्त, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री बासूदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य---४००

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां ऐडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए०सी०ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश, श्रीवास्तव, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का०मु०मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देयी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गज्जी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्मचन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेंद्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री

नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्ज़ापुर)
पुरुषोत्तम लाल बधवार, ज (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
ब्रज पाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाव, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह बिशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शीशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद अमलम सिद्दीकी, श्री

मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ बाबा,
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु, एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण पाण्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री

बीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह समर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
संत सिंह यूसुफ, श्री
संतोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहुद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहनलाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेम राज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:--लघु उद्योग मंत्री श्री इस्तफा हुसेन भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, २२ अगस्त, १९७४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

[17 अगस्त, 1974 का स्थगित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

खलीलाबाद (बस्ती) नोटीफाइड एरिया के अध्यक्ष के चुनाव का स्थगन आदेश

**१--श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती की खलीलाबाद नोटीफाइड एरिया के अध्यक्ष पद का चुनाव दिनांक २८ जुलाई, १९७४ को करीब-करीब सम्पन्न हो चुका था कि एकाएक मुख्य मंत्री जी के आदेश से स्थगित कर दिया गया ? जिससे जन मानस में अत्यन्त ही क्षोभ व रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो स्थगन का आधार क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

नोटीफाइड एरिया कमेटी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अध्यक्ष का चुनाव रोक दिया गया।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त एस०डी०एम० को आदेश प्राप्त हुआ, उस वक्त कितने वोट पड़ चुके थे और कितने शेष थे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

यह बात सही है । ११ वोटों में से १० पड़ चुके थे और एक शेष था ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या यह सही है कि अध्यक्ष के चुनाव का नामिनेशन पहले २० अप्रैल को हो चुका था और वह स्थगित कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

यह सब उस दिन आ चुका था । यही आपने पूछा था ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मैंने पूछा था कि चुनाव के पहले चुनाव का दिन मुकर्रर था और नामिनेशन हो चुका था, वह स्थगित कर दिया गया।

श्री राज मंगल पांडेय--

तारीख तो मुझे मालूम नहीं । इसके पहले भी कुछ कार्यवाही हुयी थी, स्थगित हुआ था ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि यह खिलाफ कानून कार्यवाही उन्होंने क्यों की ? जब नामिनेशन हो चुका था, वोटिंग हो रही थी, उसे क्यों समाप्त कर दिया गया ? वे स्वयं एल० आर० से पूछ सकते थे । सरकार खिलाफ कानून, जानबूझ कर, कार्यवाही करती है तो वह बदकिस्मती है, उत्तर प्रदेश की । तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जानबूझकर यह गलत कार्यवाही क्यों की?

श्री राज मंगल पांडेय---

जानबूझ कर गलत कार्यवाही नहीं हुई । इसके पहले २३ तारीख को ही कुछ ५-६ एम०एल०एज० और कुछ नोटिफाइड एरिया के सदस्यगण और कुछ अन्य व्यक्तियों ने माननीय मुख्य मंत्री से इस बात की प्रार्थना की कि चूंकि हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल हो चुकी है, उसके फलस्वरूप इसमें कुछ कानूनी व्यवधान पैदा होगा और वहां पर कुछ और भी गड़बड़ी है। उसके जो चेयरमैन थे कुछ लोगों के कागज फाड़ देने और दस्तखत न करने देने, ये सारी धांधलियां हो रही हैं । उनमें ३ चाहते थे कि चुनाव हों और १० चाहते थे कि चुनाव न हो। एक दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री ने वायरलेस या तार भेज दिया था लेकिन पता नहीं क्यों वह उस समय पहुंचा जबकि १० वोट पड़ चुके थे और १ शेष था । आदेश २३ तारीख को ही हो गये थे ।

चौधरी चरण सिंह---

मान्यवर, आपको स्वयं सरकार से यह पूछना चाहिये था । इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने चाहा था कि चुनाव रुकवाया जाय। कारण चाहे कुछ भी हों । आपको स्वयं यह कहना चाहिए कि यह कोई जवाब नहीं है । यह खिलाफ कानून हुआ। अगर एल० एस० जी० के सेक्रेटरी यह कहते कि यह नहीं हो सकता है या एल० आर० से पूछते कि यह नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं थी । कोई भी आदमी जो जरा सी भी बुद्धि रखता है, और राजनीतिक ईमानदार होता है तो यह आर्डर न भेजता । यह कहना कि कुछ लोगों ने स्थगित करने के लिये कहा, यह कोई वजह नहीं है खिलाफ कानून कार्यवाही करने की। मोटी सी बात है कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसका एक कारण यह था कि काफी लोगों ने इस संबंध में दबाव डाला कि हाई कोर्ट में रिट होने के कारण कोई चुनाव नहीं होना चाहिये उसमें ५-६ माननोय सदस्य विधान सभा थे और कुछ नोटिफाइड एरिया के लोग थे । उनमें से ३ आदमी चहते थे कि चुनाव हो ।

एक तो हाईकोर्ट में रिट दाखिल हो चुका था, दूसरा यह कि ५-६ एम०एल०एज० ने यह कहा कि वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि चुनाव न कराया जाय। एक माननीय सदस्या ने उन परिस्थितियों का जिक्र भी किया जिनकी वजह से यह दबाव डाला गया कि यह जनहित में होगा कि चुनाव स्थगित कर दिया जाय। २८ तारीख को चुनाव होना था और एक दिन पहले २७ तारीख को ही बस्ती को वायरलेस कर दिया गया । चूंकि यह खलीलाबाद का था इसलिये एक दिन बाद में पहुंचा जबकि ११ में से १० वोट पड़ चुके थे । तो डी०एम० को इंटीमेशन देर में पहुंची वरना आदेश तो पहले ही हो चुका था ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

मंत्री जी ने खुद ही स्वीकारा है कि १० वोट दे चुके थे और इनका भी कहना है कि अधिक लोग चाहते थे कि चुनाव न हो, तो यह तो विरोधाभास है, उनका बयान सेल्फ कांट्राडिक्टरी है; परस्पर विरोधी है। बात सीधी हो जाती है कि केवल राजनीतिक कारणों से इसको टाला गया है और दबाव के कारण किया गया । साफ साफ नियमों के विपरीत है, किसी भी प्रशासन की दृष्टि से, जनतंत्र की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से यह मान्य नहीं है। तो क्या इसी तरह से न्यायालय में कोई मुकदमा कर दे और वहां का स्थगन आदेश न हो और माननीय मुख्यमंत्री को कह दे कि स्थगन आदेश हैं तो क्या उसको रोक देंगे और क्या इसको न्यायसंगत समझते हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

चूंकि राजनीति की बात कही गयी तो मान्यवर, जो चुनाव को होने देना चाहते थे वह मेरे ही गोल के थे तो यह कैसे हो सकता है कि हम अपने ही लोगों की इच्छा के विरुद्ध चुनाव रोक देते । अपने ही लोग चाहते थे कि चुनाव हो लेकिन चूंकि ५-६ एम०एल०एज० और बाकी लोग नोटिफाइड एरियाज के थे, वह नहीं चाहते थे और यह भी कहा कि हाई कोर्ट में रिट दाखिल हो चुकी है । इसलिये यह किया गया और अगर राजनीतिक कारण होता तो हम करा ही देते।

श्री रामसेवक यादव--

यह नहीं है कि पक्ष और विपक्ष की बात थी, यह तो उनके दल में ही पक्ष और विपक्ष है, धड़े-बन्दी है और सत्ता हथियाने की होड़ है। तो राजनीतिक कारण इनके दल में खुद मौजूद हैं इसलिये मैं पूछ रहा हूं कि क्या कारण था ?

श्री राजमंगल पांडेय--

वे दोनों अपने ही लोग थे । कारण मैं बता चुका हूं कि वहां की परिस्थितियां ही कारण थीं और हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हो चुकी थी और २७ को एक दिन पहले आदेश हो क्या था इसलिये अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जैसा कि आपने फरमाया कि एम०एल०एज० ने स्थगित करने के लिए कहा, तो क्या जितने भी स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे वह जिले के एम०एल०एज के बहुमत के आधार पर आप स्थगित करते रहेंगे या नहीं?

श्री राज मंगल पांडेय--

यह कोई जनरलाइज नहीं हो सकता । हर केस की अपनी-अपनी मेरिट है, क्योंकि इसमेंपरिस्थितियां ऐसी थीं और हाई कोर्ट में याचिका हो चुकी थी, एक माननीया सदस्या ने परिस्थितियों का वर्णन किया इसलिये आदेश गये ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

कृपया मंत्री जी यह बतायें कि राज्य सरकार ने अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए कब आदेश जारी किया और रिट कब दाखिल हुआ ? किस वक्त आदेश दिये, कब दिये और रिट कब हुआ ये सब तारीखें बतलायें ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मैंने तो पहले ही कह दिया कि राज्य सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सक्षम है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

तारीख बतलाइये कि किस-किस तारीख को ये आदेश हुए हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

६-६-७४ को जिलाधिकारी द्वारा यह आदेश दिये गये कि अध्यक्ष पद के चुनाव की कार्यवाही शुरू कर दी जाय । रिट की तारीख तो मेरे पास नहीं है लेकिन २९-५-७४ को एक रिट दाखिल हो चुका था । एक रिट और भी उन लोगों नें दाखिल किया । उसका पता नहीं क्या अन्जाम हुआ । एक में यह आर्डर हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके चेयरमैन होंगे जब तक फैसला न हो ।

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर) ये सब प्रश्न हो चुके हैं मेरे पास कार्यवाही है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

जब मई में ही रिट दाखिल हो चुका था पहले नामिनेशन के बाद तो फिर एलेक्शन का दूसरा प्रोग्राम कैसे तय हुआ ? दूसरे, हाई कोर्ट ने रिट में स्टे नहीं दिया था । जब स्टे नहीं आया और वोटिंग होने लगी तो फिर सरकार ने किस कानून से उसको रोक दिया ?

श्री राज मंगल पांडेय--

यह तो मैं नहीं कह सकता। यह औचित्य की बात हो सकती है। वैसे सरकार को तो हमेशा अधिकार है कि परिस्थिति को देखते हुए कोई कार्यवाही रोक दे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

सरकार ने क्या निरंकुश कानून से रोक दिया था ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

कलेक्टर या एस०पी० की तरफ से कोई तार या खबर मिली थी कि वहां गड़बड़ हो जायेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस संबंध में कोई भी सूचना उनकी तरफ से नहीं मिली थी ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मंत्री जी ने दो तरह का जवाब दिया । पहले यह कहा कि एक रिट दाखिल हो गयी इसलिये आवश्यक हो गया कि इसको स्टे कर दिया जाय। अभी आपने जवाब दिया कि जिस दिन चुनाव करने के आदेश हुए उसके पहले एक रिट दाखिल हो चुकी थी । दूसरी रिट जिसके हवाले में आप कहते हैं कि उसका न दिनांक पता है, न कोई समय बताते हैं। तो दो जवाब हो गये, एक तो रिट दाखिल हुई इसलिये स्टे कर दिया और अभी आपने कह दिया कि रिट पहले दाखिल थी बाद में आदेश हुए। तो जब बाद में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने चुनाव के लिये आदेश किये तो यह स्पष्ट है कि उसको इस बात की जानकारी रही होगी कि रिट दाखिल है । तो जैसा कि अभी माननीय चरण सिंह जी ने कहा, यह आवश्यक है कि इसमें आप इंटरवीन करें । सरकार ने आखिर किस नियम के अन्तर्गत उस चुनाव को स्थगित किया ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं पहले ही कह चुका हूं कि शासन को अधिकार तो हमेशा है लेकिन औचित्य के बारे में यह है कि एम०एल०एज० और उन सदस्यों के कहने पर कि परिस्थितियां ऐसी हैं और उन्हीं के कहने पर कि हाई कोर्ट में रिट दाखिल हो चुकी है, उनकी बात मान कर माननीय मुख्य मंत्री ने एक दिन पहले निर्णय दिया । अब उनको यह करना चाहिये था या नहीं, यह औचित्य की बात हो सकती है, यह दूसरी बात है।

चौधरी चरण सिंह--

अब मैं माफी चाहता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी ने कई बार दोहराया कि गवर्नमेंट को हर समय अख्तियार है इलेक्शन रोकने का। यह डेमोक्रेसी के उसूल के बिल्कुल खिलाफ है। आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स नहीं। जब इलेक्शन हो रहा है, सारी

कार्यवाही उसकी पूरी हो चुकी है, तब उसको रोक देने का अधिकार केवल कोर्ट को ही रह जाता है तो किस कानून के मातहत उसको रोका गया मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जो आर्डर दिया गया है वह एग्जीक्यूटिव आर्डर है और माननीय मुख्य मंत्री एग्जीक्यूटिव आर्डर दे सकते हैं ।

चौधरी चरण सिंह--

ऐक्ट के किस सेक्शन के मातहत ? वह कौन सा जूरिसप्रडेंस का कायदा कानून है जिसके मातहत आर्डर दिया है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जहां तक सेक्शन का सवाल है वह तो मैं इस समय नहीं बता सकता लेकिन यह गवर्नमेंट की इनहेरेंट पावर्स में है कि वह इस तरह का एग्जीक्यूटिव आर्डर दे सके ?

चौधरी चरण सिंह--

संविधान के किस आर्टिकिल के अन्तर्गत यह इनहेरेंट पावर्स हैं उनको? होना तो यह चाहिये था अध्यक्ष महोदय, कि अगर गलती हुई है तो उसे मान लेना चाहिये था मगर गलती के बाद उसका समर्थन कर रहे हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय--

मैंने पहले ही कहा कि आर्टिकिल या सेक्शन में इस समय नहीं बता सकता, वह मैं कन्सल्ट करके बाद को चौधरी साहब को सैटिसफाइड कर दूंगा। यह औचित्य का प्रश्न हो सकता है कि उनको करना चाहिये था या नहीं लेकिन यह इल्लीगल नहीं है। यह माननीय मुख्य मंत्री के विवेक की बात थी ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, यह बड़ा महत्व का सवाल है । मैं चाहूंगा कि आप कोई कायदा कानून बता दें। इसका स्पष्टीकरण आप माननीय मुख्य मंत्री जी से लें और उनसे पूछें कि किन परिस्थितियों में यह आर्डर दिया गया। आप इस पर व्यवस्था दें कि उत्तर जब संतोषजनक नहीं दे रहे हैं तो आप कोई कार्यवाही करें ?

श्री अध्यक्ष--

आप उस पर चर्चा मांग सकते हैं अगर संतुष्ट नहीं है तो। (व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

सही उत्तर तो आप दिलवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं उत्तर दिलवा सकता हूं मगर क्या जवाब वे दें, इसके लिये मैं बाध्य नहीं कर सकता।

चौधरी चरण सिंह-

आप यह कह सकते हैं कि जवाब ठीक नहीं है, आप एडमानिश भी कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि सही जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आपने अभी स्वयं कहा कि अगर गलती हुई है तो मान लेना चाहिये अब अगर नहीं मानते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

चौधरी चरण सिंह--

आप कहिये उनसे ।

श्री अध्यक्ष--

बाध्य तो विरोध पक्ष ही कर सकता है, आप अगर उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो उस पर चर्चा मांग सकते हैं, वह मैं दे सकता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि किन परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्री ने यह आदेश दिया । तो माननीय मुख्य मंत्री को इस पर बयान देना चाहिये और इस पर आप दो घंटे की चर्चा भी दिलवा दें । डी०एम० और एस०पी० ने कुछ नहीं कहा और हाई कोर्ट से भी कुछ स्टे आर्डर वगैरह नहीं आया तो फिर यह आदेश कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

मान लीजिये, सरकार कोई निर्णय करती है और आप उस पर प्रश्न करते हैं तो अध्यक्ष उसका जवाब दिलवा सकता है और अगर जवाब से संतुष्ट न हों तो उस पर चर्चा करा सकते हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

तो आज ५ बजे इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष--

५ बजे के लिये तो और कार्यक्रम भी है।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इसी आर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में एक पार्टी गयी है। तो मैंने कहा कि इल्ललिगलिटी की कोई बात नहीं है, औचित्य की बात हो सकती है । जब हाईकोर्ट में यह मामला गया है और वहां से कोई बात हो जाय तब तो यह सब जुडिस मैटर हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

यह आपको पहले कहना चाहिये था।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, इनको अपनी गलती मान लेनी चाहिये थी । कल भी हम लोगों ने इनकी एक पुरानी गलती को ठीक कराया था । गलत जवाब होने पर कह देते हैं कि सम्बन्धित मंत्री नहीं हैं । लेकिन आखिर जवाब देने की जिम्मेदारी लेकर क्यों बैठ जाते हैं । अभी मंत्री जी ने कहा कि मुख्य मंत्री ने किन परिस्थितियों में कहा है हम नहीं कह सकते हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी को आप बुलवा लें और उनसे जवाब दिलवा दें क्योंकि आज आखिरी दिन है ।

श्री राज मंगल पांडेय--

मैंने कहा कि यह मुख्य मंत्री जी के सबजेक्टिव सेटिसफैक्शन की बात है । जिन परिस्थितियों में वहां के ५-६ एम०एल० एज० और टाउन एरिया कमेटी के सदस्यगण

के कहने पर मुख्य यंत्री जी ने आदेश दिया, इसमें इल्ललिगलिटी की कोई बात नहीं है, औचित्य की बात हो सकती है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जिन बातों के आधार पर मुख्य मंत्री ने यह आदेश दिया, उनको सदन में आ कर कहना चहिये और अगर वे नहीं कहते है तो इसका क्या मतलब लगाया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

न्यायालय के विचाराधीन अगर ये सारे तथ्य हैं तब तो दूसरी बात है । यह पहलू भी वहां विचार के लिये होगा?

श्री रामसेवक यादव--

तथ्यों के बारे में कि न्यायालय में क्या है, चर्चा नहीं होगी। लेकिन सरकार की तरफ से जब कोई जवाब हीं नहीं आता है, मान लीजिये हाईकोर्ट में कोई रिट दायर हुई और वहां स्टे आर्डर के लिये कोई अप्लीकेशन दाखिल हुआ और वह खारिज हो गया तो इन सारी चीजों के बारे में बतला देना चाहिये कि किस परिस्थिति में यह आदेश दिया गया, सरकार को इसका जवाब देना चाहिये आज के दिन फिर किसी समय आप मुख्य मंत्री को बुलवा लें और इसका जवाब दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

न्यायालय की बात है । हो सकता है कि स्थगन आदेश के लिये आवेदन किया हो और उसके बाद न्यायालय ने स्थगन आदेश न दिया हो उसके बाद उन्होंने यह कर दिया हो तब तो न्यायालय ही कुछ कह सकता है इस पर न ?

श्री राम सेवक यादव--

प्रश्न यह है कि किस परिस्थिति में इन्होंने यह किया ।

श्री अध्यक्ष--

जो आदेश दिया गया, उसकी वैधता को भी चुनौती दी गयी है न्यायालय में (व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव--

जिन परिस्थितियों में यह सब हुआ उस तथ्य के बारे में तो वे कह सकते हैं (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, एक सवाल मुझे कर लेने दीजिये सब मामला खतम हो जाता है (हंसी)

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन, मेरा विचार है कि मंत्री जी कहते हैं कि एक रिट फाइल हुयी है । एक तो बताया गया कि रिट फाइल हुयी और कहते हैं कि एक रिट और फाइल हुयी है । अध्यक्ष जी, मेरा चार्ज है, कि दूसरी रिट दाखिल नहीं हुयी है । जो मई में दाखिल हुयी थी वही चल रही है । दूसरी कोई रिट दाखिल हुयी है यह हमें बतायें ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, माननीय सदस्य सुनने की कृपा नहीं करते हैं । मैंने कहा है कि उन लोगों की एक रिट दाखिल हुयी है । वह रिट कौन सी है, यह प्रोसीडिंग उठाकर देख लें । मान्यवर जो एम० एल० एच० और अन्य लोग मुख्य मंत्री जी से मिले थे उन्होंने कहा कि एक रिट

दाखिल हो चुकी है । उन्होंने जो परिस्थितियां बतायीं, उनकी बात को मान कर,एक सब्जेक्टिव सेटिस फैक्शन की बात मान कर मुख्य मंत्री जी ने इस बात का आदेश दिया । वह आर्डर खुद का कोर्ट में चैलेंज ।

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, एक जवाब यह मंत्री जी को देने में क्या आपत्ति है कि सारे मामले पर सरकार की तरफ से यह कह दिया जाय कि शासन को खेद है, और भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं होगी । यह बात कहने में क्या हर्ज है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष--

(हंसते हुये) आप बैठें ।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, बदकिस्मती यह है कि जब तक स्वत: मैं संतुष्ट न हो जाऊं कि शासन दे ऐसी कोई भूल की है, यह मुझे न मालूम हो जाये तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि खेद है अगर भूल मालूम हो जाती है तो मुझे खेद प्रकाश करने में कोई आपत्ति नहीं हूं । औचित्य की बात हो सकती है । डिस्क्रीशन में भी कोई भूल हो सकती है । जहां डिस्क्रीशन की बात हो वहां मैं खेद नहीं प्रकट कर सकता हूं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, इनके संतुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, यह संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कछवा थाना (मिर्जापुर) के अन्तर्गत गेहूं ले जाने के जुर्म में डी०आई० आर० में गिरफ्तारी

**१--श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या खाद्यमन्त्री कृपया बतायेंगे कि कछवा थाना (मिर्जापुर) अन्तर्गत १४ जुलाई, १९७४ को दो ट्रैक्टर तथा चार व्यक्तियों को मिर्जापुर से वाराणसी गेहूं ले जाने के जुर्म में डी० आई० आर० में गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो सरकारी आदेश द्वारा गेहूं ले जाने की छूट के बाद भी गिरफ्तारी का क्या आधार था ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) (अनुपस्थित)--

कछवा थाना (मिर्जापुर) के अन्तर्गत १४-७-७४ को दो ट्रैक्टर तथा ४ व्यक्तियों को मिर्जापुर से वाराणसी गेहूं ले जाते हुए ३-७ आवश्यक वस्तुएं अधिनियम तथा नियम १२५ डी०आई० आर० के अधीन गिरफ्तार किया गया है । सम्बन्धित व्यक्तियों के पास उत्तर प्रदेश फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश १९६४ की धारा ३ (२) के अन्तर्गत लाइसेंस नहीं था और न यह व्यक्ति अपने आप को उत्पादक सिद्ध कर पाये जिससे उत्तर प्रदेश गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (व्यापार विनियमन तथा संचरण नियंत्रण) आदेश की क्लाज ४ (२) का उल्लंघन हुआ था ।

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

उक्त दोनों आदेशों का उल्लंघन आवश्यक वस्तुएं अधिनियम की धारा ३ का उल्लंघन होनेके कारण उक्त अधिनियम की धारा ७ में दण्डनीय है ।

(श्री ओम प्रकाश सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

ओम प्रकाश सिंह नहीं हैं ।

देहाती और शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण का अनुपात

**२--श्री मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में ८० प्रतिशत जनता देहात और २० प्रतिशत शहरों में रहती है ? यदि हां, तो गल्ले का बटवारा भी इसी औसत से करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह सही है कि प्रदेश की अधिकांश जनता देहाती क्षेत्र में रहती है । देहाती और शहरी क्षेत्रों के बीच खाद्यान्नों का इसी अनुपात से बंटवारा करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न कल भी आया था । लेकिन भूल से आज भी आ गया है । आप एकाध सवाल कर लें ।

श्री मोहम्मद असलम--

मान्यर, मेरी यह गुजारिश है कि देहातों में जनता ज्यादा है और वहां पर लैन्डलेस लेबरर आदि देहातों में ज्यादा हैं । मौजूदा कोई स्कीम ऐसी नहीं है कि जो शहरों से दूर रहते हैं उनके लिये गल्ले का कोई इंतजाम हो । एक तो उनके लिये कोई मारकेट रेट नहीं है, दूसरे जो किसानों से फालतू गल्ला ले लिया गया जिससे उनके पास गल्ला नहीं रहा है उनके खाने पीने के लिये कोई ऐसी स्कीम नहीं है । तो क्या नियर फ्यूचर में कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिलों में ऐसी छोटी-छोटी जगहों पर खाद्यान्न की कमी है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न कल आया था ।

एक सदस्य--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

कल इस पर हो गया था। मंत्री जी ने बताया तो था कि ऐसी योजना नहीं है। तो सवाल आप क्या करेंगे ?

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मंत्री महोदय ने यह बताया था कि बाढ़ पीड़ित इलाके में जो देहाती गांव हैं वहां सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायेंगी। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बाढ़ पीड़ित का अभिप्राय क्या है ? बलिया, देवरिया, आजमगढ़ और गोरखपुर में स्पष्ट कह दिया गया था कि जहां वाटर लागिंग है, जहां वर्षा का पानी भर गया है, जहां नहर से पानी आ गया है और इन सब से जहां क्षति हुई हो तो क्या उसको बाढ़ पीड़ित मानती हैं ? तो मैं खाद्य मंत्री से स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब कल के सवाल के क्रम में आ गया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अभी अपने उत्तर में कहा कि जहां पर स्थिति खराब है—गांवों में, तो क्या सूचना आने पर विचार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या जानकारी है कि बस्ती, देवरिया और गोरखपुर आदि जिलों में भयंकर बाढ़ रही है और भयंकर भुखमरी फैली हुई है तो क्या उन स्थानों पर सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका भी उत्तर कल दिया जा चुका है। आप क्यों समय नष्ट करते हैं।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि जिले में कहीं पर भुखमरी है देहातों में। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था करेंगी कि संपूर्ण प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में एक कमेटी जांच करे कि वास्तव में कहां भुखमरी है क्योंकि सरकार ने लेवी लगाकर सब गेहूं देहाती क्षेत्रों से खींच लिया है ? देहातों में अब गेहूं नहीं रहा है इसलिये जो खेतिहर मजदूर है वह भूखों मर रहा है। तो उसको जानने के लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, खेतिहर मजदूरों को हमेशा जो मजदूरी मिली है वह खाद्य के रूप में अनाज के रूप में देहातों में मिलती है और वह परम्परागत वेज के रूप में खेतिहर मजदूर अनाज पाता रहा है। शासन के पास भुखमरी की कोई सूचना किसी भी जिले से नहीं मिल है। लेकिन कहीं पर अनाज की पहुंच की बात आती है और जैसा कि कल बताया था कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जहां पर भी इस तरह की स्थिति है हमने न्याय पंचायतों के माध्यम से अनाज देने की व्यवस्था करायी है। रह गया सवाल किसी एजेंसी का तो जो सूचना होती है उसको सरकार की सारी मशीनरी एकत्र करती है और जहां कहीं भुखमरी होती है तो उसकी इत्तिला आ जाती है।

लखनऊ नगर में नियुक्त आई०ए०एस० एवं पी०सी०एस० अधिकारियों के वेतन तथा कटौतियों के पश्चात् प्राप्त धनराशि

**३—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुलतानपुर), श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) तथा श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)—

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों में तथा कथित फैले भ्रष्टाचार एवं उनकी रोकथाम के विषय पर तिलक हाल, लखनऊ में जुलाई, १९७४ मास में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये सम्बोधन भाषण के सन्दर्भ में क्या सरकार लखनऊ नगर में नियुक्त आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखते हुये कृपया बतायेगी कि गत मई, जून एवं जुलाई मासों में प्रत्येक अधिकारी अलग-अलग कितने वेतन तथा भत्ते (सम्पूर्ण उपलब्धियां) पाने का मूलतः हकदार था और एक्चुअली कितनी धनराशि उन्होंने इन मासों में समस्त कटौतियों के उपरान्त प्राप्त की ?

श्री राज मंगल पांडेय—

लखनऊ नगर में नियुक्त आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारियों की सूची तैयार करने और यह जानकारी प्राप्त करने में कि गत मई, जून तथा जुल ई मासों में प्रत्येक अधिकारी अलग-अलग कितना वेतन तथा भत्ते (सम्पूर्ण उपलब्धियां) पाने का हकदार था और अलग-अलग कितनी धनराशि इन मासों में समस्त कटौतियों के उपरान्त उन्होंने प्राप्त कीं। काफी समय लगेगा। इसके अतिरिक्त इस सूचना को एकत्रित करने में जो परिव्यय और धन व्यय होगा वह उसकी उपयोगिता के अनुरूप न होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह प्रश्न तो नियमावली के विरुद्ध है। अफसरों को क्या भत्ता मिलता है यह प्रश्न का विषय कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जुलाई सन् १९७४ में मुख्य मंत्री ने तिलक हाल में भाषण दिया और उस भाषण में यह कहा कि भ्रष्टाचार है और यह ऊपर नहीं है बल्कि नीचे है और इसकी जिम्मेदारी नीचे के अधिकारियों पर है। यह उत्तर इस बात का द्योतक है कि मुख्य मंत्री और सारा मंत्री मंडल नौकर शाही के शिकंजे में किस तरह से पड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि केवल लखनऊ में जितने आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी हैं उन्होंने मई, जून और जुलाई के महीने में उनको कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिये और कटौती के बाद उनको कितनी तनख्वाह मिली। मेरी जानकारी यह है कि कितने ही आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी हैं उनको तनख्वाह तो २२०० मिलती है। उनका हाउस बिल्डिंग एडवांस है, इंश्योरेंस है, मोटर एडवान्स है, इन सब की कटौतियां हो जाने के बाद केवल २०० या २५० रुपये मिलते हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में जो आपने उत्तर दिया है कि इतना श्रम खर्च होता और क्या यह सूचना जो स्थानीय आफीसेज में उपलब्ध है, उसको एक करने में क्या दिक्कत और परेशानी है और इस प्रश्न को टालने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

माननीय सदस्य स्वयं विवेकशील हैं कि लखनऊ में कितनी तादाद में आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफीसर्स हैं। और उनका एक-एक व्यक्ति का अलग-अलग यह

निकाला जाना कि महीने में वेतन की उपलब्धि क्या थी, उनकी क्या कटौती हुई, कितना प्राविडेण्ट फण्ड कटा, कितना इनकम टैक्स कटा और कितनी ही और कटौती हुई, यह मान्यवर आप समझ लें कि कितने विभागों से सम्बन्धित होगा। अब इन सारे आंकड़ों को निकालने में कितना श्रम लगेगा और जितना श्रम लगेगा उसकी उपयोगिता उस श्रम के अनुकूल न होगी।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, आप तो जानते हैं कि सारा सेक्रेट्रिएट लखनऊ में है और इसके अतिरिक्त कितने और भी विभाग हैं यह बहुत व्यापक है।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि आप मंत्री जी के सलाहकार हो जायें। जो सवाल है उसका उत्तर देना है माननीय मंत्री जी को।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

प्रक्रिया की नियमावली के नियम ३८ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि यह प्रश्न व्यापक है और जो जानकारी आपने मांगी है वह बहुत बड़ी है। लेकिन आप प्रश्न करें। जो नियम आपने पढ़ा है उसको तो मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, जब आपने प्रश्न स्वीकार कर लिया है तो जो सूचना मांगी गई है उसको देने में मंत्रिमंडल को क्या आपत्ति है? अब वह पूछते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है? इसकी उपयोगिता तो माननीय मुख्य मंत्री का भाषण है जो उन्होंने दिया। अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि वह २०० और २५० रुपये से कैसे रहते हैं? अगर यह बता दिया जाये तो पता चल जायेगा कि इसकी उपयोगिता क्या है।

श्री राजमंगल पांडेय---

अब केवल इस बिना पर वह आदमी २०० रुपये पाता है, कैसे रहता है, यह प्रश्न ठीक है लेकिन इसके साथ ही यह भी प्रश्न उठेगा कि उसकी जायदाद क्या है? यह भी प्रश्न उठेगा कि शादी कहां हुई है?

श्री राम सेवक यादव---

मैं मंत्री महोदय से घर के बारे में नहीं जानना चाहूंगा न मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नियां हैं। सीमित सवाल यह हैं कि यह आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफीसरों ने क्या तनख्वाह ड्रा की उन महीनों में। यह सवाल इस सन्दर्भ में उठा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी जो कि एक जिम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी नीचे के आफीसरों पर डाल दी। इससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि जो घोड़े का सवाल है, सवारी नहीं कर पाता तो घोड़े को दोषी ठहराता है। इसकी सफाई होनी चाहिये। माननीय सदस्य ने जो तथ्य उजागर किये हैं सब ये सुविधाओं के लेने के बाद जितने पैसे इनके पास बचते हैं तो रह नहीं सकते हैं। क्या-क्या भ्रष्टाचार है, क्या स्थिति है इस दृष्टि से सवाल पूछा गया है? उसका सीधा उत्तर आना चाहिये?

श्री राज मंगल पांडेय---

प्रीवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट की धारा ३ और ५ हैं कि कोई भी आदमी जो अपने इम्योलुमेंटस के बियान्ड रहता हो तो प्रासीक्यूट किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा अधि-

[श्री राज मंगल पांडेय]

कारी माननीय सदस्य को मिले जो अपनी उपलब्धियों के बाहर रहता हो तो उसकी जांच करा लेंगे और अगर वह यह साबित कर सके कि यह अपना जीवन यापन भ्रष्टाचार द्वारा रुपया पैदा करके करता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रासीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यह कि बहुत से अफसर है। उनका इंकम टैक्स है, प्रावीडेंट फन्ड है। इस तरह से हजारों प्रश्नों से संबंधित है और इसका डेटा कलेक्ट करने में जितना धन व्यय होगा वह इस प्रश्न की उपयोगिता के अनुकूल नहीं होगा। नियमों में भी है कि जो प्रश्न ऐसा हो जो कि नियम और उपयोगिता के अनुकूल न हो तो उसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

तब तो मैं यह कहूंगा कि आपके विभाग को लिखकर भेजना चाहिये था। हम लिस्ट कर सकते थे।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, यह भूल हुई। अगर इस भूल के बाद उत्तर आ जाता है तो माननीय सदस्य को संतुष्ट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

अगर ऐसा सवाल आ जाय तो आप कह सकते हैं कि अल्प सूचना पर उत्तर देने में असमर्थ हैं। इसमें समय लगेगा। विभाग को देख लेना चाहिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--।

इनको मई, जून, जुलाई में तनख्वाह मिली तो यह सूचना एक घंटे में ट्रेजरी से आ सकती है। लेकिन स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल नौकरशाही के शिकंजे में जकड़ा हुआ है।

श्री राज मंगल पांडेय--

यह आरोप प्रत्यारोध कुर्सी बदलने के साथ-साथ हमेशा लगते रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

जिला इटावा के अन्तर्गत बृजवासी डकैत द्वारा किए गए अपराधों के सम्बन्ध में जिले के विधायकों द्वारा अतिरिक्त पी० ए० सी० की मांग

*१--श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा) श्री मधुकर दिघे तथा श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इटावा की बिगड़ रही अपराध स्थिति के सम्बन्ध में जिले के विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला था और मांग की थी कि जिले में अतिरिक्त पी० ए० सी० की नियुक्ति की जाय परन्तु अतिरिक्त पी० ए० सी० की नियुक्ति न किये जाने के परिणामस्वरूप बृजवासी चमार नामक खौफनाक डकैत के गिरोह ने थाना बसरेहर, दिबियापुर, फफून्द, औरैया, अजीतमल बकेवर आदि थाना क्षेत्रों के पचासों गांवों में डकैती, लूटपाट, कतल की घटनायें कीं और महिलाओं के साथ बलात्कार किया ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जिला इटावा के विधायकगण ने जिले में बढ़ती हुई अपराध स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस लगाने की मांग की थी ।

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि अतिरिक्त पी० ए० सी० की तैनाती न किये जाने के परिणाम स्वरूप बृजवासी डकैत के गिरोह द्वारा पचासों गांवों डकैती, लूटपाट, हत्या एवं बलात्कार किया गया । माह अप्रैल से जून, १९७४ तक की अवधि में उक्त गिरोह द्वारा थाना बकेवर तथा अजीतमल के क्षेत्रों में चार घटनायें की गई । थाना छिदियापुर औरैया तथा फफूंद के क्षेत्रों में उक्त गिरोह द्वारा कोई घटना नहीं की गई। गिरोह के किसी सदस्य द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना इटावा जनपद के पुलिस में नहीं दर्ज कराई गई । जनपद की पुलिस की अथक परिश्रम तथा सुनियोजित कार्यवाही के फलस्वरूप बृजवासी गिरोह के प्रकाश में आये २४ सदस्यों में से ५ मारे गये और १५ को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । बृजवासी डकैत भी ग्वालियर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जेल में है ।

प्रभाव ग्रस्त क्षेत्रों में फोर्स की समुचित व्यवस्था है तथा अधिकारीगण एवं कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर "कोम्बिंग" अभियान भी चलाया गया है । इटावा जनपद की शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सवाल में बताया है कि बृजवासी को ग्वालियर की पुलिस ने पकड़ लिया । २ अगस्त को इटावा की पुलिस डाकू बृजवासी को रिमान्ड पर ग्वालियर से ले आयी और पूछताछ की जिसमें उसने यह बताया कि विधायक नत्थू सिंह, करहल निवासी का उन्हें संरक्षण प्राप्त था और उसने उसी समय पूछताछ के दौरान यह बतलाया कि अजीतमल के विधायक माननीय गौरी शंकर और जिला मैनपुरी के मुन्शी लाल का उसको संरक्षण प्राप्त था और वह हमारी मदद कर रहे थे तो इस तरह की पूछताछ की रिपोर्ट क्या सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

किसी एक्यूज्ड का ऐसा बयान हुआ है यह सरकार को मालूम नहीं है । लेकिन अगर ऐसा बयान पुलिस के सामने हो भी तो उसकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है। किसी एक्यूज्ड के बयान की एडमिसिबिलिटी अथवा कंनेशन न्यायालय के सामने ही हो सकता है और जिस बयान की कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है उसकी कोई चर्चा यहां नहीं की जा सकती ।

श्री राम सेवक यादव--

यह प्रश्न नहीं है कि किसी एक्यूज्ड के बयान को एडमिसिबिलिटी है या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि किसी डकैत को पुलिस रिमांड पर इटावा लाया गया और पुलिस अधिकारियों मे उसे इन्ट्रोगेट किया और उस इन्ट्रोगेशन में उसने कोई बयान दिया भले ही वह एडमिसिबिल न हो तो क्या उस बयान की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई या नहीं ? अगर प्राप्त हुई तो कब हुई और वह क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मैंने पहले ही कह दिया कि शासन को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन यह भी सही है कि उसकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं हो सकती अगर दुनिया में पुलिस के सामने बयान को मान लिया जाय तो कोई प्रक्रिया संभव ही नहीं हो सकती पुलिस के सामने उसने जो बयान दिया उसका कोई महत्व नहीं है दुनिया की नजरों में जबतक कि उसका बयान

[श्री राज मंगल पांडेय]

अदालत में न हो। ऐसा इसलिये है कि दुश्मनी से भी बयान हो सकता है। अब यह कहा जाय कि उसे पेश किया जाय तो यह संभव नहीं है।

चौधरी चरण सिंह---

पिछली बार सदन में आपको याद होगा यह एलिगेशन किया गया था कि उस डकैत ने यह तसलीम किया है पुलिस आफिसर के सामने कि फलां को मैं कत्ल करना चाहता था और मुझे फलां कांग्रेस विधायकों का संरक्षण प्राप्त था। इस पर काफी सवाल होने के बाद और उन पर असंतोष व्यक्त करने के बाद आपको याद होगा आपने फरमाया था कि आप इसकी तहकीकात करेंगे। मैंने यह मजेशन दिया था कि सुभाषचन्द्र चतुर्वेदी जो एस० पी० हैं और जो ईमानदार आदमी ह और जिसका ट्रांसफर इंटरेस्टेड कांग्रेसजन की वजह से कर दिया गया था उससे बुला कर पूछ लिया जाय। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने उस ईमानदार पुलिस आफिसर को बुलाया और उससे पूछताछ की ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मैं माननीय चौधरी साहब से वायदा कर चुका हूं कि चतुर्वेदी एस० पी० को बुला लूंगा और जब वह आ जायंगे तो पूछताछ कर लूंगा।

चौधरी चरण सिंह---

यह १५ दिन की बात हो गयी लेकिन अब तक माननीय मंत्री ने उनको नहीं बुलाया। आपने यह उत्तर आज दिया कि उसके बयान की एडमिसिबिलिटी नहीं है। यह कोई कोर्ट नहीं है जहां केस चल रहा हो। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला इंवाल्व है। आप बतलाने को तैयार नहीं हैं आया इस तरह का बयान उसने दिया या नहीं दिया ? यहां कोई अदालत का सवाल नहीं है, न उसकी एडमिसिबिलिटी का सवाल है, केवल क्वेश्चन आफ फैक्ट है आया उसने बयान दिया या नहीं दिया ?

श्री राज मंगल पांडेय---

चौधरी साहब ने कभी नहीं कहा कि जवाब २४ घंटे के अन्दर आ जाय। अभी परसों ही चौधरी साहब से बातचीत हुई थी और वह पर्सनल बात थी। चौधरी साहब का हम लोग काफी रिगार्ड करते हैं और उनकी कही हुई बात को वेल्यु अटेच करते हैं। बाकी यह चीज अवश्य है कि जब तक किसी बयान की एडमिसिबिलिटी कानून के अन्दर न हो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप काल्पनिक जगत में विचरण कर रहे हैं। आप कह दें कि नहीं मालूम है, पता लगायेंगे।

श्री राम सेवक यादव---

मेरा तो यह आरोप है कि कप्तान की रिपोर्ट, आई० जी० तथा डी० आई० जी० की रिपोर्ट मौजूद है। तथ्यों के बारे में रिपोर्ट यहां पर मौजूद है और उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री जी इरेलिवेन्ट सवाल उठा रहे हैं। तो मान्यवर, यह आपका कर्तव्य है कि हमें सही जवाब दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

यही मैं कह रहा हूं। यहां पर सवाल उठा था और माननीय सदस्यों का यह आग्रह था कि उस एस० पी० चतुर्वेदी ने कोई बयान दिया था और वह अखबारों में छपा भी था। उसको उन्होंने माना भी है। तो मैं समझता हूं कि उसका जवाब आ जाना चाहिये था।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, आपने देखा होगा कि जब यह बात आयी थी तो कुछ इधर के माननीय सदस्यों ने भी कहा था और उसके सम्बन्ध में दरख्वास्तें भी दी गई थीं। यदि इन चीजों को सब्जेक्ट मैटर आफ डिस्कशन बना दें तो उसमें आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। इन एस० पी० चतुर्वेदी के खिलाफ भी कहा गया था कि ये हरिजनों के खिलाफ हैं, अतः इनका ट्रांसफर कर दिया जाय। और भी कई बातें कहीं गई थीं। ये चीजें सदन में आ चुकी हैं जिसकी कि ग्राह्यता कानून के अन्तर्गत नहीं है। दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप हैं। उसके बाद हमको लीगल आस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा जिसको मान्यवर, आप स्वयं सोच लें। उसके बाद भी यदि आप आदेश देंगे तो जो भी रिकार्ड हैं मैं उन्हें आपको दिखा दूंगा।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां पर माननीय मंत्री जी ने विधायकों को दो अंग रक्षक देने के बारे में भी कहा था और जैसा कि आपने खुद प्रश्नोत्तर में कहा है कि ५ डाकू मारे गये और १५ डाकुओं को पकड़ा गया, इतना बड़ा काम किया किन्तु इसके बाद भी उस पुलिस अधीक्षक को जिसका कार्यकाल दो वर्ष का था, स्थानान्तरित क्यों कर दिया गया...

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर स्वतः मुंशीलाल जी हमसे मिले थे।

(श्री मुंशीलाल के खड़े होने पर)

(व्यवधान)।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सारी शिकायतों की जांच करा ली गई थी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, यह एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अगर हम यह समझते हैं कि उस एस० पी० के रहने से इस किस्म के विवाद हो सकते हैं तब हमने ऐसा किया। तो परिस्थितियों के आधार पर ही ये आर्डर किये गये। ये सारी चीजें फाइलों में हैं। आप स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं और उसके बाद यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो मुझे कार्यवाही करने में कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक दो विधायकों को अंग रक्षक दिये जाने का सवाल है, उनके प्रोटेक्शन के लिये आदेश दे दिये गये हैं। वे विधायक हम से मिले भी थे। यह जिम्मेदारी सरकार लेती है कि कोई भी इस किस्म की घटना नहीं होगी। जहां तक एस० पी० चतुर्वेदी को बुलाकर बात करने का प्रश्न है अगर चौधरी साहब समय की बात करते हैं और कहते हैं कि ४८ या ७२ घंटे में उन्हें बुलाकर बात कर ली जाय, तो वह भी हम करने को तैयार हैं।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इसकी ग्राह्यता के बारे में कहा और इन्टेरोगेशन का सवाल अदालत में उठाया। आप जानते हैं कि यहां की बहस पर अदालत में कोई सजा नहीं होती किन्तु यह तथ्यों का मामला है। हर मामले में पुलिस तथ्य देती है उसको मंत्री जी छिपाते हैं। माननीय सदस्यों को हक है कि जो वे प्रश्न करें उनका समुचित और ठीक उत्तर मिले। बार-बार इतना समय लगाने के बावजूद मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करूंगा और हम लोग सरकार के इस व्यवहार के लिये, उसके विरोध के लिये ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राम सेवक यादव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह उन लोगों ने जो वाक-आउट किया है यह जनरल डायरी के विषय को लेकर किया है और जनरल डायरी की एक अपनी सैंक्टिटी है, लेकिन पुलिस डिफेंस ऐक्ट में है—विटनेस बिफोर पुलिस इज नाट विटनेस। इन लोगों के इस कार्य का न्याय व्यवहार पर असर पड़ेगा इसलिये इसकी सफाई हो जानी चाहिये। जनरल डायरी बिल नाट बि दी सब्जेक्ट मैटर आफ

.....(व्यवधान)

थाना टून्डला (आगरा) में श्री कल्याण सिंह उर्फ श्री कल्लू की पुलिस द्वारा पिटाई के फलस्वरूप मृत्यु

*२—श्री मधुकर दिवे, श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा) तथा श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि दिनांक २४-६-७४ को थाना टून्डला, जिला आगरा की पुलिस श्री कल्याण सिंह उर्फ कल्लू निवासी कोटिकी को पकड़कर थाने ले गई और वहां पर बुरी तरह से पिटाई की और दूसरे दिन उसे मरणासन्न अवस्था में दफा २५ आर्म्स ऐक्ट में चालान करके दिनांक २५-६-७४ को आगरा ले गई जहां जेल अधिकारियों ने चोटें अधिक होने के कारण जेल में बन्द करने से इन्कार कर दिया फलस्वरूप पुलिस ने उसे आगरा अस्पताल में इमरजेन्सी में भर्ती कराया परन्तु चोटें गम्भीर होने के कारण वहां पर उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो तत्काल सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

प्राप्त सूचना क अनुसार दिनांक२४-६-७४ को मृतक कल्याण सिंह उर्फ कलुआ को एक सब-इन्सपेक्टर द्वारा एक देशी तमंचा तथा ४ कारतूसों सहित धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तारी के समय मृतक द्वारा भगाले का प्रयत्न किया गया तथा गिरफ्तारी के दौरान उसे मामूली चोटें आयीं। अगले दिन उसे जेल रवाना किया गया किन्तु उसकी तबियत खराब होने के कारण जेल अधिकारियों ने उसे जेल में दाखिल करने से मना कर दिया, अतः उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी।

श्री कल्याण सिंह की मृत्यु के संबंध में मैजिस्टीरियल जांच करायी जा चुकी है। एक सब-इन्सपेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध धारा ३०२/२२० भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध दर्ज किया जा चुका है तथा उसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

सचिवालय क चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली व पानी की व्यवस्था

*३—श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के समस्त चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों में पानी व बिजली की सुविधा देने का सरकारी आदेश कुछ दिन पूर्व प्रसारित किया गया था परन्तु अब तक पानी व बिजली न देने का क्या कारण है और यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायगी जबकि नल व बिजली के तार क्वार्टरों में गत पिछले वर्ष लगा दिये गये थे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां ।।

विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टरों को छोड़कर शेष क्वार्टरों में पानी की व्यवस्था पूर्ण हो गयी है । विक्रमादित्य मार्ग में नगरमहापालिका की पानी की लाइन में पानी की कमी के कारण नगर महापालिका ने अभी तक वहां स्थित क्वार्टरों के लिये पानी का कनेक्शन नहीं दिया है । इन क्वार्टरों में भी पानी की व्यवस्था के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

क्वार्टरों में बिजली देने के लिये लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम द्वारा सर्विस लाइन की व्यवस्था की जा रही है जिसमें लगभग दो माह का समय लग जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम पकड़ी, थाना खजनी, जिला गोरखपुर में डकैती

*१--श्री शारदा प्रसाद रावत (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मई १५, १९७४को ग्राम पकड़ी के थाना खजनी, जनपद, गोरखपुर में पड़ी डकैती में एक आदमी गोली से उड़ा दिया गया और अनेक व्यक्ति घायल हुये और लगभग (२०) बीस हजार रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी जिसकी नामजद रिपोर्ट थाने में अंकित कराई गई ? यदि हां, तो नामजद मुल्जिमान की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक १५/१६ मई, १९७४ को रात्रि में श्री रमाकान्त उपाध्याय, निवासी, ग्राम पकड़ी थाना-खजनी, जिला गोरखपुर के घर डकैती पड़ने, डाकुओं द्वारा घर का सामान व नकदी लूट लिये जाने, गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दिये जाने तथा कई व्यक्तियों को डाकुओं द्वारा मारे-पीटे जाने के कारण चोटें आने की लिखित सूचना थाना खजनी पर १६ मई, १९७४ को प्राप्त हुई जिसके आधार पर एक मुकदमा, अन्तर्गत धारा ३९६, भारतीय दंड विधान दर्ज किया गया और विवेचना शुरू की गई ।

इस मुकदमें में दो नामांकित अभियुक्तों के अतिरिक्त विवेचना से १० अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये हैं । विवेचना से प्रकाश में आये १० अभियुक्तों में से चार अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अभियुक्त के बारे में ज्ञात हुआ है कि वह आजमगढ़ की किसी घटना में मारा गया । लूटे गये माल व नकदी में से कुछ माल व नकदी बरामद कर लिया गया है ।

नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा चुकी है तथा शेष ४ फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३, जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही हेतु आदेश प्राप्त करने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है ।

मंत्रि-मण्डल के सदस्यों एवं उनके स्टाफ के टी०ए० व डी०ए० पर व्यय की गई धनराशि

*२--चौधरी चरण सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ८ नवम्बर, १९७३ से २८ फरवरी, १९७४ तक मंत्रि-मंडल के सदस्यों म टी०ए० ब डी० ए० पर कितना व्यय हुआ तथा उनक साथ जाने वाले स्टाफ

[चौधरी चरण सिंह]

पर तथा उनके बाहर रहने पर सरकारी कार्य के निष्पादनार्थ जाने-आने वाले स्टाफ पर कितना व्यय हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार ८ नवम्बर, १९७३ से २८ फरवरी, १९७४ की अवधि में मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, तथा उप मंत्रियों द्वारा की गई यात्राओं पर कुल २,१७,८४४.१९ रु० तथा उनके साथ सरकारी कार्य के निष्पादनार्थ जाने आने वाले स्टाफ पर कुल ८६,६२४.१७ रु० व्यय हुआ ।

ग्राम छोड़ी का पुरवा (इलाहाबाद) में डकैती

*३—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद, इलाहाबाद में नवाबगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत चूरी का पूरा ग्राम में २० मई, १९७४ को भीषण डकैती पड़ी ? यदि हां, तो क्या गोलियां भी चलीं और लोग आहत भी हुये ? यदि हां, तो कितने और उक्त कांड के सम्बन्ध में कौन-कौन लोग गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जनपद, इलाहाबाद में थाना नवाबगंज के अन्तर्गत चूरी का पूरा नामक कोई ग्राम नहीं है । उक्त थाने के अन्तर्गत छोड़ी का पुरवा नामक ग्राम में दिनांक १९/२० मई, १९७४ की रात में डकैती पड़ने और गोलियां चलने की लिखित सूचना थाना नवाबगंज पर दिनांक २० मई, १९७४ को प्राप्त हुई । विवेचना के दौरान पुलिस के आठ व्यक्तियों को चोटें आने की सूचना प्राप्त हुई किन्तु उनमें से केवल तीन ने डाक्टरी परीक्षण करवाया जिसके अनुसार एक व्यक्ति को छर्रे की चोटें आना पाया गया ।

इस घटना के सम्बन्ध में अब तक, अभियुक्त जिनके नाम फसान उर्फ फसीउद्दीन, रामशंकर सिंह, अवध नरायन, रशीद बेग, पन्ना, जवाहर और भाई राम उर्फ मतवई है, गिरफ्तार किये गये तथा एक अभियुक्त जमील ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया ।

झींझक कस्बा (कानपुर) स्थित विद्युत् उपगृह के चालू होने में विलम्ब

*४—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

विधान सभा के दिनांक ६ जून, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के झींझक कस्बे में जो विद्युत् उपगृह का निर्माण १९७२ में पूर्ण हो गया था इसके स्वीच गियर में कुछ तकनीकी खराबी के कारण उक्त उपगृह को चालू नहीं किया गया जिससे शासन को आर्थिक हानि और जनता को दिक्कत उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो इसके दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

कानपुर जिले के झींझक कस्बे में स्थित विद्युत् उपगृह के स्वीच गियर में कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसे शीघ्र चालू नहीं किया जा सका था । परन्तु उससे शासन को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई क्योंकि सम्बन्धित फर्म ने उक्त खराबी को बिना किसी मूल्य के ठीक कर दिया था । साथ ही जनता को भी कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि वे एक दूसरे फीडर से बिजली पाते रहे थे ।

इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया अतएव उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस विद्युत् उपगृह स्वीच गियर में कब खराबी आई और उसके कितने दिन बाद वह ठीक किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह समय तो मेरे पास नहीं है । यह है कि वह ठीक कर दिया गया और जब तक ठीक नहीं हुआ उसका कनेक्शन दूसरी जगह से लेकर काम हुआ ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इस स्वीच गियर को ठीक करने में वर्षों का समय लगा है, तो क्या इसकी जांच करायेंगे कि इतना समय क्यों लगा और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

स्वीच गियर किसी कम्पनी ने लगाया, उसमें खराबी आने पर उसको नोटिस दिया गया, उसने उसे ठीक कर दिया और इस सब में कुछ विलम्ब लगता ही है तो अब इसमें प्रश्न क्या उठता है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जब इसके ठीक करने में सालों का समय लगा, तो उससे स्पष्ट है कि अफसरों की लापरवाही हुई है तो क्या इसकी जांच कराई जाएगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कार्श नाथ मिश्र—

जब इनके (श्री यादव) के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो उनके खिलाफ कैसे कार्यवाही होगी (हंसी) ।

बाराबंकी जिले में कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल व दरोगा का कार्य-काल

*५—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत प्रत्येक थाने में तथा जिला के पुलिस आफिस में कौन-कौन से कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल व दरोगा ३ वर्ष से अधिक समय से एक ही थाने में तैनात हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बाराबंकी जिले में पुलिस कार्यालय व किसी थाने/चौकी पर कोई भी कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल या दरोगा एक स्थान पर ३ वर्ष से अधिक समय से नियुक्त नहीं है ।

पर्वतीय विकास निगम द्वारा आरम्भ किये गये कार्य में प्रगति

*६—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढवाल) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय विकास निगम ने गत वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से कार्य आरम्भ किये थे और इस समय तक उनकी क्या प्रगति है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पर्वतीय विकास निगम ने गत वित्तीय वर्ष (१९७३-७४) में (१) विपणन, (२) पर्यटन तथा (३) उद्योग का कार्य पूर्व वर्ष की भांति चालू रखा ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

पर्वतीय विकास निगम ने गत वर्ष निम्नलिखित का विपणन किया:—

	१९७३–७४	
सेब	२७	टन
आलू	७४.५९	कुन्तल
सोयाबीन	३९.७८	,,
आलू	९५.००	,,

चूंकि मार्केटिंग सीजन वर्षाकाल से आरम्भ होता है इसलिये इसकी प्रगति चालू वित्तीय वर्ष में (३०–६–१९७४) तक शून्य रही ।

पर्यटन कार्यक्रम के अन्तर्गत १९७३–७४ में लगभग १,९४,००० रुपये की बुकिंग से ५१ टुअर्स के अन्तर्गत १,०९१ यात्रियों को बद्रीनाथ तथा केदारनाथ-बद्रीनाथ की यात्रा कराई गई ।

चालू वित्तीय वर्ष में ३०–६–७४ तक लगभग १,९२,००० रुपये की बुकिंग से ४३ टुअर्स के अन्तर्गत १,०१७ यात्रियों को बद्रीनाथ तथा केदारनाथ-बद्रीनाथ की यात्रा कराई गई ।

चालू वित्तीय वर्ष में वर्षाऋतु के बाद पुनः टुअर्स चालू किये जायेंगे ।

उद्योग के अन्तर्गत वर्ष १९७३–७४ में १४३.१२ लाख रुपये की निम्नलिखित ७ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई:—

इकाई	कुल अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
१—ए०सी०ए०आर० कण्डक्टर्स इकाई, काटगोदाम	९.००
२—टेलीविजन एसेम्बली इकाई, भीमताल	१०.००
३—डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफारमर इकाई, कोट्द्वार	३८.००
४—रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन इकाई, तिलवाड़ा	२५.५६
५—रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन इकाई, चम्पावत	२५.५६
६—पेन्सिल, स्लेट, बाविन व शटल इकाई, उत्तरकाशी	३.५०
७—उड ऊल इकाई, मुनि की रेती	१.५०
योग ..	१४३.१२

उपरोक्त इकाइयों में उत्पादन शीघ्र ही प्रारम्भ करने के लिये निर्माण-कार्य प्रगति पर है ।

पर्वतीय विकास निगम की कार्य योजना की लागत

*७—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में पर्वतीय विकास निगम की क्या कार्य योजना है और किस लागत की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चालू वित्तीय वर्ष में पर्वतीय विकास निगम का कार्यक्रम यह है कि जहां तक सम्भव हो सके उपरोक्त सभी औद्योगिक इकाइयों का (लागत १४३.१२ लाख) निर्माण पूरा कर लिया जाय ताकि उत्पादन प्रारम्भ किया जा सके ।

विपणन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ३ सीमान्त जिलों में सेबों का कन्साइनमेंट (Consignment) आधार पर व्यापार किया जायेगा । अतः लागत का विवरण देना सम्भव नहीं है ।

पर्यटन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ४ लाख रुपये तक की बुकिंग करने का अनुमान है।

ग्राम हरचंदा (बहराइच) में गौकशी की घटना

*८--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ६ अप्रैल, १९७४ का प्रश्नकर्ता का तार व दिनांक ३० अप्रैल, १९७४ का पत्र संख्या ६५ इस आशय के प्राप्त हुये हैं कि बहराइच जनपद में थाना कैसरगंज के अन्तर्गत हरचन्दा ग्राम में गौकशी हुई और पुलिस निष्क्रिय है और स्थिति तनावपूर्ण है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय--

प्रश्न में उल्लिखित आशय से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का दिनांक ३०-४-७४ का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । उनका कोई तार शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि ग्राम हरचन्दा, थाना कैसरगंज, बहराइच में दिनांक ६-४-७४ को हुई गौकशी की घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने तत्परता से विवेचना की और सम्बन्धित मुकदमें में चारों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक ७-५-७४ को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

पुलिस की सक्रियता के कारण ग्राम में तब से न तो कोई सांप्रदायिक घटना हुई है और न स्थिति तनावपूर्ण है ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जरबल में मुसलमानों के द्वारा तीन बार जलूस निकला, मीटिंग हुई और जिन लोगों ने गौकशी पकड़ी, वहां के लायक सिंह जो दीवान थे, उनके साथ उन लोगों के खिलाफ कैसरगंज के थानाध्यक्ष ने मुसलमानों से मिलकर कोई मुकदमा दायर किया है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

कोई मुकदमा दायर करने की सूचना नहीं है । लेकिन हेड कान्सटेबिल के खिलाफ शिकायत अवश्य रही कि उसने बड़ा दुर्व्यवहार किया । उसकी जांच के बाद वहां के एस० पी० ने चेतावनी दे दी ।

नोट--नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कानपुर रीजन के निवासियों को मोटर गाड़ियों का एलाटमेन्ट

*९—श्री केसरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७१व १९७२ में टैक्सी कोटे में से कितनी एम्बेसडर गाड़ियां तथा फियेट गाड़ियां कानपुर रीजन के निवासियों को बतौर टैक्सी हेतु एलाट हुईं और उनके अलग-अलग नम्बर क्या हैं तथा किन-किन श्रेणी में निबन्धित हुईं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

वर्ष १९७१—

एम्बेसेडर	१८
फियट	१४

वर्ष १९७२—

एम्बेसेडर	५
फियट	८

गाड़ियों के नम्बर तथा जिन श्रेणियों में गाड़ियां निबन्धित हुई का उल्लेख संलग्न तालिका में है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ६८४–६८५ पर)

शाहजहांपुर जिले के निषिद्ध बोर रिवाल्वर के लाइसेंसदार

*१०—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में इस समय प्रोहिबिटेड बोर पिस्तौल व रिवाल्वर के कितने लाइसेन्सदार हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं और उनका प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस दिये जाने का आधार क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

शाहजहांपुर जिले में इस समय निषिद्ध बोर रिवाल्वर के दो लाइसेंसदार हैं । एक श्री मोहम्मद अब्दुल हमीद खां, अवकाश प्राप्त डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज, बहादुर गंज, शाहजहांपुर तथा दूसरे श्री मोमताज अली खां, अवकाश प्राप्त सब-इन्सपेक्टर आफ पुलिस, मोहल्ला तारीन, थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर ।

उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को निषिद्ध बोर के रिवाल्वर का लाइसेंस उस समय स्वीकार किया गया था जब वे सरकारी सेवा में थे । परन्तु सेवा निवृत्त होने के बाद वे ऐसे आग्नेयास्त्र अपने पास नहीं रख सकते । श्री मोहम्मद अब्दुल हमीद खां को अपने निषिद्ध बोर के रिवाल्वर के निस्तारण के लिये ३१ दिसम्बर, १९७४ तक का समय दिया गया है । श्री मोमताज अली खां का मामला विचाराधीन है ।

तहसील ज्ञानपुर (वाराणसी) के विभिन्न थानों में दर्ज की गयी अपराध की रिपोर्टें

*११— श्री रामरति बिन्द तथा श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी में १९७४ में कितनी डकैती की रिपोर्ट लिखायी गई तथा राहजनी व चोरी हुईं और उनमें कितने लोग गिरफ्तार किये गये तथा उनमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ६८६ पर)

प्रदेश के प्रत्येक जिले के अधिकारियों को सरकारी आवास के अहातों की भूमि पर खेती करने की इजाजत

*१२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले के बड़े-बड़े अफसरों (कमिश्नरों, जिलाधिकारियों तथा पुलिस कप्तानों) आदि को बंगले के अन्दर की जमीनों पर खेती करने की इजाजत दी गई है ? यदि हां तो क्या इस बात की जानकारी सरकार को है कि प्रत्येक जिले का कृषि विभाग इनकी खेती कराता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, शासन ने प्रदेश के प्रत्येक जिले के अधिकारियों को सरकारी आवास के अहातों की भूमि पर अपने निजी व्यय से अपने लाभ के लिये खेती कराने की इजाजत दी है । किसी भी जिले का कृषि विभाग, अधिकारियों के बंगलों के अन्दर की भूमि पर खेती नहीं कराता ।

भीमापार उप विद्युत् केन्द्र (गाजीपुर) का निर्माण

*१३—श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में भीमापार उप विद्युत् केन्द्र का निर्माण सारे पुराने यंत्रों से किया गया है जिससे वह सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसको ठीक कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं, जो यंत्र इस सब-स्टेशन के निर्माण में लगाये थे उसमें मैनुफैक्चरिंग फाल्ट था जिसे विभागीय तकनीकियों द्वारा दुरुस्त किया गया तथा इस सब-स्टेशन के कुछ भार को समीप के सब-स्टेशन पर स्थानान्तरित करके क्षेत्रीय जनता को विद्युत् उपलब्ध कराई जा रही है ।

जिला कानपुर की राजाबाबू मार्डन राइस मिल का पावर मीटर बदलने में विलम्ब

*१४—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के झींझक कस्बे के चन्द्रभान सिंह राजा बाबू मार्डन राइस मिल में पावर मीटर मार्च, १९७४ में खराब हुआ जिसकी सूचना विभाग को दी गई ? यदि हां, तो पावर मीटर कब दिया गया और यदि हां, तो क्या यह सही है कि लम्बे अर्से तक पावर मीटर न लगाने से उक्त राइस मिल का सारा काम ठप रहा जिसके कारण मिल को भारी हानि उठानी पड़ी तथा गम्भीर खाद्य संकट के समय उक्त मिल द्वारा चावल की सप्लाई बन्द हो रही है और विभाग को आय की हानि हुई ? यदि हां, तो लम्बे अर्से तक पावर मीटर न लगाने का क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, यह मीटर २७ मार्च, १९७४ को जला था और १७ मई, १९७४ को बदला गया बीच की अवधि में उपभोक्ता को डाइरेक्ट बिजली दी गई अतः उपभोक्ता को कोई क्षति नहीं हुई और न परिषद् को कोई आर्थिक हानि हुई ।

हिन्डालको के ऊपर विद्युत् परिषद् की बकाया धनराशि

*१५—श्री ऊदल तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्डालकों के ऊपर विद्युत् परिषद् का सन् १९७२ तक २ १/२ करोड़ रु० बकाया था और वह बढ़कर अब ५ करोड़ हो गया है ? यदि हां, तो उसको अब तक वसूल न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हिंडालकों के ऊपर विद्युत परिषद् का सन् १९७२ तक का लगभग २.६० करोड़ रुपया बकाया था। इस समय कुल बकाया धनराशि लगभग ३.४४ करोड़ है जिसका मामला मध्यस्थता (arlitration) में दे दिया गया है जिसके निर्णय होने तक इसकी वसूली स्थगित है।

*१६--श्री चन्दन सिंह--

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

[दिनांक २२ अगस्त १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला आगरा में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज

*१--श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० अप्रैल, १९७४ को आगरा में पुलिस द्वारा छात्रों पर प्रहार करने से कुछ छात्र घायल हुये ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा पुलिस जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां, दिनांक ३० अप्रैल, १९७४ को आगरा में पुलिस ने छात्रों पर हल्का लाठी चार्ज किया था। संक्षेप में घटना इस प्रकार है।

दिनांक ३० अप्रैल, १९७४ को सेन्ट जोन्स कालेज, आगरा के करीब १५०-२०० छात्र आर० बी० एस० कालेज पहुंच गये तथा वहां परीक्षार्थियों से परीक्षा का बहिष्कार करने के लिये कहने लगे। वहां पर तैनात पुलिस ने छात्रों से शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा परीक्षा में अड़चन पैदा न करने के लिये अनुरोध किया। बाद में नगर मजिस्ट्रेट भी वहां आ गये तथा उन्होंने भी छात्रों को समझाया लेकिन छात्रों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा परीक्षार्थियों की कापियां छीनने लगे व पुलिस पर पथराव करने लगे। अतएव छात्रों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग एवं हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा जिसके फलस्वरूप ८ छात्रों को मामूली चोंटे आई।

किसी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला मुरादाबाद के ग्राम अदोपुर में देवी के थाने पर बालकों की बलि

*२--श्री मोहन लाल कपूर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाने के ग्राम अदोपुर में २८ अप्रैल, १९७४ को अथवा उसके आस-पास किसी दिन बालकों की हत्या करके देवताओं को चढ़ाने (नरबलि) की घटना हुई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक २८/४/७४ को थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद पर सूचना लिखाई गई कि शेरा पुत्र बीरू जाटव निवासी उदपुरा द्वारा अपने दो अवयश्क पुत्रों को देवी के स्थान पर गड़ासे से गर्दन काट कर मार डाला गया है तथा शेरा द्वारा अपने पेट में गड़ासा मार लिया गया है और पूजन का सामान पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर धारा ३०२/३०९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया और विवेचना आरम्भ की गई। शेरा को गिरफ्तार कर अस्पताल में दाखिल किया गया तथा दोनों मृत बच्चों की लाश पोस्टमार्टम हेतु भेजी गई। शेरा की दिनांक ३/५/७४ को अस्पताल में मृत्यु हो गई। जांच से ज्ञात हुआ कि शेरा अपने उक्त दोनों लडकों के निरन्तर बीमार रहने के कारण बुरी तरह दुखी था और इसी कारण उसने उनकी हत्या की। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शेरा को देवी का सपना आया था तथा इसी कारण उसने उनकी बलि चढ़ा दी। विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की गई।

*३--४--श्री प्यारे लाल वर्मा तथा श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी--
[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

*५--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--
[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

*६--चौधरी चरण सिंह--
[७वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३७ पर उत्तरित ।]

प्रदेश के अधिकारियों को ५८ वर्ष के बाद सेवा वृद्धि न दिया जाना

*७--चौधरी चरण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, १९७३ के शासनादेश के अन्तर्गत ५८ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद कितने राजपत्रित अधिकारियों को सेवा मुक्त किया गया और कितने उसके बाद भी एक्सटेंशन पर चलते रहे और क्यों ? वर्तमान सरकार द्वारा कितने अधिकारियों को ५८ वर्ष के बाद एक्सटेंशन दिया गया है।

श्री राजमंगल पांडेय--

दिसम्बर १७, १९७३ के अधंशासकीय पत्र के जारी होने के उपरान्त २०१ राजपत्रित अधिकारी ५८ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त हुए और इनमें से किसी को भी सेवा वृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी ।

वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के किसी भी अधिकारी को ५८ वर्ष के बाद एक्सटेंशन नहीं दिया गया लेकिन ४ राजपत्रित अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति स्वीकृत की गयी। शिक्षण संस्थानों के अध्यापक-प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य जो अन्तिम तीन वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और जिनकी सेवा निवृत्ति की तिथि शिक्षा सत्र के मध्य में पड़ती है, उन्हें सामान्य रूप से सत्र के अन्त तक सेवा विस्तार दिया गया है ।

नवाबगंज, नारंग ब्रेवरीज (गोंडा) द्वारा प्रतिदिन उपभोग की गयी बिजली

*८--श्री त्रिवेणी सहाय --

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवाबगंज नारंग ब्रेवरीज, गोंडा को चौबीस घंटे बिजली दी जाती है ? यदि हां, तो इस फैक्टरी को चलाने हेतु प्रति दिन कितनी बिजली की खपत होती है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां, प्रतिदिन औसतन १८११ इकाइयों की खपत है।

*९--श्री हरि केवल--

*(पुनर्विचार पर निरस्त ।)

श्री राम गोपाल अग्रवाल, निवासी चैथम लाइन्स (इलाहाबाद) के घर में डकैती

*१०--श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री शारदा प्रसाद रावत--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शनिवार १५ जून, १९७४ को इलाहाबाद शहर में श्री राम गोपाल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर अक्सीर दंदान केमिकल्स वर्क्स के मकान पर पिस्तौल से लैस कुछ डकैतों ने डाका डाला ? यदि हां, तो कितने रुपए का माल डकैती में गया और कोई गिरफ्तारी हुई अथवा नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

१५ जून, १९७४ को नहीं बल्कि १३ जून, १९७४ की रात में श्री राज अग्रवाल पुत्र श्री राम गोपाल अग्रवाल निवासी चैथम लाइन्स इलाहाबाद ने थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद में टेलीफोन द्वारा यह सूचना दी कि उसी रात चार बदमाश उनके घर में घुस गए तथा चाकू एवं तमंचे से मारने की धमकी देकर ऐवरात, नकदी व अन्य सामान लूट ले गए। इस घटना में लगभग ११,००० रुपए का माल लूटा गया। घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना कर्नलगंज में एक मुकदमा धारा ३९२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस घटना से सम्बन्धित चारों अपराधी एक अन्य अपराध के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गए।

श्री भोला निवासी ग्राम महुआ बारी (रसूलपुर) आजमगढ द्वारा झूठी की फर्जी रिपोर्ट

*११--श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महुआ बारी (रसूलपुर) थाना दोहरी घाट, जनपद आजमगढ़ में दिनांक १०जुलाई, १९७३ को हथियारों से लैस कुछ लोगों ने हजारों रुपए की भोला खटित की सम्पत्ति लूट ली और उसका घर भी उजाड़ दिया जिसकी रिपोर्ट भी स्थानीय पुलिस ने नहीं लिखी, जिसकी लिखित रिपोर्ट दिनांक २७ जुलाई, १९७३ को गृह सचिव को दी गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और क्या इसकी जांच गुप्तचर विभाग से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

सर्वश्री नारायन, भोला, जगदेव व सरदन निवासी ग्राम महुआ बारी (रसूलपुर) आजमगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भेजे गए प्रार्थना-पत्र दिनांक १३ जुलाई, १९७३ जिसमें १० जुलाई, १९७३ की शाम को ४ बजे लाठी बन्दूक से लैस १८ नामजद व्यक्तियों के वादियों के यहां आकर हजारों रुपए की नकदी, सामान, बैल, जेवर लूटने वादी के रिपोर्ट न लिखी जाने की शिकायत की गई थी, के आधार पर दिनांक १९ जुलाई, १९७३ को दोहरी-घाट आजमगढ़ पर एक मुकदमा धारा ३९५ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया व उसी दिन विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से यह मामला फर्जी पाया गया और उसमें २५ जुलाई, १९७३ को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई जो २२ जनवरी, १९७४ को न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

स्थानीय पुलिस द्वारा वादी की रिपोर्ट न लिखे जाने की लिखित सूचना गृह सचिव को २७ जुलाई, १९७३ को देना बताया जाता है जबकि रिपोर्ट उसके पूर्व १९ जुलाई, १९७३ को ही लिखी जा चुकी थी।

*१२--श्री शिव सम्पत्ति राम, श्री अवधेश कुमार तथा श्री कल्याण सिंह--

[निरस्त]।

*१३--श्री त्रिवेणी सहाय--

[पुनर्विचार पर निरस्त]।

दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर संसद सदस्य श्री राज नारायण की गिरफ्तारी

*१४--श्री राम सेवक यादव तथा श्री गिरजा शंकर पाठक--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ मई, १९७४ को एक संसद सदस्य (श्री राज नारायण) गाजियाबाद के जूनियर हाई स्कूल के पारितोषिक वितरण में समारोह में भाग लेने जाते समय दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों तथा एस०पी० द्वारा गिरफ्तार किये गये ? यदि हां, तो गिरफ्तारी का कारण क्या था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। दिनांक १५ मई, १९७४ को लगभग ४ बजे सायंकाल मोहन नगर में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा १५१ में एक संसद सदस्य को हिरासत में लिया गया था। घटना के कई दिन पूर्व से गाजियाबाद के उग्रवादी नवयुवक वकीलों ने रेल कर्मचारियों के हड़ताल के सिलसिले में हुई गिरफ्तारियों पर रोष प्रकट करते हुए स्थानीय पुलिस के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ रखा था। घटना के दिन संसद सदस्य महोदय आन्दोलनकारी वकीलों की सभा को सम्बोधित करने वाले थे जिससे शान्ति भंग होने की आशंका थी। अतः संसद सदस्य महोदय को हिरासत में लेना पड़ा था।

श्री गयासुद्दीन किदवई, पैनल वकील (बाराबंकी के आचरण के विरुद्ध कार्यवाही

*१५--श्री राम सेवक यादव--

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या २८० दिनांक ४ मई, १९७४ थाना कोतवाली, बाराबंकी के एक अपराधी (श्री नन्द किशोर) की जमानत के प्रार्थना-पत्र की बहस, बाराबंकी के किसी पेनल वकील ने की और क्या अपराध संख्या २८१ व २८२, दिनांक ४ मई, १९७४ के भी किसी एक अपराधी की जमानत का प्रार्थना-पत्र इन्हीं पेनल वकील ने कही, स्पेशल जज बाराबंकी की अदालत में दिया यदि हां, तो पेनल वकील का नाम क्या है और क्या कोई वकील इस तरह के मुकदमे में सरकार के विरुद्ध पैरवी कर सकता है?

श्री राज मंगल पांडेय--

श्री ग्यासुद्दीन किदवई नामिका वकील (फौज०) ने अपराध संख्या २८० में एक अभियुक्त श्री नन्दकिशोर की ओर से जमानत के प्रार्थना-पत्र पर बहस की। अपराध संख्या २८२ में श्री सन्तसरन की ओर से श्री किदवई ने (Anticipatory bail) का प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्री सरन अभी तक भी अभियुक्त घोषित नहीं किये गये हैं। श्री किदवई अपराध संख्या २८१ में किसी अभियुक्त की ओर से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए बल्कि सरकार की ओर से पैरवी की।

सामान्यतया नामिका वकील (फौजदारी) के लिए यह प्रतिबन्ध नहीं है कि वह सरकार के विरुद्ध किसी मुकदमें की पैरवी न कर सके परन्तु यदि कोई वकील किसी मुकदमें में सरकार की ओर से सम्बद्ध होता है तो फिर वह उसी मुकदमें में सरकार के विरुद्ध अथवा अभियुक्तों की ओर से पैरवी नहीं कर सकता। इन मुकदमों में श्री किदवई ने कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध सरकार की ओर से जमानत के प्रार्थना-पत्र का विरोध किया था। अतः उनको इन मुकदमों में उपरोक्त व्यक्तियों की ओर से जमानत के प्रार्थना-पत्र नहीं देने चाहिए थे। उनके इस आचरण के लिए उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

उर्दू अकादमी की स्थापना एवं उसके कार्य में प्रगति

*१६--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उर्दू अकादमी की स्थापना कब और क्यों की तथा इस समय उसमें होने वाले कार्य की प्रगति क्या है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

सरकार ने उर्दू के प्रसार एवं प्रचार की योजना के अन्तर्गत २५ जनवरी, १९७२ को उर्दू अकादमी की स्थापना की थी। इसके कृत्य तथा उद्देश्य संलग्नक (१) में दिये हुए हैं।

अकादमी के कार्य की प्रगति संलग्नक (२) में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६८७-६८८ पर)

जिला उत्तर काशी, कलेक्टरेट के कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश का निरस्त होना

*१७--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तर काशी के कलेक्टरेट के कर्मचारियों की सेवाओं के स्थायीकरण के जो आदेश शासन द्वारा ६ मई, १९७४ को पारित किये गए थे उन्हें मुख्य सचिव के निर्देशन पर दिनांक २२ मई, १९७४ को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जिलां उत्तरकाशी के कलेक्टरेट के कर्मचारियों की सेवाओं के स्थायीकरण के आदेश शासन द्वारा ६ मई, १९७४ को पारित किये गए थे,परन्तु उन्हें शासन द्वारा २२ मई, १९७४ के आदेश से निरस्त कर दिये गए हैं? कलेक्टरेट उत्तरकाशी के कतिपय राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें की गई हैं, अतएव उक्त कार्यवाही शासन द्वारा की गई हैं?

उत्तर प्रदेश एवं पिथौरागढ़ के कलेक्टरेट के कर्मचारियों के स्थायीकरण में भेदभाव

*१८--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या यह सही है कि सीमान्त जिले उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के कलेक्टरेट के कर्मचारियों की सेवाओं का स्थायीकरण किया जा चुका है? यदि हां, तो कब और क्या उत्तर काशी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भेद-भाव बरता गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राजमंगल पांडेय--

जिला उत्तरकाशी के प्रश्नगत विषय पर उक्त उत्तर में सूचना दे दी गई है। पिथौरागढ़ कलेक्टरेट के कतिपय कर्मचारियों की सेवाओं का स्थायीकरण १ अप्रैल, १९७३ से किया गया था। उत्तरकाशी कलेक्टरेट के निर्दोष कर्मचारियों की सेवाओं का स्थायीकरण किया जायगा। अतएव उत्तरकाशी कलेक्टरेट के कर्मचारियों के साथ कोई भेद-भाव नहीं बरता जायेगा ।

गवर्नर्स गरीबी हटाओं फण्ड में जमा की गई धनराशि एवं दानदाताओं की सूची

*१९--श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महामहिम राज्यपाल की अपील पर सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा गरीबी हटाओ फंड में ३१ मार्च, १९७४ तक कितनी धनराशि जमा हुई है तथा क्या उन अधिकारियों एवं दानदाताओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिन्होंने इस फंड में योगदान दिया है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

३१ मार्च, १९७४ तक "गवर्नर्स गरीबी हटाओ फण्ड १९७३" में रुपया ५८,६११ १५ पैसे की धनराशि जमा हुई। दान दाताओं की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६८९-६९० पर)

जिला पौढ़ी गढ़वाल में राजकीय डिग्री कालेज खोलने की मांग

*२०--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौढ़ी गढ़वाल)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७४-७५ के आय-व्ययक जिन राजकीय डिग्री कालेज की पर्वतीय क्षेत्र में खोलने का प्राविधान किया गया है उनमें से कितने कालेज किस-किस स्थान पर जिला पौढ़ी गढ़वाल में स्थापित किये जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

१९७४-७५ के आय-व्ययक में जिन राजकीय डिग्री कालेजों को पर्वतीय क्षेत्र में खोलने का प्राविधान किया गया है उनके लिए स्थानों का चयन अभी नहीं हो सका है।

*२१--श्री केशरी लाल--

[१०वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, गोरखपुर के हिन्दी के प्रवक्ता की सेवा समाप्ति

*२२--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज (गोरखपुर) के प्रबन्धक ने हिन्दी के प्रवक्ता (श्री वेदप्रकाश पाण्डेय) की सेवा दिनांक २३ अक्तूबर, १९७३ को समाप्त कर दी? जब विश्वविद्यालय गोरखपुर ने इसके विपरीत प्रबन्धक को आदेश दिया था?यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में प्रबन्धक के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करने जा रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां, जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज मह राजगंज (गोरखपुर) की प्रबन्ध समिति ने हिन्दी के प्रवक्ता श्री वेद प्रकाश पाण्डेय की सेवायें २३ अगस्त, १९७३ को समाप्त कर दीं, यद्यपि कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय ने प्रबन्ध समिति के इस निर्णय का अनुमोदन नहीं किया ।

प्रबन्धक के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

जिला निर्वाचन कार्यालय, बस्ती के नैत्यिक श्रेणी लिपिकों का स्थायीकरण

*२३--श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला निर्वाचन कार्यालय, बस्ती में दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७२ को कुछ नैत्यिक श्रेणी लिपिकों के स्थायीकरण में जी० ओ० नं० ३९६२/II-बी०-५०-१९५५, दिनांक २७ दिसम्बर, १९५६ को मूल आधार मान कर स्थायीकरण किया गया है जोकि पदोन्नति से सम्बन्धित है? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है और क्या सरकार इसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री राजमंगल पांडेय--

जिला निर्वाचन कार्यालय बस्ती में दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७२ को किसी भी नैत्यिक श्रेणी लिपिक का स्थायीकरण नहीं किया गया है।

विकास खण्ड हरैया, आजमगढ़ में हरिजन कालोनी के निर्माण में गोलमाल

*२४--श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद में विकास क्षेत्र हरैया के अन्तर्गत ग्राम हरैया में जो हरिजन कालोनी बनायी गयी है? उसके निर्माण में काफी गोलमाल किया गया है, यहां तक कि बिल्कुल सेमा ईंट और बालू से निर्माण कराया गया है, जिसकी जांच हेतु मुख्य मन्त्री जी के पास उसमें प्रयोग की गई सीमेंट भी थानेदार रौनापार द्वारा दिनांक २७ मई, १९७४ को प्रेषित की गयी थी? यदि हां, तो क्या उसमें कोई जांच हुई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद आजमगढ़ के विकास खंड हरैंया में जो हरिजन कालोनी बनवाई गई है उसके निर्माण में कोई गोलमाल नहीं हुआ है और न से ा ईंट व बालू से निर्माण कराया गया है । मुख्य मन्त्री जी के पास किसी जांच हेतु थानेदार रौनापार द्वारा दिनांक २७ मई, १९७४ का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

धान अनुसन्धान केन्द्र, मसौधा (फैजाबाद) के इंचार्ज द्वारा सांख्यिक अधिकारी पर चाकू से कथित हमला

*२५--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद) तथा श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ अथवा ६ जून, १९७४ में धान अनुसन्धान केन्द्र, मसौधा, जिला फैजाबाद के कार्यालय में किसी अफसर ने इसी कार्यालय के दूसरे अफसर पर चाकू से हमला किया ? यदि हां, तो एफ०आई०आर० क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक ५ जून, १९७४ को श्री राम औतार गोयल, सांख्यिक अधिकारी, धान अनुसन्धान केन्द्र, मसौधा ने ७ बजे अपरान्ह में थाना कोतवाली फैजाबाद में इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसी दिन ४.२५ बजे अपरान्ह में वे केन्द्र इंचार्ज के बुलाने पर उनके कमरे में गये और अपने लिए एक चपरासी की मांग की जिस पर कुछ वाद-विवाद हुआ । केन्द्र इंचार्ज ने क्रोधित होकर चाकू निकाल कर उनके गले पर वार किया और अपने को बचाने के लिए हाथ उठाने पर वादी के बायें हाथ की सबसे छोटी उंगली पर चाकू लगा जिससे उंगली थोड़ा कट गई और खून बहने लगा । वादी के शोर मचाते हुए भागने पर केन्द्र इंचार्ज ने उसे बरामदे तक खदेड़ा और अन्य अधिकारियों को आया देखकर अपने कमरे में लौट गए ।

उक्त सूचना थाना कोतवाली पर धारा ३३२/३२४/५०४/५०६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज की गई । कागजात कोतवाली से प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना पुरापलन्दर पर मुकदमा कायम करके विवेचना की गई। डाक्टरी परीक्षण से वादी की केवल बायें हाथ की छोटी अंगुली में एक साधारण चोट पाई गई। विवेचना से मुकदमा बनावटी पाया गया अतः अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई ।

*२६--श्री शिव कैलाश--

[पुनर्विचार पर निरस्त] ।

प्रदेश के अस्थायी मुंसिफ एवं उनका सेवाकाल

२७--कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं जिनकी सेवा अवधि ३ वर्ष से अधिक है ? उन में से कौन-कौन स्थायी व अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक का सेवाकाल कितना-कितना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

९२ ।

यह सभी मुंसिफ अभी अस्थायी हैं। उनका सेवाकाल संलग्नक में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६९१-६९३ पर) ।

*२८--श्री गिरजा किशोर मिश्र--

[१०वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न सं० ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

थानाध्यक्ष आंवला (बरेली) के विरुद्ध नगरपालिका, आंवला में पारित प्रस्ताव

२९—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या पुलिस मन्त्री को आंवला नगरपालिका, जिला बरेली का कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव थानाध्यक्ष, आंवला के विरुद्ध जून, १९७४ में मिला है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नगरपालिका, आंवला, जिला बरेली का दिनांक २६ मई, १९७४ का एक प्रस्ताव, जिसमें थानाध्यक्ष, आंवला की शिकायतें की गई हैं, शासन को जून, १९७४ में प्राप्त हुआ। प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रस्ताव में उल्लिखित आरोपों की जांच पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६९४ पर)

जिला मुरादाबाद के ग्राम मंगरौला में कथित हरिजन कालोनी के निर्माण

*३०—श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास क्षेत्र, गंगेसरी जनपद मुरादाबाद के ग्राम मंगरौला में किसी हरिजन कालोनी का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह बताने का भी कष्ट करेंगे कि उक्त हरिजन कालोनी में कुल कितने प्लाट्स हैं, उनमें से कितने हरिजनों को आवंटित किये गये हैं एवं कितने प्लाट पिछड़ी जाति के लोगों को दिए गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला जालौन के ग्राम मधापुर में हरिजन एवं उच्च जाति के बीच झगड़े से सम्बन्धित रिपोर्ट थाने पर न लिखे जाने की शिकायत

*३१—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक २० मई, १९७४ को जिला जालौन के ग्राम मधापुर के कुछ उच्च जातीय व्यक्तियों तथा एक हरिजन प्रभुदयाल के बीच झगड़ा हुआ जिसकी रिपोर्ट थाना कुठौन्द के थानेदार (श्री राम कमल सिंह) ने नहीं लिखी थी, तब प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, जालौन को दिनांक २५ मई, १९७४ को दिया गया था ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २० मई, १९७४ को जिला जालौन के थाना कुठौंद के अन्तर्गत ग्राम मधापुर में काछी जाति के सर्वश्री राम भरोसे तथा उनके लड़के सुखपाल द्वारा प्रार्थी की चारपाई, जिस पर वह लेटा हुआ था, उलट कर उसे गिरा दिये जाने, मारे पीटे जाने तथा इस घटना की सूचना देने जाने पर उसकी रिपोर्ट थाने पर न लिखे जाने की शिकायतों से सम्बन्धित श्री प्रभू दयाल हरिजन के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उरई के पत्र दिनांकित ३१ मई, १९७४ के साथ पुलिस अधीक्षक, जालौन के कार्यालय में दिनांक २ जून, १९७४ को प्राप्त हुई थी। उक्त

प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच पुलिस उप अधीक्षक, जालौन कर रहे हैं। भरसक प्रयत्न किये जाने के बावजूद शिकायतकर्ता अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायतों का समर्थन करने के लिए अभी तक जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं हो सका। श्री प्रभु दयाल हरिजन से सम्पर्क स्थापित करके जांच पूरी किए जाने का प्रयास विवेचक अधिकारी द्वारा किया जा रहा है ।

रफीक उफन्योरा, निवासी गजनीपुर (सीतापुर) की हत्या

*३२--श्री अम्मार रिजवी (जिला सीतापुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ मई, १९७४ को थाना तालगांव, जिला सीतापुर में दिन दहाड़े १२ बजे दिन में श्री रफीक की हत्या की गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति पकड़े गए ? पुलिस इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक १३ मई, १९७४ को १२ बजे दिन में श्री रफीक उर्फ न्योरा, निवासी गजनीपुर बाजार की मृत्यु ग्राम महोलिया, थाना तालगांव के चार नामांकित लोगों द्वारा मारे-पीटे जाने के कारण होने की सूचना मृतक के बहनोई श्री बाबू ने उसी दिन थाना तालगांव पर दी जिसके आधार पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा ३०४, ३३० भारतीय दंड विधान पंजीकृत हुआ। एक अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा शेष तीन ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। विवेचना के उपरान्त सभी नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार किया गया ।

*३३--३४ [पुनरावृत्ति के कारण निरस्त] ।

लखनऊ स्थित दारुलशफा के कामन लैट्रिन पर अनधिकृत कब्जा

*३५--श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित दारुलशफा 'ए', 'बी' ब्लाक, लखनऊ में कुछ कामन लैट्रिन या बाथरूम पर कुछ लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जी हां।

विधायक निवास नं० १ में केवल दो महानुभाव अपने कक्ष के बगल में स्थित दो बाथ-रूम्स का प्रयोग कर रहे हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उन्हें खाली कर दें ।

जिला कानपुर के ग्राम जमालपुर में राहजनी

*३६--श्री जटाधर बाजपेयी (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि दिनांक २२/२३ जून, १९७४ के मध्य जिला कानपुर के थाना बिल्हौर क्षेत्र में डाकुओं द्वारा राहगीरों को रोककर उनकी ६ साइकिलें व ८०० रुपया नकद को छीनने के पश्चात् ग्राम जमालपुर निवासी श्री हरनाम सिंह की हत्या गोली मार कर दी गयी ? यदि हां, तो पुलिस के द्वारा कितने डाकुओं को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कितनी सम्पत्ति बरामद हुई ? इस प्रकार की अपराधपूर्ण घटनाओं को रोकने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक २३ जून, १९७४ को श्री अभिनाथ सिंह, निवासी जमालपुर, थाना बिल्हौर ने इस आशय की रिपोर्ट थाना बिल्हौर पर दी कि दिनांक २२ जून, १९७४ की रात लगभग ७.५० बजे बाग की ओर से शोर होने पर वह, उसका भतीजा हरिभानसिंह और ग्राम के अन्य लोग उस ओर गए और देखा कि ग्राम के ही कुछ नामांकित व्यक्ति वादी के रिश्तेदारों से मार-पीट व छीना-झपटी कर रहे हैं। ललकारने पर अभियुक्तों ने फायर किया जिससे हरिभान सिंह घायल हो गया । अभियुक्तगण साइकिलों पर भाग गये। बाद में रिश्तेदारों ने बताया कि अभियुक्तगण उनकी तीन सायकिलें, तीन घड़ियां और ५१४ रुपए छीन ले गये। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया ।

उक्त मुकदमें के एक अभियुक्त रघुवीर सिंह ने तथा एक अभियुक्त की माता श्रीमती मेंहदी ने वादी तथा अन्य के विरुद्ध भी रिपोर्टें लिखाईं जो क्रमशः धारा १४७ १४८ ३०७ भारतीय दंड विधान तथा ३२३/५०४/५०६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज की गयी। श्रीमती मेंहदी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट अहस्तक्षेपनीय है। शेष दोनों रिपोर्टों पर कायम मुकदमें की विवेचना प्रगतिशील है। घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

अभी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया और न कोई माल बरामद हुआ। पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय है और बराबर गश्त की जा रही है ।

मोहन लाल, निवासी इटारा (कानपुर) के मारे-पीटे जाने की रिपोर्ट

*३७--श्री जटाधर बाजपेयी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक २५ अप्रैल, १९७४ को ग्राम इटारा, थाना सचेंडी, जिला कानपुर निवासी श्री मोहनलाल धोबी को कतिपय आततायी व्यक्तियों द्वारा सांघातिक रूप से मार कर घायल कर दिया गया है? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और पुलिस के द्वारा कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २५ अप्रैल, १९७४ को नहीं बल्कि २५ मई, १९७४ को श्री मोहनलाल, निवासी इटारा, जिला कानपुर को कुछ नामांकित व्यक्तियों द्वारा पुरानी रंजिश के कारण मारे-पीटे जाने की लिखित सूचना उसी दिन थाना सचेंडी में प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा ३२३ ५०४ ५०६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया तथा वादी को डाक्टरी जांच कराने के लिए भेजा गया। डाक्टरी परीक्षण एवं एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त मुकदमा धारा ३२५ ५०४ ५०६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। चारों नामांकित अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

*३८--श्री बाबू लाल वर्मा, श्री गजाधर प्रसाद आर्य तथा श्री सुखद राज सिंह--

[निरस्त] ।

*३९--श्री प्रियदर्शी जेटली, श्री भगौती प्रसाद शुक्ल तथा श्री धर्मचन्द्र मिश्र--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

श्री रामफल वर्मा, जिला बहराइच को गुंडों द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*४०--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के जनसंघ नेता (श्री रामफल वर्मा) को कुछ गुन्डों द्वारा पीटे जाने की सूचना मिलने पर भी स्थानीय पुलिस द्वारा गुंडों के विरुद्ध कोई सफल कार्यवाही न किये जाने के कारण जरवल रोड पुलिस के

विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र दिनांक २२ मार्च, १९७४ अथवा उसके आस-पास किसी दिन शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पूरा पत्र क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र दिनांक २२ मार्च, १९७४ को प्रश्नकर्ता ने भेजा था, शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री रामफल वर्मा को मारे-पीटे जाने की कथित घटना के बारे में उनकी रिपोर्ट दिनांक २८ फरवरी, १९७४ पर धारा १४७ ३२३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें पांचों नामांकित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक १५ अप्रैल, १९७४ को न्यायालय भेजा गया ।

[देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६९२ पर']।

*४१--श्री इन्द्र लाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

प्रदेश में नलकूपों एवं उद्योगों सहित खर्च की समस्त बिजली की मात्रा

*४२--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में वर्ष १९७२-७३ व १९७३-७४ में प्रदेश में कुल कितने मेगावाट बिजली खर्च हुई, उसमें से कितनी उद्योग-धंधों में तथा कितनी नलकूपों पर खर्च हुई और क्या सरकार नलकूपों को आवश्यकतानुसार बिजली देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उत्तर प्रदेश में वर्ष १९७२-७३ व १९७३-७४ में क्रमश: ४८०४.०९९ मिलियन यूनिट एवं ४३२२.२४१ मिलियन यूनिट बिजली खर्च हुई। इसमें से नलकूपों पर वर्ष १९७२-७३ में ७९४.४८२ मिलियन यूनिट एवं १९७३-७४ में ८२५.७०२ मिलियन यूनिट तथा उद्योग धंधों पर वर्ष १९७२-७३ में २७७५.५२५ मिलियन यूनिट एवं वर्ष १९७३-७४ में २२५९.९३९ मिलियन यूनिट बिजली खर्च हुई। नलकूपों को आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक विद्युत दी जाती है। सिंचाई के लिए बिजली की मांग बढ़ने पर अन्य श्रेणी के उपभोगताओं की बिजली में कटौती करके नलकूपों को अधिक से अधिक बिजली देने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त नलकूपों पर बिजली की कटौती लागू नहीं है और नलकूपों के लिए नये कनेक्शन देने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मेगावाट में मात्रा नहीं दी जा सकती इसलिए यूनिट में दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को लाभ व हानि

*४३--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन निगम को १९७२-७३ व १९७३-७४ में अलग-अलग क्या लाभ व हानि हुई जिस वर्ष हानि हुई उसके मुख्य स्पष्ट क्या कारण थे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को वर्ष १९७२-७३ में रु० ४५,५७,६१८ की हानि हुई तथा वर्ष १९७३-७४ में लगभग १९ लाख रुपए का लाभ हुआ ।

वर्ष १९७२-७३ में हुई हानि के निम्न कारण थे:--

(१) ८ फरवरी, १९७३ से २१, फरवरी १९७३ तक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जाना ।

(२) निगम बन जाने के पश्चात् गाड़ियों की स्वस्थता एवं परमिट शुल्क पर व्यय तथा मोटर पुर्जों आदि पर बिक्री कर का भुगतान ।

(३) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मजदूरी की दरों में जुलाई, १९७२ से वृद्धि ।

(४) चालकों को मिलने वाले रात्रि भत्ते एवं परिचालकों को मिलने वाले नेक चलन भत्ते की दरों में वृद्धि ।

(५) निगम की स्थापना के बाद पूंजी तथा ऋण की ब्याज की दरों में वृद्धि ।

(६) कर्मचारियों को मार्च, १९७२ तथा अगस्त, १९७२ से अन्तरिम सहायता दिए जाने तथा वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप और समय-समय पर महंगाई-भत्ता बढ़ने आदि के कारण व्यय में वृद्धि ।

(७) गाड़ियों के मूल्य में वृद्धि होने से अवमूल्यन में वृद्धि ।

(८) स्पेयर पार्ट्स के मूल्य में वृद्धि ।

(९) अनुग्रह भुगतान आदि मदों में वृद्धि ।

*४४--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त] ।

बिसवां जिला सीतापुर में मुंसफी कायम करने के सम्बन्ध नागरिकों का आवेदन-पत्र

*४५--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने बिसवां, जिला सीतापुर के बार एसोसिएशन का मांग-पत्र जिसमें बिसवां में मुन्सफी कायम करने की मांग की गई है, जिस पर जिले के जज की कोई संस्तुति जो सितम्बर, १९७० में की गई है प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

बार एसोसियेशन बिसवां का वहां पर मुंसिफी कायम करने के सम्बन्ध में कोई ऐसा मांग-पत्र जिसमें जिला जज सीतापुर की कोई संस्तुति हो, सितम्बर, १९७० में प्राप्त नहीं हुआ । अक्तूबर, १९७२ में बिसवां के वकीलों तथा नागरिकों का एक आवेदन-पत्र इस विषय में प्राप्त हुआ था । शासन ने उच्च न्यायालय को उनका मत जानने के लिए लिखा है । उच्च न्यायालय का मत प्राप्त होने पर ही इस पर आगे विचार करना सम्भव होगा ।

*४६—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

*४७—राजा रणंजय सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया]।

उरई के डी० एस० पी० के स्थानान्तरण का निरस्त होना

*४८—श्री भारत सिंह चौहान तथा डाक्टर मलखान सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई के डी० एस० पी०, पुलिस श्री रंजीत सिंह भंडारी जो करीब ४ साल से उसी जिले में तैनात हैं, का तबादला माह मई-जून, १९७४ में मैनपुरी को हो गया था ? उनका चार्ज भी हो गया था परन्तु उनका तबादला वायरलेस द्वारा रोक दिया गया ? यदि हां, तो किसके कहने से, और क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। श्री भंडारी जालौन में १८-७-१९७१ से नियुक्त थे। यह स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया गया ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवक्ताओं के वेतन का भुगतान

*४९—श्रीश्याम मिश्रा (जिला कानपुर) तथा श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ प्रवक्ताओं का वेतन नवम्बर, १९७३ से नहीं दिया जा रहा है, यदि हां, तो कृपया मन्त्री बतायेंगे कि किन परिस्थितियों में इन प्रवक्ताओं से पिछले आठ महीने से बिना वेतन के कार्य लिया जा रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गोरखपुर विश्वविद्यालय में किसी भी प्रवक्ता का वेतन नहीं रोका गया है ।

नौकरियों में अनुसूचित जाति व जन जाति के आरक्षण की पूर्ति

*५०—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के १८ प्रतिशत आरक्षण की पूर्ति नई भर्ती में ५० प्रतिशत सुरक्षित किया गया था उसके अन्तर्गत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नवम्बर, १९७३ से ३१ मार्च, १९७४ तक कितने लोग इन पदों पर नियुक्त किये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम बिछैला (फैजाबाद) के सामन्तों द्वारा हरिजनों पर गोली चलाया जाना

*५१—श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फैजाबाद, थाना जैतपुर, ग्राम बिछैला के हरिजनों पर ता० १८ जून, १९७४ को उसी गांव के सामन्तों ने गोली चलाई जिससे कई हरिजन घायल हुए ? यदि हां, तो हरिजनों पर गोली चलाई जाने का कारण क्या था ? और अब तक सरकार की त फ से इसमें क्या कायवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक १८ जून, १९७४ को ग्राम बिछैला, थाना जैतपुर जिला फैजाबाद के बरसाती हरिजन ने थाना जैतपुर पर इस आशय की रिपोर्ट लिखायी कि उसी दिन खेती की भूमि पर कब्जे के मामले को लेकर अम्बिका सिंह आदि पांच व्यक्तियों ने वादी के घर वालों से वाद-विवाद किया और कट्टे से फायर किया जिससे उसके चचेरे भाई को चोटें आयीं और वादी तथा अन्य द्वारा मना किए जाने पर वादी के पिता तथा भाई को लाठियों से मारा।

उक्त सूचना के आधार पर थाना जैतपुर पर धारा १४७/१४८/३२३/३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना की गई। चार नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट लगा दी गई है तथा एक अभियुक्त की नामजदगी भ्रमवश किए जाने के कारण सही अभियुक्त का अभी तक पता नहीं चल सका है।

जिला इटावा में औरैया और मुरादगंज बीच श्री एजाज उर्फ आजाद की हत्या

*५२—श्री भारत सिंह चौहान—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९७३ में औरैया थाना क्षेत्र, जिला इटावा के अन्तर्गत औरैया मुरादगंज के बीच मुगल रोड पर एक टेम्पो टैक्सी में इटावा निवासी ऐजाज नामक मुस्लिम नौजवान को जबरदस्ती खींच कर कुछ गुन्डों द्वारा उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गयी थी, यदि हां, तो इस हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं तो क्यों और क्या सरकार इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराने का कष्ट करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक ३० मई, १९७३ को जिला इटावा के थाना औरैया पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि उसी दिन सायंकाल औरैया से मुरादगंज के बीच कुछ नामजद व्यक्तियों ने ऐजाज उर्फ आजाद नामक व्यक्ति को टैम्पो से खींचकर मारते पीटते खेत की ओर ले गए। इस सूचना पर धारा १४७/१४८ १४९, ३२३ ३६४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गई। दूसरे दिन खेत से एजाज का शव मिलने पर धारा ३६४ भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ भारतीय दंड विधान में तरमीम किया गया।

गवाहों के न मिलने सकने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं हो पाया है। और किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के बिना लोक-सेवा आयोग की स्वीकृति प्राप्त पदाधिकारी

*५३—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में कुछ ऐसे पदाधिकारी गत अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं परन्तु अभी तक लोक-सेवा आयोग से उनका अनुमोदन नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी पदोन्नतियां रद्द करके आयोग के माध्यम से चुनाव करायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

लोक-सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित सभी पदों पर नियमित नियुक्तियों हेतु चुनाव कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

सी० आई० डी० विभाग के स्थानापन्न हेड कांस्टेबल तथा इंसपेक्टर का स्थायीकरण

*५४--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सी०आई०डी० विभाग (पुलिस) में कितने ऐसे हेड कांस्टेबुल तथा इस्पेक्टर हैं जो कि ३ वर्ष से लेकर १२ वर्ष से आफिशियेटिंग तौर पर कार्य कर रहे हैं और आज तक उनको कन्फर्म नहीं किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सी०आई०डी० में २५ हेड कांस्टेबिल तथा ५८ इन्सपेक्टर हैं जो ३ वर्ष से लेकर १२ वर्ष से स्थानापन्न (आफिशियेटिंग) रूप में कार्य कर रहे हैं और अब तक वे अपने पद पर कनफर्म नहीं हुए हैं ।

प्रदेश के जिला हरिजन कल्याण अधिकारियों का कार्यकाल

*५५--चौधरी वीरेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी जो विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे हैं में से कितने अधिकारी ऐसे हैं जो चार या पांच वर्षों से अधिक अवधि से जिले में कार्य कर रहे हैं और उनके स्थानान्तरण नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जिले में तैनात आठ जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ४ या ५ वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं । उक्त अधिकारियों में से तीन अधिकारियों का स्थानान्तरण जनहित में कर दिया गया है । शेष अधिकारियों का स्थानान्तरण जनहित में किया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया है ।

हरदोई शहर में बिजली की आपूर्ति न होना

*५६--श्री सुक्खन सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई शहर के समस्त इलाकों को अभी तक बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विद्युत् परिषद् को कार्यवाही करने का आदेश प्रसारित करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां । विद्युत् परिषद् को आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शहर के अधिकांश क्षेत्र को बिजली दी जा रही है । कुछ क्षेत्रों में अभी बिजली नहीं दी जा सकी है क्योंकि वहां के उपभोक्ता विद्युत् कनेक्शन प्रसार के व्यय पर १५ प्रतिशत राजस्व लाभांश सुनिश्चित नहीं करा सके हैं ।

*५७--श्री कल्याण सिंह--

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त] -

दीवानी अदालत, सीतापुर के कैश-बाक्स की चोरी

*५८--श्री राम सेवक यादव--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक २७ जून, १९७४ को दीवानी अदालत, सीतापुर का बक्सा सीतापुर ट्रेजरी के डबललाक में बन्द रहने के बावजूद भी गायब हो गया, यदि हां, तो इस बक्से में क्या-क्या सामान था और इस बक्से के गायब होने में किस का हाथ है और अब तक इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक २७ जून, १९७४ को नहीं बल्कि २८ जून, १९७४ को श्री एम०एल० शुक्ल, सेंट्रल नाजिर, जिला जज, सीतापुर ने थाना कोतवाली, जिला सीतापुर पर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक २६ जून, १९७४ को प्रात: १० बजे जब वह जिला जज के कमरे में कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाने गए थे तो किसी ने उनके कार्यालय के बाक्स से ट्रेजरी में रखे कैश-बाक्स की चाबी निकाल ली और जब वह खजाने के सन्तरी को यह सावधान करने गए कि उनकी चाबी नहीं मिल रही है और बक्स कोई निकाल न ले जाय तो सन्तरी ने बताया कि एक व्यक्ति कैश-बाक्स ले गया है। यह कैश बाक्स डबललाक या सिंगल लाक के अन्दर नहीं था बल्कि बाहर जमीन में गड़े हुए लोहे के बाक्स में रहता था जिसकी चाबी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सेंट्रल नाजिर जिला जज की थी ।

इस सूचना पर थाने पर धारा ३८० भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीकृत हुआ। उक्त कैश-बाक्स में ३,२५८.२७ पैसे नकद तथा कुछ कागजात थे ।

इस सम्बन्ध में अब तक की विवेचना से उक्त कार्यालय ही के एक बर्खास्तशुदा चपरासी पर सन्देह पाया गया है। पुलिस द्वारा काफी तलाश किए जाने के बावजूद अभी तक वह उपलब्ध नहीं हो सका है। उसके विरुद्ध धारा ८२, ८३ दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की गई है।

सेंट्रल नाजिर को निलम्बित कर दिया गया और सन्तरी कांस्टेबिल के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

तहसील डेरापुर, जिला कानपुर में हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक के योजनान्तर्गत विद्युतीकरण

*५९--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिले की डेरापुर तहसील में हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर से गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? कब से शुरू की गयी और कब तक कार्य समाप्त हो जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां, कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक की योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत १२३ ग्रामों का विद्युतीकरण, १२४.५४ कि०मी० ११ के०वी० लाइन का निर्माण ६५८, निजी नलकूपों का उर्जन, २४१ औद्योगिक कनेक्शन, १९७७ घरेलू कनेक्शन तथा ११०० वल्ब मार्ग प्रकाश दिये जाने का प्राविधान है । योजना पर कार्य १ सितम्बर, १९७३ को प्रारम्भ हुआ था और इसे ३१ अगस्त, १९७५ तक पूर्ण किये जाने की आशा है।

देहरादून की बेकरियों में कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिलाने की मांग

*६०—श्री सन्त सिंह युसूफ (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २४ अप्रैल, १९७३ के शासनादेश संख्या १४८९ (वि०)/३६-५—१०४३(टी०डी०)-७२ के द्वारा दुकानों एवं वाणिज्य व्यवसायों में नियोजित कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता उपलब्ध किया गया है वह देहरादून में "बेकरियों" में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जा रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो उपरोक्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

विज्ञप्ति संख्या १४८९(वि)/३६-५-१०४३ (टी०डी०)-७२, दिनांक २४ अप्रैल, १९७३ द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें 'बिस्कुट बनाने और बेकरी में नियोजन' में सेवायोजित कर्मचारियों पर लागू नहीं है। 'बिस्कुट बनाने और बेकरी में नियोजन' जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत एक पृथक नियोजन है, में सेवायोजित कर्मचारियों के लिए विज्ञप्ति संख्या १६५७(वि०)/३६-५-१००५(वि)-७२, दिनांक१३ जुलाई, १९७२ द्वारा मजदूरी की सर्वान्तिमूर्त (आल इन्क्लूसिव) न्यूनतम दरें, जिनमें निर्वाह व्यय या खाद्य महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, निर्धारित की गयी हैं। अतः उपर्युक्त कर्मचारियों को अलग से महंगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

राम प्रसाद, निवासी बम्हरौली (कानपुर) की हत्या

*६१—श्री केशरी लाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने, की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत थाना मूसानगर के ग्राम बम्हरौली घाट में ता० २२-५-७४ को राम प्रसाद का कत्ल हुआ और पुलिस द्वारा बलवान सिंह के वहां तलाशी लेने पर एक रिवाल्वर निकला था जिसको थाना इन्चार्ज मूसानगर ले जाने आये थे और बलवान सिंह का ३०२ में चालान हुआ, यदि हां, तो अभी तक इसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक २२-५-७४ को ८ बजे रात में पहलवान सिंह, निवासी ग्राम बम्हरौली घाट, जिला कानपुर ने थाना मूसानगर में इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट दी कि उसी दिन करीब ४ बजे उसके पिता राम प्रसाद का नामांकित अभियुक्तों ने कत्ल कर दिया । इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा १४७/१४८/३२३/३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र तैयार किया गया । यह सही नहीं है नामांकित अभियुक्त बलवान सिंह के यहां तलाशी लेने पर रिवाल्वर बरामद हुआ ।

थाना मूसा नगर (कानपुर) के अन्तर्गत हुए अपराधों का विवरण

*६२—श्री केशरी लाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत थाना मूसानगर में वर्ष १९७३ व जून ७४ में कितने केस किन-किन दफाओं में दर्ज हुये और अभी तक कितने केस अदालत गये कितने की जांच बाकी है ? और किन-किन अपराधों में कितने की जांच की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६९६-६९७ पर)

हसमुद्दीन, निवासी उभरी (मुरादाबाद) की हत्या

*६३--श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ६ मई, १९७४ को हसमुद्दीन वल्द अब्दुल रज्जाक, ग्राम उभरी, थाना छजलेट, जिला मुरादाबाद को कांठ से उभरी जाते समय दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था, यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और इस संबंध में किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ६ मई, १९७४ को नहीं बल्कि दिनांक १३-५-७४ को अमीर हुसेन, निवासी उमरी कलां द्वारा थाना छजलेट पर दो नामजद व्यक्तियों द्वारा गांव उमरी से करीब डेढ़ मील दूर रास्ते में हसमुद्दीन की हत्या किये जाने की सूचना लिखाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त सूचना पर धारा ३०२/२०१ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया। दोनों नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा उन्हें जेल भेजा गया। विवेचना जारी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६९८ पर)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि की मांग

*६४--श्री श्रीनारायण--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों को सन् ४७ से अब तक २५ रु० मासिक दी जाने वाली छात्रवृत्ति में महंगाई को ध्यान में रखते हुये सरकार कोई वृद्धि करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थी

*६५--श्री श्रीनारायण--

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष १९७३-७४ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया तथा प्रवेश पाने हेतु आवेदन-पत्र देने वाले कुल छात्रों में अनुसूचित जाति के कितने छात्र थे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

वर्ष १९७३-७४ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में १३ .०५ प्रतिशत अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों ने प्रवेश लिया। प्रवेश हेतु प्राप्त ५०,१५८ आवेदन-पत्रों में से ६,३८८ आवेदन-पत्र अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों के थे ।

मिर्जापुर के कतिपय थानों पर हरिजनों द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट

*६६—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री शिव सम्पत्ति राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में थाना कोन, पन्नूगंज, रावर्ट्सगंज तथा चोपन पर जनवरी, १९७४ से ३० जून, १९७४ तक हरिजनों द्वारा विभिन्न अपराधों के कितने मामले आये तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

१ जनवरी, १९७४ से ३ जून, ७४ तक की अवधि में जिला मिर्जापुर के थाना कोन, पन्नूगंज, रावर्ट्सगंज तथा चोपन पर हरिजनों ने विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अपराधों की कुल १४ रिपोर्टें लिखाईं । उक्त १४ मामलों में से १३ में विवेचना की गई जिसमें से २ मामलों में चार्जशीट तथा ४ में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई । शेष ७ मामलों में विवेचना हो रही है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यापकों का स्थायीकरण

६७—श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कितने अध्यापक कितने-कितने वर्ष से अस्थाई रूप से सेवारत हैं और क्या सरकार उन अध्यापकों को जो तीन वर्ष से अधिक काल से सेवारत हैं और जिनका चयन विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा किया गया है स्थायी रूप से नियुक्त करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गोरखपुर विश्वविद्यालय में ३० अध्यापक अस्थायी रूप से सेवारत हैं जिनमें १० अध्यापक तीन वर्ष से अधिक के हैं जिन पदों पर ये अध्यापक कार्य कर रहे हैं वे शासन द्वारा अनुदान हेतु अनुमोदित नहीं हैं । इसी कारण अध्यापक स्थायी नहीं किये जा सके । इन पदों को शासन द्वारा अनुमोदित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भूतपूर्व अध्यक्ष नगरपालिका, पीलीभीत को प्राप्त स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन के विरुद्ध शिकायत

*६८—श्री वीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार को मालूम है कि भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, पीलीभीत (श्री शिव कुमार शर्मा) राजनीतिक पीड़ित न होते हुये भी राजनीतिक पेंशन पा रहे हैं, जिसकी शिकायत की जांच जिलाधीश द्वारा १९७३–७४ में की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और क्या उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री शिव कुमार शर्मा ने डी० आई० आर० की धारा ३८ (५) के अन्तर्गत दिनांक १४–९–४२ से १४–११–१९४२ तक कारावास दण्ड का भोगा था । इस आधार पर वे स्वतंत्रता संग्राम पेंशन अनुदान नियमावली द्वारा निर्धारित स्वतंत्रता "संग्राम सेनानी" की परिभाषा में आते हैं और तद्नुसार उन्हें दिनांक १ फरवरी, १९७२ से १०० रुपया मासिक स्वतंत्रता संग्राम पेंशन स्वीकृत ही गई है । इनके विरुद्ध की गई शिकायतों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो सरकार के विचाराधीन है । उक्त रिपोर्ट गोपनीय है और उसे सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा ।

*६९—श्री मलखान सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*००–७१—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

ग्राम वीरमपुर (आजमगढ़) के प्रधान के घर पर डकैती

*७२—श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत थाना चिरैयाकोट के ग्राम वीरमपुर के प्रधान के घर पर दिनांक २६/२७ जून, १९७४ की दरमियानी रात को भीषण डकैती पड़ी, जिसमें पचासों हजार की लूट की गयी और बन्दूक से कई लोग बुरी तरह घायल हो गये, यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ग्राम वीरमपुर, थाना चिरैयाट, जिला अजामगढ़ के प्रधान के घर पर दिनांक २६/२७ जून, १९७४ की रात में नहीं वरन् २६/२७ मई, १९७४ की रात में एक डकैती पड़ने की सूचना थाने पर २७–५–७४ को प्राप्त हुई । इस घटना में दो व्यक्तियों को गोली से चोटें आईं ।

उक्त सूचना पर थाने पर धारा ३९६/३९७भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज होकर २७–५–७४ को ही विवेचना प्रारम्भ की गई ।

पुलिस सूचना के अनुसार डकैती में १,७०० रु० का सामान लूटा गया । इस संबंध में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

जनपद आजमगढ़ में कत्ल व डकैती की घटनाएं

*७३—श्री भाभी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ में माह मई व जून, १९७४ में कुल कितनी डकैतियां और कत्ल हुये और सरकार बढ़ती हुई अपराध स्थिति को रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माह मई व जून, १९७४ में १५ डकैतियां व २१ कत्लों की रिपोर्ट जिला आजमगढ़ से विभिन्न थानों में प्राप्त हुई ।

आजमगढ़ जिले में पिछले छः महीनों में हुये हत्या के अपराधों की संख्या गत वर्ष की इस अवधि की हत्या के अपराधों की संख्या की अपेक्षाकृत कम है । डकैती के अपराधों की संख्या में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है । अपराध स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही तेजी से की जा रही है ।

*७४—श्री हिम्मत सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

ब्लाक आर्गनाइजर, विकास खंड कुड़वार (सुल्तानपुर) के विरुद्ध दर्ज किया गया मुकदमा

*७५—श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक आर्गनाइजर (श्री राजाराम पांडेय) विकास खंड कुंड़वार, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध पुलिस चौकी कुड़वार (सुल्तानपुर) में दिनांक

१६-१०-७३ को धारा ३७९ भा० द० वि० के अन्तर्गत किये हुये मुकदमें के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट तथा सी० आई० डी० से जांच कराई गयी थी और जांच के फलस्वरूप मुकदमें को विदड्रा करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया था ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण क्या है और अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री राजाराम पांडे, ब्लाक आर्गनाइजर, विकास खंड कुड़वार, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली सुल्तानपुर में दिनांक १६-१०-७३ को जिला परिषद् सुल्तानपुर के एक टैक्स कलेक्टर की रिपोर्ट पर धारा ३७९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें २३-१०-७३ को चार्जशीट न्यायालय भेजी गई थी । उक्त मुकदमा झूठा होने की शिकायतें प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट तथा अपराध अनुसंधान विभाग की प्रशासन शाखा से जांच कराई गई । जांच से श्री राजाराम पांडे के विरुद्ध लगाया गया आरोप संदिग्ध पाया गया । सरकार ने विचारोपरान्त २८-६-७४ को उक्त मुकदमे का अभियोजन वापस लिये जाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिये जाने के आदेश दिये । तदनुसार न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको स्वीकार करके न्यायालय ने अभियुक्त (श्री पांडे) को मुक्त कर दिया है ।

उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् द्वारा रेलवे की बिल्टी न छुड़ाया जाना

*७६—कुंवर श्रीपाल सिंह तथा श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि अप्रैल हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद्, लखनऊ अपनी कुछ रेलवे बिल्टियां नहीं छुड़ा सकी ? यदि हां, तो बिल्टियां कितने रुपयों की थी तथा उनके न छुड़ाने जाये के क्या कारण थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । धनाभाव के कारण रु० ३,०५,६६,३३७.९२ की बिल्टियां समय से नहीं छुड़ाई जा सकीं ।

*७७—श्री श्याम मिश्रा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

होटल क्लार्कस् शीराज, आगरा के कर्मचारियों की हड़ताल

*७८—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा के फाइव स्टार होटल क्लार्क शीराज, जिसमें अधिकतर विदेशी लोग ठहरते हैं, में पिछले पन्द्रह दिनों से उसके कर्मचारियों द्वारा धरना आन्दोलन चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा समस्या के हल के लिये अब तक क्या उपाय किये गये ?

श्री राज मंगल पांडेय—

होटल क्लार्क्स शीराज, आगरा के कुछ कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक १४ जून, १९७४ को धरना दिया गया । मालिकान द्वारा कुछ कर्मचारियों को अनुशासनहीनता के लिये उन्हें चार्जशीट करना तथा कुछ को नौकरी से पृथक कर देना भी कुछ अंशों में आन्दोलन का कारण हुआ । श्रम विभाग के प्रयास से पक्षों में ६ जुलाई, १९७४ को एक मौखिक समझौता हो गया जिससे ७ जुलाई, १९७४ से होटल का कार्य चला परन्तु पक्षों के मध्य झगड़ों को निपटाने के लिये श्रम विभाग ने विवादों को १९ जुलाई, १९७४ को धारा ४ औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण को निस्तारण हेतु भेज दिया है ।

रनवीर सिंह, चौकीदार, नहर कोठी बिलन्दा, इटावा की हत्या

*७९—श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५-५-७४ को बिलन्दा कोठी, डिवीजन इटावा के चौकीदार की हत्या गांगसी झाल के निकट, थाना घिरोर, जिला मैनपुरी में हुई है ? यदि हां, तो कारण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक १६-५-७४ को थाना घिरोर, जिला मैनपुरी पर श्री राम चौकीदार, मौजा गांगसी का एक तार प्राप्त हुआ जिसमें झील गांगसी के नीचे लगभग चार फर्लांग पर एक कटी हुई लाश पड़ी होने की सूचना दी गई। उक्त सूचना पर थाने में रपोर्ट दर्ज की गई तथा तुरन्त दरियाफ्त हाल आरम्भ किया गया। आसपास के गांव में अज्ञात शव के विषय में जांच की गई परन्तु शव पहचाना नहीं जा सका। पुलिस द्वारा जांच पंचायत नामा भर कर शव का पोस्ट-मार्टम परीक्षण कराया गया। दिनांक ५-६-७४ को यह ज्ञात होने पर कि शव रनवीर सिंह, चौकीदार, नहर कोठी बिलन्दा, इटावा डिवीजन का था तथा उसकी हत्या बदमाशों द्वारा की गई थी। धारा ३०२ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया और विवेचना आरम्भ की गई।

संदिग्ध व्यक्तियों की खोज जारी है तथा विवेचना तत्परतापूर्वक हो रही है।

शोहरतगढ़, तौलिहवा (नेपाल) मार्ग पर स्थित पुलिस चौकी में मोटर गाड़ियों का नम्बर अंकित होना

*८०—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शोहरतगढ़-तौलिहवा (नेपाल) मार्ग पर स्थित यू० पी० पुलिस की चौकी में एक रजिस्टर खोला गया है जिस पर हर आने-जाने वाले मोटर चालक को अपना हस्ताक्षर एवं गाड़ी नम्बर अंकित करना पड़ता है ? यदि हां तो अप्रैल, मई, जून, १९७४ में कितनी और कौन-कौन ऐसी गाड़ियां थीं जो दिन में एक से अधिक बार बार्डर पार कर गयीं और आईं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। अप्रैल, मई व जून, १९७४ में क्रमशः ७,१० व ११ कुल २८ गाड़ियां दिन में एक से अधिक बार सीमा पार कर गईं और आईं। इनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी ञ आगे पृष्ठ ६९९ पर)

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के थर्मल पावर हाउस की उत्पादन क्षमता

१—श्री शारदा प्रसाद रावत तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में थर्मल पावर हाउस (कोयले से चलने वाले पावर हाउस) की अलग-अलग क्षमता क्या है और उसके अलग-अलग उत्पादन क्या है ? और कहां-कहां स्थापित हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ७०० पर)

प्रदेश के जल विद्युत् पावर हाउस की उत्पादन क्षमता

२—श्री शारदा प्रसाद रावत तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जल विद्युत् पावर हाउस की अलग-अलग क्षमता क्या है ? और उसका उत्पादन अलग-अलग क्या है ? और कहां-कहां स्थापित हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ७०१ पर)

उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् की उद्योगों एवं अन्य उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि

३—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् का कितना धन १५ जून, १९७४ तक किन-किन उद्योगों पर बकाया है एवं कितना धन अन्य उपभोक्ताओं के ऊपर बाकी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

१५ जून, १९७४ तक विद्युत् परिषद् का उपभोक्ताओं पर लगभग ३३ करोड़ रुपया बकाया है जिसका उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम-सं०	उपभोक्ताओं की श्रेणी	बकाया धनराशि (करोड़ रु० में)
१	२	३
१	रोशनी, पंखे एवं घरेलू विद्युत्	४.५०
२	लघु एवं मध्यम उद्योग	३.५०
३	बड़े तथा भारी उद्योग	६.५०
४	पब्लिक लाइटिंग एवं सिवेज पम्पिंग	०.७०
५	सरकारी नलकूप	१.२५
६	निजी नलकूप तथा अन्य कृषि उद्योग	१२.००
७	प्राइवेट लाइसेन्सी	१.४०
८	नगरपालिका लाइसेन्सी	१.७०
९	अन्य उपभोक्ता	१.४५
	योग ..	३३.००

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सार्वजनिक सेवाओं में वरीयता सम्बन्धी आदेश

४—श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये सरकारी नौकरियों में वरीयता देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कोई आदेश दिया गया है यदि हां, तो कब और उस आदेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति हेतु वरीयता देने संबंधी आदेश १ नवम्बर, १९४७ को जारी किये गये थे जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है। किन्तु शासनादेश दिनांक २० अक्तूबर, १९७० के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये कि ऐसे सेनानियों को जो अधिकतम आयु से छूट दी गई उसका उल्लेख अब विज्ञापनों में न किया जाय क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त किये हुये काफी समय बीत गया है और इस सुविधा का लाभ उठाने वालों की संख्या अब नगण्य है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ७०२ पर)

स्व० अली नजीर, उप पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ की हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी

५---श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी तथा श्री श्याम मिश्रा---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० अली नजीर, उप पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ की हत्या के संबंध में इलाहाबाद में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के पास में एक स्टेनगन व एक ४५५ का रिवाल्वर तथा गोलियां किस जिले की पुलिस द्वारा बरामद की गयी थीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

स्वर्गीय श्री अली नजीर, उप पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ की हत्या की घटना के संबंधित कुछ अभियुक्तों को दिनांक २०-६-७४ को प्रतापगढ़ जिले की पुलिस ने इलाहाबाद में गिरफ्तार किया था और उनके पास से एक स्टेनगन, एक ४५५ का रिवाल्वर व कुछ कारतूस बरामद किये थे।

ग्राम श्रीपति खांड (देवरिया), हरिजनों को कुयें से पानी लेने में रुकावट तथा हरिजनों में व्याप्त आतंक

६---श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया)---

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम श्रीपति खांड, थाना तुरपट्टी, जिला देवरिया के सभी हरिजनों को कुयें का पानी भरना तक कुछ लोगों ने बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो उन गरीब हरिजनों के पानी पीने की क्या व्यवस्था की गई है ? क्या सरकार उनके पानी पीने का प्रबन्ध करने पर विचार करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

ग्राम श्रीपति खांड, थाना तुरपट्टी, जिला देवरिया के हरिजनों के गांव के किसी कुयें से पानी भरने पर कोई रोक नहीं है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

७---श्री कृपा शंकर आर्य---

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम श्रीपति खांड, थाना तुरपट्टी, जिला देवरिया के सभी गरीब हरिजनों पर वहां के कुछ लोग आतंक मचा कर उनकी जान व माल को खतरे में डाल दिया है ? यदि हां, तो उन आतंकवादियों के प्रति सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

ग्राम श्रीपति खांड, थाना तुरपट्टी, जिला देवरिया के हरिजनों को वहां के कुछ लोगों द्वारा आतंकित करके उनकी जान-माल को खतरे में डाल दिए जाने की बात सही नहीं है।

उक्त ग्राम में स्थित दो प्लाटों, जिनमें से एक-एक हरिजन के नाम दर्ज हैं और दूसरा एक अन्य व्यक्ति के, के सम्बन्ध में सीमा सम्बन्धी कुछ विवाद हैं जो रेवेन्यू अधिकारी के

यहां विचाराधीन है। इस विवाद को लेकर दो दल बन गए हैं जिनमें दोनों में हरिजन एवं अन्य लोग शामिल हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा १०७ ११७ जा० फौजदारी के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट भेजी गई है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

८—बाबा राम नाथ—

[निरस्त]

प्रदेश में "राष्ट्रपति पदक," प्राप्त पुलिस सब इंसपेक्टरों की पदोन्नति

९—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १९६३ से १९७० तक कितने पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को वीरता के लिए "राष्ट्रपति पदक" मिले और उनमें से कितनों को पदोन्नत करके इन्सपेक्टर बनाया गया एवं कितनों को नहीं बनाया गया और क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०३–७०७ पर)

प्रधान मन्त्री द्वारा प्रदेश के दौरों पर व्यय की गई धनराशि

१०—श्री कल्याण सिंह, श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़), श्री शिव सम्पत्ति राम, श्री उमानाथ (जिला जौनपुर), श्री बाबू लाल वर्मा, श्री अवधेश कुमार, श्री कमला प्रसाद वर्मा, (जिला बहराइच), श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा), श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा), कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री पूरन लाल (जिला हरदोई), श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा), श्री श्रीनारायण, श्री बादाम सिंह (जिला बरेली), चौधरी रामपाल सिंह यादव, श्री हरीश कुमार गंगवार तथा श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

१०—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ अक्तूबर, १९७३ से २६ फरवरी, १९७४ तक की अवधि में भारत की माननीय प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश में कहां-कहां और कब-कब दौरा किया और प्रत्येक उपरोक्त दौरे पर उत्तर प्रदेश शासन को कितनी-कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

१ अक्तूबर, १९७३ से २६ फरवरी, १९७४ की अवधि में प्रधान मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश में कहां-कहां तथा कब-कब दौरे किये इसक सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है उन दौरों पर हुए व्यय की सूचना देना जनहित में न होगा।

(देखिए नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ७०८–७०९ पर)

विधायक निवास के कक्षों के आवंटन का विवरण

११—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवास नं० १, २, ३ और ४ में 'क' और 'ख' श्रेणी के कितने कमरे हैं और इनमें से कितने किस-किस पार्टी के विधायकों को आवंटित किये गये हैं और उनका कब्जा दिला दिया गया है और कितने ऐसे कमरे हैं जिनमें मन्त्री और अन्य लोग रहते हैं उनके क्या-क्या नाम हैं और कब से रह रहे हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

विधायक निवास १, २, ३ तथा ४ में कुल ४८० कक्ष हैं जिनमें से ४१३ 'क' श्रेणी के और ६७ 'ख' श्रेणी के हैं।२०७ 'क' श्रेणी के तथा २६ 'ख' श्रेणी कांग्रेस (शासन), ९८ 'क' श्रेणी के तथा ९ 'ख' श्रेणी के भारतीय क्रांति दल, १४ 'क' श्रेणी के तथा २ 'ख' श्रेणी के कम्युनिस्टपार्टी, ५१ 'क' श्रेणी के तथा १३ 'ख' श्रेणी के जनसंघ, ९ 'क' श्रेणी के तथा १ 'ख' श्रेणी निर्दलीय, १ 'क' श्रेणी शोषित दल, ५ 'क' श्रेणी के सोशलिस्ट, १ 'क' श्रेणी तथा १ 'ख' श्रेणी कम्युनिस्ट (मार्क्स), १२ 'क' श्रेणी तथा २ 'ख' श्रेणी कांग्रेस (संगठन), १ 'क' श्रेणी मुस्लिम लीग, २ 'क' श्रेणी स्वतन्त्र, ३ 'क' श्रेणी राष्ट्रवादी दल, १ 'ख' श्रेणी रिपब्लिकन, २ 'क' श्रेणी तथा १ 'ख' श्रेणी शिक्षक दल, १ 'क' श्रेणी हिन्दू महासभा तथा १ 'क' श्रेणी का कक्ष नाम-निर्देशित सदस्य को आवंटित है। कक्षों का कब्जा भी दिला दिया गया है। शेष १६ कक्षों में से 'ख' श्रेणी के २ कक्ष अभी खाली हैं। १ 'क' श्रेणी का तथा ६ 'ख' श्रेणी के कक्ष विधायक निवासों के अवधाताओं के कार्यालय/आवास के लिए प्रयोग में हैं। 'क' श्रेणी के १ कक्ष में अस्पताल और 'ख' श्रेणी के २ कक्षों में होटल है। 'क' श्रेणी का १ कक्ष वन मन्त्री जी को आवंटित है तथा 'क' श्रेणी के २ तथा 'ख' श्रेणी के १ कक्ष में निम्न महानुभाव रहते हैं, जिनके अध्यासन की तिथि उनके सामने इंगित है ---

१--श्री हबीबुर रहमान नोमानी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा
(कक्ष सं० १८८, वि०नि०नं० १)। ४-३-७४

२--श्री राम कुमार शास्त्री, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा तथा कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्।
(कक्ष सं० ५, वि०नि० नं० ३) ४-३-७४

३--श्री मंगल देव विशारद, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूमि व्यवस्था जांच समिति
(कक्ष सं० १०३, वि०नि० नं० ४) २-११-७२

नागरिक सुरक्षा कार्यालय, गोरखपुर के लिपिकों का निलम्बन

१२--श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बतायेगी कि नागरिक सुरक्षा कार्यालय, गोरखपुर में १८ मार्च, १९७३ को दो कर्मचारियों (लिपिक) को निलम्बित किया गया? यदि हां, तो क्यों? चार्ज-शीट कब दी गयी? अन्तिम कार्यवाही क्या हुई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां। इन कर्मचारियों के विरुद्ध कतिपय गम्भीर आरोप थे। इन कर्मचारियों में से एक को आरोप-पत्र दिनांक ३१ मार्च, १९७३ को तथा दूसरे को दिनांक ३१ मार्च, १९७३ तथा १४ सितम्बर, १९७३ को दिया गया। इन कर्मचारियों में से एक को दिनांक १२ नवम्बर, १९७३ को सेवा से मुक्त कर दिया गया तथा दूसरे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

जनपद इटावा के हरिजनों को सिलाई मशीन का वितरण

१३--श्री मुंशी लाल (जिला मैनपुरी)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा में वर्ष १९७१-७२ से १९७३-७४ तक कितनी सिलाई की मशीनें हरिजनों को वितरित की गयी हैं? प्राप्त करने वालों के नाम, ग्राम एवं जाति क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जनपद इटावा में वर्ष १९७१-७२ से १९७३-७४ तक कुल २०३ मशीनें हरिजनों को वितरित की गई हैं। प्राप्त करने वालों के नाम ग्राम एवं जाति की सूची† (अ) संलग्न है।

ग्राम धितानी (इलाहाबाद) में डकैती

१४--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में थाना कोखराज के अन्तर्गत ग्राम धितानी में पिछले ६ माह में डकैती की कितनी घटनाएं हुई और इन घटित घटनाओं के संदर्भ में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इलाहाबाद जनपद के थाना कोखराज के ग्राम धितानी में पिछले ६ मास (१-१२-७३ से ३१-५-७४) की अवधि में एक डकैती की घटना होने की सूचना थाना कोखराज पर प्राप्त हुई।

उक्त घटना के सम्बन्ध में अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है।

प्रदेश के भारी व लघु उद्योगों को बिजली के नए कनेक्शन

१५--श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७३-७४ में कितने लघु तथा भारी उद्योगों को बिजली के नये कनेक्शन न दिये गये ? क्या मुख्य मंत्री जी ऐसे उद्योगों के नाम, हार्स पावर, दिनांक तथा स्थान का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्रश्नगत सूचना को एकत्र करने के लिये जो समय श्रम एवं धन का व्यय होगा उसको देखते हुए प्रश्न का उत्तर देना उचित न होगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुसाफिरखाना (सुल्तानपुर) का विद्युत् कनेक्शन

१६--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसाफिरखाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला सुल्तानपुर में जहां बिजली के तार आदि लगाने का कार्य १९७२ में पूरा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत् कनेक्शन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेडिकल आफिसर इन्चार्ज मुसाफिरखाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा विद्युत् कनेक्शन हेतु अग्रिम धनराशि २६ मार्च, १९७४ को जमा की गयी थी और उन्हें १८ अप्रैल, १९७४ को कनेक्शन दिया भी जा चुका है।

बहराइच जिले के पेन्शन प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

१७--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में (१० जून, १९७४ को) कुल कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें प्रादेशिक सरकार द्वारा पेन्शन दी जाती ह तथा कितने रुपये की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या ३०३ है। इनमें से अधिकांश को ६० रुपये, कुछ को ७० रुपये, कुछ को ७५ रुपये तथा कुछ को १०० रुपये प्रतिमास पेंशन मिलती है।

---

† छापी नहीं गयी।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोतीलाल देहलवी। प्रश्नों के सम्बन्ध में उन्होंने लिखित सूचना दी है। उन्होंने पहले से लिखकर सूचना दे रखी है। उनको बोलने दीजिये।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

प्रधान मंत्री के दौरे पर उत्तर प्रदेश में कितना खर्चा हुआ, यह प्रश्न १७ विधायकों ने लिख कर अल्पसूचित दिया था। आज तारांकित प्रश्न की शक्ल में १० नम्बर पर आया है। उसके जवाब में यह कहा गया है कि इसका जवाब देना जनहित में नहीं है। तो यह प्रश्न पहले भी उठा था। जहां तक मुझे ख्याल है पिछले अध्यक्ष महोदय, श्री खेर साहब, ने एक रूलिंग भी दी थी कि उसका जवाब दिया जा सकता है। पुलिस कितनी लगी, कितनी सी० आई० डी० लगी चाहे इसका जवाब न हो लेकिन खर्चे के सम्बन्ध में जवाब दिया जा सकता है। मान्यवर, यह कानपुर का...

श्री अध्यक्ष—

जवाब का एक अंश दिया गया है कि कहां-कहां गयीं। यह तो है। दूसरा अंश, खर्च कितना हुआ, खर्चे के बारे में शासन से आया है कि जनहित में नहीं है। यह है आपका कहना न।

श्री मोतीलाल देहलवी—

महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खर्चा बताया है प्रधान मंत्री के दौरे पर कितना खर्चा हुआ है। इसको मैं पढ़े दे रहा हूं आपकी आज्ञा से।

२२ अगस्त का डेली ऐक्शन है।

Bombay August 21—The Maharashtra Government incurred a total expenditure of Rs. 234 Lakhs on security and police bondobast during Prime Minister Indira Gandhi's visit to Poona.....".

श्री अध्यक्ष—

अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह प्रश्न आपका है, क्या वह कह सकते हैं कि जनहित में खर्चा नहीं बताएंगे बस यही न ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष—

वह तो हम सब को जानकारी है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक खर्चे का सवाल है यह पूरे देश का मामला है। महाराष्ट्र सरकार ने बताया। बिहार ने भी दिया।

श्री अध्यक्ष—

पहले भी यह मामला आया था इस दलील के तहत कि जनहित में यह खर्चा नहीं बताएंगे यह चलेगा नहीं। तो अब यह है। तारांकित प्रश्न में आ गया था। अब तो हम आगे जा रहे हैं। लेकिन यह सवाल आगे उठाएंगे तो देखेंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाय और वह स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष—

क्या स्पष्टीकरण दें। प्रधान मंत्री जी के बारे में जो सुरक्षा प्रबन्ध होते हैं, उसके सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कितना खर्चा हुआ यह सरकार ने नहीं बताया। हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं उनके सामने यह सवाल उठा था और उन्होंने कहा था कि खर्चा बताया जा सकता है। या तो वह आपको बतायें या हमको दिखायें। आज विधान सभा उठ रही है। जब फिर प्रश्न आयेगा तब कुछ होगा। (व्यवधान) आप सवाल उठा सकते हैं। आप क्यों बोल रहे हैं। आपके पक्ष में तो व्यवस्था दे दी गई है।

श्री कल्याण सिंह—

आपने जो व्यवस्था दी, सदन उसका आभारी है।

कतिपय समितियों तथा निकायों के, चुनाव के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना दे दूं कि चुनाव जो था उसके मत-पत्र नहीं आये हैं। इसलिये १२ बजे के बजाय १ बजे से चुनाव होगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें (क्रमागत)

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी उसके लिये सदन आभारी रहेगा। पुलिस पर कितना खर्चा हुआ। यह हम नहीं जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष—

मोतीलाल जी के सवाल पर।

श्री कल्याण सिंह—

मेरा भी सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

लिख कर आपने दिया नहीं है। हम समझ नहीं रहे हैं। वह निकालना पड़ेगा। देहलवी जी ने लिखित सूचना दी थी कि मेरा सवाल अतारांकित हो गया है। हमने देख लिया। आप कुछ समय देंगे या ऐसे ही व्यवस्था दे दें। (व्यवधान) जब हम सन्तुष्ट हो जाते हैं तब बोलने का समय देते हैं। आप अभी उठा रहे हैं। आपका सवाल भी है तो आप लिख कर दीजिये।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

हम लोग श्रीमन्, मौखिक निवेदन कर रहे हैं। (व्यवधान)...

श्री कल्याण सिंह---

अध्यक्ष जी, आपने जो व्यवस्था दी है मैं उसकी सहायता लेकर आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप के तथ्यों को मैंने देखा नहीं है इसलिये व्यवस्था नहीं दूंगा। आप सवाल कर सकते हैं।

श्री कल्याण सिंह---

आपने जो कहा उसके सम्बन्ध में मेरी बात सुन लें। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। आप हमारी सहायता करें कि हमें बताया जाय कि कितना खर्चा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया के मुताबिक क्या होगा। मैंने ३१ मई को यह सवाल पूछा था कि ८ नवम्बर से २८ फरवरी तक मिनिस्टर्स के टूर पर कितना खर्चा हुआ। जवाब मिला कि अब तक सूचना जो उपलब्ध हुई है उसके अनुसार है।

श्री अध्यक्ष---

आप सन्दर्भाधीन अग्रेतर प्रश्न कर सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह---

जवाब उनकी तरफ से आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष---

आपको लिख कर देना पड़ेगा कि इस प्रश्न क उत्तर में शासन ने यह जवाब दिया था...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीया प्रधान मंत्री के यहां आने पर कितना खर्च हुआ, चाहे पुलिस पर हुआ हो अथवा अन्य किसी मद में हुआ हो। दूसरे प्रदेश की विधान सभाओं से रूलिंग भी हो चुकी है कि यह गोपनीय नहीं है। वह कहां जा रही हैं यह न पता चले और किस जगह उनकी किस सुरक्षा की आवश्यकता है यह न बतायें लेकिन उन यहां आने पर कितना खर्च हुआ यह तो बताना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

जो प्रधान मंत्री की सुरक्षा का इन्तजाम है उसको...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

सिक्योरिटी कितनी दी गयी यह मैं नहीं पूछता।

श्री अध्यक्ष---

मान लीजिए कि कहीं कोई बात हो जाये तो जिम्मेदारी शासन की होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

ठीक है शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन हम पैसा देते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कितना पैसा खर्च हुआ।

श्री अध्यक्ष--

मैं व्यवस्था दे चुका हूं आप उससे जहां तक लाभ उठा सकें, उठायें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, वह लिख कर दें कि...

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४, जो विधान सभा के दिनांक १३ अगस्त, १९७४ के उपवेशन ने पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २१ अगस्त, १९७४ को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक,१९७४

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि (१) उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २७ जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १० जुलाई, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १८ जुलाई, १९७४ को प्राप्त हो गई है और वह १९७४ का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक,१९७४

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २० जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १० जुलाई, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २३ जुलाई, १९७४ को प्राप्त हो गई है और वह १९७४ का उत्तर प्रदेश का बाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २९ जुलाई, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ३० जुलाई, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ जुलाई, १९७४ को प्राप्त हो गई है और वह १९७४ का उत्तर प्रदेश का तेईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १७ जुलाई, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ९ अगस्त, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ अगस्त, १९७४ को प्राप्त हो गई है वह १९७४ का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापलिका (संशोधन), विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १० जून, १९७४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३० जुलाई, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ अगस्त, १९७४ को प्राप्त हो गई है और वह १९७४ का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

विकास खण्ड अधिकारी, जलालपुर जिला फैजाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न कीसूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य भगवती प्रसाद एवं हरिकेवल ने विकास खण्ड अधिकारी, जलालापुर (फैजाबाद) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। उन्होंने ५ जून, १९७४ तथा १२ अगस्त, १९७४ की घटनाओं का जिक्र करते हुए विकास खण्ड अधिकारी द्वारा बन्दूक से धमकाने और अपशब्दों के प्रयोग के साथ उन पर मारो मारो कह कर टूट पड़ने की शिकायत की है। उक्त घटना फैजाबाद जनपद के विकास खण्ड अधिकारी, जलालपुर के गेहूं वसूली की धांधली का विरोध करने पर हुई बताया जाता है।

माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार सदन की कार्यवाही के संबंध में ही है और जो तथ्य सूचना में दिये गये हैं वे सदन की कार्यवाही से संबंधित नहीं हैं और न सदस्य के रूप में किये गये किसी कार्य से संबंधित है। साथ ही दिनांक ५ जून और १२ अगस्त की घटना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की सूचना बड़े विलम्ब से दी गयी है और इस सम्बन्ध में दिये गये निर्णयों के अनुसार इस प्रकार विलम्ब से उठायी गयी सूचनाओं को उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अतएव मैं इन कारणों से इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामसेवक यादव ने नियम ६३ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान के प्रश्न की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक २१-८-७४ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० २ के उत्तर में माननीय खाद्य मंत्री डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने बताया कि लखनऊ इण्टर कालेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य की मुअत्तली स्कूल प्रबन्ध के विरुद्ध चल रहे आन्दोलन के सिलसिले में हुई है। माननीय सदस्य के अनुसार उनका यह उत्तर असत्य है क्योंकि कार्यवाहक प्रधानाचार्य की मुअत्तली के आदेश में जो कारण दिये गये हैं वे आन्दोलन के संबंध में नहीं हैं।

[श्री अध्यक्ष]

मैंने २१ अगस्त, १९७४ की कार्यवाही देखी। खाद्य मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह इस प्रकार है "हमारे पास जो सूचना है उसमें केवल एक अध्यापक के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की गयी है जो कि प्रधानाचार्य के न होने पर उस बैठक में उपस्थित थे जब कि प्रबन्धकारिणी समिति ने यह निर्णय लिया था कि यह कपादि कक्षाय न लगाई जायं। इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया। प्रबन्धकारिणी समिति ने उस सिलसिले में यह कहा था कि यह बात बाहर न जाय और चूंकि यह जो अध्यापक हैं उन्होंने इस चीज को बाहर फैलाया जिससे यह समझा गया कि उन्होंने विश्वास के खिलाफ काम किया है और इस आधार पर प्रबन्ध समिति ने उनको निलम्बित किया।" इसके बाद एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में खाद्य मंत्री ने यह बताया कि "कहा जाता है कि इनके बारे में बहुत सी अनियमिततायें थीं, परीक्षाफल ठीक नहीं था और कार्य असन्तोषजनक था। यह सारी बातें थीं इसी कारण से निलम्बित किया गया है।"

अतः कार्यवाही के अनुसार खाद्य मंत्री ने यह नहीं कहा कि लखनऊ इण्टर कालेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य की मुअत्तली स्कूल प्रबन्ध के विरुद्ध चल रहे आन्दोलन के सिलसिले में हुई है और उनके द्वारा दिये गये उत्तर के असत्य होने का प्रश्न नहीं उठता।

ऐसी स्थिति में मैं इस प्रश्न को अग्राध्य करता हूं।

श्री काशी नाथ मिश्रके विरुद्ध विशेषाधिकारकी अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, श्री शारदा प्रसाद रावत ने माननीय सदस्य, श्री काशीनाथ मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि कल उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, १९७४ पर सदन में बोलते हुए श्री काशीनाथ मिश्र ने कहा कि पिछड़ी जाति के लोग पश्चिम मैं जाट और पूर्व में अहिर हरिजनों को मारते हैं और परेशान करते हैं। इसी संदर्भ मैं उन्होंने उल्लू और तिकड़म ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है जो अनुचित और असभ्य भाषा है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, तिकड़म कहा है मैंने श्रीमन्, उल्लू मैंने नहीं कहा हैं।

श्री अध्यक्ष—

अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी क्यों जवाब दे रहे हैं ? मैंने कल दिनांक २१ अगस्त १९७४ की कार्यवाही देखी, उसमें माननीय काशीनाथ मिश्र ने पूर्वी जिलों में अहिर जाति तथा पश्चिम में जाट जाति द्वारा हरिजनों को दबाने एवं उन पर जुल्म करने की बात कही है। साथ ही इसके बाद जो शब्द कहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

> "पिछड़ी जातियों में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों का नारा देकर वोट पाने के लिए अपने पीछे संगठित करना चाहते हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए।" उन्होंने यह भी कहा है कि "यह तिकड़म के आधार पर लाया गया है, इसमें हरिजनों को जोड़ दिया जाय।"

इन शब्दों को जिस सन्दर्भ में और जिस रूप में राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात कही गयी है, उसे असंसदीय नहीं कहा जा सकता और न ही सदन में किसी सदस्य पर आक्षेप ही कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई आपत्तिजनक शब्द सदन में कहे जाते हैं तो उस पर आपत्ति उसी समय की जानी चाहिए। अतएव, यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता और मैं इसे उठाने की इजाजत नहीं देता।

समाचार पत्र 'अर्जक' के सम्पादक, श्री राम स्वरूप वर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, श्री काशीनाथ मिश्र ने साप्ताहिक समाचार-पत्र "अर्जक" की दिनांक १७ अगस्त, १९७४ की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए उसके सम्पादक, श्री रामस्वरूप वर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। उक्त पत्र में चौधरी राम पाल सिंह द्वारा इस सदन में रामचरित मानस का पन्ना फाड़ने के सम्बन्ध में दिनांक १३ अगस्त, १९७४ को दिए गये निर्णय की आलोचना की गयी है तथा दी गयी व्यवस्था को अनुचित एवं निन्दनीय कहा गया है। सदन के अध्यक्ष की व्यवस्था के विरुद्ध इस प्रकार की आलोचना एवं उसे निन्दनीय कहना सदन का अवमान है, क्योंकि इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। साथ ही उक्त पत्र में की गयी आलोचना सम्पादक के बौद्धिक स्तर की भी परिचायक है। मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा इसी में है कि ऐसे नगण्य समाचार पत्रों में तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी आलोचना को नजरअन्दाज करना ही उचित होगा।

कतिपय समितियों एवं निकायों के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

अभी एक सूचना देनी है।

(व्यवधान)

विधान सभा की समितियों, स्थायी समितियों एवं निकायों के निर्वाचन के लिए संशोधित कार्य-क्रम के अनुसार २१ अगस्त, १९७४ को ५ बजे अपराह्न तक के समय में नाम वापसी के फलस्वरूप निम्न समितियों में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों के होने के कारण मैं निम्न समितियों एवं निकायों में निम्न माननीय सदस्यों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूं:—

१—प्राक्कलन समिति

१—श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी
२—श्री भाभी (आजमगढ़)
३—श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी
४—श्री राम बाबू
५—श्री सुखद राज सिंह
६—श्री झाम लाल अहिरवार
७—श्री मंगरे सिंह
८—श्री कल्याण सिंह
९—श्री मंजूर अहमद
१०—श्री राम जी लाल केन
११—श्रीमती बेनी बाई
१२—श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा
१३—श्री काशी नाथ मिश्र
१४—श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी
१५—श्री रामायण राय
१६—श्री राज बहादुर चन्द
१७—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी
१८—श्री कन्हैयालाल सोनकर
१९—श्री धमंवीर,
२०—श्री बेनी प्रसाद वर्मा
२१—श्री सुलतान सिंह यादव
२२—श्री शफीकुर्रहमान वर्क
२३—श्रीमती शान्ती देवी यादव
२४—श्री उदय नाथ
२५—श्री अठई राम ।

२—सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति

१—श्री गंगा प्रसाद
२—श्री श्रीश चन्द्र
३—चौधरी रामपाल सिंह यादव
४—श्री हिम्मत सिंह

५—श्री दधीच सिंह
६—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल
७—श्री किशन लाल
८—श्री राम नारायण पाठक
९—श्री प्रभु नारायण
१०—श्री वीरेन्द्र वर्मा
११—श्री राम सुन्दर पांडेय
१२—श्री शिव कुमार पांडेय
१३—श्री कृष्णवीर सिंह
१४—श्री विमल प्रसाद तिवारी
१५—श्री चेतराम गंगवार
१६—श्री ओम प्रकाश (मुरादाबाद)
१७—श्री अनवार मोहम्मद
१८—श्री निसार अहमद अंसारी।
१९—श्रीमती शकुन्तला देवी
२०—श्री भूप सिंह केन
२१—श्री मधुकर दिघे
२२—श्री एदल सिंह
२३—श्री फरजन्द अली बेग
२४—श्री शिवपाल सिंह
२५—श्री अब्दुल वहीद ।

३—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संम्बन्धी संयुक्त समिति

१—श्री तेज सिंह
२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी
३—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा
४—श्री श्रीनारायण (उर्फ भुलई भाई)
५—श्री गुलाब सिंह
६—श्रीमती मोहसिना किदवाई
७—श्री चन्द्र नारायण सिंह
८—श्री रंजीत सिंह 'जुदेव'
९—श्री प्रभु दयाल
१०—श्रीमती रामरती देवी
११—श्री माता प्रसाद
१२—श्री इन्द्र लाल
१३—श्री राम लाल राही
१४—श्री मुंशी लाल
१५—श्री शिव लाल
१६—श्री लटूरी सिंह
१७—चौधरी मुल्तान सिंह यादव
१८—श्री खचेड़ू सिंह, मोहरिया
१९—श्री शिवचरन लाल
२०—श्री मोती लाल देहलवी
२१—श्री सीताराम निषाद ।

४—शरणार्थी स्थायी समिति

१—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा
२—श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी (मैनपुरी)
३—श्री तीरथ राम कोहली
४—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
५—श्री अजीत सिंह सेठी
६—श्री मंजूर अली खां
७—श्रीमती गंगा देवी विशारद
८—श्री प्रियदर्शी जेटली
९—श्रीमती सन्तोष कुमारी पाठक
१०—नवाब सैयद मुर्तजा अली खां
११—श्रीमती इन्द्र मोहिनी
१२—डाक्टर चरण सिंह
१३—श्री चन्द्र पाल सिंह
१४—श्री नन्हें लाल
१५—श्री काशी प्रसाद
१६—श्री हर प्रताप सिंह ।

५—सामान्य प्रशासन स्थायी समिति

१—श्री शिव प्रसाद गुप्ता
२—श्री ऊदल
३—कुंवर श्रीपाल सिंह
४—श्री चन्द्र शेखर सिंह
५—श्री लालू राम
६—श्री गुलाब सेहरा
७—श्री मलखान सिंह सैनी (मुजफ्फरनगर)
८—श्री देव बहादुर सिंह
९—श्री दीप नरायण वन
१०—श्री रुद्र प्रताप सिंह
११—श्री सरस्वती प्रताप सिंह
१२—श्री माखनलाल मिश्र
१३—श्री राम बचन
१४—शाह अबुल फैज
१५—श्री राज बहादुर
१६—श्री राम प्रकाश यादव ।

६--विद्युत् स्थायी समिति

१--श्री राममूर्ति
२--श्री सत्यपाल सिंह
३--श्री जगन्नाथ सिंह परमार
४--श्री पुरुषोत्तम (मिर्जापुर)
५--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान
६--श्री रफी उल्ला खां
७--श्री चरन सिंह, डाक्टर
८--श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायन
९--श्री ईश्वरी सिंह
१०--श्री सरदार कुलतार सिंह
११--श्री महेश सिंह
१२--श्री धर्मवीर सिंह (बिजनौर)
१३--श्री हर प्रताप सिंह
१४--श्री नन्द राम
१५--श्री खूब चन्द
१६--श्री कृपा शंकर आर्य ।

७--श्रम स्थायी समिति

१--श्री सन्त सिंह यूसुफ
२--श्री बाबू लाल वर्मा,
३--श्री आशाराम यादव
४--श्री प्यारेलाल (मेरठ)
५--श्री जटाधर बाजपेयी
६--श्री राम रतन सिंह
७--श्री चन्द्र शेखर शुक्ल
८--श्री मोहम्मद शकील अहमद
९--श्री प्यारे लाल वर्मा (अलीगढ़)
१०--श्री अनिरुद्ध राय
११--श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
१२--श्री हरी राम
१३--श्री राघवेन्द्र सिंह
१४--श्री मधुकर दिघे
१५--श्री गंजी प्रसाद
१६--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा ।

८--वन स्थायी समिति

१--श्री गोविन्द सिंह नेगी
२--श्री राम चरन शाह
३--श्री रघुनाथ सिंह
४--श्री मोहन सिंह
५--श्री चन्द्र शेखर शुक्ल
६--श्रीमती श्यामा देवी
७--श्री गोविन्द सिंह मेहरा
८--श्री बालकृष्ण सनवाल
९--श्री भारत सिंह
१०--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला
११--श्री सोहन लाल धुसिया,
१२--श्री सरदार कुलतार सिंह
१३--श्री चन्द्रपाल सिंह
१४--श्री मिस्रयार खां
१५--श्री अब्दुल रऊफ लारी
१६--राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह ।

९--न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति

१--श्री दया किशन पांडेय
२--श्री चरन दास सेठ,
३--श्री अवधेश कुमार
४--श्री यशपाल सिंह
५--श्री रूप राम,
६--श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र
७--श्री मलखानसिंह सैनी, (मुजफ्फर नगर)
८--श्री ए० सी० ग्राइस
९--श्री मुमताज मोहम्मद खां
१०--श्री राम पूजन पटेल
११--श्री केदार नाथ अग्रवाल
१२--श्री भारत सिंह चौहान
१३--श्री वीरेन्द्र स्वरूप
१४--श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप
१५--श्री जंगबहादुर सिंह पटेल
१६--श्री राम निहोर ।

१०--आबकारी स्थायी समिति

१--श्री रामेश्वर नाथ चौबे
२--श्री चन्द्रपाल सिंह
३--श्री सत्यपाल सिंह
४--श्री श्याम लाल रावत

५—श्री मुन्नू लाल द्विवेदी
६—श्री केदार नाथ अग्रवाल
७—श्री राम औतार सिंह भदौरिया,
८—श्री जगदीश अवस्थी
९—श्री राज पाल
१०—श्री गया सिंह
११—श्री रघुराज सिंह
१२—श्री नारायण सिंह (मुजफ्फरनगर)
१३—श्री मनीराम
१४—श्री जंग बहादुर वर्मा, (बाराबंकी)
१५—श्री झिलमिट
१६—श्री गंजी प्रसाद।

११—जेल स्थायी समिति

१—श्री देव कुमार यादव
२—श्री मोहन लाल कपूर
३—श्री विजयपाल सिंह
४—श्री राम पूजन पटेल
५—श्री अम्बिका प्रसाद सिंह
६—श्री गजेन्द्र सिंह
७—श्री मोला दत्त सकलानी
८—श्री राम रतन सिंह
९—श्री मान बहादुर सिंह
१०—श्री बनवारी राम यादव
११—श्री गोपी नाथ कामेश्वर पुरी
१२—श्री मुन्नू लाल द्विवेदी
१३—श्री महेन्द्र सिंह
१४—श्री राघवेन्द्र सिंह
१५—श्री राम स्वरूप भारतीय
१६—श्री शारदा प्रसाद रावत।

१२—सूचना स्थायी समिति

१—श्री गोरे लाल शाक्य
२—श्री श्याम बिहारी सिंह
३—श्री राज ब्रज राज सिंह
४—श्री राम पति
५—श्री महावीर सिंह
६—श्री मेघनाथ सिंह
७—श्री नारायण हरी शर्मा
८—श्री कृष्ण दत्त (उर्फ बालराज)
९—श्री जगन्नाथ चौधरी
१०—श्री जगदीश मिश्र
११—श्री अनिरुद्ध राय
१२—श्री दुर्योधन प्रसाद
१३—श्री नन्द राम
१४—श्री कबूल सिंह
१५—श्री गिरिजा शंकर पाठक
१६—श्री नजुराम।

१३—उद्योग स्थायी समिति

१—श्री अब्दुल बाकी,
२—श्री भगवती सिंह
३—श्री काशी नाथ,
४—श्री प्यारे लाल वर्मा,
५—श्री विजय पाल सिंह,
६—श्री राम गरीब, कैप्टेन
७—श्री प्रेम दत्त तिवारी,
८—श्री जटाधर बाजपेयी,
९—श्री चित रंजन स्वरूप
१०—श्री अजीजुर्रहमान
११—श्री जंग बहादुर सिंह
१२—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान
१३—श्री सोहन लाल, (रामपुर)
१४—श्री ओम प्रकाश, (शाहजहांपुर)
१५—श्री राम प्यारे, (वाराणसी)
१६—श्री जंग बहादुर सिंह पटेल।

१४—विकास तथा नियोजन स्थायी समिति

१—श्री नियाज हसन खां
२—श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय
३—श्री अंगने लाल
४—श्री ओम प्रकाश सिंह, (मिर्जापुर)
५—श्री मन्नी लाल,
६—श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र
७—श्री अजीत सिंह सेठी
८—श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, (जौनपुर)

९—श्री लालन शर्मा
१०—श्री अजीजुर्रहमान
११—श्री श्याम मिश्रा
१२—श्री प्यारे लाल, (अलीगढ़)
१३—श्री धर्मवीर सिंह, (बिजनौर)
१४—श्री मनी राम
१५—श्री राम प्यारे, (वाराणसी)
१६—श्री राव मुश्ताक।

१५—सहकारी स्थायी समिति

१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा
२—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा
३—श्री ब्रजपाल सिंह यादव
४—श्री अम्बिका प्रसाद मिश्र
५—श्री बनवारी राम यादव
६—श्री राम औतार सिंह भदौरिया
७—श्री रमाकान्त द्विवेदी
८—श्री महेश सिंह,
९—श्री बंशीधर
१०—श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी
११—श्री राम दुलारे
१२—श्री रघुराज सिंह
१३—श्री दीनानाथ सेवक
१४—श्री नन्हें लाल
१५—श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)
१६—श्री जंग बहादुर (आजमगढ़)

१६—समाज कल्याण स्थायी समिति

१—श्री जमुना प्रसाद बोस
२—श्री सोहन लाल (बदायूं)
३—श्री पूरन लाल
४—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल
५—श्री नाथू राम
६—श्रीमती गंगादेवी विशारद
७—श्री नारायण दास
८—श्रीमती दुलारा देवी
९—श्री राम हर्ष चौधरी
१०—श्रीमती राजपती देवी
११—श्री भगवती प्रसाद शुक्ला
१२—श्रीमती शिव कुमारी दुबे
१३—श्री शिव प्रसाद (आजमगढ़)
१४—श्री धरम राम
१५—श्री बल्देव,
१६—श्री राम दयाल सिंह।

१७—राष्ट्रीय एम्प्लायमेन्ट स्थायी समिति

१—श्री हरि केवल
२—श्री बादाम सिंह
३—श्री भगवत दयाल
४—श्री मन्नी लाल,
५—श्री लालू राम,
६—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
७—श्री राम देव यादव,
८—श्री राम समुझ तिवारी
९—श्री धर्मचन्द्र मिश्र
१०—श्रीमती शिवकुमारी दुबे
११—श्री महावीर प्रसाद,
१२—श्री मोहम्मद अस्लम
१३—श्री दीनानाथ सेवक
१४—श्री बल्देव,
१५—श्रीमती गायत्री देवी
१६—श्री मूलचन्द्र राजपूत।

१८—बिक्री कर स्थायी समिति

१—श्री चन्द्रभान आजाद
२—श्री हरीश चन्द्र खंडेलवाल
३—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा,
४—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी
५—डाक्टर श्याम किशोर,
६—श्री सुक्खन सिंह
७—श्री ख्याली राम शास्त्री
८—श्री पूरनचन्द्र
९—श्री तेज नारायण त्रिवेदी
१०—श्री श्याम मिश्रा
११—श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया
१२—श्री राजपाल
१३—श्री ओम प्रकाश (शाहजहांपुर)
१४—श्री वीरेन्द्र स्वरूप
१५—श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप
१६—श्री मूलचन्द राजपूत।

१९—कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड

१—श्री देव बहादुर सिंह
२—श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन ।

२०—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्

१—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा
२—श्री मेघनाथ सिंह शीशोदिया
३—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला
४—श्री शतरुद्ध प्रकाश ।

२१—उत्तर प्रदेश पंचायत राज सलाहकार परिषद्

१—श्री कमला प्रसाद वर्मा
२—श्री फीउल्ला
३—श्री रामरति विन्द (एडवोकेट) ।

२२—प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड

१—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल
२—श्री राजेन्द्र सिंह यादव
३—श्री राजेन्द्र शाह
४—श्री रामपाल सिंह (मुरादाबाद)
५—श्री सत्य प्रकाश मालवीय ।

२३—उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति

१—श्री सन्त सिंह यूसुफ
२—श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायन
३—श्री पूरन चन्द्र
४—श्री चन्द्र पाल सिंह ।

२४—उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड

१—श्रीमती सुखदा मिश्र
२—श्रीमती गायत्री देवी

इसमें एक स्थान रिक्त रहेगा जिसके लिये चुनाव बाद में होगा ।

२५—रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट

१— श्री मोहनलाल कपूर
२—श्री नारायण हरी शर्मा
३—सरदार कुलतार सिंह
४—श्री लक्ष्मण सिंह ।

शेष समितियों, अर्थात् लोक लेखा समिति, हरिजन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, शिक्षा माल, कृषि तथा पशुपालन, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन संबंधी, रसद, पुलिस, यातायात तथा पर्यटन स्थायी समितियों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नाम होने के कारण उनके लिये मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस समय १ बजे से विधान वाचनालय में होगा ।

भूमि संरक्षण बोर्ड, उत्तर प्रदेश

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भूमि संरक्षण बोर्ड, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नाम प्रस्तावित करता हूं—श्री बनवारी राम यादव (बलिया), श्री मोहम्मद अस्लम (सहारनपुर), श्री शिव प्रसाद गुप्त (आगरा), श्री जुगल किशोर यादव (बदायूं) ।

श्री अध्यक्ष—

किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

("नहीं" की आवाजें)

तो फिर सर्वश्री बनवारी राम यादव, मोहम्मद अस्लम, शिव प्रसाद गुप्त तथा जुगल किशोर यादव भूमि संरक्षण बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्य निर्वाचित हुये ।

प्रदेश के फैब्रीकेटिंग इकाइयों और अन्य संस्थानों के लोहे के कोटे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, यह मामला कानपुर का है और कानपुर शहर का अपने प्रदेश के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन आये दिन, चाहे वह जमीन के हड़पने का सवाल हो अधिकारियों, पूंजीपतियों और नेताओं के त्रिगुट से और चाहे जैसे वहां आज निकला है कि बिजली की चोरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलकर एक पूंजीपति, स्वदेशी काटन मिल किस तरह से चोरी करता है, वहां की स्थिति बहुत ही भयंकर है, भ्रष्टाचार का मामला है। इस सम्बन्ध में मैं आपके जरिये बताना चाहता हूं कि जो वहां पर लघु उद्योग कारपोरेशन और जो आपका डायरेक्टोरेट है ये मिल करके किस तरह से लाखों, करोड़ों रुपये का लोहा फर्जी यूनिटों को छोटे-छोटे उद्योगों की तरक्की के नाम पर देते हैं। छोटे-छोटे उद्योगों के नाम पर लोहा मिलता है मगर वे उद्योग कहीं पर भी लगे नहीं हैं, फर्जी फर्मों के नाम से लोहा दिया जा रहा है। वह सारा का सारा लोहा काले बाजार में जाता है। छोटे उद्योगों के नाम पर यहां से लोहा लेकर पंजाब के गोविन्द नगर को जाता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोहे का दाम बढ़ता है और जिन उद्योगों के लिये यह लोहा दिया जाता है वे उद्योग पनप नहीं पाते। रीजनल कंट्रोलर, जो लोहे के हैं उन्होंने ही अभी करीब १०० ऐसी फर्जी यूनिटों को पकड़ा है, उनको लोहा देना बन्द कर दिया है।

लघु उद्योग निदेशालय द्वारा जो तखमीना लगाया गया है उसके अनुसार करीब ४००० यूनिट्स ऐसी हैं जो लोहा पाती हैं। इनमें लगभग ७५ प्रतिशत फर्जी इकाइयां हैं। जो लोहा इनको दिया जाता है उसका ७५ प्रतिशत लोहा काले बाजार में चला जाता है। आपका यह उद्योग कारपोरेशन, लघु उद्योग निदेशालय जो यह तखमीना बनाता है कि किस को कितना लोहा मिलना चाहिये, उद्योग निरीक्षक, तथा बड़े-बड़े आफिसर्स सभी मिलकर यह भ्रष्टाचार करते हैं, इसमें सभी का हाथ रहता है। १२-७-७४ को जे० बी० आइरन स्टील, कानपुर, का उद्घाटन हुआ, १२-२-७४ को रीजनल आइरन कन्ट्रोलर ने आइरन स्टील कानपुर की दो ट्रकें लोहे की पकड़ीं, फर्म के अन्दर ३० टन लोहा फर्जी पकड़ा। १५-७-७४ को मालवीय इंजीनियरिंग वर्क्स का ५२ टन लोहा जब्त किया गया। इसी तरह से करीब ७० टन लोहा रेलवे स्टेशन कानपुर, पर गोविन्दनगर जाते हुये पकड़ा गया। इस सब से साबित होता है कि इस विभाग में इस काम में कितना भ्रष्टाचार है। यही नहीं, एक और सबसे बड़े भ्रष्टाचार का मामला सोमानी ब्रादर्स का पकड़ा गया। उनके गोदाम की जब छानबीन हुई तो २ हजार टन गिलट पकड़ा गया। इसकी कीमत ४० लाख रुपये है। इससे लोहे का सामान बनता है। यह भी गोविन्दनगर जाता है। तो उद्योग मंत्रालय का जो यह डायरेक्टोरेट है और उद्योग कार्पोरेशन है उनके बड़े-बड़े आफिसर्स और कर्मचारी सभी मिलकर इस घपले को करते हैं और इस भ्रष्टाचार में उन सभी का हाथ रहता है। और श्रीमन्, यह घपला वर्षों से चला आ रहा है। माननीय मधुकर दिघे ने, जब इस मंत्रालय की ग्रांट पेश की थी, तो कुछ जनरल बातें इस सदन के सामने रखी थीं। उन्होंने बताया था कि किस तरह से लघु उद्योगों के नाम पर फर्जी फर्म्स कायम हैं और वहां पर उद्योगों की जगह पपीते की खेती हो रही है। आज तो जो निश्चित मुद्दे मैंने बताये हैं और जो केसेज पकड़े गये हैं रीजनल आयरन कन्ट्रोलर द्वारा उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि कितना भ्रष्टाचार इसमें फैला हुआ है। इस भ्रष्टाचार में न केवल अधिकारी, न केवल क्लर्क्स, न केवल पूंजीपति, बल्कि ऊपर से नीचे तक और यहां तक कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सेवक यादव]—
शासन तक के लोग और राजनीति में काम करने वाले लोग तथा सत्तारूढ़ दल के नेता लोग भी शामिल हैं। इसलिये यह सारी चीजें चलती हैं और बरसों से चली आ रही हैं। रोशनी में आने के बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती।

आज मान्यवर, अंतिम द्रिन है, इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस गम्भीर प्रश्न पर उत्तर देने की कृपा करें और सदन को जानकारी दें क्योंकि यह भ्रष्टाचार आज सारे देश को खाये जा रहा है, सारी अर्थ-व्यवस्था को इसने चौपट कर रखा है।

उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)—
माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राम सेवक यादव व मुलायम सिंह जी ने नियम ३०१ के अन्तर्गत जो सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि लोहे के कोटे के दुरुपयोग की जांच भारत सरकार के क्षेत्रीय लौह तथा इस्पात नियन्त्रक समय-समय पर करते हैं और इसी प्रकार की जांच उद्योग निदेशक तथा उप प्रान्तीय लौह नियन्त्रक के द्वारा भी की जाती है। १८-८-७४ के दैनिक समाचार-पत्र "पायनियर" में प्रकाशित समाचार में जिन तीन इकाइयों का नाम उल्लिखित किया गया है, उनके बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि सबसे अधिक मात्रा में माल सोमानियों से पकड़ा गया है। उनको कोई भी माल उद्योग निदेशालय के माध्यम से संस्तुत नहीं किया गया है और न ही उद्योग निदेशालय में कच्चा माल के लिये पंजीकृत हैं।

२—जहां तक सर्वश्री जे० बी० आयरन ऐंड स्टील वर्क्स, कानपुर का सम्बन्ध है, यह "फौर्जिंग" के काम के लिये उद्योग निदेशालय में पंजीकृत है और इस इकाई को ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी, कलकत्ता से उद्योग निदेशालय द्वारा निर्धारित क्षमता के आधार पर छमाही कोटा मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ माल सीधे ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी की संस्तुति पर स्टाक यार्डों से प्राप्त होता है। जिस माल के पकड़े जाने का उल्लेख समाचार पत्र में है, वह फोर्जिंग के लिये था परन्तु यह स्पष्ट नहीं कि यह माल उस श्रेणी का था जिसको इशू किये जाने की सूचना उद्योग निदेशालय को प्राप्त होती है या नहीं।

३—तीसरी इकाई मालवीय इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर, एक सेकेंडरी रिरोलिंग लघु इकाई है जो उद्योग निदेशलय में पंजीकृत है। इसे ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी, कलकत्ता से उद्योग निदेशालय द्वारा निर्धारित क्षमता के आधार पर छमाही कोटा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ माल सीधे स्टाक यार्ड से ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी के निर्देशानुसार भी प्राप्त होता है जिसकी सूचना उद्योग निदेशालय को नहीं होती है। उपरोक्त समाचार में उल्लिखित माल रिरोलिंग हेतु था। यह मालूम किया जा रहा है कि यह माल सीधे स्टाक यार्ड से प्राप्त हुआ अथवा ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी से।

४—लघु उद्योग क्षेत्र में आने वाली दोनों इकाइयों अर्थात् सर्वश्री जे०बी० आयरन इंडस्ट्री व सर्वश्री मालवीय इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर, के विरुद्ध उसी दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है तथा उनके कोटे को तुरन्त निलम्बित कर दिया गया है।

तीसरी इकाई सोमानी, कानपुर के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही रीजनल आयरन स्टील कंट्रोलर, भारत सरकार द्वारा की गयी है। पूर्ण विवरण एकत्रित किया जा रहा है। उक्त समाचार-पत्रों में भारत सरकार के रीजनल आइरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण दिया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार भी बराबर लोहा तथा इस्पात के दुरुपयोग को रोकने के लिये प्रयत्नशील रहती है। उप प्रांतीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को राज्य इम्पोर्टसमेन्ट अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वे समय-समय पर इन इकाइयों की जांच करते रहते हैं, जिनको माल आबंटित किया गया है। इनके अतिरिक्त उद्योग निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी जैसे क्षेत्रीय विकास अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी तथा

उप उद्योग निदेशक (आर०आई०पी०), लोहा तथा इस्पात के दुरुपयोग की जांच करते रहते हैं। इस समय कानपुर में १३५ लघु उद्योग इक इयों को लोहे का कोटा निलंबित है। इनमें से ९३ इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही, राज्य सरकार के अधिकारियों के जांच के फलस्वरूप की गयी है तथा शेष ४२ इकाइयों के विरुद्ध भारत सरकार के रीजनल आइरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर के द्वारा की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप है।

इससे तो इंकार नहीं किया जा सकता कि जहां राज्य में लोहा उद्योग की इतनी बड़ी संख्या हो,उनमें से कुछ इकाइयां फर्जी भी हो सकती हैं परन्तु समाचार-पत्र में इनकी संख्या ७५ प्रतिशत आंकी गयी है, यह अनुमान सही नहीं है और उद्योग विभाग के क्षेत्रीय उद्योग अधिकारियों को स्पष्ट आदेश हैं कि वे बराबर इकाइयों की जांच करते रहें और यदि कोई इकाई बन्द हो तो उसकी तुरन्त सूचना दें ताकि उसको दी जाने वाली सभी कच्चे माल से संबंधित सुविधा समाप्त कर दी जाये। इस तरह की प्राप्ति सूचना पर तत्काल निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त इस समय भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में सभी औद्योगिक इकाइयों का एक 'सेन्सस' किया जा रहा है इसलिये सभी इकाइयों के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध होगी। और उनकी जांच इस प्रकार हो जावेगी। सेन्सस का यह काम लगभग पूरा हो रहा है। इसके फलस्वरूप जितनी भी फर्जी इकाइयां आवेंगीं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम सेवक यादव---

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि१३५ फर्में हैं जिनको निलंबित किया गया है। तो उनकी सूची जो है उसको क्या मंत्री महोदय सदन के पटल पर रखेंगे ?

दूसरे, उन्होंने कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो जो सूचना एकत्र होगी तो क्या मंत्री जी एक पूरा बयान उस सूचना के आधार पर देंगे और क्या सरकार उस सूचना पर बहस करायेगी ?

तीसरे अभी मंत्री जी ने सेन्सस कहा है। मेरी जानकारी के अनुसार यह शायद सेन्सर किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में।

श्री अध्यक्ष---

आपका कहना है कि आपने सेन्सस कहा है या सेंन्सर कहा है। सेन्सस दब्श इस्तेमाल किया है, यह समझ में नहीं आया है ?

श्री रामसेवक यादव---

(मंत्री जी के खड़े होने पर) क्या सेन्सर किया जा रहा है ?

श्री इस्तफा हुसैन---

भारत सरकार के निर्देशानुसार जितनी छोटी इकाइयां हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी क्या हालत है इसकी जांच, *एक सर्वे कराया जा रहा है।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, यह जो हमारा डायरेक्ट्रेट है वह जो इकाइयां कायम हैं उनकी जांच में दिलचस्पी तो रखता नहीं है। यह तो जब रीजनल आइरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर ने रहस्योद्घाटन किया तो यह बातें पता चलीं। तभी यह सब बातें रोशनी में आयीं। तो मान्यवर, क्या राज्य सरकार इस संबंध में कोई उच्चस्तरीय जांच करायेगी कि इस तरह से उनको जो फर्जी कोटा दिया गया उसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे। क्या इस तरह की कोई जांच सरकार एक उच्च आयोग या किसी व्यक्ति के द्वारा करायेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन—

मान्यवर, कोई आयोग द्वारा जांच कराने की बात नहीं है। मैंने वक्तव्य में निवेदन किया है कि हम बराबर जांच कराते रहते हैं। और इस तरह के आदेश हैं कि एक अधिकारी कम से कम १० की जांच कराये और इसी आधार पर मैंने आपको सूचनार्थ बताया कि यह कहना ठीक नहीं है कि जांच भारत सरकार ही करती है, रीजनल आइरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर ने नहीं बल्कि हमारे जो डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज हैं, उनके अन्दर जो अधिकारी आते हैं उनके जरिये ९३ को पकड़ा गया है और उन इकाइयों को सस्पेंड किया गया है।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, १३५ जो निलम्बित हुये हैं फर्ज़ी नाम पर उनकी सूची क्या है?

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, क्या आप जांच करायेंगे कि कितने फर्ज़ी यूनिट्स को फौलाद और लोहा दिया गया? लगभग १०–१५ साल से लगातार जितना लोहा और फौलाद इस प्रदेश में आया वह एक तो कम दिया गया और दूसरे जो आता भी है वह बाहर चला जाता है, पंजाब में। पंजाब में इसका इतना बड़ा महत्व है कि यहां का सारा लोहा वहां चला जाता है, व ां छोटे-छोटे उद्योग लोहे के खुले हैं। उत्तर प्रदेश में जो उद्योग खुल सकते हैं जिससे कि प्रदेश की उन्नति हो सकती है वह नहीं होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो जांच होगी उसमें १५–१६ साल में कितनी यूनिट्स ने कार्य नहीं किया और उसकी वजह से कितना लोहा बाहर क्या और कितना प्रोडक्शन का लास हुआ? इसकी जांच कराने के लिये सरकार कोई प्रबन्ध क्या करेगी?

श्री इस्तिफा हुसैन—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि व्यवस्था करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। और जैसा कि माननीय दिघे जी ने कहा कि जो माल आता है वह कम है, तो उसके संबंध में मैं अर्ज कर दूं कि ९६ हजार टन आता है। उत्तर में मैंने बता दिया है कि रीजनल आइरन एण्ड स्टील कंट्रोलर भारत सरकार द्वारा नियुक्त है और हमारे शासन ने उप प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को राज्य स्तर पर और रीजन स्तर पर जितने अधिकारी नियुक्त किये हैं वे सब लोहे के दुरुपयोग की जांच करते रहते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, लोहे का इतना बड़ा गोलमाल हुआ उसको और मान्यवर, मंत्री जी यह भी जानते होंगे कि कानपुर में ही लोहे की एक बहुत बड़ी फैक्टरी के मालिक, केन्द्र के श्री जगजीवन राम जी के रिश्तेदार हैं, जो कि लोहे का काम करते हैं और लोहे में चोरबाजारी की। यह गम्भीर मामला है जिसको कि कांग्रेस के लोग भी चाहेंगे कि शासन में शुद्धता आये और चोरबाजारी खत्म हो। इस बात को ध्यान में रखते हुये इन तमाम मामलों की जांच सी०बी०आई० द्वारा कराने में मंत्री जी को क्या आपत्ति है? जिससे कि यह पता चले कि कौन नेता, कौन विधायक कौन मिनिस्टर का इसमें हाथ है, और किसका संरक्षण प्राप्त है जिससें कि इतना गोलमाल है।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना है कि सी० बी० आई० से जांच करायेंगे?

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, १३५ का जो निलम्बन हुआ है उसकी सूची क्या है?

श्री अध्यक्ष—

आप बाद में इसको बता दीजियेगा।

जांच के लिये श्री देहलवी जी कह रहे हैं। आप इस स्थिति में जवाब दें।

श्री इस्तिफा हुसैन—

मान्यवर जरूरत पड़ने पर सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जा सकती है।

बांदा के पाक्षिक समाचार-पत्र 'रिश्वत' के संचालक, श्री रामभजन निगम द्वारा पुलिस अधीक्षक, बांदा के जन विरोधी कार्यों के समाचार छापने के कारण उनको जान से मारने के षड़यंत्र के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब बांदा के पाक्षिक समाचार पत्र 'रिश्वत' के संचालक श्री राम भजन निगम द्वारा पुलिस अधीक्षक, बांदा, श्री मेहरबान सिंह, की कथित गैर कानूनी तथा जनविरोधी कार्यवाहियों के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मान्यवर, आपके जरिये एक लड़की के इल्लीगल कंफाइन्मेन्ट के मामले में मैं जानना चाहता हूं ।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

श्री राम भजन निगम जो अपने आपको किसी पाक्षिक समाचार-पत्र 'रिश्वत' का संचालक बताते हैं ने एक प्रार्थना पत्र, दिनांक ५-८-७४ शासन को प्रस्तुत किया जिसमें श्री मेहरबान सिंह, पुलिस अधीक्षक, बांदा, के विरुद्ध कुछ समाचार छापने के फलस्वरूप श्री मेहरबान सिंह पर उनसे रूष्ट होने, उनके विरुद्ध सी०आई०डी० के द्वारा शासन को झूठी खबरें भिजवाने, कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके भाइयों तथा स्वयं उनके विरुद्ध रपटें दर्ज कराने और 'रिश्वत' के एक हाकर को पिटवाकर हवालात में बन्द करा देने के आरोप लगाये हैं। उक्त प्रार्थना-पत्र में यह भी कहा गया है कि दिनांक ४ अगस्त, १९७४ को श्री निगम को अपने एक शिष्य से सूचना मिली कि पुलिस अधीक्षक ने नगर कोतवाल को तैयार कर लिया है कि वे उनको नकली एनकाउंटर दिखा कर उस समय गोली से मार दें जब वे उनको शिडीसन के मामले में गिरफ्तार करने जायें ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री राम भजन निगम को पुलिस अधीक्षक, बांदा, द्वारा जान से मार डालने के षड़यंत्र की अन्य कोई सूचना शासन को श्री राम भजन निगम द्वारा नहीं दी गई और न ही उन्होंने अपने कथित समाचार पत्र 'रिश्वत' की कोई कतरनें अपने प्रार्थना-पत्र के साथ शासन को भेजी हैं। श्री निगम के उक्त पत्र दिनांक ५ अगस्त, १९७४ में यह भी बताया गया है कि वे ४ अगस्त, १९७४ को सशस्त्र पुलिस से बचते-बचते दिनांक ५ अगस्त, १९७४ को लखनऊ पहुं हैं। अपने प्रार्थना-पत्र में श्री निगम ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि रास्ते में दिनांक ४ अगस्त, १९७४ की उनकी कार को दो स्थानों पर पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया ।

पुलिस महानिरीक्षक को श्री निगम की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध कराने के लिये आदेश भेज दिये गये हैं। पुलिस महानिरीक्षक को यह आदेश भी दिये गये हैं कि वे इस मामले को स्वयं देख लें और श्री निगम के प्रार्थना पत्र में कथित तथ्यों की जांच मुख्यालय के किसी अधिकारी द्वारा करालें। आयुक्त, झांसी मण्डल, को भी आदेश भेजे गये हैं कि वे इस सामले को देख लें तथा इस बारे में अपनी टीका शासन को भेजें। पुलिस महानिरीक्षक तथा आयुक्त, झांसी मण्डल, की रिपोर्ट आने के उपरान्त इस संबंध में जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी की जायगी ।

श्री सत्यपाल मलिक—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया था। आज सदन का आखिरी दिन है....

श्री अध्यक्ष—

यह बात आप इस वक्तव्य के हो जाने के बाद उठायें ।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, श्री राम भजन निगम बांदा मेंएक कालेज है वहां के प्रिन्सिपल हैं और एक डिग्री कालेज के व्यवस्थापक भी हैं। वह सोशलिस्ट पार्टी के पिछले १८ साल से सदस्य भी रहे हैं। वहां एकपाक्षिक समाचार पत्र निकलता है उसके सम्पादक भी हैं। उस समाचार पत्र में वहां के एस० पी०, श्री मेहरबान सिंह, जब से वहां पर गये हैं बांदा में अत्याचार करवा रहे हैं,उसके विषय में छापा करते हैं। उनके एक भाई हैं श्री भगवान दीन निगम। उन पर ३०७ का मुकदमा चला दिया है। श्री निगम पर २८ जुलाई को डकैती का एक मुकदमा भी कायम किया है।एक टाइम्स आफ इण्डिया के कारेस्पोन्डेन्ट हैं श्री बी०डी० गुप्त उन्होंने भी वहां पर कुछ समाचार भेजे। जब श्री गुप्तजी टाइम्स आफ इंण्डिया के कोरेस्पान्डेन्ट हैं वहां पर गये तो उनको गिरफ्तार किया गया और बाकयदा हथकड़ी बांध कर सड़कों पर घुमाया गया। जो एस०पी० हैं और वहां का स्थानीय प्रशासन है वह श्री निगम के विरुद्ध है। अभी तीन चार दिन पूर्व उनकी माता मनिया निगम पर भी हिंसात्मक आक्रमण किया गया और उनको चोट आई हैं और वह अस्पताल में भर्ती हैं। वह चूंकि ४–५ अगस्त से अपनी सुरक्षा के लिये यहां पर हैं और उनके परिवार की सुरक्षा नहीं रह गई है, इसलिये उन्होंने राज्य सरकार से यह मांग की है कि जो उन पर मुकदमें चल रहे हैं या जो परिवार की सुरक्षा नहीं रह गई है, उस सम्बन्ध में उनकी सुरक्षा की जाय। वहां पर एक सी०आई०डी० के अधिकारी हैं श्री आर० पी० त्रिपाठी, इन्सपेक्टर और कृष्णसिंह कोतवाल हैं उनके विरुद्ध भी लांछन और आरोप लगाये गय हैं तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच निष्पक्ष हो इसलिये जो इंस्पेक्टर निगम परिवार के विरुद्ध जांच कर रहे हैं उनको वहां से हटाकर किसी दूसरे से जांच करवायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, वक्तव्य में ही यह कहा गया है कि जो कमिश्नर हैं उनको भी इस संबंध में आदेश दे दिये गये हैं कि सारे मामले की जानकारी कर शासन को अपनी टीका भेजें। कमिश्नर कोई पुलिस का अधिकारी नहीं है। दूसरे डी०आई०जी० जांच कर रहें हैं तो उन दोनों की रिपोर्ट आने के बाद विचार करेंगे कि क्या कार्यवाही की जाय !

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

निगम का कहना है कि जो मुकदमें उन पर चलाये जा रहे हैं उनकी जांच मेहरबान सिंह कर रहे हैं तो उनसे वह जांच हटाकर किसी दूसरे अधिकारी से करायी जाय ?

श्री राजमंगल पांडेय—

अगर सी०आई०डी० से जांच कराने की बात है तो फिर यह हो जायगा कि पुलिस और सी आई० डी०तो एक ही हैं। इसलिये जैसा अभी मैंने कहा हम तो कमिश्नर से भी जांच करवा रहे हैं और यहां पुलिस महानिरीक्षक से कहा गया है कि किसी अधिकारी को यहां से भेज कर जांच करवायें। इन दोनों की रिपोर्ट आने के बाद भी अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो सोचेंगे कि आगे क्या कार्यवाही करें।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

निगम परिवार के साथ जिस तरह की ज्यादती हो रही है उससे आशंका हो गयी है कि उनकेपरिवार की सुरक्षा नहीं रह गयी है। मैं पूछना चाहता हू कि स्थानीय इंस्पेक्टर और कोतवाल जो इस प्रकार का काम कर रहें हैं उनको वहां से हटाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजमंगल पांडेय—

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऊदल जी यहां नहीं हैं। जब सी० आई०डी० को मामला देने की बात आयी तो उन्होंने कहा कि हरिजनों पर ज्यादती हो रही है श्री दुलारे को दे दीजिये। इसमें हमने आई० जी० को हिदायत दे दी है कि किसी उच्च अधिकारी को यहां से भेज कर जांच करवा लें और उधर कमिश्नर को भी रिपोर्ट भेजने के लिये कहा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर निगम की रिपोर्ट में सत्यता होगी तो उनको पूरा संरक्षण देंगे और अगर पुलिस गलत चार्जशीट देगी तो उसको विदड्रा कर लेंगे।

श्री मधुकर दिघे—

५ तारीख से २२ तारीख तक १७ दिन हो गये। कोई ऐसा आश्वासन देंगे.....

श्री अध्यक्ष—

इतना तक तो कह दिया कि अगर पुलिस गलत चार्जशीट देगी तो बापस कर लेंगे। अब और क्या चाहते हैं? अपना मामला ज्यादा सवाल करके बिगाड़ना नहीं चाहिये।

एक सदस्य—

हम बांदा के सदस्य हैं। कुछ कहना चाहते हैं। उनकी मां के हाथ तोड़ दिये गये तो उनकी सुरक्षा की क्या गारन्टी है। १५-१६ तारीख की रात को गुंडे भिजवा कर उनकी मां के हाथ तुड़वा दिये।

श्री अध्यक्ष—

जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं। उसका हित देखकर जवाब दे दिया गया है, उससे बढ़कर कोई जवाब नहीं हो सकता। उन्होंने काफी आगे जाकर उत्तर दे दिया है और आश्वासन दिया है कि अगर गलत मुकदमा पुलिस करेगी तो वापस ले लेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालव्वीय—

उनकी मां पर घातक हमला तीन चार दिन हुए हो गया और वह अस्पताल में हैं। उनका खयाल है कि इसमें मेहरबान सिंह, एस०पी०, किशन सिंह कोतवाल तथा सी०आई०डी०इंस्पेक्टर की साजिश है। ऐसी हालत में उनकी सुरक्षा के लिये क्या गारन्टी है?

श्री राज मंगल पांडेय—

अगर श्री निगम किसी केस में वाटेंड नहीं हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसका एक ही हल है कि आर० पी० श्रीवास्तव, सी०आई०डी० इंस्पेक्टर और किशन सिंह शहर कोतवाल का स्थानान्तरण कर दिया जाय। बात यह थी कि श्री निगम की एक लड़की डिग्री कालेज में पढ़ती है और पुलिस आफिसर का लड़का भी डिग्री कालेज में पढ़ता है। वह लड़का गुंडा है और उसने उस लड़की से छेड़छाड़ की और उसने बेल्ट निकाल कर बीच चौराहे पर मारी भी। निगम साहब ने शिकायत की। इस पर इंस्पेक्टर साहब बहुत नाराज हुये। निगम साहब ने शिकायत ऊपर के अधिकारियों तक भेजी। शहर कोतवाल भी षड़यंत्र रच रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है और गुंडों को लगा कर निगम साहब को मारा जाय। इसलिये उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय तो हम जांच के लिये तैयार हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय सदस्य ने जैसा लड़की का मामला सुनाया तो हर दृष्टि से उचित यही है कि उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

जब विरोधी पक्ष के और बांदा के सभी एम० एल० एज० एक ही बात को कह रहे हैं तो माननीय मंत्री को इतनी सी बात अवश्य मान लेना चाहिये ।

श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)—

आखिर अधिकारियों को वहां से हटाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर एक पुलिस आफिसर का वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया और दूसरा जो आयेगा तो क्या दूसरा पुलिस की माफिकत नहीं करेगा ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

डायरेक्टली जो कनेक्टेड हैं.....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

बीच में एक साथ इस तरह से बोलना उचित नहीं है । एक एक करके बोलने दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा निवेदन है कि यह बात सही है कि सब पुलिस अधिकारी एक दूसरे से संबंधित होंगे लेकिन यह स्वाभाविक है कि जो सीधे संबंधित होता है वह वहां से हटा दिया जायगा तो दूसरे आफिसर की दिलचस्पी कम हो जायगी । लड़की वाली बात जो उठाई गई है उससे यह मांग उचित है कि उनकी रक्षा तथा मर्यादा के लिये पुलिस आफिसर्स को वहां से ट्रान्सफर कर दिया जाय । इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

करीब करीब सभी माननीय सदस्यों को एक ही बात कहनी है.....

श्री राज मंगल पांडेय—

मैंने दो आश्वासन दिये । एक तो यह कि अगर हम इस बात से संतुष्ट हो जायं कि सी० आई० डी० ने गलत चालान किया है तो हम उस मुकदमें को वापस ले लेंगे । दूसरा आश्वासन यह भी दिया कि निगम साहब जो पाक्षिक पत्र के सम्पादक हैं अगर वे किसी केस में वाटेंड नहीं हैं तो हम देखेंगे कि पुलिस कैसे उनको तंग करती है और उनकी जिन्दगी को खतरा पहुंचता है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

पुलिस किसी दूसरे से कहलवा देगी यह व्यवहारिक बात है ।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, सम्भावनाओं पर ही हम जायेंगे तो सम्भावना यह भी हो सकती है कि जब तक दोनों तरफ की बात न सुनी जाय, मामला उलझ भी सकता है । मैंने निवेदन कर दिया कि कमिश्नर और डी० आई० जी० को इन्क्वायरी के लिये आदेश दे दिये हैं । माननीय सदस्य उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के लिये भी तैयार नहीं हैं । केवल यही सोचते हैं कि इन दो अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाय । मान्यवर, जब तक प्राइमा-फेसी केस हमारे सामने न आ जाय तब तक उन्हें हटाने का क्या औचित्य है ।

*श्री जमुना प्रसाद बोस—

अध्यक्ष महोदय, इस सारी घटना की शुरुआत कैसे हुई वह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। सी०आई०डी० इन्सपेक्टर के लड़के ने इन निगम साहब की लड़की को छेड़ा। उसके बाद जब लड़की ने विरोध किया तो उसने बेल्ट से मारा। यह खबर अखबार में छपी। एक अखबार वाला जब अखबार बांट रहा था तो डी०वाई०एस०पी० ने अखबार वाले को खींचकर मारा और उसे जीप में डाल दिया। वह १ बजे पकड़ा गया था और रात के १२ बजे उसे छोड़ा गया। इसी सिलसिले में वहां पर जितने भी रिपोर्टर हैं उनको बन्द कर दिया गया। उनमें एक टाइम्स आफ इंडिया का रिपोर्टर भी था। उनका केवल कसूर यह था कि उन्होंने वहां के हरिजनों के सम्बन्ध में समाचार दिया था। बांदा में सभी प्रेसों, राज प्रेस, हितकारी प्रेस, महर्षि प्रेस आदि के रिपोर्टरों को कोतवाली में बुलाया जा रहा है। ये ज्यादतियां वहां हो रही हैं। और इनको हटाने के सम्बन्ध में आप कहते हैं कि हम देखेंगे। मान्यवर, बांदा ही एक ऐसा जिला है। जहां से पार्लियामेंट और इस विधान में सारे विरोधी दल के ही लोग चुनकर आये हैं। सारे लोग यही मांग कर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर रहा, आप उन्हें वहां से हटा भी नहीं सकते हैं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यहां पर इतने जिम्मेदार लोग यह बात जिम्मेदारी से ही तो कह रहे हैं। इससे ज्यादा प्राइमा-फेसी और क्या हो सकती है? क्या पुलिस के अधिकारी हमसे ज्यादा बात रख सकते हैं? इतनी सहादत तो आपके सामने मौजूद है कि हर एक एम०एल०ए० आपके सामने कह रहा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों की शिकायतें आने पर तथा अखबार में यह खबर प्रकाशित होने पर उनको वहां से हटाने की कृपा करेंगे?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, माननीय ऊदल जी इस लखनऊ से जिस आफीसर को चाहें कि उन्हें वहां इन्क्वायरी के लिये भेजा जाय तो हम उनके अनुसार ही उस आफीसर को भेज देंगे और चार दिन के अन्दर रिपोर्ट मंगा लेंगे। साथ ही ट्रान्सफर करने की बात तो दूर रही सख्त से सख्त जो भी कार्यवाही हो सकेगी, हम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि एक पक्षीय कार्यवाही करना ठीक न होगा। क्योंकि माननीय सदस्य कोई भी मौके पर मौजूद नहीं थे। वे सब सुनी हुई बात ही कह रहे हैं। वे इसकी जांच तक प्रतीक्षा करें। अगर निगम साहब के साथ या उनकी लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ की जायेगी।

एक सदस्य—

मैं कहता हूं कि मैं उस वक्त मौजूद था (व्यवधान)। उनको मार दिया जायेगा और आपको शहर में पता तक नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब कार्यसूची ८।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अगला विषय लेने और मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों से सन्तुष्ट न होने पर)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

मैं सरकार के इस रवैये के खिलाफ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

मेरठ विश्वविद्यालय में तथाकथित भ्रष्टाचार के संबंध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

आचार्य दीपांकर, अध्यक्ष, मेरठ विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने डा० एस० के० गोस्वामी, रजिस्ट्रार, मेरठ विश्वविद्यालय के विरुद्ध एक आरोप पत्र भेजा है जिस पर मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति से आख्या मांगी गयी है कुलपति की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर मामले में अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

२—मेरठ विश्वविद्यालय में जब डा० आर० के० सिंह कुलपति थे उस समय भी मेरठ विश्वविद्यालय के प्रशासन के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे । तत्कालीन कुलपति ने उन आरोपों के जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया था । उस समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने पर तत्कालीन कुलपति इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ अनिमितताये विश्वविद्यालय में नया एवं कम अनुभवी स्टाफ होने के कारण हो गयी थी, किन्तु वे अनियमितताये किसी भी बदनियती के कारण नहीं हुई थी ।

(वक्तव्य पढ़े जाने के मध्य बांदा जिले के वक्तव्य से असन्तुष्ट होकर सर्वश्री चन्द्रभान आजाद, राम सजीवन व जगन्नाथ सिंह जी भी सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी के इतना कहने के बाद भी आप यदि यह कहेंगे, ऐसा करेंगे तो जैसे सबकी जांच होती है, वैसे इसकी भी जांच होगी, यह उन्हें कहना पड़ेगा ।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरठ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब के खिलाफ जो एक सदस्यीय मदन मोहन जांच कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट क्या है ? मेरी जानकारी में वह रिपोर्ट रजिस्ट्रार साहब के खिलाफ थी, तो उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह तो जानकारी नहीं है कि उस जांच कमेटी में कौन था। लेकिन जो रिपोर्ट आई, उसमें कुलपति ने महसूस किया कि जो अनियमितताये हैं, वे गम्भीर नहीं हैं, साधारण किस्म की है जैसे अनुभवी स्टाफ नहीं था । चूंकि उनमें बड़ी गलती नहीं थी जिसके बारे में कुछ खास कहा जाय । केवल यह कह दिया गया कि भविष्य में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये ।

श्री सत्यपाल मलिक—

मेरा यह निवेदन और मेरी यह जानकारी है कि उसमें जो अयिनमतायें पाई गई हैं, वे गम्भीर थी और वैसी अब भी बहुत सी हो रही हैं,अतः मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि यदि नये सिरे से उनके बारे में लिखकर दिया जाय, तो उनके बारे में जांच कराने को तैयार हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय—

कुछ मर्यादाओं का भी मान्यवर, प्रश्न होता है । रजिस्ट्रार के खिलाफ एक शिकायत आई, कुलपति ने जांच कराई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और उससे कुलपति महोदय इस

निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह कुछ अवश्य थे, लेकिन इतने गम्भीर नहीं थे। उसका कारण अन-एक्सपीरियेन्स्ड आफिशियल्स भी थे। तो उन्होंने कहा इसमें बदनीयती कोई नहीं थी। गैर-अनुभवी स्टाफ के होने के वजह से, उनकी अनएफीशियेंसी की वजह से यह हो गया। इससे जब वाइस चांसलर महोदय ने एक नतीजा निकाला और वह सेटिस्फाई हुये, तो मैं माननीय सदस्य मलिक जी से कहूंगा कि वह स्वयं अब इसको परस्यू न करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

जैसा उन्होंने कहा रिपोर्ट आई थी, हमें जानकारी है, वह रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें बहुत गम्भीर आरोग लगाये गये थे। राज्यपाल महोदय ने उसकी स्वीकृति दे दी थी और वह छपकर पुस्तकालय में भी पड़ी हुई है। तो क्या उन्होंने जो सिफारिश की है, उसको देखकर सरकार कार्यवाही करने की कृपा करेगी। यह आ चुकी हैं, प्रकाशित भी हो चुकी है, और अब तक उस पर कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मैं तो स्वयं बता चुका हूं, कुलपति महोदय एक निष्कर्ष पर पहुंचे। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनियमितता हुई, लेकिन बदनीयती से नहीं हुई, अनएफीशियेंट स्टाफ के कारण थी और कोई चीज नहीं थी।

श्री सत्यपाल मलिक---

वह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। वह उप कुलपति की दृष्टि रख रहे हैं और वह खुद उसका हिस्सा है और वह गड़बड़ी के साथ जुड़ा रहता है। इसलिये सरकार को यह रिपोर्ट देख कर कोई राय देनी चाहिये। क्या मंत्री जी इस चीज के लिये तैयार हो सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद जरूरी होगा तो कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

फिर एक बड़ी द्विविधा पूर्ण स्थिति हो जाती है। चांसलर, एक निष्कर्ष पर पहुंचे उसके बाद हम फिर इनक्वायरी करें, यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है, चांसलर को बहुत बड़ी पाडर्स है।

श्री अध्यक्ष---

चांसलर तो गवर्नर है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

जी।

श्री ऊदल---

उन्होंने प्रकाशित करने का आदेश दे दिया था। प्रकाशित भी हो गयी है।

श्री राजमंगल पांडेय---

प्रकाशित करना तो दूसरी बात है और उनकी अनियमितताओं को गम्भीर न पा कर बोनाफाइडी पाना और इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि अनएक्सपीरिएंस्ड स्टाफ की वजह से हुई, जब चांसलर इस निष्कर्ष पर पहुंचे उसके बाद हमारा इनक्वायरी करना, यह ऐसी चीज होगी जो शोभा नहीं देती।

श्री ऊदल---

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मदनमोहन जी के अलावा क्या उत्तर प्रदेश के महालेखाकार ने इनकी गड़बड़ियों के सम्बन्ध में और वरिष्ठ लेखा संपरीक्षक ने रजिस्ट्रार के भ्रष्टाचार के संबंध में बहुत से उद्घाटन किये हैं, अपनी टिप्पणियों में, क्या उसे मंगवा कर कार्यवाही करेंगे, और नहीं तो हम लिख कर भेज देंगे तब कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय–

माननीय सदस्य अगर कोई चीज लिख कर भेज दें तो चांसलर को भेजने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा ।

श्री ऊदल––

वह गवर्नर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं । कुछ गड़बड़ी बता सकते हैं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)––

इस समय पूरे सूबे में करीब तीन विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर उप कुलपति है ही नहीं । दो तीन जगह उपकुलपतियों से इस्तीफा लिया गया है । मुझे नहीं मालूम कि मेरठ विश्व-विद्यालय में उपकुलपति से इस्तीफा लिया गया या स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया । दूसरे उपकुलपति कब तक भेजेंगे और जो अनिमितितायें पकड़ी गयी हैं उनको दूर करने के लिये क्या-क्या उपाय किये जायेंगे और कब तक दूसरा उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय में भेज दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष––

आखिरी हिस्सा है । मेरठ में वायस चांसलर नहीं है कब तक भेज दिया जायगा ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)––

प्रो० वाइसचांसलर आर० पी० बहादुर ने परसों त्यागपत्र दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष––

इससे उठता नहीं है । जानकारी हो तो बता दें ?

श्री राजमंगल पांडेय––

इसकी जानकारी हमें नहीं है ।

सी० पी० एम० टी० में आरक्षण समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष––

लखीमपुर के विभिन्न प्रदेशों को निर्यात किये गये विषैले अरहर के विषय में खाद्य मंत्री का वक्तव्य ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)––

अध्यक्ष महोदय, एक पी०एम०टी० का भी वादा किया था बयान देने के लिये ।

श्री अध्यक्ष––

मैंने कहा था अगर हो सकेगा तो ।

श्री रामसेवक यादव––

प्रि-मेडिकल टेस्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी और निरस्त हुआ उसके ऊपर बयान देने के लिये वादा किया था २२ तारीख तक ।

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)––

थोड़ी सी भूल हम लोगों की जरूर है, मान्यवर । एश्योरेंस देते हैं । कभी-कभी नजर वहां पहुंचती नहीं । फिर भी कोशिश करूंगा कि सदन उठने के पहले अगर पूरा हो सके तो दे दूंगा ।

लखीमपुर से विभिन्न प्रदेशों को निर्यात की गयी विषैली अरहर के सम्बन्ध में वक्तव्य

*खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

अध्यक्ष महोदय,

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने लखीमपुर से ५,००० बोरों से अधिक अरहर की विषैली दाल मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल आदि प्रदेशों को निर्यात करने तथा उसके प्रयोग से हजारों लोगों को लकवे की बीमारी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहा है कि पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

इस मामले में जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि लखीमपुर जिले से अप्रैल १९७४ से लेकर १९ अगस्त, १९७४ तक रेल द्वारा ९,६६७ कुन्टल अरहर तथा ८६ कुन्टल केसारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों को भेजी गई है लेकिन अन्य प्रदेशों को भेजे जाने की कोई सूचना नहीं मिली यह मुमकिन है कि ट्रक द्वारा खीरी जन-पद से अरहर का निर्यात बिना लिखी-पढ़ी के हुआ । इन मामलों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा कानून के अनुसार उत्तरदायी व्यक्तियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के अदेश दे दिये गये हैं ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अरहर तथा केसारी के निर्यात पर खाद्य विभाग द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । केसारी उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न व्यापारियों को लाइसेन्स देने के आदेश, १९६४ में भी नहीं सम्मिलित है परन्तु प्रोवेन्शन आफ फूड एडल्टरेशन ऐक्ट, १९५४ के अन्तर्गत बने हुए नियम ४४-ए में केसारी चना व केसारी दाल का बेचना व बेचने के लिये रखना वर्जित है । केसारी लखीमपुर खीरी जन-पद में अलग से नहीं बोयी जाती है बल्कि चनें के खेतों में अपने आप पैदा होती है । इसकी खेती विशेष रूप से नैपाल में की जाती है और वहां से यह खीरी जन-पद में अनाधिकृत रुप से लाई जाती है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार इसका निर्यात चना आदि के साथ व्यापारीगण करते हैं । जहां तक कि इस संबंध में कार्यवाही का प्रश्न है जन स्वास्थ्य विभाग, जो इस विषय से संबंधित हैं, ने आवश्यक कार्यवाही की है । उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष १९७३-७४ में उपरोक्त नियम ४४-ए के अन्तर्गत २८ मामले पकड़े गये और कुल १,७८८ बोरे केसारी दाल के तिकुनिया (लखीमपुर-खीरी) के व्यापारियों द्वारा भेजे गये । इन मामलों से संबंधित रिपोर्ट डिप्टी चीफ हेल्थ आफिसर, लखीमपुर खीरी को दिनांक १०-९-७३ को दी गई जिनके आदेशानुसार इन २८ मामलों में न्यायालय में मुकदमें दायर कर दिये गये हैं । न्यायालय के निर्णयानुसार दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी ने इस विषय में स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों को निदेश दे दिये हैं कि केसारी दाल के व्यापार व संग्रहण को रोकने के लिये और अधिक सतर्कता व कड़ाई से काम किया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, वक्तव्य में कहा गया है कि ८८ क्विंटल केसारी दाल प्रदेश के विभिन्न स्थानों को भेजी गई और यह मानते हुये कि इस दाल के खाने से लकवा आदि भयंकर बीमारियां हो जाती हैं तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह देश क विभिन्न स्थान कौन-कौन थे और जब वहां यह दाल पहुंच गई तो क्या प्रकाशन्स बरते गये कि यह दाल खाने के लिये न बेची जाय और लोग इसको खाने न पायें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह कौन-कौन स्थान हैं इसकी सूचना नहीं है । लेकिन वह व्यक्ति जिनका चालान किया गया और मुकदमें चल रहें हैं वह २८ लोगों के नामों की सूची हमारे पास है। माननीय सदस्य ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

यह कहा कि इसके खाने से बीमारियां हो जाती हैं तो इसके लिये क्या व्यवस्था की गई। जहां भेजी गई उसकी सूचना हमारे पास नहीं है। यह नाजायज तरीके से व्यापारी भेजते हैं। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछ कर प्रदेश का भला किया है। भविष्य में इसका ख्याल रखा जाय तथा स्वास्थ्य विभाग सतर्कता से काम ले जिससे अरहर की दाल में मिलावट न हो और फूड एडल्टरेशन में इसका ध्यान रखा जाय कि आइन्दा ऐसा न हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उत्तर में कहा गया है कि इन मामलों से संबंधित रिपोर्ट डिप्टी चीफहेल्थ आफिसर लखीमपुर खीरी को दिनांक १०-९-७३ को दी गई जिसके अनुसार मुकदमें दायर किये गये। दूसरी ओर कहा है कि अप्रैल, १९७४ से अगस्त, १९७४ तक रेल द्वारा ८८ क्विंटल केसारी दाल देश के विभिन्न स्थानों को भेजी गई तो क्या कारण है कि जब १९७३ में सतर्क कर दिया गया था फिर १९७४ में ही दाल क्यों भेजी गई ? दूसरा प्रश्न यह है कि देश के भिन्न-भिन्न स्थानों को यह दाल भेजी गई तो यह कैसे मालूम हुआ और स्थान क्यों नहीं मालूम हुये कि यह कहां कहां भेजी गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, थोड़ा सा सुधार करना चाहती हूं। इसमें एक रिपोर्ट है।

एक्स खीरी से मुरादाबाद	..	६८ कुन्तल,
एक्स खीरी से रसड़ा	..	१६ कुन्तल,
एक्स खीरी से शारदा (लखीमपुर)	..	२ कुन्तल,
योग,	..	८६ कुन्तल।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ऐसी लापरवाही क्यों बरती गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह तो मैंने कहा कि लापरवाही हुई।

श्री अध्यक्ष--

व्यापारी आप से ज्यादा चतुर है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहती हूं कि मैं अधिकारियों को सील्ड नहीं करना चाहती इसको अभी हाल ही में हमारे अधिकारियों ने डिटेक्ट किया। ये सब चीजें स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता बरतने के लिये भेज दी जायेंगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मंत्री जी ने साफ नहीं किया कि जब उन्होंने १९७३ में अधिकारियों को सतर्क किया था तो क्यों १९७४ में ८६ क्विन्टल उन-उन स्थानों पर गयी जिनको अभी मंत्री जी ने बताया और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अब यह बात मेरी नोटिस में आयी है मैं इसको देखूंगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इस मामले की फिर से छानबीन कराकर इसमें दूसरा वक्तव्य देगी ताकि हमको जानकारी हो जाये ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय सदस्य वक्तव्य से ज्यादा कार्यवाही को पसन्द करेंगे । सदन आज उठ रहा है कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मैं कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि यह सिर्फ लखीमपुर खीरी का मामला नहीं है बल्कि तराई के सारे इलाकों का मामला है । इसकी दाल दुकानदार दुकानों में रखते हैं और उस पर लिख देते हैं कि जानवरों के लिये है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह इसके लिये नियम बनायेंगे कि उन दुकानों में यह न रहे और यह मवेशियों के चारे के साथ रखी जाये और खाद्य पदार्थों के साथ न रखी जाये उसकी दाल न बनायी जाये उसकी चूनी बनायी जाये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

गवर्नमेंट आफ इंडिया का रूल है उसमें इसको मवेशियों के लिये भी स्वीकार नहीं किया गया है । जो लोग इसको करते है वह चोरी-छिपे करते हैं, गलत करते हैं, और नाजायज करते हैं ।

इलाहाबाद की युवती निशा पवार की बरामदगी के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है । इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इस बीच यहां आये हुये हैं और कई मंत्रियों से मिले हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर बयान दें ।

*खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

हमने होम सेक्रेटरी से कहा है कि इस सम्बन्ध में जो तथ्य है उनको हमारे सामने रखें और यह भी कहा है कि लड़की की हिफाजत की पूरी व्यवस्था की जाये और मुझे बताया गया है कि एक इन्सपेक्टर मेरठ भेज दिया गया है और उस लड़की के पूरे प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर दी गयी है । मां और बेटी को वहां के प्रोटेक्शन होम में रख दिया गया है और लड़की का कलम बन्द बयान ले लिया गया है, लेकिन उस बयान में क्या लिखा है यह सूचना शासन के पास नहीं है । साथ ही साथ आगे भी उसके बाद जो कुछ कार्यवाही है, जैसा मैंने सदन में आश्वासन दिया है, उसके बाद की जायगी । इस बीच में एक डेवलपमेंट यह भी हुआ है कि उस लड़की की तरफ से एक लिखित पत्र भी मेरे पास आया है और उसमें उस लड़की ने इस बात को डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, लड़की ने अपना कलमबंद बयान भी दिया है । अब उस लड़की ने क्या कलमबन्द बयान दिया है, यह मुझे नहीं मालूम है । अब जब सारे तथ्य सामने आ जायेंगे तभी मैं माननीय सदन और आपको सूचित कर सकूंगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री सत्यपाल मलिक--

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लड़की की जिस चिट्ठी के आधार पर पुलिस अफसर के मेरठ जाने का जिक्र है, उस लड़की की मां इलाहाबाद की वोटर लिस्ट में है । उस लड़की की मां जो वेश्या है कांग्रेस के जो नेता हैं उस वेश्या के पति के तौर पर हैं । माननीय मंत्री जी ने इस बीच लड़की के प्रोटेक्शन की बात की अच्छी बात है लेकिन जो आदमी इनवाल्व है जिसकी वजह से यह सारा मामला हुआ उनके खिलाफ जो आरोप हैं, इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुये क्या कार्यवाही की गई और क्या कार्यवाही की जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, खिलाफ कार्यवाही तो उस वक्त होगी जब शासन के सामने तथ्य पूरे आ जायेंगे ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि प्रोटेक्शन होम में लड़की व उसकी मां को रखकर सारी व्यवस्था कर दी गई है । यह प्रोटेक्शन होम सरकार का ही है । मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख को प्रोटेक्शन होम में वह लड़की लाई गई जो गैर कानूनी तौर पर रखी गई थी और फिर उसका कलमबन्द बयान किस मजिस्ट्रेट के सामने किस तारीख को हुआ ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इसकी तारीख की डिटेल सूचना तो नहीं है । सदन में जिस दिन यह बात उठाई गई थी, तो उसी के दूसरे दिन ही हमारे होम सेक्रेटरी कौल ने उस सिलसिले में कार्यवाही करने की बात की । कल हमें बताया गया कि कलम बन्द बयान भी हो गये हैं ।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, हमेशा ही कुछ ऐसे ही जबाब मिल जाया करते है जिससे इन लोगों को इधर उधर फ्लक्सेबिल बनाने से भाग निकलने की गुंजायश रहती है । कब उनको बेजा हिरासत से निकाला गया और किस तारीख को कलमबन्द बयान किस मजिस्ट्रेट के सामने कराया गया ? क्योंकि कलमबन्द बयान लेने के पहले पुलिस कस्टडी में उसे नहीं होना चाहिये, यह उसका नियम है । तो जब तक यह तथ्य नहीं आते हैं तब तक यह मामला अधूरा रहता है क्योंकि यह बहुत जबरदस्त व्यक्ति का राजनैतिक सत्ता का हाथ है। मैं समझता हूं कि यह न शासन के लिये और न महिला के सम्मान और इज्जत की रक्षा के लिये किसी को बचाने की कोशिश की गई। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, गृह सचिव या किसी से निश्चित तिथि की जानकारी करा लें कि वह किस तारीख को हिरासत से निकाली गयी और किस तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने कलमबन्द बयान दी ? जो कलमबन्द बयान हुआ वह भी आप दिलवा दें अध्यक्ष महोदय ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह लड़की अपनी मौसी के पास थी । वहां से मां बेटी को प्रोटेक्शन होम में ले जाया गया है । वहीं से कलमबन्द बयान भी हो गये हैं ।

श्री सत्यपाल मलिक--

मान्यवर, लड़की की यह शिकायत थी कि उसकी मां उसको गलत पेशा करने के लिये मजबूर कर रही है । मां इलाहाबाद में है कि उसे मेरठ लाया गया है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं नहीं जानती । जितनी बात अभी आई: उसमें तो यही बताया गया कि लड़की को और उसकी मां को प्रोटेक्टिव होम में रखा गया ।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, इसके तथ्यों पर एक बयान दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष—

बयान तो आज हुआ है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, पता चला है कि इलाहाबाद के कांग्रेस कमेटी के नेता माननीय मंत्री जी के यहां कई बार आये थे । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बार आये और क्या यह पत्र उन्हें नेता जी द्वारा मिला या डाक द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी

डाक से मिला है ।

श्री सत्यपाल मलिक—

यहां उसकी मां को भी परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं कि या तो मान जाओ वरना हम तुम्हें इलाहाबाद में रहने नहीं देंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन् कुछ दिन पूर्व माननीय खाद्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि हम शादियों के लिये चीनी और घी देंगे । अब जो शादियां हो रही हैं, उनको न तो घी मिल रहा है और न ही चीनी मिल रही है । शादियां अगस्त, में हुई, सितम्बर में भी होने जा रही हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरा प्रश्न है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

जो आज कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं, अगर वे स्वीकार भी किये जांय तो उन पर कैसे कार्यवाही हो सकती है । आज ४ बजे से ६ बजे तक तो आपका ही कार्य हो जाता है, एक तो संख्या भी नहीं है । ४० की होनी चाहिये, आप भी घर जाने की तैयारी में हैं । अगर किसी प्रस्ताव को माना भी जाय तो उस पर बयान नहीं हो सकता है क्योंकि बयान दिलवाने का वक्त नहीं है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने और एक साथ बोलने पर)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं काम रोको प्रस्ताव ३ दिन से दे रहा हूं, आपसे आग्रह है कि आप उसे पढ़ने दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

यह इतना मोटा है जो लिखा गया, इस पर यदि आप आग्रह न करें तो ज्यादा अच्छा होगा यह हो सकता है कि इसको शासन को भेज दिया जाय। और तो कुछ हो नहीं सकता है। (कार्यसूची ११ के लेने पर) (व्यवधान)

जितने भी सवाल आये हैं अगर उनमें से एक भी स्वीकार किया जाय तो भी वक्तव्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अब समय नहीं है। आज तो आप जा रहे हैं।

(अत्यधिक शोर)

तो ठीक है जितने भी आज प्रस्ताव आये हैं, उन सब को मैं शासन के पास कार्यवाही के लिए भेज देता हूं। बस यही हम कर सकते हैं। कल विधान सभा नहीं होगी। कार्यवाही के लिए मैं सब भेज दूंगा, आखिरी दिन इतने आते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

उनका कार्यकाल समाप्त हो गया १७ को, राजनैतिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष —

आप कृपापूर्वक बैठें। आपका कार्य जैसा अब तक चला है प्रेमपूर्वक वैसा चलने दें।

(अनेक विरोधी पक्ष के सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

जो बोलेगा वह नहीं लिखा जायगा। मैंने कह दिया कि सबको कार्यवाही के लिये भेज दूंगा।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७४†

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

इस संशोधन को इसलिये लाने की आवश्यकता पड़ी (व्यवधान)

श्री रामआधार (जिला आजमगढ़)—

आगरे में पी०ए०सी० ने हिन्दू मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया। इस सवाल पर आपने स्वीकृति दी थी, कौंसिल में बयान आ चुका है।

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

आपने इतने महत्वपूर्ण...मैं ५ मिनट के लिये बहिर्गमन कर रहा हूं।

(श्री मोतीलाल देहलवी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम अधार—

...आपके इस अन्याय के खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूं...

(राम अधार सदन त्याग कर चले गये)

---

†२१ अगस्त, १९७४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

अभी अभी माननीय मंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको सदन का कोई भी माननीय सदस्य सुन नहीं सका है ।

श्री अध्यक्ष—

बाद में वह जवाब दे देंगे ।

*श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट १ माह में दे दे ।

श्रीमन्, यह जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है । आज आपने देश और प्रदेश के अन्दर चल-चित्रों के माध्यम से जो नैतिक पतन हो रहा है उसके बारे में हमारी सरकार बिल्कुल उदासीन है । आज जो भी चल-चित्र छवि-गृहों में प्रदर्शित किये जा रहे हैं उनमें से अधिकांश में ९५ प्रतिशत तक कहूंगा ऐसे हैं, जो चारित्रिक दृष्टि से हमारे देश को तरुणाई का निरन्तर पतन कर रहे हैं।

(इस समय १ बजकर ५१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

परन्तु इस संशोधन विधेयक के अन्दर इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इस विधेयक के द्वारा ऐसे चल-चित्रों पर रोक लगाने की कोई बात होती तो हम इसका स्वागत करते । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार दिन प्रति दिन गिरते हुए नैतिक स्तर की ओर बिल्कुल उदासीन है । इस सिलसिले में मुझे एक महान लेखक का एक कथन याद आता है । सैमुअल इस्माइल ने कहा था कि "इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट सर्थिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट आल एज लास्ट" । यदि धन की हानि होती है तो कोई हानि नहीं होती, स्वास्थ्य की हानि होती है तो कुछ हानि होती है परन्तु यदि चरित्र की हानि होती है तो सर्वस्व की हानि हो जाती है । मैंने कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था कि कलकत्ते के एक बैंक में डकैती पड़ी और जब उसके अभियुक्त को पकड़ा गया तो उसने यह स्वीकार किया कि बैंक डकैती के सिलसिले में एक चल-चित्र को १६ बार देखने के बाद उसने डाका डाला था ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

२ बजे तक कोरम की बात नहीं होती और जैसा आप जानते हैं, आज चुनाव भी चल रहा है । २ बजे तक यह प्रश्न न उठायें तो अच्छा हो ।

श्री अवधेश कुमार—

हमारे नवयुवक ऐसे चल-चित्र देखते हैं और उनका नैतिक स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है । मुझे भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी की वह बात याद आ रही है जबकि उन्होंने राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात कहा था और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि छविगृहों के नैतिक स्तर को ऊपर उठाने में एक महत्वपूर्ण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अवधेश कुमार—

ध्यान है और वे इस दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो...

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसीलिये यह विधेयक लाया गया है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि जो नैतिक स्तर को गिराने वाला है या अन्य कोई गलत काम करता है तो पहले हमको उसका लाइसेंस कैन्सिल करने की पावर्स नहीं थीं। अब वही पावर्स हम ले रहे हैं। आपकी शिकायत पर पहले हम सस्पेंड भी नहीं कर सकते थे बिना स्पष्टीकरण लिये हुए, अब वह पावर्स भी ले रहे हैं।(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार—

मैं माननीय मंत्री जी का इसके लिये आभारी हूं, मगर इस विधेयक में जो त्रुटियां हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें अनेकों त्रुटियां रह गयी हैं। इसमें खंड २(१) के खंड (क) के पश्चात् एक खंड(कक) बढ़ाया जा रहा है। इसमें जो लिखा है इसको पढ़ने से सरकार की नीयत पर ही शंका मालूम होती है। आप इसे देखें तो इसमें (कक) (१) में २०० मीटर की दूरी रखी जा रही है, किन्तु सब-क्लाज(२) देखें जो उसके बाद है, कोई दूरी नियत नहीं की गयी है और उसको सरकार ने अपने हाथ में रखा है। इस खंड में भी खंड(१) की तरह दूरी नियत करने में सरकार को क्या कठिनाई थी? यह सरकार ने अपने हाथ में क्यों रखा है। साथ ही सब क्लाज(२) में उपासना गृहों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज देखने में यह आ रहा है कि शहरों के अन्दर बड़ेले से छविगृह बनते चले जा रहे हैं। उनके प्रदर्शन के लिये राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस भी दिये जा रहे हैं। उनको लाइसेंस दिलाने में आज अनेकों लोग सहयोगी बन रहे हैं और इस तरह से यह एक भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया है।

मैं आपके सामने, अधिष्ठाता महोदय, गोरखपुर नगर का एक उदाहरण रखना चाहता हूं। यहां पर एक भगवती प्रसाद कन्या इंटर कालेज है। उसी विद्यालय के ठीक बगल में एक तरंग सिनेमा गृह का निर्माण हुआ है यह नया सिनेमा गृह खुल रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भगवती प्रसाद इंटर कालेज के जो मैनेजर हैं और जो "तरंग" थियेटर के मालिक हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं और संयोगवश वे कांग्रेस के सदस्य भी हैं और इसलिये उन्होंने कन्या विद्यालय के बिल्कुल सटे हुए अपने छविगृह के लिये लाइसेंस प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और ठीक उस कन्या विद्यालय के बगल में ही यह छविगृह ९ बजे दिन में शुरू हो जाता है। छबि गृह के चलने का समय ९ बजे से लेकर १ बजेतक का हो गया है। इस छविगृह में हमारे स्कूल के बच्चे अपने स्कूल को छोड़कर दोपहर में सिनेमा देखने चले जाते हैं। अगर स्कूल में जाकर हमारे मंत्री महोदय देखें तो बहुत से बच्चे अपने दर्जे से गायब मिलेंगे और वे सिनेमा गृह में उपस्थित पाये जायेंगे। इसमें क्या दिक्कत थी अगर इस संशोधन विधेयक के द्वारा यह भी लाया गया होता कि छविगृहों में मैटिनी शो छुट्टी के दिने में ही चलेगा। और १ बजे से ३ बजे तक या ४ बजे से ६ बजे तकके मैटिनी को बन्द करने की व्यवस्था की जाती मैं जानता हूं और यहां पर जो सदस्यगण बैठे हुए हैं वे सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले यह मैटिनी शो प्रत्येक दिन नहीं चला करता था, वह केवल छुट्टियों के दिन ही चला करता था लेकिन अब यह छूट दे दी गयी है कि इन छविगृहों में चलचित्रों का प्रदर्शन सभी दिन ९बजे से लेकर रात के १ बजे तक किया जायेगा। तो ये छविगृह आज भ्रष्टाचार को बढ़ाने में बड़े उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से

निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में कुछ विचार करें ताकि तरुण वर्ग का नैतिक स्तर गिरने न पावें।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी आपने व्यवस्था दी थी कि दो बजे के बाद कोरम के प्रश्न पर ध्यान दिलाया जाना चाहिये। तो अब मध्यान्ह का भोजन समाप्त हो चुका है तमाम लोग भोजन कर चुके हैं, ऐसी दशा में अब तो कोरम पूरा होना चाहिये ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप शुरू करें । संक्षेप में कहें क्योंकि ३ बजे तक इस बिल को पारित करना है ।

श्री अवधेश कुमार--

मैं दो तीन मिनट में ही अपनी बात खत्म कर लूंगा ।

दूसरी बात मैं सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि इस संशोधन विधेयक द्वारा सरकार अपने हाथ में ऐसे अधिकार प्राप्त करना चाहती है जिससे सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की खुली छूट मिल जायेगी । और इसीलिये मैंने निवेदन किया कि खंड २ और उपधारा (२) में उपासना गृह अस्पताल आदि बातें छूट गयीं हैं । इसमें सरकारी कर्मचारियों को इस बात की गुंजाइश रहेगी कि वह अपनी इच्छा पूर्वक जिसको चाहेंगे लाइसेंस देंगे और जिसका लाइसेंस चाहेंगे, रोकेंगे ।

दूसरी बात यह है कि जिधर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । धारा ७ के संशोधन में आपने कहा है कि निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें अर्थात्:--

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा ५ के अधीन कोई लाइसेंस दिया गया हो, तो उसे . . .

राज्य सरकार द्वारा, जहां लाइसेंस सरकार ने या लाइसेंस प्राधिकारी ने दिया हो,

लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, जहां लाइसेंस ऐसे प्राधिकारी ने दिया हो, लोकहित में निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है ।

तो इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अधिकार सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है इससे जो भ्रष्टाचार की सीमा है वह और बढ़ेगी । यह ऐसा प्राविधान इसमें किया गया है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक के अन्दर इस बात की स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिये थी कि किन-किन बातों के होने पर, किन-किन कंडीशंस को पूरी न करने पर लाइसेंस नहीं दिया जायेगा और प्रारम्भ में ही अच्छे तरह से छानबीन करने के बाद ही किसी को लाइसेंस दिया जायेगा।

जहां तक कैंसिल करने की बात है, इसमें एक कैंसिल करने का क्लाज रखा गया है वह ऐसा है जिससे इस अधिकार का दुरुपयोग सरकार या सरकार के अधिकारी कर सकते हैं । इसलिये मैं अपनी बात पूरी करते हुए सदन से निवेदन करूंगा कि मेरा प्रस्ताव जो इसे प्रवर समिति में भेजने का है उसको सदन स्वीकार करे।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कम शब्दों में ही अपनी बात कहें क्योंकि ५-७ मिनट ही माननीय सदस्यों के लिए हैं ।

बाबा राम नाथ--

मान्यवर, यह सरकार जब कोई पाप कर चुकती है तो उस पाप को छिपाने के लिये बाद में पुन्य करती है । शायद इसलिये कि किसी को लाइसेंस देने में जो गल्ती हो गयी है उनको दूर करने के लिये ही यह विधेयक यह सरकार लायी है । पहले सरकार को इस बात के लिये क्षमा मांगनी चाहिये कि उसने ऐसी गल्ती क्यों की है ।

मान्यवर, कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं । मान्यवर, किसी फिल्म का स्वरूप कैसा है, वह अच्छी है या बुरी है इस बात को देखने का चल चित्र प्रमाणित करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है । इसके बारे में हमारी सरकार कुछ आर्डर नहीं कर सकती है । किसी फिल्म का मारेल क्या है यह देखने का अधिकार हमको नहीं है । कोई फिल्म चाहे लखनऊ में या कानपुर में या मैनपुरी या किसी जगह पर चल रही हो उसके सर्टीफिकेशन का अधिकार हमारे पास नहीं है । फिल्म चाहे कैसी हो । अगर कोई कदम इस तरफ उठाया जाता, यह कहा जाता कि हमको फिल्म की अच्छाई बुरायी को जांचने का अधिकार मिलना चाहिये तो उचित होता । लेकिन इस सवाल को लेकर कुछ नहीं उठाया गया है।

आप जो यह लाये हैं इससे ऐसा लगता है कि शायद किसी को लाइसेंस दे दिया गया है । किसी ने खूंटा गाड़ लिया है। उस खूंटे को उखाड़ने के लिये ही आप यह विधेयक लाये हैं । किसी खास जगह पर सिनेमा बनाया जा रहा है जिसको आप नहीं चाहते है उसको बंद करने के लिये ही आप यह विधेयक लाये है ।

मैं कहता हूं कि विधेयक में गल्ती रह गयी है। जो सार्वजनिक स्थान है उनमें से मंदिर, मस्जिद आदि को जोड़ दिया जाना चाहिये । आप उद्देश्य और कारण में यह कह रहे हैं कि--

'प्रमुख सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं तथा इसी प्रकार के अन्य भवनों से न्यूनतम दूरी के भीतर सिनेमा-गृह के लिये अनुज्ञा न दी जाय।'

मान्यवर, इसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च जो ऐसी ही चीजें है, इन तमाम स्थानों को जोड़ा जाय । ताकि भविष्य में आपको कोई नया विधेयक इनके लिये न लाना पड़े । इसलिये मैं समझता हूं कि आपको इसमें इन स्थानों को भी जोड़ना चाहिये। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिनेमा का जहां तक सवाल है कोई ऐसी उपयोगी इंडस्ट्री साबित नहीं हुई जिससे प्रांत या देश में मारल आगे बढ़े । तो सरकार को चाहिये कि भविष्य में नैतिक दृष्टिकोण से कि कौन सा ऐसा खेल है जो कि यहां पर प्रदर्शित किया जा सकता है और जो लिस्ट केंद्रीय सरकार को समर्पित की जाती है उसके बारे में प्रांतीय सरकार से पूंछना चाहिये कि फलां प्रांत के लिये वह खेल अच्छा है या नहीं । जो नैतिक पतन हो रहा है उसको भविष्य में इस प्रकार रोका जा सकता है । यह मेरा सुझाव है । इस ऐक्ट में और पुराने ऐक्ट में कोई फर्क नहीं है । सन् १९५५ का जो ऐक्ट हैं उसके सेक्शन-५ के अन्दर जो रिस्ट्रिक्शन की बात कही गयी है उसमें तबदीली की जानी चाहिये । सेक्शन-५ मैं समझता हूं कि उसके अन्दर कोई ऐसी कमी नहीं थी कि यह बहस चलती जबकि पचासों अध्यादेश बिना बहस जारी हो जाते है तो इसमें भी बहस की जरूरत नहीं थी । यह सेक्शन पहले से ही रिस्ट्रिक्ट करता है । यदि इसको देखा होता तो यह समस्या हमारे सामने नहीं आती। जो इस विधेयक को लाये हैं और जो गैर जिम्मेदारी से लाइसेंस दे दिये जाते हैं उनको रोका जाय।

किस तरीके से गड़बड़ी होती है, उनका कहां से अटैचमेंट होता है यह देखने की बात है । इसमें आफिसर तथा मिनिस्टर पहले इन्टरेस्टेड होते है । वे पहले तो उस कार्य को कर देते है और बाद में मामला हाई कोर्ट या विधान सभा में चला जाता है । मान्यवर, भविष्य में ऐसी प्रवृत्ति को रोकना चाहिये । इस तरीके से जो खराब बात होती है उसको रोकना चाहिये जिससे कि भविष्य में जो रिजनेबिल चीजें है उन पर बहस हो सके।

श्री दया किशन पांडेय (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । यह जो विधेयक बनाया जा रहा है उसके पीछे कतई ईमानदारी नहीं है । दरअसल मामला यह है कि यहां पास में एक सिनेमा हाल बन रहा है । यह सिनेमा हाल जिसे प्रतिभा सिनेमा हाल कहते है उसको जिला मैजिस्ट्रेट ने इजाजत नहीं दी थी । उसके बाद सिनेमा हाल के मालिक ने अपील सरकार में की और सरकार ने अपील को बहाली देकर हाल बनने की इजाजत दी थी । फिर लोगों ने सरकार से कहा कि इस हाल को एक्वायर कर लिया जाय और एक्वीजीशन का एक नोटिस भी मालिकान को चला गया । नोटिस जाने के बाद यह देखा गया कि यह सिनेमा हाल जो है वह सरकार के किसी काम लायक नहीं है पर कहा गया कि इसकी जरूरत पुस्तकालय के लिये है । परन्तु देखा गया तो वह पुस्तकालय के लिये उपयोगी नहीं पाया गया । तो यह विधेयक इसलिये लाया गया है ताकि इसके मालिक को लाइसेंस न दिया जाय और इस हाल को इस तरीके से खराब कर दिया जाय जिससे कि मिट्टी के मोल सरकार इसको एक्वायर कर ले । इसी तरह की दूसरी चीज इलाहाबाद में हो रही है । हर विधेयक के लिये यह जरूरी है कि विधेयक एक स्वच्छ नियत से लाया जाय बदनियती से न लाया जाय । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि एक महीने का टाइम दिया जाय ताकि इस पर सभी लोग मोरेलिटी को सामने रखकर, ताकि किसी आदमी को परेशानी न हो, इस नियत से विचार कर सकें । जब तक कि आपकी स्टेट कम्युनिस्ट स्टेट नहीं बन जाती तब तक के लिये यह जरूरी है कि हर मारल प्वाइंट आफ व्यू से और हर ऐंगिल से हर विधेयक को देखें कि इसके पीछे कितनी ईमानदारी है और कितनी बेईमानी । अगर सरकार बदनियती से विधेयक को लाई है तो हमारा परम कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे विधेयक को न आने दें और यदि कोई विधेयक लाया जाता है तो जनता के लिये यह हक हो जाता है कि उसको इतना मौका मिलना चाहिये कि उसके जो रिप्रजेंटेटिव्ज है और जो जनता के नुमाइंदे कहलाते है, वे सोच विचार कर हर मारल प्वाइंट आफ व्यू से, हर ऐंगिल से लोगों को बता सकें कि हमने बेईमानी की नियत से इस विधेयक को पास नहीं किया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय दयाकृष्ण पांडेय ने इस बिल के बारे में जो आपत्ति पेश की है उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है । अगर किसी खास सिनेमा को रखकर, इसलिये कि उसको लाइसेंस गलती से दे दिया गया है, उसको कैंसिल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है तो यह सवाल कि हर बिल के पीछे ईमानदारी और नेकनियती को जोड़ देना जरूरी नहीं है, इस पर हमारे अपने चरित्र की क्या चर्चा होगी, इस पर भी विचार करने की जरूरत है । मैं नहीं समझाता कि क्या जरूरत है इस बात की कि सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि इस सदन से कितनी दूरी पर सिनेमा बने और कितनी दूरी पर सिनेमा न बने, बल्कि सदन को यह बिलकुल साफ मालूम होना चाहिये कि सदन से जितनी दूरी पर सिनेमा है उसको लाइसेंस देना चाहिये अथवा नहीं, इसका विचार नहीं सदन में होना चाहिये और सरकार पर यह बोझ नहीं डालना चाहिये, ताकि जैसा दया कृष्ण जी ने कहा कि सरकार को बेईमानी का मौका मिले.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

एक भ्रम हो रहा है । इनका कहना यह है कि जो पुराना ऐक्ट था उसमें सरकार को पावर आफ कन्सिलिएशन नहीं थी तो पावर आफ कैन्सिलिएशन के लिये यह बिल लाया गया है । इस पर आप कहें.....

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

इस पर मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि लाइसेंस के कैन्सिलिएशन का अख्तियार सरकार को न दिया जाय । इस सदन के करीब जो सिनेमा बन रहा है उसको लाइसेंस देने का अधिकार इस सदन को दे दिया और अगर कैंसिल करना है तो वह भी अधिकार सदन को होना चाहिये। क्योंकि हमें यहां आंख बन्द करके नहीं बैठा रहना चाहिये कि हमने सरकार को कैंसिल करने का अधिकार दे दिया और चले गये । बहुगुणा जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि इस बात की सरकार को सफाई देनी चाहिये कि उनका इरादा उस सिनेमा के बारे में क्या है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

हमारा इरादा किसी एक सिनेमा के लिये नहीं बल्कि कोई भी सिनेमा जो सेक्रेटेरिएट से २०० मीटर के अन्दर हो या पब्लिक सर्विस कमीशन से २०० मीटर के अन्दर हो या और भी संस्थायें जो कि इस बिल में गिनायी गयी हैं उनसे २०० मीटर के अन्दर हो तो उनके लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार गवर्नमेंट को हो । दूसरी बात यह कि कहीं अगर लाइसेंस दिया है और सब्सीक्वन्टली मालूम हो कि उससे न्युसेन्स है तो सरकार को लाइसेंस कैंसिल करने का राइट होना चाहिये । तीसरी बात यह कि किसी माननीय सदस्य ने यह कमेंट किया कि सिनेमा से जन जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है तो सरकार को लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार होना चाहिये और वह अधिकार तब हो जब कि पहले उसकी भी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप तो सारे सूबे के लिए अधिकार लेना चाहते हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय--

जी हां । केवल एक जगह के नहीं ।

बाबा राम नाथ--

यह तो ठीक है। लेकिन इनको पहले कैसे लाइसेंस दिया यह प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मंत्री जी जिस प्रकार सफाई दे रहे हैं इसी से शुबहा और बढ़ रहा है । आप पूर प्रान्त के लिये अधिकार ले रहे हैं, वह अधिकार कहां तक दिया जाय तो उस पर बहस होगी लेकिन यहां जो सवाल है कि इस सिनेमा का लाइसेंस रहे या नहीं तो उसका फैसला सदन में ही हो जाय तो यह सदन की मर्यादा के अनुकूल होगा । यह २०० मीटर के नजदीक है और इसके लिये पिछली सरकार ने लाइसेंस दिया तो उसके बारे में आपका क्या रवया है वह साफ होना चाहिये । पहले उसको क्यों लाइसेंस दिया गया और अब आप कहते हैं कि नहीं दिया जाना चाहिये तो अगर वह आपके ऊपर, सरकार के ऊपर डैमेजेज क्लेम करेगा तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। अब रहा यह कि सिनेमा से बुरा असर पड़ता है, न्युसेंस पैदा होती है इन शिकायतों पर लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार आपके पास रहेगा तो इससे लोगों में भ्रम पैदा होगा । कितने मेम्बर शिकायत करने वाली बात का दुरुपयोग करेंगे, कितने मिनिस्टर

दुरुपयोग करेंगे यह भी विचारने की बात है । अगर इन चीजों से जनता में आशंका उत्पन्न हुई तो इससे आपकी जनवादी परम्परा को ठेस पहुंचेगी । अगर आप किन्हीं बुनियादी बातों पर तय करें कि लाइसेंस कैंसिल होगा तो कोई शिकायत नहीं होगी जैसे आप सीधे सीधे कहें कि अगर कहीं दंगा फसाद होता है या गलत लोग आते हैं तो उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे । यह बातें आप कहें । लेकिन अगर आज लाइसेंस दें और कल कैंसिल करें तो यह सरकार की शान के खिलाफ है । दयाकिशन पांडेय जी ने कहा कि कम्युनिस्ट सरकार होगी तो किसी बिल में नैतिकता नहीं होगी । वह बहुत पुराने कम्युनिस्ट रहे हैं और वह अब कुछ बदल गये हैं पता नहीं सी०बी० गुप्ता ने उनको क्या पढ़ा दिया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मैं चाहता हूं कि इस पर बहस मुख्य मंत्री जी के सामने हो और सौभाग्य से वह यहां हैं यह बहुत अहम् मसला है ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

आपकी क्या राय है यह भी बतलाते चलें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

नहीं रहना चाहिये लेकिन जिन लोगों ने लाइसेंस दिया था उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वह अलग बात है ।

*श्री त्रिवेणी सहाय---

श्रीमन्, पुराना ऐक्ट १९१८ में बना था । फिर रूल्स बने थे और ५१ में अमेंड हुए । नियमों में प्राविजन्स थे कहां सिनेमा बन सकता है और कहां कहीं बन सकता है और उन जगहों का उल्लेख नियमों में है जहां सिनेमा नहीं बन सकते । वह इस प्रकार है:--

any recognised educational institution (other than primary school) or any residential institution attached thereto ; or
a public hospital with an indoor patient ward for 25 or more patients ; or
any other institution which the Government may consider necessary in public interest to declare for this purpose.

इन क्लाजेज के अलावा अब आपने एक नया क्लाज जोड़ा है जो इस प्रकार है:"राज भवन, राज्य सरकार के सचिवालय, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग या राजस्व परिषद् से कम से कम २०० मीटर की दूरी पर स्थिति है" मुद्दत से आप देखते है कि सचिवालय के करीब कोई सिनेमा नहीं था । अब यह एक नया सिनेमा "प्रतिभा टाकीज" बन रहा है । लेकिन आप देखें कि पुराने रूल्स में नियम क्या है वह नियम यह है कि ७५ मीटर के अन्तर्गत कोई सिनेमा नहीं बन सकता । यह एग्जिस्टंग रूल है और उसके तहत उस सिनेमा के मालिक ने सरकार को एप्लाई किया कि उसे लाइसेंस दे दिया जाय। सरकार को जो चिट्ठी उसने लिखी और सरकार ने जो फैला दिया उसकी कापी मैं आपको दे सकता हूं । मैं उसे पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है --संयुक्त सचिव, मा० राज गोपाल का यह आदेश है । संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

बोस-पी० १६ १९६९ सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १४-५-१९७१ की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश सरकार सामान्य प्रशासन विभाग संख्या बोस०पी० १६ १९६९ स०प्र०वि०, लखनऊ, दिनांक १४ मई, १९७१। पहले डी०एम०ने इस सिनेमा मालिक के प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर दिया था । लेकिन बाद में उपरोक्त आदेश संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया जो इस प्रकार है "अतएव राज्य सरकार श्री मोहन लाल सेठ को अपील स्वीकार करती है तथा जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ का आदेश दिनांक, १४ अक्तूबर, १९६९ को निरस्त करती है और जिला मैजिस्ट्रेट को आदेश देती है कि श्री सेठ को प्रस्तावित स्थल पर सिनेमा गृह निर्माण की अनुमति प्रदान कर दें तथा सिनेमा गृह के नक्शे पास करते समय यह सुनिश्चित करे कि सिनेमा गृह ध्वनि नियंत्रित हो, पार्किंग के लिये उसके अन्दर पर्याप्त स्थल हो, गाड़ियों के आने-जाने से यातायात का अवरोध न हो तथा जनता के लिये अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध हों ।"

इस आदेश के बाद दूसरा आदेश हुआ जो कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट लखनऊ के यहां से प्रेषित हुआ । संख्या (३५०) मनोरंजन कर, दिनांक २० मार्च, १९७२ । विषय-मेजर बैंक रोड, लखनऊ पर स्थित जमीन पर नये सिनेमा हाल भवन का निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र । संदर्भ के लिये उपयुक्त विषय पर कृपया अपना प्रार्थना पत्र दिनांक ६ जनवरी, १९७२ देखें । आपको मेजर बैंक रोड स्थित जमीन पर नये सिनेमा के निर्माण को स्वीकृत निम्न शरतों पर दी जाती है यह स्वीकृति एन०एन० गुप्ता, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-प्र० नगर क्षेत्र,लखनऊ के हस्ताक्षर से दी गयी है। फिर तीसरा आदेश बिजली के लिये है । संख्या २६६४, एल०सी० ७४(२३)पी-४, दिनांक १९ मार्च, १९७४ को श्री एम०सी० जफा, अनु-सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित-पत्र है जो रेजीडेंट इंजीनियर लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ को लिखा गया है ।

विषय सर्वश्री प्रतिभा चित्र मंदिर, रायल होटल के पीछे, मेजर बैंक्स रोड,लखनऊ विद्युत् शक्ति की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सर्वश्री प्रतिभा चित्र मंदिर, मेजर-बैंक्स रोड, लखनऊ को सिनेमा की प्रोजेक्टर मशीन चलाने तथा रोशनी व पंखों के लिये ३५ किलोवाट विद्युत् की आवश्यकता है । इनके कार्य की आवश्यकता को देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस पार्टी को प्रोजेक्टर मशीन चलाने के लिए १० किलोवाट तथा रोशनी व पंखे के लिए २५ किलोवाट विद्युत् शक्ति यथासम्भव शीघ्र उपलब्ध करा दी जाय ।

तो मान्यवर, इन चिट्ठियों को देखने के बाद, इन शासनादेशों को देखने के बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि हम नया प्राविधान कर रहे हैं। इसी सदन में इसी सिनेमा के बारे में प्रश्न भी उठे थे । इस ऐक्ट के अन्तर्गत उसके कैन्सीलिएशन की कोई चर्चा नहीं है। आप कहते हैं कि विधान सचिवालय के आस-पास दो सौ मीटर तक कोई सिनेमा नहीं बनेगा। मैं कहता हूं कि क्या आपका यह आदेश और सिनेमा गृहों पर लागू नहीं होगा? या इस सिनेमा गृह पर लागू नहीं होगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जरूर लागू होगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

आप तो हमेशा से ही जन विरोधी कार्यों के करने के हामी रहे हैं । मेयोहाल के बारे में इस सदन में चर्चा हो चुकी है। मैं आपसे पूछता हूं कि लालबाग के सिनेमा पर आपका

यह ऐक्ट लागू होगा? डाकखाने पर लागू होगा ? अस्पताल पर लागू होगा? कैपिटल सिनेमा पर लागू होगा? ऐसे हिन्दुस्तान में कितने ही सिनेमा गृह हैं जो कि आपके इस ऐक्ट के तहत आ जाते हैं । आपने शराब की दुकानों के बारे में भी यही कहा था। प्रदेश में और देश में कितनी शराब की दुकाने ऐसी हैं जो स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों, मंदिरों और मस्जिदों के पास बनी हुई हैं। उनके बारे में आपने क्या किया? आपने आज तक एक भी दूकान बन्द नहीं करायी। मैं तो सोच यह रहा था माननीय मुख्य मन्त्री जी बड़ी सूझ-बूझ के आदमी हैं, समझेंगे, हमारी बात सुनेंगे। एक सप्ताह पहले ही मैंने इस प्रतिभा सिनेमा को देखा था? २० लाख रुपया इस सिनेमा गृह में अब तक लग चुके हैं। साढ़े छः सौ सीटें ऊपर बालकौनी में बन गई हैं। मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन से व्यक्ति का है। लेकिन इसी तरह से आप इसे करेंगे । जैसा कि आपने १० वोट पड़ गए और एक वोट के लिए आपने यहां से तार कर दिया.....(व्यवधान) अगर आप इसी तरह से काम करते चले जायेंगे तो आपके पाप नहीं छिपेंगे, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा बल्कि वह और ज्यादा बढ़ जायगा । मुख्य मन्त्री जी यहां पर उपदेश देते रहते हैं। मैं उनके उपदेशों को फालो भी करता हूं। अच्छे कार्यों में आप हमारा समर्थन लें। आप इससे लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार सदन से ले रहे हैं और राज मंगल जी के कन्धे पर बन्दूक रखकर उसे दवाना चाहते हैं। दुख इस बात का है वह इधर ही लगती है। वह उधर ही लगे तो अच्छा है। तो फिर से मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके दिमाग में यह बात है कि पूंजीपतियों को मारा जाय, मैं यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान में किसी गरीब आदमी का सिनेमा गृह नहीं होगा पुंजीपतियों के ही सिनेमा घर होते हैं लेकिन कानून बनाकर किसी एक आदमी को मारने की आप बात करेंगे तो ऐसे हिन्दुस्तान में पचासों सिनेमा गृह होंगे जैसा कि मैंने बताया कि लालबाग में जो सिनेमा है, कैपिटल है, वहां पर अस्पताल है, डाकखाना है, उसे बन्द करवा देंगे? मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आपने हमारा आज तक एक भी प्रवर समिति में जाने वाले प्रस्ताव को नहीं माना है, इसे तो कम से कम मान लें। इसमें आपका आहवान छिपा है और उसी के तहत आप इसे मान लें। इस पर विचार हो जाय और इस पर...

श्री राज मंगल पांडेय--

पहले से हमको मालूम हो जाय कि एक किसी बिल को प्रवर समिति में भेज देने से माननीय सदस्य खुश होंगे तो हम उन्हें खुश करें, ऐडवांस में वह हमें बता दें तो इस रूप में हम सोचेंगे।

श्री अधिष्ठाता (श्री त्रिवेणी सहाय से)--

ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पर मन्त्री जी विचार कर रहे हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

यह जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि शिक्षा संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों में से २ सौ मीटर की दूरी पर आइन्दा से सिनेमा गृह नहीं बनेंगे। लेकिन यह आगे के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके पहले जो बन गए हैं उनका क्या होगा, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि मैं ठीक जानता नहीं, लोग अदालत में जायेंगे तो क्या होगा? सरकार को इस पहलू को ठीक से देख लेना चाहिए। अब एक दूसरी बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज सारे प्रदेश में जो सिनेमा हैं, उन सिनेमा गृहों में काफी भीड़ होती है। सरकार ने मनोरंजन-कर बहुत ज्यादा लगाया है, लेकिन जितना इस कर से धन आना चाहिए वह आ नहीं पाता है। सरकार के जो मनोरंजन-कर इंस्पेक्टर्स हैं, वे इन्हीं सिनेमा

[श्री माता प्रसाद]

मालिकों के यहां ही रहते हैं, वे उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। सिनेमा गृहों के मालिक वहां के अन्य अफसरों को भी खुश रखते हैं, उनको वे खूब पासेस देते हैं, नित्य फ्री सिनेमा देखने के लिए। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि सिनेमा मालिकान, टिकट डुप्लीकेट छपवाते हैं। मान लिया जाय ३०० जगहें हैं तो १०० बांट देते हैं और २०० के डुप्लीकेट टिकट रखते हैं। उसके एक सेट को बांट देते हैं और दूसरे को अनबिका दिखा देते हैं जिससे उनको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस तरह से सरकार का बड़ा नुक्सान होता है, उसे मनोरंजन कर नहीं मिलता है तथा अन्य भी आर्थिक नुक्सान होते हैं। पूरे का पूरा टैक्स सिनेमा मालिक हजम कर जाते हैं और मैजिस्ट्रेट वगैरह भी, चूंकि उनको पास मिल जाता है, उसको देखते नहीं हैं। इसलिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि इंस्पेक्टर के अलावा उनकी अन्य भी चेकिंग की व्यवस्था करे। सरकार मौके बे मौके निरीक्षण करके देखे कि कितने लोगों ने टिकट लिया है। तमाम सिनेमा गृहों में भीड़ लगी रहती है, जितना टैक्स मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं, वे डुप्लीकेट टिकट छपवा रहे हैं सिनेमा टैक्स चोरी करने के लिए, तो सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह जो चलचित्र संशोधन विधेयक सामने आया है, मुझे तो यह आशा थी कि इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत से क्रांतिकारी संशोधन आयेंगे, लेकिन वह बात इसमें नहीं पाई गई। मान्यवर, आप देख रहे हैं कि आज इन चलचित्रों के द्वारा समाज का पतन दिन प्रति दिन होता जा रहा है। आज हमारे नवयुवक और नवयुवतियों का चरित्र इन चलचित्रों द्वारा दिन प्रति दिन बिगड़ता जा रहा है। आज अश्लील व गन्दी-गन्दी फिल्में दिखाई जा रही हैं और सेंसर-बोर्ड के द्वारा उन अश्लील व गन्दी फिल्मों को बराबर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज इस तरह के विधेयक की जरूरत है कि फिल्में इस तरह की बनें, जिनसे देश में फैली कुरीतियों को दूर किया जा सके, जिनसे शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाया जा सके जिनसे हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर सके, औद्योगिक क्रांति आ सके और लोगों के नैतिक विचार बदल सकें। इस तरह के चलचित्रों की आज जरूरत है।

लेकिन इसका विधेयक नहीं लाया गया। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और इस तरह के संशोधन लाये आज जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है उसके बारे में यह आम शिकायत है कि वह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अश्लील व गन्दी-गन्दी फिल्मों को नाजायज लाभ उठा कर पास कर देते हैं, अश्लील फिल्में चारों तरफ दिखाई जाती हैं। मेरा सुझाव है कि सेंसर बोर्ड के बनाने की जो मौजूदा व्यवस्था है उसको बिलकुल समाप्त कर दिया जाय। नया सेंसर बोर्ड बनाया जाय। उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा जाय। उसमें राजनैतिक संस्थाओं के लोग रखे जायं। उसमें धार्मिक मान्यताओं के बुद्धिजीवी लोगों को रखा जाय और कुछ शिक्षाविद एवं ऐसे एक्सपर्ट रखे जायं जो कि फिल्म जो तैयार होती है उनको देखकर उसका भाव बता सकें कि इस फिल्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह के सेंसर बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में आज विधेयक लाने की जरूरत है।

इसके अलावा मान्यवर जो आज फिल्में बनाई जा रही हैं, उनको छविगृहों में देखकर इस प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है, कि चोरी, डकैती, कत्ल, अय्याशी इत्यादि जो कुरीतियां हैं, कैसे की जाती हैं। इस तरह की चीजें खुले आम उन छविगृहों में दिखायी जाती हैं। महिलाओं के नंगे नाच दिखाए जाते हैं। लड़कियों के नंगे चित्र दिखाए जाते हैं। जो

चीज परदे के अन्दर रहनी चाहिए, जो क्रिया परदे के अन्दर होती है, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसे परदे के ऊपर खुले आम दिखाकर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। और देश को ऐसी दिशा की तरफ ले जाया जा रहा है जिससे हमारा समाज दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए जरूरत है कि एक कानून बनाया जाय। अश्लील नंगे चलचित्र बनाने वाली फिल्म इंडस्ट्री के लाइसेन्स रद्द कर दिये जायं और जिन छविगृहों में अश्लील व गंदी फिल्में दिखायी जायं उनके लाइसेन्स रद्द कर दिये जायं और जो अश्लील व गन्दे चलचित्र बनाते हैं उनको अपराध मानकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा दी जाय। आज इस प्रकार का कानून बनाने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा। पांच मिनट का समय है उसके बाद मन्त्री जी को जवाब देना है। तीन बजे तक पूरा पास करना है।

***श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)**—

अधिष्ठाता महोदय, मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है वह देखने में ऊपर से बड़ा सीधा-सादा है। लेकिन इसके पीछे जो मंशा है वह बड़ी घिनौनी मंशा है, घिनौना शब्द मैं जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि मन्त्री जी और उनकी सरकार की शक्ति नहीं है कि जिस व्यक्ति विशेष के खिलाफ यह विधेयक लाना पड़ा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। प्रतिभा सिनेमा को लेकर यह मामला शुरू हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया कि वहां पर पिक्चर हाल न बने। मन्त्री जी के कर्णधार लोग हैं, सरकारी नौकर, जिनकी बुद्धि और विवेक से यह सरकार चल रही है, उन्होंने दूसरा आदेश दे दिया। वह यह था कि आप लोग बना लीजिये, हम आपको बिजली भी दे देंगे, जितनी सुख सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं हमारी सरकार करेगी। माननीय मुख्य मन्त्री बहुगुणा की सरकार नहीं, बल्कि उनकी सरकार उपलब्ध करायेगी। तब माननीय मुख्य मन्त्री ने सोचा होगा कि यह नया मुख्य मन्त्री पैदा हो गया तो उससे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो वह हम लोगों का, सदन का दामन पकड़ना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं कि एक्साइज के मामले में आदेश स्पष्ट हैं कि किसी विद्यालय तथा पूजा गृह के आस पास बगल में कोई शराब की दुकान नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम ७५ परसेंट किसी न किसी विद्यालय के बगल में या किसी न किसी पूजा गृह के बगल में शराब की दुकानें विद्यमान हैं। माननीय सदस्यों ने कई बार लिखकर भी दिया है कि हमारे नगर में या उपनगर में फलां-फलां विद्यालय के बगल में या पूजगृह तथा मंदिर के बगल में शराब की दुकान रात के एक-एक बजे तक खुली रहती है। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हम कैसे मानें कि यह अधिकार अमल में आयेगा या नहीं! अगर कोई संशोधन विधेयक लाना ही था तो बड़े सोच विचार के बाद और धैर्य से लाना चाहिए था। इसमें कुछ विवेक की आवश्यकता है।

गोरखपुर में जो मनोरंजन कर का इंसपेक्टर है उसकी १५ हजार रुपए महीने की आमदनी है। वह एक-एक हजार रुपये हर महीने हर सिनेमा से लेता है। वह महीने में एक दफा स्कूटर पर जाता है और रुपया ले आता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक सिनेमा के भगवती कन्या इन्टर कालेज के पास खोलने की इजाजत दे दी। दूसरा भी खुल रहा है जिसके पास मंदिर है और स्कूल भी है। वाराणसी में संस्कृत विद्यालय के पास एक सिनेमा चल रहा है। सचिवालय के सेक्रेटरी से डर कर आप इसको फेज करने के लिए तैयार नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

हैं। क्या यह सब जगह लागू होगा? और सब जगह लागू होगा तब तो इसकी मंशा बहुत अच्छी है लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको वापस ले लीजिए क्यों इसमें सदन का समय जाया कर रहे हैं। फिर इसको आप लायेंगे तो इस पर विचार करेंगे।

*श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, हमारे गर्ग साहब को बार-बार एक ही चीज नजर आ रही थी और उन्होंने बार-बार कहा। लेकिन हमारा एक ही सिनेमा लक्ष्य नहीं है। हम पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी किसी भूल से, चाहे सरकारी अधिकारी की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो, ऐसी परिस्थिति में सिनेमा दिया गया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें कि यह सिनेमा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो हम उसके लाइसेन्स को खत्म कर दें। पब्लिक सर्विस कमीशन, बोर्ड आफ रेवेन्यू तथा सचिवालय आदि के २०० मीटर तक कोई सिनेमा वगैरा न हो। इसकी बहुत जरूरत है।

इसमें कोई बदनियती का सवाल नहीं है। अगर हम इसी को मान लें तो मैं कह सकता हूं जरूरत पड़ जाने पर हम १२–१२ बजे तक बैठते हैं, पार्लियामेंट १२–१ बजे रात तक बैठी है और आवश्यकता पड़ने पर दिन-रात सदन बैठ सकता है। रातों रात हमारे कैबिनेट की मीटिंग होती है और सारे अधिकारी बैठते हैं। ईश्वर न करे ऐसी मुसीबत आए। लेकिन यदि आये तो सारा काम वार लेविल पर करना होगा। जिस समय हम काम कर रहे हों, जिस समय सदन गम्भीरता से किसी विषय पर विचार कर रहा हो, उस समय पास में ही सिनेमा का रिकार्ड बजता हो तो हमें यह कहना होगा और यदि हमारे किसी मिनिस्टर के कहने से या किसी सदस्य के कहने से लाइसेंस दे दिया है तो सरकार को यह अधिकार होना चाहिए या नहीं कि आप लांछन लगाते हैं कि सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर नाचती है और जब सरकार उनके विरुद्ध कुछ करना चाहती है तो करने नहीं देते हैं। एक बात माननीय ऊदल ने कही, वह बहुत सही है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जहां तक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है, यह बात बहुत ही गम्भीर है और इसमें काफी बल है। इसको हम देखेंगे किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पास होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास में दे दे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

खण्ड २, ३ व ४

२—उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, १९५५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ५ की उपधारा (१) में,— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५६ की धारा ५ का [संशोधन

(१) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(कक) भवन या वह अन्य स्थान जहां चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो—

(१) राजभवन, राज्य सरकार के सचिवालय, उच्च न्यायालय, राज्य लोक-सेवा आयोग या राजस्व परिषद् में कम से कम २०० मीटर की दूरी पर स्थित है;

(२) अन्य सार्वजनिक भवनों और मान्यता प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और सार्वजनिक अस्पतालों से ऐसी न्यूनतम दूरी पर स्थित है, जो नियत की जाय;

(३) ऐसे क्षेत्र में स्थित नहीं है जो अनन्यतः आवासिक प्रकार का हो अथवा अनन्यतः आवासिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो; और";

(२) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) लाइसेन्स का दिया जाना अन्यथा लोक हित के प्रतिकूल नहीं है।";

(३) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—(१) विभिन्न वर्ग के सार्वजनिक भवनों, संस्थाओं तथा अस्पतालों के सम्बन्ध में खंड (कक) के उपखंड (२) के अधीन विभिन्न न्यूनतम दूरियां नियत की जा सकती हैं।

(२) खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए दूरी, चलचित्र के भवन के हाते की बाहरी सीमा से, उक्त खंड में उल्लिखित अन्य भवन के हाते की, यदि कोई हो, बाहरी सीमा तक नापी जायगी।"

३—मूल अधिनियम की धारा ७ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्— धारा ७ का संशोधन

"(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा ५ के अधीन कोई लाइसेन्स दिया गया हो, तो उसे—

(१) राज्य सरकार द्वारा, जहां लाइसेंस सरकार ने या लाइसेंस प्राधिकारी ने दिया हो;

(२) लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा, जहां लाइसेंस ऐसे प्राधिकारी ने दिया हो, लोक हित में निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

(१-क) विशिष्टतः और उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई लाइसेंस उस उपधारा के अधीन, निम्न-लिखित में से किसी आधार पर निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है: अर्थात्—

(क) लाइसेंस छल से अथवा दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया था; या

(ख) धारा ५ के अधीन, यथास्थिति आवेदन-पत्र या अपील पर विचार करते समय लाइसेंस प्राधिकारी या राज्य सरकार ने किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में भूल की हो जो लाइसेंस देने या न देने के प्रश्न के सम्बन्ध में अत्यावश्यक हो; या

(ग) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अथवा लाइसेंस में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्तों अथवा निरोधों के, अथवा धारा ५ की उपधारा (४) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन का दोषी हो; या

(घ) लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेन्स का जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिए अहितकर समझा जाता है; या

(ङ) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम की धारा ८ के अधीन अथवा सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, १९५२ की धारा ७ के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो ।";

(२) उपधारा (२) में,—

(क) शब्द "स्थगित अथवा" निकाल दिये जायें ;

(ख) उसमें निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की अग्रेतर राय हो कि किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य विलम्ब के कारण पूरा नहीं हो सकेगा तो वह प्रस्तावित कार्य-वाही करने के आधार को लाइसेंस गृहीता को उपर्युक्त प्रकार से बतलाते समय अथवा उसके उपरान्त लाइसेंस स्थगित करने का अन्तरिम आदेश अभ्यान्तर काल में दे सकता है ।";

(३) उपधारा (३) में, शब्द "स्थगित" निकाल दिया जाय;

(४) उपधारा (४) में, शब्द "उपधारा (३) के अधीन लाइसेन्स स्थगित या निरस्त करने अथवा वापस लेने" के स्थान पर शब्द "उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन लाइसेंस स्थगित करने या उपधारा (३) के अधीन उसे निरस्त करने अथवा वापस लेने" रख दिए जायें ।

धारा १२ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (२) में, शब्द "दी गई कोई आज्ञा" के स्थान पर शब्द "बनाये गये नियम या दी गई कोई आज्ञा"

तथा शब्द "इस अधिनियम के अधीन की गई आज्ञा समझी जायगी" के स्थान पर शब्द "उसे इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम या दी गई आज्ञा समझा जायगा" और शब्द "ऐसी किसी आज्ञा" के स्थान पर शब्द "ऐसे किसी नियम या आज्ञा" रख दिए जायें और सदैव से रखे गये समझे जायं ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ (१) में मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में प्रस्तावित खंड (कक) की मद (१) से शब्द "राजस्व परिषद्" "या राज्य लोक सेवा आयोग" निकाल दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ (१) में मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के प्रस्तावित खंड (कक) की मद (१) में शब्द "राजस्व परिषद्" तथा "राज्य लोक सेवा आयोग" निकाल दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ (१) में मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के प्रस्तावित खंड (कक) की मद (२) को हटाकर इस प्रकार लिख दिया जाय—

"(२) शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक अस्पतालों, उपासना गृहों से १०० मीटर की दूरी पर स्थित है।"

श्री राज मंगल पांडेय—

स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २(१) में मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के प्रस्तावित खंड (कक)की मद (२) को हटाकर इस प्रकार लिख दिया जाय—

"(२) शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक अस्पतालों, उपासना गृहों से १०० मीटर की दूरी पर स्थित है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५, ६, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

५—मूल अधिनियम की धारा १३ में— धारा १३ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "पूर्व प्रकाशन के पश्चात्" निकाल दिये जायं और सदैव से निकाले गये समझे जायं;

(ख) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष,

[श्री अधिष्ठाता]

जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल ३० दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात का वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।"

विचाराधीन आवेदन-पत्रों आदि पर [अधिनियम का लागू होना

६---इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन, चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के निमित लाइसेंस देने के लिए अथवा उक्त प्रयोजन के निमित्त स्थायी भवन के निर्माण के लिए सभी आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दिये गये हों या उसके पश्चात दिये जायें, लागू होने और चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के लिए लाइसेंस देने के लिए ऐसे सभी आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए स्थायी भवन के निर्माण के निमित्त अनुमोदन दे दिया गया था ।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, १९५५ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त नाम १---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव---

मान्यवर, खंड ५ का विरोध करता हूं ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, इनका विरोध मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ५, खंड ६, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९७४,†

*श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० तथा इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ और उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्थान (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसमें यह इस प्रकीर्ण में किये गए हैं और इस उद्देश्य से किये गये हैं कि कितनी ऐसी बिजली कम्पनियां हैं कि जब उनके लाइसेन्सेज खत्म हो जाते हैं तो उनके खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यह अधिकार है कि उनके लाइसेंसेज को खत्म होने के बाद वह अधिग्रहण कर लें। परन्तु इसमें साल भर पहले नोटिस देनी पड़ती है। इसमें यह पहले प्राविधान नहीं था कि नोटिस देने के बाद अगर उनके ट्रांसमिशन्स या और भी उनके ट्रान्सफामर्स जो हैं, उनमें तोड़फोड़ कर लें या ऐसी कोई चीज कर दें जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोई अधिकार नहीं था। मान्यवर, इसके माध्यम से हम नियंत्रण कर रहे हैं। दूसरी बात वर्कमैन जो है, कम्पनियों में काम करते थे या जो वेज उनको देय थी और जब वह नहीं दे पाती थीं तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी। इस संशोधन के माध्यम से हम उनको कम्पशेसन देंगे। उनकी सेलरी, कम्पेशेसन या जो भी हमारे वर्कमैन को धन देय होगा उसके संबंध में एक-दो मौलिक संशोधन किये गये हैं और मेरा खयाल है कि पूरा विरोधी पक्ष इसको स्वीकार करेगा।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, यह जो भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० तथा इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ और उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवस्था-संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ है और जो इसमें संशोधन विधेयक प्रस्तुत है इसके ऊपर मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४, को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह में दे दें। मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इसके उद्देश्य के बारे में बताया कि लाइसेंसी का लाइसेन्स समाप्त हो जाने के बाद, बोर्ड उसको अधिग्रहण कर सकता है परन्तु उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐसे प्राइवेट बिजली घर हैं उनमें लाखों करोड़ों रुपये का सामान उनके मालिकों ने बेच दिया है। अगर वहां पर सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर देखे तो वह पायेगा कि बिजली घर वालों ने करोड़ों रुपये का ताम्बे का तार और बिजली के उपकरण और अन्य, जो कि इन बिजली घरों के लिये आवश्यक होते है, बेच लिया है। ऐसे शुगर फैक्ट्रीज वाले, सरकार की इस घोषणा से कि उनको ले

---

२० अगस्त, १९७४ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश]

लिया जायगा, न तो कोई नई मशीन लगाते हैं और न वहां पर कोई नये उपकरण ही लगाते हैं। उनकी हालत आज ऐसी हो गयी है कि अगर उनका अधिग्रहण कर भी लिया जाय तो वह सरकार के लिये बोझ बन गया जायगा, समाज के लिये बोझ बन जायगा और उनसे समाज का कोई लाभ होने वाला नहीं है, उसी प्रकार से इन बिजली घरों की वैसी ही खराब हालत है। बिजली की कमी तो है ही लेकिन जहां भी वे प्राइवेट बिजली घर हैं, उन स्थानों की दशा बहुत ही खराब है।

बरेली शहर में पहले मार्टिन बर्न कम्पनी थी। फिर उसे एक प्राइवेट कम्पनी ने ले लिया। उसने वहां पर जितनी भी लाइन्स थीं, उन सब को बदल दिया और उनमें तांबे के तारों स्थान पर अल्युमूनियम के तार लाइनों में लगा दिया और जितने जैनेरेटर्स थे उनको बेच दिया और अगर वहां पर सरकार क कोई प्रतिनिधि जाकर देखे तो पायेगा कि लाखों रुपये का सामान वहां से गायब है। जब इन बिजली घरों में सामान नहीं है तो मजदूरों का वेतन या जो बकाया है वह कैसे काट कर के दिया जायगा ? जब वहां पर कुछ होगा ही नहीं तो मजदूर कहां से पायेगा। इस विधेयक से सरकार की जो मंशा है वह पूरी नहीं होने वाली है। अगर किसी बिजली घर को अधिग्रहण करना है तो मेरा प्रस्ताव है कि ३ महीने के नोटिस के स्थान पर उसको एक महीने का नोटिस देकर, उस पर कब्जा कर लिया जाय ताकि जो कुछ भी वहां पर सामान हो, वह सुरक्षित रहे और तुरन्त वहां पर अपना व्यक्ति बैठायें ताकि बिजली घर के मालिक वहां से कोई सामान न हटा सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतिहरों के लाभ के लिये तथा प्राथमिकता के आधार पर उनके नलकूपों के लिये विद्युत उर्जा का प्रदाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, बोर्ड ने व्यवसायिक योजना नामक एक योजना बनायी है। आज जितनी भी इस ग्रामीण व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत बिजली देने की सरकार की योजना है वहां पर लाइन बिछी है, खंम्भे गड़े हैं, तार खिचें है, लेकिन बिजली का करेन्ट नहीं है। इस व्यवसायिक योजना का इस ऐक्ट में प्राविधान है लेकिन इस के द्वारा बिजली बोर्ड के लोगों द्वारा जनता को धोखा दिया जा रहा है। इसमें वह था कि जहां तक बिजली की लाइन जायगी, वहां पर जितने लोगों को कनेकन्शन्स लेने होंगे, उनको ६ महीने के अन्दर बिजली देने की बात थी लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा यह अवधि ६ महीने से बढ़ाकर ३ वर्ष की जा रही है। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इन २ बातों का जिक्र तक नहीं किया है। एक तो ६ माह की अवधि को बढ़ा कर ३ वर्ष कर दिया और दूसरे वह पैसा जो इस आधार पर जमा कराया गया था,उस पैसे का बिजली बोर्ड ३ साल तक उपयोग करता रहेगा। इसके अलावा लाइन्स पड़ जाने पर जो कनेक्शन्स लेते हैं, उनको एक महीने के अन्दर बिजली मिल जाती थी लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा अब एक महीने के स्थान पर यह अवधि ६ महीने हो जायगी। ये दो चीजें हैं जो खास हैं और जिनका मंत्री जी ने जिक्र भी नहीं किया है। अब हमें १ महीने के स्थान पर ६ महीने में बिजली मिला करेगी। आज बिजली मनुष्य के जीवन की एक आवश्यक वस्तु हो गयी है। कारखाने और मशीने खड़ी हो जाती हैं, घरों में अंधेरा रहता है। अभी तक एक महीने की अधिकतम अवधि थी लेकिन आज से जब से यह संशोधन पास हो जायगा, यह अवधि ६ महीने हो जायगी।

एक सदस्य--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री सत्य प्रकाश--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि शासन ने इस बात के लिये तो संशोधन पेश किया है कि जो बिजलीघर सरकार ले लेगी उसमें मजदूरी के रूप में और ग्रैच्युएटी के या प्रावीडेंट फंड के रूप में मजदूरों का बकाया उनसे काट लेगी, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जब कुछ बचेगा ही नहीं, सारे का सारा सामान मिल-मालिक या बिजली का मालिक बेच

लेगा तो मजदूरों को मजदूरी कहां से दी जायगी ? इसलिये इसमें प्रतिबन्ध यह होना चाहिये था कि एक वर्ष का समय जो निर्धारित किया गया है उसको घटा कर एक महीना किया जाय और उसके लिये ३० दिन आपका कड़ा पहरा रहना चाहिये जिससे एक चीज भी वहां से हटायी न जा सके ।

इसके अलावा आज जो सरकारी बिजलीघर हैं जो कि एल० एस० जी० के द्वारा चल रहे हैं वहां के मजदूरों के वेतन की स्थिति यह है कि प्राइवेटों के लिये तो व्यवस्था की जा रही है कि वेज गाइड लाइन के अन्तर्गत उनको ३० रुपया बढ़ाकर वेतन दिया जाय और और डी० ए० को लिविंग इंडेक्स से जोड़ दिया जाय, वह तो सरकार ने किया है, उसके लिये जी० ओ० भी प्रसारित कर दिया गया है और ३० रुपया बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकारी मजदूरों के लिये क्या व्यवस्था आपने की है ? उनके लिये व्यवस्था होना बाकी है । यह कहां तक उचित है कि जब सरकार की जेब पर बोझ पड़े तो कोई आर्डर इस तरह का प्रसारित न करे और प्राइवेट बिजली घरों के लिये कर दिया ? इस प्रकार से एक भेद भाव की नीति उचित नहीं है ।

ग्रामों में विद्युतीकरण की स्थिति निरन्तर खराब होती जा रही है । विद्युत् केन्द्रों से एक-दो घंटे भी बिजली नहीं दी जाती है । कभी कहते है कि रात में देंगे, कभी कहते है दिन में दे रहे हैं । शहर वालों को कहा जाता है कि गांव वालों को बिजली दे रहे हैं और गांव वालों से कहा जाता है कि शहर में कल-कारखानों को दे रहे हैं लेकिन मिलती किसी को नहीं । परिणाम यह है कि उत्पादन घटा रहा है । खेती पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है । तो बिजली जिसके ऊपर हमारा आर्थिक जीवन निर्भर है वह आज संकट-ग्रस्त है और इस विधेयक को प्रस्तुत करके और भी उसे संकट में डाला जा रहा है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि जल्दबाजी में जो हम पास कर रहे हैं वैसा न हो । मंत्री जी ने तो उस संशोधन का जिक्र भी नहीं किया जो कि फैटल है प्रदेश के लिये । लोक-हित के विरुद्ध है और बिजली की समस्या को और बढ़ा देगा, उपभोक्ताओं के लिये मुसीबत ला देगा । इसलिये इसकी जल्दबाजी में पास न किया जाय और प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय क्योंकि समय की बात बहुत महत्वपूर्ण है । आपने मशीनें लगा दीं, ट्यूबवेल लगा दिया, हजारों रुपये खर्च कर दिये और ६ महीने बाद बिजली मिल रही है तो ६ महीने तक आपका पैसा जमा है और कनेक्शन मिलने वाला नहीं है । इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में लाइन बिछाने का समय ६ महीने का है लाखों रुपये बिजली बोर्ड के पास जमा हो जायेंगे और तीन वर्ष तक वह लाइन डाले या न डाले यह उसके उपर होगा ? ६ महीने से ३ वर्ष बढ़ाकर एक बड़ा भारी अन्याय जनता के साथ किया जा रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस अमेंडमेंट बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और इसके जो एफेक्ट्स होने वाले हैं उपभोक्ताओं और समाज पर समय बढ़ाने के कारण उस पर वहां विचार करें और इसको बदले हुये रूप में पुनः प्रस्तुत करें और यह सदन उस पर विचार करके पारित करें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि किस नेकनीयती की भावना से हम यह संशोधन लाये हैं । हमने इसमें काश्तकारों का भी ध्यान रखा है और कन्ज्यूमर्स का भी और भी माननीय सदस्य ने स्वतः कहा कि तांबा वगैरह बेच लेते हैं उसकी रोकथाम के लिये भी इसमें ले आये हैं । माननीय सदस्य स्वीकार भी करते हैं कि इस किस्म की हरकतें उन्होंने की है और जब हम उसका निदान करने की कोशिश करते हैं तो प्रवर समिति में ले जाने की बात कहते हैं । इसका मतलब है कि ५–६ महीने तक इसको और टाल दें ताकि जो कुछ उनके पास बचा भी हुआ है, जिसको रोकने का अधिकार हमको नहीं था और इसके माध्यम से वह अधिकारी ले रहे हैं, वह भी इस बीच में बेंच दें ।

श्री सत्य प्रकाश--

कनेक्शन्न देने का समय ६ महीने किया जा रहा है और लाइन बिछाने का ६ महीने से ३ साल किया जा रहा है ।

श्री राज मंगल पांडेय--

अगर आप देखें तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके हितों के खिलाफ हो । हमने इसके माध्यम से पावर लो है और कोशिश करेंगे । लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो कोई काम कारगर नहीं होता। आज भगवान रिहन्द के जलाशय में पानी नहीं दे रहा है तो हम बिजली कहां से दें । नियमों में संशोधन करके शक्ति इसलिये रखते हैं ताकि आवश्यकतानुसार जनहित में कार्य कर सकें ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से ९, खण्ड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० तथा इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ और उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवस्था-संस्था (देयों का वसूली) अधिनियम, १९५८ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१--(१) यह अधिनियम विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अध्याय २

भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० का संशोधन

अधिनियम संख्या ९, १९१० की धारा ६ का संशोधन

२––भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१०, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ६ में, उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:––

"(६––क) उपक्रम को क्रय करने के विकल्प का प्रयोग करने वाले राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी पर इस धारा के अधीन सूचना तामील न किये जाने के पश्चात्––

(क) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सूचना तामील किये जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर उस सभी भूमि, भवन, संकर्म सामग्री और संयंत्र की जो ऐसी सूचना तामील किये जाने के समय उस उपक्रम की हो, तालिका तैयार करेगा और बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और सूचना के लम्बित रहने के दौरान तथा जब तक कि उपधारा (६) के अधीन उपक्रम बोर्ड को न दे दिया जाय; सभी युक्तियुक्त समय पर बोर्ड या उसके अभिकर्त्ताओं अथवा राज्य सरकार के विद्युत निरीक्षक या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी भूमि, भवन तथा संकर्म में प्रवेश करने और ऐसी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का निरीक्षण करने और उनकी तालिका तैयार करने अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई तालिका की शुद्धता की जांच करने की अनुज्ञा देने के लिये आबद्ध होगा;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम की अपनी सभी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र, केवल युक्तियुक्त टूट-फूट अथवा अप्रतिरोध्य बल के कारण हुए परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, वैसी ही अच्छी दशा में, जैसी वे ऐसी सूचना तामील किये जाने के समय हों, बनाये रखने के लिये, और उक्त बोर्ड तथा उसके अभिकर्त्ताओं या राज्य सरकार के विद्युत् निरीक्षक अथवा उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त सूचना के लम्बित रहने के दौरान और जब तक कि उपधारा (६) के अधीन उपक्रम बोर्ड को न दे दिया जाय, सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसी भूमि, भवन और संकर्म में प्रवेश करने और उसकी दशा का तथा उक्त सामग्री तथा संयंत्र की दिशा का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देने के लिये आबद्ध होगा;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी उक्त भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा जिस प्रकार कोई साधारण बुद्धि का व्यक्ति उसका प्रयोग उस दशा में करता जब उपर्युक्त सूचना तामील न की गयी होती, किन्तु वह किसी ऐसे भवन, संकर्म, सामग्री अथवा संयंत्र को न तो गिरायेगा, न नुकसान पहुंचायेगा, न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जो उसके लिये नाशक या स्थायी रूप से हानिकर हो और न उपक्रम से कोई ऐसी सामग्री या संयंत्र हटायेगा;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड की ऐसी सभी, भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का जो ऐसी सूचना तामील किये जाने के समय विद्यमान हो, लेखा देने का दायी होगा।"

धारा ७ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ७ की पुन: संख्याकित करके उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और इस प्रकार पुन: संख्याकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:—

"(२) यदि कोई उपक्रम राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा क्रय किया जाय, और—

(१) उपक्रम के यथास्थिति क्रय किये जाने अथवा दिये जान की तारीख को उपक्रम के सम्बन्ध में (संयुक्त, प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ ई० के अर्थान्तर्गत) मजदूर के रूप में नियोजित व्यक्तियों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय मजदूरी, बोनस उपदान, भविष्य-निधि अथवा अन्य संदाय की कोई धनराशि ऐसे मजदूरों को अंशदत्त रह जाय; या

(२) अनुज्ञप्तिधारी उक्त तारीख को देय किसी ऐसी धनराशि का, जो उपक्रम के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों के बारे में या तो अनुज्ञप्तिधारी के अभिदाय या अनुज्ञधारी द्वारा वसूल किये गये कर्मचारियों के अभिदाय या इम्प्लाईज प्राविडेंट फन्ड्स ऐक्ट, १९५२ या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से वसूलीय किसी अन्य देय के सम्बन्ध में हो, संदाय करने में असफल रहा हो;

तो बोर्ड उक्त धनराशि का संदाय प्रथम उल्लिखित अधिनियम के अधीन कर्मचारियों अथवा न्यासी बोर्ड को, अथवा द्वितीय उल्लिखित अधिनियम के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जैसी भी दशा हो, को कर सकेगी और उसे अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त की जाने वाली क्रय धनराशि से काट सकेगी और यदि इस प्रकार संदत्त की जाने वाली धनराशि उपलब्ध क्रय धन से अधिक हो तो उस आधिक्य को अनुज्ञप्तिधारी से राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी ।

(३) उपभोक्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को दिये गये ऐसे समस्त प्रतिभूति निक्षेप जो उक्त तारीख को उपभोक्ताओं को असंदत्त रह जायें, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, बोर्ड को अन्तरिम न किये जायेंगे, और यदि वे इस प्रकार अन्तरिम न किये जायें तो बोर्ड अथवा सरकार अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किये जाने वाले क्रय धन से उक्त निक्षेप की धनराशि काट लेगी, और यदि उक्त धनराशि उपलब्ध क्रय धन से अधिक हो तो उस आधिक्य को अनुज्ञप्ति से राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगी ।

(४) उपधारा (२) और उपधारा (३) के अधीन बोर्ड द्वारा की गई कटौतियों और वसूली की सीमा तक अनुज्ञप्तिधारी, यथा-स्थिति, अपने कर्मचारियों या उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व से उन्मोचित हो जायगा ।

(५) उपधारा (२), (३) तथा (४) के उपबन्ध, विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७४ के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् क्रय किये गये ऐसे सभी उपक्रमों के सम्बन्ध

में लागू होगे जिसके बारे में क्रय धन अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किया जाना शेष रह गया हो।"

नयी धारा ४२-क का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ४२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"४२-क—कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके नियोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो धारा ६ की उपधारा (६-क) के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, अथवा जो उस उपधारा की अपेक्षानुसार प्रस्तुत की गई तालिका में ऐसी विशिष्टियां देगा जो मिथ्या हैं अथवा जिसका मिथ्या होना या तो वह जानता है, या जिसके मिथ्या होने का वह विश्वास करता है, अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता, जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, दैनिक जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा ६ के अधीन सूचना तामील होने के पश्चात् उपक्रम के किसी भाग को नुकसान पहुंचाने हटाने आदि के लिए अथवा मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति

परन्तु उस दशा में जब उल्लंघन में उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का नष्ट किया जाना अथवा हटाया जाना अन्तर्वलित हो तो ऐसा उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

धारा ५० का निकाला जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ५० निकाल दी जाय।

अध्याय ३

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, १९४८ का संशोधन

ऐक्ट संख्या ५४, १९४८ की धारा २६ का संशोधन

६—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८, जिसे आगे इस सम्बन्ध में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २० में द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय—

"परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के खण्ड ८ के उपबन्ध, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में जहां बोर्ड द्वारा वितरण मेन बिछाये गये हों तथा उनमें से उर्जा का प्रदाय प्रारम्भ कर दिया गया हो, निम्नलिखित परिष्कारों के साथ, बोर्ड पर लागू होगे:—

उपखण्ड (१) में—

(क) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय—

"जहां खण्ड ४ अथवा ५ के उपबन्धों के अधीन वितरण मेन बिछा दिये जाने और उन मेनों अथवा उनमें से किसी मेन के माध्यम से उर्जा का प्रदाय प्रारम्भ कर दिये जाने के पश्चात् प्रदाय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी परिसर के स्वामी अथवा अधि-

भोगी द्वारा ऐसे परिसर के लिये अनुज्ञप्तिधारी से उर्जा प्रदाय करने के लिये अध्यपेक्षा की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से छः मास के भीतर प्रदाय करेगा और तब के सिवाय जब वह अन्धड़, बाढ़, तूफान अथवा अपने नियंत्रण से परे ऐसी ही अन्य घटनाओं के कारण ऐसा करने से निवारित हो जाय, अध्यपेक्षा के अनुसार ऊर्जा प्रदाय करता रहेगा ;"

(ख) उसके चतुर्थ परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय——

"परन्तु चतुर्थतः यह कि यदि ऊर्जा के प्रदाय के लिये कोई अध्यपेक्षा की जाय और अनुज्ञप्तिधारी किसी विद्युत निरीक्षक के सन्तोषानुसार यह साबित कर सके कि——

(क) निकटस्थ वितरण मेन पहले ही से विद्युत् वहन क्षमता में पूर्णतः भारयुक्त है ; अथवा

(ख) उस दशा में, जब उसके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विद्युत पारेषित किया जा रहा हो, दबाव में कमी से सामीप्य के अन्य उपभोक्ताओं को किये जाने वाले प्रदाय पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अध्यपेक्षा तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी उचित कालावधि के लिये जिसे ऐसा निरीक्षण वितरण मेन का सुधार करने अथवा उसे बिछाने या किसी अन्य वितरण मेन को स्थापित करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त समझे, स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा ।"

(ग) उसके चतुर्थ परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्——

"परन्तु पंचम यह कि राज्य बोर्ड सरकार के अनुमोदन से किसी क्षेत्र के लिये कृषि कार्य के निमित्त प्राथमिकता के आधार पर विद्युत प्रदाय का इस शर्त पर उपबन्ध करने वाली योजना तैयार कर सकेगा कि प्राथमिकता प्रभार का भुगतान या तो एक मुश्त या ऐसी किस्तों में जो योजना में विनिर्दिष्ट की जाय, किया जाय, और यदि ऐसी योजना तैयार की जाय तो योजना के निबन्धनों के अनुसार ऊर्जा के प्रदाय के लिये अध्यपेक्षा करने वाला व्यक्ति, तब के सिवाय जब बोर्ड अंधड़, बाढ, तूफान या अपने नियंत्रण से परे ऐसी ही अन्य घटनाओं के कारण ऐसा करने से निवारित हो जाय, तथा योजना की शर्तों के अनुसार किसी रोस्टरिंग के अधीन रहते हुए भी, अध्यपेक्षा करने के तीन मास के भीतर, प्राथमिकता के आधार पर ऊर्जा के प्रदाय का तथा उसके चालू रखे जाने का हकदार होगा ।"

धारा 47—क का नई धारा द्वारा प्रतिस्थापन

७——मूल अधिनियम की धारा ४७—ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्——

"४७—क——इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, और इस बात के होते हुए भी कि धारा ४७ के अधीन रखरखाव पर परस्पर सहमति नहीं हुई अथवा यह कि उस निमित्त कोई विनियम नहीं बनाये गए हैं।

प्रतिभूति

(क) बोर्ड किसी अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करने की किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि अनुज्ञ-

प्तिधारी बोर्ड द्वारा उस पर उस निमित्त लिखित सूचना तामील किये जाने के चौदह दिन के भीतर बोर्ड को उतनी धनराशि की प्रतिभूति निवेदित न कर दे जो अनुज्ञप्तिधारी को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान के दो मास के विद्युत प्रदाय के औसत प्रभार के (जिसे आगे औसत प्रभार कहा गया है) बराबर हो, और जहां बोर्ड द्वारा प्रतिभूति के रूप में औसत प्रभार से अधिक धनराशि की मांग की जाय वहां बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे अवधारित करेगा";

(ख) बोर्ड ऐसे प्रदाय को बन्द कर देने का हकदार होगा यदि अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिभूति न दे दी हो, अथवा यदि उसके द्वारा दी गई प्रतिभूति अविधिमान्य या अपर्याप्त हो गई हो, और ऐसा अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड द्वारा उस पर ऐसी अपेक्षा करने वाली सूचना के तामील किये जाने के सात दिन के भीतर, यथास्थिति, प्रतिभूति देने में अथवा प्रतिभूति को पर्याप्त धनराशि तक पूरा करने में, असफल रहा हो ।"

नयी धारा ८२–क का बढ़ाया जाना

८—मूल अधिनियम की धारा ८२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

बोर्ड के दस्तावेजों को साबित करने का ढंग

८२–क–(१) बोर्ड के कब्जे में किसी रजिस्टर की प्रविष्टि की या किसी रसीद, आवेदन, रेखांक, सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज की प्रति, यदि वह इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ली जायगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहार के लिये ऐसे प्रत्येक मामले में तथा उस विस्तार तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी जिसमें और जिस तक कि मूल प्रविष्टि या दस्तावेज, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता तो, ऐसे विषयों को साबित करने के लिए ग्राह्य होगा ।

(२) बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें बोर्ड पक्षकार न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या दस्तावेज जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (१) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा साबित की जा सकती हैं, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय या संव्यवहार को साबित करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा आदेश देना आवश्यक न समझे ।

अध्याय ४

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९५८ का संशोधन

९—उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ में—

(१) धारा २ में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय—

(क) "उपभोक्ता" का अर्थ है कोई व्यक्ति जिसे सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था द्वारा बिजली शक्ति संभरित की जाय, चाहे उसके स्वयं

उपभोग के लिये हो, चाहे उसके बिजली शक्ति के संभरण के व्यापार के सम्बन्ध में हों, चाहे अन्यथा हों;"

(२) धारा ३ शब्द "कोई धनराशि" के पश्चात् शब्द और कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ४७-क के अधीन देय प्रतिभूति की धनराशि भी है)" रख दिये जायं और दिनांक ९ अक्टूबर, १९७२ से रखे गये समझे जायें ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ से खंड ९ तक, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस बिधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शासकीय कार्य में हिन्दी की उपेक्षा पर चर्चा

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, जिस प्रकार से हिन्दी की उपेक्षा हो रही है उस बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जानते हैं । आप स्वयं पहले भी इस माननीय सदन के सदस्य रह चुके है और आपको विदित होगा कि अनेकों बार इस सदन में यह प्रश्न आ चुका है और अनेकों बार प्रस्ताव भी पारित हुये है, सरकारी आदेश भी समय-समय पर जारी हुये है, मगर उनका असर कुछ नहीं हुआ है....

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय लेंगे ?

कुंवर श्रीपाल सिंह--

एक घंटा, वैसे मैं कम से कम समय लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

समय का ध्यान रखें, दूसरे माननीय सदस्य भी हिस्सा ले सकें क्योंकि यह २ घंटा की चर्चा है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मैं कम से कम समय लूंगा ।

मान्यवर, १९५१ से लेकर २० जुलाई, १९७४ तक के आदेशों की यह एक पुस्तिका छपी है जिसमें सारे सरकारी आदेशों का संकलन है । अनेकों आदेश निकले कि हिन्दी का प्रयोग हो, मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका पालन नहीं हुआ । मैं अंतिम आदेश जो मुख्य सचिव श्री सनवाल साहब का २० जुलाई, १९७४ का है उसकी अंतिम पंक्ति पढ़ना चाहता हूं । अंत में लिखा है "उपरोक्त आदेशों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करे और यह सुनिश्चित करें कि समस्त कार्य हिन्दी में ही हो ।" एक यह है कि वार्षिक प्रतिवेदन १९७१-७२ उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड । जब हिन्दी के लिये कड़ाई से आदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाने लगा तो लोगों ने भाषा के साथ ४२० करना शुरू कर दिया। वह आप को संसार में कहीं भी किसी जगह, अपने प्रदेश को छोड़ कर नहीं मिलेगा। इसके मुख पृष्ठ पर तो हिन्दी में लिखा हुआ है, वार्षिक प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड और अन्दर कहीं भी हिन्दी नहीं मिलेगी। इस कवर के नीचे पूरा का पूरा अंग्रेज़ी में छपा है। यह सीधा-सीधा ४२० नहीं तो और क्या है। एक ही नहीं, उसका दूसरा भाग भी उपस्थित है १९७२-७३ का। इसको भी आप देखें तो अन्दर इसके तमाम अंग्रेज़ी है। मुख पृष्ठ पर तो हिन्दी है यानी अब यह तरीका अपनाया जा रहा है कि अगर सीधे मार्ग से अंग्रेज़ी को नहीं रखा ज़ा सकता हो, या प्रदेश की जनता और प्रदेश का प्रबुद्ध वर्ग को इस पर न तत्पर हो कि अंग्रेज़ी को सहन कर सके तो हमारा जनसेवक वर्ग है वह ४२० के जरिये ख्वामख्वाह इसको लगाये रहना चाहता है चाहे कोई जो कुछ भी कहे।

दूसरी पुस्तक आपके सामने उपस्थित है श्रीमन्। "यू० पी० सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड" यह देख लिया जाय कि इस आदेश के बावजूद यह भी अंग्रेजी में है। "उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड" यह भी अंग्रेज़ी में है। ये निगम साहबान ज़ो आ गये है अब सरकार के पास, ये बिलकुल बेगम हो गये हैं। इनको किसी भी प्रकार का कोई गम नहीं है। ज़ो चाहें सो करें। यह परिवहन निगम एक बना। इसकी बसें ज़ो चलीं तो पीछे उनके लिखा था "नो ओवरटेकिंग विदाउट सिगनल," मैंने उसको देखा। श्रीमन् जी हिन्दी के प्रति न जाने मुझे क्यों इतनी अधिक आस्था है कि मैं रास्ता चलते भी अधिक ध्यान करता हूं कि इधर-उधर कौन सा रंग हिन्दी के विरुद्ध हो रहा है। निगम की बसों के पीछे जब मैंने यह लिखा देखा तो मैंने एक प्रश्न कर दिया और उस प्रश्न का यह परिणाम हुआ कि सफेद रंग को काले रंग में पोत कर फिर हिन्दी में लिख दिया गया। तो इतनी जागरूकता की आवश्यकता है और जागरूकता हो कैसे ? मुझे बड़ा दुख उस दिन हुआ जब महामहिम राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में हमारे विरोधी दल के नेता माननीय चौधरी चरण सिंह जी बोलने के लिये खड़े हुए और अपने ढाई-तीन घंटे के भाषण में एक स्थान पर उन्होंने यह कहा कि मेरी हिन्दी बड़ी कमज़ोर है। कोई शब्द उनके सामने आया तो उन्होंने उसे खोजा। अपने मस्तिष्क की लाइब्रेरी में घुसे जहां केवल अंग्रेज़ी ही भरी हुई थी तो उन्होंने कह दिया कि मेरी हिन्दी कमज़ोर है। हो सकता है कि उनकी हिन्दी कमज़ोर हो, पश्चिमी जिले के रहने वाले हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं और हो सकता है कि बचपन में हिन्दी न पढ़े हों, उनकी पहली जबान उर्दू रही हो। बाद में अंग्रेज़ी पढ़ी हो या हिन्दी पढ़ी हों।

परन्तु श्रीमन् उन्होंने ही छूत की बीमारी डाली है और वह छूत की बीमारी ऐसी भयंकर है कि अगर इसको बीच में रोका नहीं गया और इसको कोई एंटी बायोटिक नहीं दिया गया तो कदाचित यह बीमारी हिन्दी को लेकर डूब जायेगी। कारण, इसके बाद मुख्य मंत्री जी खड़े हुये, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वह हिन्दी के अच्छे विद्वान हैं। पढ़ते समय उन्होंने हिन्दी में कवितायें लिखी थीं। इन कविताओं का संकलन पुस्तक के रूप में छपा था। हिन्दी में कविता करना हिन्दी बोलने से कहीं अधिक कठिन है। तो जो व्यक्ति हिन्दी में उच्च कोटि की कविता कर सकता हो, जिसकी कविताओं का संकलन पुस्तक के रूप में हो चुका हो, उसके ऊपर भी छूत की इस बीमारी ने काम किया। छूतही बीमारी से वह भी नहीं बच सके और उन्होंने अपने भाषण में बड़े अंदाज के साथ कह दिया माननीय नेता विरोधी दल की तरह से उनको भी हिन्दी कम आती है।

श्रीमन ज़ी, यह छूत की बीमारी अगर आमने सामने लग कर रह जाती तो कदाचित मुझे इस चर्चा के लिये सदन को कष्ट देने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन यह बीमारी ठीक त्रिभुज की नोक पर पहुंच गयी और यहां पर बैठे हुये माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपनी वक्तृता में कह दिया मुझे भी अच्छी हिन्दी नहीं आती है। श्रीमन्, अत्यन्त दुख के साथ [मुझे यह कहना पड़ा है, इस बात का मुझे बड़ा दुख है।

श्री अधिष्ठाता—

मान्यवर, बहुत जागरूक श्रोता हैं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

श्रीमन् बहुत पहले से ही मुझे यहां हिन्दी के बारे में एक झक सी है । मैं चौबीसों घंटे देखा करता हूं कि हिन्दी के ऊपर कौन अटैक कर रहा है ।

तो श्रीमन् जी, माधव बाबू ने भी इस चीज को कह दिया तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ । मान्यवर, जब मैंने इसको सोचा, इस पर विचार किया तो मेरे मस्तिष्क में यह बात आयी कि छुतही बीमारी फैल रही है । खांमखां लोग जताना चाहते है कि वह हिन्दी नहीं जानते हैं । मेरा ऐसा मत है । वह सोचते हैं कि हिन्दी न बोलने से वह बड़े भारी विद्वान समझे जायेंगे । वह बहुत आगे बढ़े हुये व्यक्ति समझे जायेंगे और समाज में उनका आदर किया जायेगा । यह सोचा जायगा कि यह हिन्दी बोलने वाला लंठ नहीं है, अंग्रेज़ी बोलने वाला विद्वान है । श्रीमान्, जी यह बात मैं कहता हूं, ऐसी बात नहीं है । अनेक विद्वानों ने यह बात कही है कि हिन्दी बोलने वाले को समाज में यह समझा जाता है कि वह बेवकूफ है, कुछ नहीं जानता है ।

एम० ए० की डिग्री लिये हुये व्यक्ति चाहे उसने वह डिग्री खुशामद करके ली हो, चाहे उसको वह डिग्री छुरा दिखा कर मिली हो, चाहे नकल करके मिली हो, उसके मुकाबले में एक हिन्दी रत्न को, हिन्दी विशारद को, हिन्दी आचार्य को, कहीं भी वह जायेगा, किसी नौकरी के लिये पूछा नहीं जाता । उसको दूसरी श्रेणी में रख दिया जाता है, अंग्रेज़ी वाला आगे आ जाता है । इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही है श्रीमन्, जहां तक मैं सोच पाया हूं, यह झगड़ा हिन्दी और अंग्रेज़ी का नहीं है । यह झगड़ा रोमन लिपि और देवनागरी लिपि का नहीं है । यह झगड़ा श्रीमन्, भाषा-भाषा का नहीं है । बल्कि यह झगड़ा जन प्रतिनिधियों और जन सेवकों के बीच का है । जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते है उनकी भाषा हिन्दी होती है । उनको जो चुनने वाला होता है, जो उनका चुनाव करता है, वह हिन्दी का जानने वाला होता है, हिन्दी क्षेत्र का होता है । मगर जो जन सेवक होते है, पब्लिक सरवेंट जिसे कहते हैं । वह सेक्रेटेरियट में बैठते है । जिलों के 'धीश' होकर बैठते है और अनेक सरकारी कामों में रहते हैं, उनका चुनाव होता है, लोक सेवा आयोग से । जहां की भाषा अंग्रेज़ी है । इनको चुनने वाले अंग्रेज़ी दां बड़े-बड़े लोग होते है जिनकी नजर में हिन्दी बोलने वाले बेवकूफ होते हैं और अंग्रेज़ी बोलने वाले बुद्धिमान होते हैं । तो झगड़ा श्रीमन् उस स्थान पर आकर पड़ता है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दी को जो राष्ट्रभाषा का पद मिला है वह किसने दिलाया है—जन प्रतिनिधियों ने, विरोधियों या जनसेवकों ने ? जन प्रतिनिधियों ने हिन्दी का पक्ष लिया है जो कि उचित है । इसका एक कारण यह है कि हिन्दी किसी के बनाने से राष्ट्र भाषा नहीं बनी थी । बल्कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा आज से नहीं बहुत दिनों से चली आ रही है और मैं आ के सा ने कुछ तिथिया उपस्थिति करना चाहता हूं कि कब से हिन्दी अपने राष्ट्र की भाषा मानी गई है और विदेशियों ने माना है—

(१) १६५५ ई० में एडवर्ड टेरी ने अपनी वाएज टु दि ईस्ट इंडीज पुस्तक में अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि भारत की मुख्य भाषा हिन्दी है ।

(२) १७०४ में तुरोनेसिस के विद्वान ने 'लेक्सिकन लिगुआ हिन्दोस्तानिका' पुस्तक प्रस्तुत किया था और उसमें लिखा है कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हिन्दी है ।

(३) १७१५ ई० में जे०जे० केटलियर ने अपने डच मालिकों के लिए हिन्दुस्तानी का व्याकरण लिखा था । उस व्याकरण को अपने दक्षिण भारत में इस्तेमाल करने के लिये दिया था । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि १७१५ ई० में भी हिन्दी पूरे राष्ट्र में उत्तर से दक्षिण तक व्याप्त थी ।

(४) १७२७ ई० में ए० हैमिल्टन ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि हिन्दुस्तान की मुगल साम्राज्य की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। मुगल साम्राज्य उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश में ही सीमित नहीं रहा अन्य राज्यों में भी था और दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दी सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा थी ।

(५) १८८६ ई० में लन्दन से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध कोश "डाब्सन जाब्सन" में भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी को माना है।

(६) १८८७ ई० में "बंग दर्शन" नामी साहित्यक पत्र में "बाबू बंकिमचन्द्र चटर्जी प्रसिद्ध उपन्यासकार ने लिखा है और वह बंगला भाषा में लिखा है। मैं उसी को उद्धरित करना चाहता हूं बंगला भाषा में "हिन्दी शिक्षा ना करिले कोनो क्रमे चलिबे ना।" हिन्दी भाषाय पुस्तक ओ वक्तृता द्वारा भारतेर अधिकांश स्थानरे मंगल साधान करिबेन केवल बांगला ओ चर्चाय होइबे ना।" यानि बंगला विद्वान लिखता है कि केवल बंगला से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए हिन्दी ही समस्त राष्ट्र की भाषा होनी चाहिये ।

अंग्रेजी की जड़ जहां से जमी थी, बंगाल से, वहां का एक विद्वान हिन्दी के लिए इस प्रकार का समर्थन देता है। श्रीमान, जी अंग्रेजी राज्य के समय में १८०३ में एक राजाज्ञा प्रसारित हुई थी हिन्दी के बारे में। वह इस प्रकार थी—

"किसी को इस बात का उजुर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लीखा हुकुम सबसे वाकिफ नहीं है। हरी एक जिले के कलीक्टर साहेब को लाजिम है कि इस आईन के पावने पर एक एक केता इसतहारनामा नीचे के सरह से फारसी व नागरी भाषावो अच्छरन में लीखाए के कचहरी में लटकावही ।"

यानी उस वक्त भी हिन्दी भाषा को मान्यता थी। अंग्रेजी साम्राज्य अपना हुकुम-हिन्दी में निकाले बंगाल में यह हुकुम निकला था। वह जानते थे कि बगैर हिन्दी के यहां दूसरी भाषा से काम चलने का नहीं है । फिर श्रीमन, जी १८०५ में एक हुकुम-नामा ऐसा ही निकला अंग्रेजी राज्य में। उसमें उन्होंने लिखा है—मैं उसी भाषा में यहां पर निवेदन करना चाहूंगा—

"इस आइन के ३ दफे के जिलों (अलीगढ़, सहारनुपुर, आगरा और बुन्देलखंड) के जज साहिब और मजिसटर साहिब को लाजिम है कि जिस वकत इस आइन का फारसी या हिन्दी तरजमा उनके कने पहुंचे तो इसके तई अपनी कचहरियों में पढ़वावे ।"

अंग्रेजी भी यह समझते थे हिन्दी के बगैर काम चलने का नहीं है। मगर दुर्भाग्य है कि हम आज यह नहीं समझते हैं कि हिन्दी से काम चल सकता है। हम जब तक अंग्रेजी में उसी बात को नहीं कह देते, खुद अपना हृदय नहीं मानता है। इसका प्रमाण मैं इस ढंग से देना चाहूंगा। उसी दिन जब माननीय बहुगुणा जी अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने ४५ मिनट के भाषण में १५७ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया, मैं उनको लिखता जा रहा था। १७ नवम्बर, १९७३ की शाम को बोल रहे थे और यह बात नहीं कि उन प्रत्येक अंग्रेजी के शब्दों की हिन्दी न मालूम हो। हिन्दी में यह कहते थे, मगर उसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसको कहे बिना उनको सन्तोष नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी ऐसे देश की विधान सभा में बोल रहे थे जहां लोगों की भाषा हिन्दी न हो, अंग्रेजी ही समझते हों। इसलिए उसका अनुवाद तुरन्त अंग्रेजी में कर देते थे। विशुद्ध हिन्दी बोलते थे लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद किये उनकी तबियत नहीं मानती थी। इसका मतलब यह है कि उनके हृदय में चोर है। मैं यह कह रहा था कि उनके मन में जो हिन्दी के लिए उत्कृष्ट भावना है, वह हिन्दी में कहते जा रहे थे। जैसा मैंने निवेदन किया,

[कुंवर श्रीपाल सिंह]--

श्री भैरवदत्त सनवाल की आज्ञा के बावजूद भी कुछ पुस्तकें मैंने प्रस्तुत की थीं और कुछ प्रपत्रों का भी जिक्र करना चाहता हूं। वह भी मेरे पास मौजूद हैं।

जुडिशियल कनवेंसिंग सेशन में नं० ८४७७.जी०बी० १७०-७४ दिनांक १९-६-७४ का पत्र है दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु। यह अंग्रेजी में है। यानी यह उसका प्रमाण है कि विभागों में अंग्रेज चल रही है। राजस्व ७ का पत्र सं० ११२ २४ ७३-५०७--टी० सी०, दिनांक २६-६-७४ का है मालगुजारी आदि की वसूली के सम्बन्ध में। रोडवेज में वे बिल होता है जिसको कंडक्टर लोग बनाते हैं। उसका फार्म भी अंग्रेजी में है। अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। कंडक्टर का काम गांव की जनता से पड़ता है। उसको अंग्रेजी के फार्म देने की क्या आवश्यकता है? इसके अतिरिक्त रोडवेज में ही कलेक्शन रजिस्टर और सरकारी अधिकारियों के विजिटिंग रजिस्टर भी अंग्रेजी में चले आ रहे हैं। परिवहन मन्त्री जी इस बारे में कदाचित सुनना पसन्द नहीं करेंगे कि इनके विभागों में अंग्रेजी चल रही है। निगम के लिए पहले ही कह दिया कि इतने निगम हो गए कि उन्हें किसी की चिन्ता नहीं, जो चाहें सो करें। इसके बारे में जहां मैंने और लोगों के कथन उद्धृत किये वहां पूज्य बापू का कथन भी उद्धृत करना चाहूंगा जो अत्यन्त आवश्यक है। बापू का कथन है कि यदि मैं तानाशाह होता तो इसी दम अंग्रेज माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल और कालेजों को बन्द कर देता। अंग्रेज बोलने और किताबों की कमी का बहाना करने वाले अध्यापकों को बर्खास्त कर देता और शिक्षा के लिए बनायी गई अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों और नक्शों तथा चार्टों को जलवा देता। गांधी जी के यह विचार थे लेकिन आज उन्हीं गांधी जी के पवित्र चित्र के नीचे बैठकर हिन्दी के प्रति आस्था रखने का अनेक बार प्रयास किया लेकिन उसको अधूरा छोड़कर हम भी अंग्रेजी के ही दास बने हुए हैं।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमान् ऐ. महात्मा गांधी का एक उद्धरण और प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के ज्ञान के बिना भी भारतीय मानस का पूर्णतम विकास सम्भव होना ही चाहिए। यह भारतीय पुरुषत्व और विशेषतः नारीत्व का अपमान है कि हमारे बालक और बालिकायें यह सोचने को प्रेरित हों कि अंग्रेजी ज्ञान के बिना श्रेष्ठ समाज में प्रवेश पाना असम्भव है। यह इतना अपमानजनक तथा ओछा विचार है कि बरदाश्त के बाहर है। अंग्रेजी के मोह से छुटकारा पाना स्वराज्य के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। यह गांधी जी की बातें हैं। उन्होंने हिन्दी पर इतना बल दिया था और अंग्रेज को देश से जिस प्रकार हटाने के लिए कहा था उसी प्रकार अंग्रेजी को हटाने के लिए भी कहा था। मैं इस प्रदेश की जनता से कहूंगा कि यदि अंग्रेज भक्त लोग हिन्दी की राष्ट्र भाषा बनने के आड़े आते हैं तो कृपा कर वह हमें अपने घर में ही हिन्दी रखने दें, इसमें तो रोड़ा न डालें। अंग्रेजी न जानने की बात पर चौधरी साहब ने कहा कि उनको हिन्दी कम आती है। उस पर मैं एक छोटा सा आख्यान सुनाता हूं।

मुगलिया जमाने में एक साहब बादशाह के यहां मुलाजिम हुए। उनको भेजा गया काबुल। वहां रह कर वह मुगली भाषा में पारंगत हो गए। रिटायर होने पर लौट कर घर आये। मां जिन्दा थी। आने पर बीमार पड़े और मरने के करीब हो गये। गांव में आने-जाने का मार्ग नहीं था। पैदल लोग आया जाया करते थे सन्निपात उनको हो गया। वैद्य को बुलाने के लिए आदमी गया। उसके लौटने में देर हुई और उनका प्राणान्त हो गया। मां बैठी रो रही थी। वैद्य जी आये। उन्होंने देखा और कहा कि बहुत तेज बुखार था। अगर पानी दे दिया होता तो बच जाता। उस देहाती मां ने कहा

कि यह पागल हो गया था और आब आब कह कर चिल्ला रही थी । वैद्य ने कहा वह पानी ही इसकी दवा थी और दे दिया होता तो बच जाती । इस पर हमारी तरफ एक कहावत है "काबुल गये मुगलिया हो जाय और बोले मुगलिया बानी, आब आब कहते पुतवा मरि गये खड़िया तर धरा रह पानी ।" यह अँग्रेजी परस्त लोग जो हैं उनकी यही हालत होने वाली है । जिस समय वह सदन में बोलने के लिये खड़े होते हैं तो यह जताना चाहते हैं कि हिन्दी बहुत तुच्छ भाषा है । इसमें भाव व्यक्त नहीं किये जा सकते । मैकाले ने अपने मिनिट्स में यही बात कही थी . . .

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

सदन में कौन सी मैकाले की भाषा बोली जाती है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मुख्य मंत्री जी वाली भाषा मैकाले की भाषा है जिसमें ४५ मिनट के भाषण में १५७ शब्द अंग्रेजी के थे । (व्यवधान) पहले सुनिये । मेकाले ने कहा था कि यूरोप के किसी भी पुस्तकालय की एक अल्मारी भारत के सम्पूर्ण साहित्य से बढ़कर है और मैकाले ने अपने मिनिट्स में यह भी लिखा है कि भारतीय शरीर में विलायती मस्तिष्क पैदा करना अंग्रेजी भाषा का मात्र उद्देश्य है और उसी का परिणाम है कि आपके पास भारतीय शरीर में बिलायती मस्तिष्क वाले जो लोग हैं वे हिन्दी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं । (व्यवधान) . . .

एक सदस्य--

पहले आप अपने दामन को देखिये, शीशे में झांक लीजिये ।

कुंवर श्री पाल सिंह--

एक चार्टर प्रस्तुत किया गया था ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरफ से । उसमें एक जगह 'साहित्य' शब्द आया था । उसकी परिभाषा करते हुये मैकाले ने कहा--साहित्य का तात्पर्य अंग्रेजी या योरोपियन साहित्य से है और शिक्षित भारतीय का तात्पर्य पश्चिमी शिक्षा से शिक्षित भारतीय से है । यही मैं कह रहा हूं कि शिक्षित के माने आज भी यदि आप अंग्रेज परस्त हैं तो आपके दिमाग में यह है कि अंग्रेजी जानने वाले ही शिक्षित हैं । अन्यथा मुख्य मंत्री जैसे पद पर बैठकर यह बात कहना कि माननीय चौधरी साहब की तरह मुझे भी हिन्दी कम आती है, उचित नहीं है । मैं सीधे चार्ज लगाता हूं मुख्य मंत्री जी के ऊपर । उनके स्थान से ऐसी बात कहने का तलब यह है कि जो उच्च अधिकारी पैदा हुये हैं वे मैकाले फैक्टरी से निकले हुये हैं . . . (व्यवधान) . . . । (एक किताब की ओर संकेत करते हुये) इस पुस्तक को आप देख लीजिये, इस तरह से चार सौ बीसी करके अंग्रेजी लायी जा रही है . . . (सरकार पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) । आपको भी बोलने के लिये समय मिल लेगा, तब कह लीजियेगा । श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरीके से गलत ढंग से अंग्रेजी को पुनः घुसाने का प्रयास किया जा रहा है । एक चीज यह निवेदन और कर दूं कि ऊंचे स्थानों से ही जो बात होती है उसे अपने आप नीचे के लोग मानते चले जाते हैं । आप देख लीजिये महामहिम राज्यपाल के चपरासी की बेल्ट पर अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है । "उत्तर प्रदेश पुलिस" शब्दों का इस्तेमाल तो यहां पर तब हुआ जब मैंने कई बार पिछली दफा प्रश्न किये, बहुत प्रयास इसके लिये किया गया था कि वह हिन्दी में होना चाहिये । लेकिन अभी भी राज्यपाल के यहां तो अंग्रेजी में चल रहा है । मुख्यमंत्री के स्थान से किसी बात को कहना दूसरा मतलब रखता है और दूसरा व्यक्ति जो बात दूसरी जगह से कहते हैं उसका तात्पर्य दूसरा ही होता है । इन शब्दों के साथ मैं इस चर्चा को प्रारम्भ करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करें और उसके बाद मैं पुनः अपनी बात रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री जी, आप इसका संक्षेप में उत्तर दे दें ।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

बाद में ही दे दूंगा ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आप हम लोगों को बोलने को समय सीमा बांध दें और विशेष परिस्थिति में बढ़ा भी सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो संगत विषय पर बोलता है उसको अधिक समय देता ही हूं ।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, आपने इस भाषा के सम्बन्ध में मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं ।

मैं, माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने भाषा के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाये, उस भावना के साथ हूं और जो कुछ उन्होंने तर्क दिये, मैं उन्हें भी सही मानता हूं, सिवाय उस तर्क के जहां उन्होंने चार सौ बीसी का जिक्र किया । मैं केवल उस चार सौ बीसी के साथ नहीं हूं, बाकी उनके तर्कों के साथ हूं । भाषा सारे जन मानस या आम जनता के प्रतिनिधियों की भावना का एक द्योतक होता है। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, किस तरीके से यह सोचते हैं और किस समस्या को जिस तरीके से हल करना चाहते हैं उसका अगर जाहिरा कोई तरीका है तो वह भाषा है । मैं जहां उनके इस तर्क से सहमत हूं, जब इस प्रदेश में, जैसा कि मैं उनकी मंशा समझा हूं, हिन्दी भाषा का प्रयोग हमने निश्चित कर लिया तो उसके बाद किसी भी विभाग में या इस सम्मानित सदन के किसी सदस्य की तरफ से अंग्रेजी के शब्दों को ज्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए । लेकिन मैं उनसे यह नम्र निवेदन करूंगा कि भाषा को भी इतना हम क्लिष्ट न बना दें, जिसे आम जनता समझ ही न पाए । मैंने बहुत सी भाषाओं के इतिहास को पढ़ा है, उनका अध्ययन किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि संसार की वही भाषाएं काफी धनी हो पायी हैं, काफी व्यापक रूप में फैल पाई हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें दूसरी भाषाओं से अधिक से अधिक शब्द लिये गये हैं । मैं यहां जो आज यह भाषा प्रयोग में लाई जाती है, उसमें कुछ यह भी कठिनाई देखता हूं, कि जहां कुंवर श्रीपाल सिंह जी कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लाने की चेष्टा की जाती है, वहां एक और भावना मिलती है, जितने उर्दू के प्रचलित शब्द हैं उनका वहिष्कार करने की कोशिश की जाती है। मैं इसके भी विरुद्ध हूं । क्योंकि हिन्दी उसी वक्त धनी हो पायेगी, तभी सारी जनता में फैल पायेगी, जब हम यहां जो भाषा बोलें उसके शब्दों का उसमें प्रयोग हो। तभी आम जनता अच्छी तरह से समझ पायेगी। जब उसमें रोजमर्रा के शब्दों का प्रयोग हो और उर्दू के भी शब्दों का प्रयोग हो, तभी हिन्दी सम्पन्न और व्यापक भाषा हो पायेगी ।

आज राजकीय कार्यालयों में जो भाषा चलती है, मैं उसमें देखता हूं, उर्दू के किसी शब्द का प्रयोग करने के माने यह समझते हैं कि वह भूल कर रहे हैं। हिन्दी भाषा तभी व्यापक और प्रचलित जनजन की भाषा बन पायेगी, जब उसके अन्दर उर्दू या अन्य किसी भाषा से भी शब्द लिए जायें, जिनके लिए हिन्दी के शब्द नहीं मिलते हैं। उर्दू का अन्य तिरस्कार या वहिष्कार ठीक नहीं है। जैसे मिसाल के लिए नैपाल को राजाशाही से

स्वतन्त्र कराने के लिए नैपाल दिवस पर दिल्ली कारागार में हम भी बन्दी थे और उस समय वहां पर हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक के बहुत से कार्यकर्ता भी बन्दी थे । तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि मेरा मुख मार्जन वस्त्र खंड लेते आना। यानी सीधा रुमाल शब्द न कहकर उन्होंने यह आवाज दी कि मेरा मुख मार्जन वस्त्र खंड लेते आना। वैसे ही रेल न कहकर हमारे कुछ साथी 'वाष्प धुकधुकी लौह पथ गामिनी" कहना हिन्दी के नाम पर अधिक पसन्द करते हैं।

एक सदस्य—

चाय के लिए क्या कहेंगे ?

श्री ईश्वरी सिंह—

वैसे मैं कुंवर श्रीपाल सिंह जी की भावना से सहमत हूं। चाय के लिए उन्होंने कोई शब्द नहीं बताया है। मेरे कहने का मतलब यह है, यह बात सही है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

चाय की पत्ती का दूसरा नाम नील पर्णी है और चाय भी संस्कृत नाम है, जो बहुत प्राचीन है। आज का नहीं है।

श्री ईश्वरी सिंह—

मैं कुंवर श्रीपाल सिंह को इस बात से सहमत हूं कि जो विभागों के अधिकारियों के दिल व दिमाग में अंग्रेजी भाषा बसी हुई है उससे छुटकारा दिलाना होगा क्योंकि जब एक बार हम निश्चय ले चुके हैं कि हिन्दी भाषा में कार्य चलेगा तो निश्चित रूप से सख्ती से उसको अमल में लाना चाहिए। लेकिन वह चीज तब हो पायेगी, जो अंग्रेजी से विशेष प्रेम करते हैं, वह कठिन हिन्दी से भी अनभिज्ञ हैं, यह वास्तविकता है। हिन्दी में जब मैं उर्दू के शब्दों की बात करता हूं वहां अंग्रेजी के भी कुछ शब्द मिलेंगे जैसे केस है। आमतौर से गांव का किसान कहता है फलां अदालत में मेरा केस है। रिपोर्ट का रपट हो गया है। इस तरह के शब्द हमें इस सम्बन्ध में दकियानूसी नहीं होना चाहिए चाहे उर्दू के शब्द हों या किसी भाषा के हों जितने शब्दों को अपना कर चलेंगे उतनी ही हिन्दी व्यापक होती चली जायगी उतनी ज्यादा मालदार होती चली जायगी, उतनी आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। मैं यह जनसंघी भाइयों पर आरोप नहीं लगाता लेकिन कुछ लोगों की भावना हो गयी है कि हिन्दी का अर्थ संस्कृतनुमा हिन्दी है, उस आमफहम भाषा से नहीं है जो देहातों और कस्बों में बोली जाती है। हिन्दी में हम उन आमफहम शब्दों का प्रयोग करें जिससे हर एक के बोलने और लिखने की तबीयत हो और वह अपने भावों को उस तरह से व्यक्त कर सके। हो सकता है कि माननीय चौधरी चरण सिंह, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, वास्तव में शायद उनकी मूल भाषा उर्दू थी, वह उर्दू के शब्दों का प्रयोग करने में झिझकते हैं, अंग्रेजी बोलने की आदत हो गई है।

हिन्दी के जो संस्कृतनुमा शब्द हैं उनका शायद उस हद तक बोलने का प्रयास न कर पाये हों। यह उनकी व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। उसी भावना से हो सकता है, जैसे माधव प्रसाद जो भी बह गये, नेता विरोधी दल भी बह गये, तो हो सकता है कि कुछ शब्दों का प्रयोग हमारे माननीय नेता ने भी कर दिया हो। लेकिन यह बात सही है कि हमको भाषा के प्रयोग में, राजकाज के अन्दर चाहे किसी भी तरह का आदेश या निर्देश देना हो, चाहे कोई भी निगम हो, जैसा कि कुंवर श्रीपाल सिंह ने परिवहन निगम और विद्युत् परिषद् का नाम लिया, मैं भी जानता हूं कि जितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं। उनसे अगर आप कहिये तो यह समझते हैं कि जैसे हमको बड़ा दकियानूसी बना रहे हैं, हमको कम पढ़ा-लिखा बना रहे हैं। उसके लिए जब हम पूरी तरह से निश्चय करेंगे और लागू करेंगे तो कोई वजह नहीं कि उसका पालन न हो। सख्ती से काम लेना चाहिए मैं, कुंवर श्रीपाल सिंह की इस भावना से सहमत हूं। लेकिन यह मैं उनसे निवेदन करूंगा कि

[श्री ईश्वरी सिंह]

वह भाषा को संस्कृतनुमा भाषा बनाने की चेष्टा न करें जिसे आम लोग समझ न पायें या कोई ऐसा वर्ग वंचित रह जाय क्योंकि हमारी जो भाषा है वह ऐसी हो जिसे सब लोग समझ सकें। हम जो यहां बोलते हैं, हमारे प्रदेश की ९ करोड़ जनता है या बाहर जनता रहती है जिसमें मुस्लिम भाई भी हैं और करोड़ों पढ़े-लिखे लोग हैं, वह भी समझें और जानें कि हमारी विधान सभा में हमारे माननीय प्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं और उनके कहने की क्या मंशा है, वह अच्छी तरह से समझ सकें। यह मैंने इसलिए निवेदन किया कि जहां भाषा का प्रश्न आता है वहां उस भाषा के दरवाजे को बन्द न रखा जाये तभी उसका साहित्य बढ़ाया जा सकता है।

कुछ लोगों का एतराज हो सकता है कि क्यों हम अंग्रेजी के खिलाफ हैं मैं अंग्रेजी साहित्य का पक्षपाती हूं, माध्यम का नहीं। जहां साहित्य का अध्ययन करना है अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करें। हमारे विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी विभाग हों क्योंकि हमें सारे संसार से अपनी कड़ी बनाये रखना है। लेकिन जहां तक माध्यम का संबंध है वह सही है कि हमारे सदन की तथा विभागों की भाषा का जो माध्यम हो वह हिन्दी हो। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि भाषा किसी के ऊपर लादी नहीं जा सकती है। यह मैं मानता हूं कि अंग्रेजों से पहले इस देश की भाषा हिन्दी रही लेकिन बीच में उर्दू का भी राज-काज में प्रयोग हुआ। आज इस सरकार ने इस बात को श्रीपाल सिंह जी मानेंगे कि कितने बड़े व्यापक पैमाने पर हमारी अदालतों में तथा कार्यालयों में अंग्रेजी का बोलबाला था और हर सरकारी कर्मचारी के दिमाग में अंग्रेजी बसी हुई थी। उसको किस हालत में ले आये हैं। यह भी बहुत बड़ा काम हुआ है। यह कहना कि सरकार ने हिन्दी लागू करने में कोई बदनियती की है या चार सौ बीसी की है इसको मैं नहीं मानता हूं। यह गलत प्रचार है और सरकार ने ईमानदारी से कोशिश की है कि हर विभाग में हिन्दी भाषा को लागू किया जाय।

हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, इतने सारे विभाग हैं और बहुत बड़ी तादाद में पत्र व्यवहार होता है तो कुछ कमियां भी हैं। उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये और सम्मानित सदस्यों को ध्यान देना चाहिये और इसको लागू करने की कोशिश करें। मैं इस उसूल का हूं कि भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिये केवल शासक दल कोशिश करे तो वह सफल नहीं होगा जब तक हमारे विरोधी दल भी उसमें सम्मिलित न हों। यह किसी राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है। यह तो सारे सदन का प्रश्न है। हम सब मिल कर इसके लिये प्रयत्न करें। अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय श्रीपाल सिंह जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस भावना से उन्होंने सवाल रखा है उसमें हम उनके साथ हैं। आशा है कि वह भी इसमें हमारे साथ होंगे।

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ समय बोलने के लिए दिया जिस भाषा का इस्तेमाल हम पुराने जमाने से करते चले आ रहे हैं, उसको अगर उठाकर देख लिया जाये तो आपको मालूम हो जायगा कि कितनी अच्छी और प्रेरणादायक वह थी। श्रीकृष्ण जी के जमाने में जो भाषा प्रयोग होती थी वह संस्कृत थी, उसी में उन्होंने उपदेश दिये। आप देखें कि रामायण के शब्द कितने अच्छे हैं:—

रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जायं पर बचन न जाहीं।

श्री रामचन्द्र और श्री लक्ष्मण जी का चरित्र हमें रामायण में मिलता है। रामायण को श्री गोस्वामी तुलसी दासजी ने और बाल्मीकि ने लिखा है। हमारा शिष्टाचार क्या है, हमारा रहन-सहन क्या हो, यह सब संस्कृत भाषा में लिखा पड़ा है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि संस्कृत बहुत ही कठोर भाषा है। पहले पुत्र पिता से प्रणाम किया करता था लेकिन अब अंग्रेजी व्यवहार ने उसे बदल दिया है। माता को मम्मी और पिता को डैडी अथवा अंकल

कहा जाने लगा है । पता नहीं किन-किन शब्दों का प्रयोग होने लगा है । शिष्टाचार रह ही नहीं गया है । अगर हम संस्कृत भाषा को अपनाये रहेंगे तो उससे हम पुराने ग्रन्थों में वर्णित शिष्टाचार आदि की बातों को जानते रहेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी जो पुरानी भाषा है वह कितनी अच्छी है । पहले यहां कमीज और धोती का पहनावा था और अब पैंट और शर्ट का पहनावा हो गया है । यह सब अंग्रेजी के कारण हो गया है । मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री ने धोती और कुर्ता ही पहना । यहां तक कि जब वह विदेश में भी जाते थे तो भी धोती कुर्ता ही पहनते थे । एक दोहे में लिखा है—

ब्राह्मण सदा राष्ट्र में हों दिव्य तप तेज धारी ।
क्षत्री हो महारथी अरि दल विनाशकारी ।
होवे दुधारी गउवें पशु अश्व आशारथी ।
आधार राष्ट्र की हों नारी स्वयं सदा ही ।
बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे,
इच्छानुसार बरसे तुरन्त ताप धोवे ।।
फल-फूल से लदी होअ औषधियुक्त डाली सारी ।
हो योग्य क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ।

पुराने समय में साधु-महात्माओं की बात का कितना असर था । अगर वह शाप दे देते थे तो हानिकर होता था । आपने सुना होगा कि महाराजा जनक के समय में बहुत बड़ा अकाल पड़ा तो महाराजा जनक ने पंडितों को बुलाया और पूछा तो पंडितों ने कहा कि आप हल चलावें और महारानी खाना लेकर जायें तो पानी बरस सकता है । महाराजा जनक ने ऐसा ही किया और पानी बरसा । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने समय में लोगों की बात का अर्थ होता था । आज हमारी सभ्यता यह हो गयी है कि हम जूता पहन कर खाते हैं परन्तु पुराने समय में लोग जूता उतार कर ही चौके पर जाया करते थे । तो मैं अन्त में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा देश के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है ।

*श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं नहीं जानता था कि कहां तक मेरे लिए मुनासिब है । लेकिन हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने जो विवाद इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके लिए तो मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, आप उपस्थिति नहीं थे जो विद्वतापूर्ण भाषण उनका हुआ, यदि राजनीति के अक्षुण्यको उन्होंने लोग संवर्ण कर दिया होता तो सदन के इधर-उधर बैठने वाले दोनों पक्षों के लोग उनके इस वक्तृता के लिए धन्यवाद देते । लेकिन उनके जसे विद्वान जिसके हृदय में हिन्दी के विकास के लिये तड़पन है वह आ मी मान्यवर, जब हिन्दी के पक्ष में बोलता हुआ राजनीति के पचड़ों में परक जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हिन्दी का हित करने के लिए कहीं अनजाने उन्होंने अहित तो नहीं सम्पादित कर दिया । हमारे देश में मान्यवर, जहां बेकारी की समस्या है, जहां और सारे सवाल हैं वहां पर यह भाषा के विवाद भी बड़े-बड़े राष्ट्रीय प्रश्नों में एक महान प्रश्न हैं । तो मैं उनसे यह उम्मीद करता था कि वह ऐसी कोई बात इस सदन के समक्ष उद्धृत नहीं करेंगे जो उनकी गरिमा और स्थान के लिये उपयुक्त न होगा । मान्यवर, उन्होंने आरोप लगाया और जिन शब्दों में हमारी कार्यवृत्ति में उन्होंने आक्षेप लगाया, आप देखें, उनका यह कहना है कि इधर बैठने वालों ने और इनकी सरकार ने हिन्दी की उपेक्षा की है । अब यह बात तो वैसे ही है जैसे मान्यवर, सूरज को देखने के बाद भी कोई आदमी कहे कि सूरज उदय नहीं हुआ है । मैं आपसे नम्रतापूर्वक कह रहा हूं । वादे—वादे.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मैं एक बात कह दूं कि मेरा मन्तव्य सरकार से जो है कोई जन प्रतिनिधियों से नहीं है। सरकार से मेरा मतलब केवल उन लोगों से है जो जन सेवक कहे जाते हैं यानि सर्विसेज के लोग। वह लोग इस अंग्रेजी को खामोखा हमारे सिर पर लादना चाहते हैं। हम तो उसको हटाना चाहते हैं। उसमें सब शरीक हैं। अगर आप वैसे सक्रिय हों तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, आपने जो सफाई पेश की है केवल इतनी सी सफाई से काम नहीं चलने वाला है। मैं यह आशा करता था, उनसे मेरी उम्मीद थी कि जिस दल के लोगों ने और जिस दल की सरकार ने हिन्दी भाषा को स्वाधीनता के अर्जन के उपरान्त तत्काल राष्ट्र भाषा के सिंहासन पर आरूढ़ किया। यह सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है। स्वाधीनता के पूर्व की बात मैं कहना चाहता हूं शिव प्रसाद जी गुप्त मान्यवर, सबको मालूम है कि हिन्दी के कितने बड़े हिमायती थे, उसके कितने बड़े समर्थक थे। मोटर गाड़ी पर हिन्दी में नम्बर लगाने के लिए अंग्रेजी दासता युग में उन पर जुर्माना हुआ था। आज अखबार हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिये निकलता है। उस जमाने में अखबार निकालने के लिए कोई लाभ नहीं हुआ करता था और मान्यवर, आज क्या हो रहा है? मान्यवर, कुंवर श्रीपाल सिंह दिल्ली तशरीफ ले गये होंगे, मैं तो जब जाता हूं तो और कुछ देखने के पहले जब वहां के राजपथ का नाम देखता हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मान्यवर। सत्य पथ है, शांति पथ है। हमारी राष्ट्र भाषा है, उसको गौरवान्वित करने के लिए इस देश की महानगरी में कितना प्रयास किया गया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मेरी माननीय रामायण राय जी से प्रार्थना है कि वे प्रयास २ चीजों में संशोधन कर लें, एक तो 'उपेक्षा' ही नहीं 'घोर उपेक्षा' और 'प्रयास' नहीं 'कुछ प्रयास'।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनको कुछ भी कहिये वे हमेशा उल्टा ही करते हैं। एक पंडित जी थे, उनकी औरत थी। तो जो पंडित जी कहते थे हमेशा वह उल्टा करती थी। पंडित जी बड़े हैरान हो गये कि कैसे इनसे पिंड छूटे। एक दिन दोनों पति और पत्नी, एक गहरी नदी के किनारे पहुंच गये। पंडितानी जब नदी में घुसी तो पंडित जी ने कहा कि आगे न बढ़ना, नदी बहुत गहरी है। पत्नी फौरन गहरे पानी में चली गयी। उसी प्रकार से आये दिन मैं यहां पर हिन्दी, संस्कृत और आयुर्वेद की हिमायत सुना करता हूं लेकिन यह तिलमिलाहट क्यों है, छटपटाहट क्यों? दिल्ली में भाषा को समृद्ध करने के लिए विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साहित्य, उसके ग्रंथ तैयार किये जा रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें और आगे बढ़ सकें। दिल्ली में सरकार की ओर से इस बात की योजना की गयी है आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने तो देखा है कि पहली कक्षा से ८ वीं कक्षा की पुस्तकों और पुझे गौरव है कि यह काम बस्ती जिले के रहने वाले एक विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान, कर रहे हैं। और कुछ आगे कहूंगा तो आप कह देंगे कि शायद आप अपनी तारीफ कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में, मान्यवर, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, एक आध को छोड़कर डाक्टर सम्पूर्णानन्द को कौन नहीं जानता कि वे हिन्दी के माने हुए विद्वान थे और उनकी कितनी रचनायें इतिहास पर समाज शास्त्र पर, दर्शन शास्त्र पर हैं। पंडित कमला पति त्रिपाठी, जिन्होंने जर्नलिस्ट, पत्रकारिता पर इस देश में पहला ग्रंथ हिन्दी में लिखा

था । सेठ गोविन्द दास, प्रोफेसर राजा राम शास्त्री, जिन्होंने मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक हिन्दी में लिखी है और नाचीज बन्दे ने भी एक टैक्नीकल सब्जेक्ट पर पहला ग्रंथ हिन्दी में लिखा जो हिन्दू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रखा है, कभी जायं तो देखिये, कि वह ग्रंथ क्या है । तो इधर के लोग हिन्दी भाषा की समृद्धि के लिये विभिन्न साहित्य कला द्वारा विभिन्न रचनाओं में लगे हुए हैं लेकिन यह जरूरी है कि हिन्दी के प्रति हम नहीं चाहते कि कुछ लोगों के मन में घृणा हो । साउथ इंडिया में मुझे कुछ सम्मेलनों में जाने का अवसर मिला है । मद्रास स्टेशन पर मुझे एक बार एक आदमी मिला । मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि वह आदमी शायद हिन्दी न जानता होगा । मैंने जब अंग्रेजी में बात-चीत करना आरम्भ किया तो उर्दू में उसने जवाब देना आरम्भ किया । चिन्तन की चेष्टा कीजिये । जिन लोगों पर आप इल्जाम लगाते हैं कि हिन्दी विरोधी हैं, कम से कम साउथ इंडिया में देखिये कि किन लोगों ने हिन्दी का प्रचार किया है । बंगलौर में वहां के मुसलमान जुलाहों ने हिन्दी का प्रचार किया है । मद्रास में भी जो लोग उर्दू की मुखालिफत करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वहां के मुसलमान लोग ही हैं जो कि हिन्दी का वहां पर प्रचार कर रहे हैं । और इस सरकार से क्या नहीं हुआ ? दक्षिण के प्रत्येक राज्य में हिन्दी के प्रसार-प्रचार के लिए लोग भेजे गये । स्कूल खोले गये । तरह-तरह की सुविधाएं दी गयीं । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भाषा हिन्दी है । केंद्रीय सरकार ने भी इस पर महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है । लोक सेवा आयोग में डाक्टर रामलाल जो मेरे विद्यार्थी जीवन के साथी थे आज उसके अध्यक्ष हैं, जो हिन्दी के माने हुए विद्वान हैं ।

मुख्य मंत्री जी पर यह आरोप लगाया गया, एक तरफ आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने हिन्दी में कवितायें लिखीं और उनका संग्रह हमने तो नहीं' माननीय श्रीपाल सिंह ने देखा है, लेकिन अगर उनकी वक्तृता में एक आध शब्द अंग्रेजी का आ गया तो माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह उससे भड़क उठते हैं । मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भाषा के मामले में उनको उदारता बरतनी होगी, नहीं तो हमारी कुछ अजीब हालत हो जायगी । यह प्रश्न आज से कई सौ साल पहले अकबर के जमाने में उठा था कि कौन सी भाषा को देकर भगवान ने मनुष्य को धरती पर उतारा है, उसी को श्रेष्ठ माना जाय । इस बात का निर्णय नहीं हो सका कि कौन सी भाषा से विभूषित होकर मनुष्य धरती पर अवतरित हुआ ? अशरफुल मखलूकात कौन सी भाषा को लेकर संसार में नाजिल हुआ । तो कुछ नवजात शिशुओं को एक ऐसे स्थान में रख दिया गया जहां परिचारिकाओं और परिचारकों को यह आदेश दिया गया था कि इन बच्चों को लालन-पालन के समय किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे । एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, ४ वर्ष, ७ वर्ष बीत जाने के बाद भी जब वे कोई भाषा नहीं बोल रहे थे तो उन्हें बादशाह सलामत के दरबार में पेश किया गया । तो मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा की महत्ता को इधर के बैठने वाले स्वीकार करते हैं लेकिन हमें उस मामले में अनुदार नहीं होना चाहिये ।

भाषा विज्ञान के पंडितों को मालूम है कि जिस तरह से दुनिया के सभी धर्मों में अच्छी बातें संग्रहीत की गयी हैं ठीक उसी तरह से दुनिया की हर भाषा में चोली-दामन का रिश्ता है । मान्यवर, आप जानते हैं कि 'अप्' शब्द जो है वही "अप्पा" और "अब्बा" हो जाता है । संस्कृत का "दुहितृ" शब्द ही "दुख्तर" और "डाटर" हो जाया करता है । "शिरोमणि" ही "जीरोमनी" "शर्मन" और "जर्मन" बन जाते हैं । ऐसे अनेक उदाहरण होंगे ।

अगर आप उदारतापूर्वक देखेंगे तो संसार की सभी भाषाएं एक मां के गर्भ से निकली हुई प्रतीत होंगी और उनका अनुदार दृष्टिकोण सदन के सामने कभी भी प्रदर्शित नहीं होगा । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस सरकार को तो जिस सरकार का नेतृत्व श्री बहुगुणा जी कर रहे हैं, उसको धन्यवाद देना चाहिये । जहां तक मेरी जानकारी है,

[श्री रामायण राय-]

जब माननीय बहुगुणा जी संचार मंत्री थे उस जमाने में उन्होंने हिन्दी डायरेक्टरी और हिन्दी टेलीफोन का प्रचलन प्रारम्भ किया था । आज भी जहां आये दिन उनके शासकीय आदेश निकलते रहते हैं मैं भी मानता हूं कि कुछ लोग अभी भी अंग्रेजी की सुपीरियारिटी उसकी महत्ता को इसलिये चाहते हैं कि उसके चलते वह ऊंची जगहों पर बने रहें । लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कुंवर श्रीपाल सिंह जी को कि ऐसे लोगों के दिन अब लद चुके हैं । साथ ही साथ आपके बगल में जो बैठे हुए दोस्त हैं, आपने स्वयं देखा होगा, गम्भीर प्रश्न, छिताौनी में बाढ़ आयी है, लोग डूब रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को भी जिस समय उपस्थित करते हैं तो ऐसी भाषा में, हिन्दी के ऐसे रूप में कि उसका गाम्भीर्य नष्ट हो जाता है । हमारे ही जनपद से वह आते हैं । मैं जानता हूं कि जन भाषा का प्रयोग करना चाहिये लेकिन कहां करना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

भोजपुरी हिन्दी भाषा का ही एक अंग है । उस पर आक्षेप करना उचित नहीं है

(व्यवधान)

श्री रामायण राय--

इन्हें मालूम है, अपनी तारीफ स्वयं करना नहीं चाहता लेकिन आपके ही शहर में डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख की सभाओं को यह नाचीज भोजपुरी में समर्थ रूप से संबोधित कर चुका है । कहना यह चाहता हूं कि विषय के गाम्भीर्य, उसका वातावरण, उसका स्थान, इन तमाम बातों का बिना लिहाज किये हुए केवल प्रचार की दृष्टि से जब किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो विषय से ममता कम होती है और अपने प्रचार की ममता ज्यादा होती है ।

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

मैं एक सूचना देना चाहता था पूरे सदन को नहीं तो धीरे-धीरे लोग चले जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

वह बाद में हो जायेगा ।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, बड़े तार्किक रूप में श्री रामायण राय जी ने अपने विचार रखे । जो विषय है उसको पहले वक्ता ने भी जो कांग्रेस की ओर बोलने खड़े हुए थे शायद नहीं पढ़ा । उसमें लिखा है, "शासकीय कार्य में हिन्दी की उपेक्षा के संबंध में कुंवर श्रीगोपाल सिंह आदि के प्रस्ताव पर बहस ।" और सम्पूर्ण भाषण मोंथ झुला कर दुनियां भर की बातें तो कहीं गयी लेकिन शासकीय कार्यों में जो हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया रामायण राय जी ने केवल डेढ़-डेढ़, दोदो लाख जनता के सम्बोधन को कह कर बात खत्म कर दी । उसमें कमी को नहीं माना जोकि उनको मानना चाहिये था । अफसोस इस बात पर होता है कि कांग्रेस के पहले वक्ता ने भी यह कहा कि क्लिष्ट हिन्दी की बात को जनसंघ वाले क्यों नहीं मानते । हम तो यह कहते हैं कि अंग्रेजी का जो प्रयोग शासकीय कार्य में किया जा रहा है उस पर हमारी आपत्ति है, उसके लिये दो उदाहरण देखें । अगर आप यह कहते हैं कि १९४७ से ही हिन्दी राष्ट्रभाषा मानी गयी है तो १९ जनवरी, १९६८ को आपको यह आदेश क्यों निकालना पड़ा कि २६ जनवरी, १९६८ से समस्त सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है और अन्त में उसी में कहा गया है कि तमाम सरकारी तार हिन्दी में भेजे जायं । लेकिन जो सरकार के तार जाते हैं वह आज भी अंग्रेजी में जाते हैं और मैं वह तार भी दिखला सकता हूं जो अंग्रेजी में गये हैं । एक दूसरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रादेश २० अक्टूबर, १९७३ को निकाला गया जिसमें फिर यह कहा गया कि इस प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी घोषित किया गया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। समस्त कार्यों को हिन्दी में ही किया जाय और फिर अन्त में कहा कि तार हिन्दी में ही भेजे जायं। आजादी के बाद आपको पहला कदम यह उठाना चाहिये था कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहिये था, मगर आपने वह काम नहीं किया। आपके दिमागों में तो अंग्रेजी घुसी हुयी थी। पहले मान्यवर, चल चित्र जो दिखाये जाते थे, भले ही वे दिल्ली, बम्बई या तामिलनाडु में बने हों, मगर छाया चित्र जो शुरू शुरू में दिखाये जाते थे वे हिन्दी में ही हुआ करते थे। आजादी के एक साल बाद वे अब अंग्रेजी में दिखाये जाने लगे। क्या यह आपकी कमजोरी नहीं है ? आपके आदेश हिन्दी के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। हमारे यहां एस०पी० महोदय ने एम०एल०एज० की एक गोष्ठी बुलाई, उसका पत्र भी हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में जाता है। उत्तर प्रदेश में एल०एस०जी०डी० के चीफ इंजीनियर को मैंने पत्र हिन्दी में लिखा, मगर उनका जवाब मुझे अंग्रेजी में मिलता है। (व्यवधान) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भूत तो आपके सर पर ही नहीं, प्रधान मंत्री के सर पर भी चढ़ा रहता है।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आपके अधिकारी लोग आपके आदेशों का पालन किस प्रकार करते हैं। माननीय बहुगुणा जी की बड़ी तारीफ की गयी। इलाहाबाद के अन्दर ही, जहां से वे चुनकर आये हैं, शिक्षा परिषद के अन्दर अंग्रेजी का कम्प्यूटर लगाया जा रहा है। रामायण राय जी अगर यह सुझाव देते कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का कम्प्यूटर लगाया जाय तो मैं उनको धन्यवाद देता। इस कम्प्यूटर को लगाकर लोगों को बेरोजगार करने की कितनी बड़ी योजना बनायी जा रही है। क्या माननीय रामायण राय जी, आपने इस पर विचार किया। अंग्रेजी का कम्प्यूटर लगाकर हिन्दी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, आपने क्या कभी इस पर विचार किया ? इस पर विचार न करके आपके ऊपर तो जनसंघ का फितूर चढ़ा रहता है। बहुगुणा जी की तारीफ ही आप केवल इसलिये करते हैं ताकि शायद मंत्रि-परिषद में स्थान मिल जाय।

हमारे परिवहन मंत्री पता नहीं बस से सफर करते हैं या नहीं। बसों पर भी लिखा रहता है "यू०पी० रोडवेज"। क्या यह हिन्दी है ? यह मंत्री जी को देखना होगा। और भी अन्दर कुछ शब्द लिखे हैं, अब मैं क्या बतलाऊं ? सिगरेट, बीड़ी पीना मना है, यह भी अंग्रेजी में लिखा है। बसेज में जो टेबिल भरने के लिये कंडक्टरों को मिला हुआ है वह भी अंग्रेजी में है जिसे वह बेचारा अंधे की तरह से टो टो कर उसके कालम भरता है। क्योंकि वह हिन्दी में नहीं है अंग्रेजी में है जिसे वह पढ़ा नहीं है। इसी परिवहन विभाग में एक आर०टी० ओ० का आफिस है। वहां पर जाइये तो जितने भी फार्म्स हैं सब अंग्रेजी में बने हुए हैं। मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिन्दी का बड़ा विकास हो रहा है। अंग्रेजी में जो फार्म छपे हुए हैं जब उनके बारे में पूछा जाता है तो वहां वाले कहते हैं कि यह प्रदेश सरकार से ही फार्म आया है, हम उसको नहीं छपवा सकते हैं। आप कहते हैं कि यह २७ साल पुराना फार्म है। मैं कहता हूं कि २७ साल में न मालूम कितने मुख्य मंत्री आये और चले गये, न मालूम कितने मंत्री पैदा हुए और मर गये लेकिन फार्म्स २७ वर्ष से पड़े हुए हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

एक सदस्य—

फार्म का हिन्दी रूपांन्तर बतला दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यहां यह बहस नहीं है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

इसमें कहा गया है कि शासकीय कार्य में हिन्दी की उक्षा, उस संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसको थोड़ा सुनने की कोशिश करें । जब हम हिन्दी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जनसंघ वाले लिष्ट और संस्कृताइज्ड हिन्दी बोलते हैं और यह कह कर विषय को टालने का प्रयास किया जाता है । हमारा यह कहना है कि २७ वर्ष के बाद भी किसी राष्ट्रीय व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में इस बीच पक्षपात रहित होकर काम नहीं किया । हिन्दी को लाने के लिये इतना समय नहीं लगना चाहिये था .योंकि यह हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, जन जन की बोली है । अगर सरकार चाहती कि जल्दी से जल्दी यह काम हो जाय तो वह अपने एक आदेश से इसको मनवा सकती थी लेकिन जो हमारे बड़े-बड़े आफिसर बैठे हुए हैं आई०ए०एस०, पी०सी०एस० उनको अंग्रेजी से इतनी बड़ी प्रीति है कि वे उसको छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं । जो न्यायालयों में बैठते हैं वे भी पैंट और सूट पहनते हैं, अंग्रेज वेशभूषा में रहते हैं, उनको अपनी भाषा व संस्कृति से प्रेम नहीं है और न हिन्दी से प्रेम है अन्त में मेरा यह कहना है कि अगर सरकार हिन्दी का विकास करना चाहती है तो जो कुछ भी कमियां इसमें रह गयी हैं उनको शासन को सम्भालना होगा और उसका पालन कड़ाई के साथ कराना होगा । इतना ही मेरा कहना है ।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने जो यह चर्चा का विषय रखा है, और अभी हमारे ओम प्रकाश ज ने सही कहा कि शासन में अब भी हिन्दी के विरुद्ध अंग्रेजी का इस्तेमाल हो रहा है । जिस प्रदेश में २७ साल तक पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, डाक्टर सम्पूर्णानन्द और पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे हिन्दी के महान विद्वान शासक रहे हों उस प्रदेश में तमाम विभागों में एकदम से अंग्रेज खतम न हो जाय, यह सचमुच में बड़े अफसोस की बात है । मैं तो कहता हूं कि शासन के जितने भी विभाग हैं, किसी भी विभाग में सेक्रेटेरिएट के अन्दर अंग्रेजी का टाइपराइटर न दिखलाई पड़े, तभी शासन की जो नीति है, और उद्देश्य है वह पूरा हो। क्योंकि यह सही है कि जब देश के अन्दर हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया तो शासन का सारा काम-काज केवल हिन्दी में होना चाहिये था । विधान सभा में जिस तरह से हिन्दी का व्यवहार होता है, हमारे विधान सभा की सारी कार्यवाही और उसके कार्यालय का संचालन जिस ढंग से होता है, इस सचिवालय के अन्दर सारे विभाग का काम उसी ढंग से चलता तो वह काम हो सकता था । अगर हमारा ध्यान शासन की कुर्सियों पर बैठने वालों की तरफ होता तो यह काम हो सकता था । जो बड़े-बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं इन लोगों की मंशा नहीं है कि हिन्दी को बढ़ावा मिले ।

अगर भाषा के लिहाज से देखा जाय तो इस देश में भाषा कुछ और रही है और हुकूमत करने वाले वालों की भाषा कुछ और रही है । जनता की भाषा को माध्यम नहीं बनाया गया है । हुकूमत करने वालों की भाषा और रही है और जनता की भाषा कुछ और रही है । उदाहरण के लिये मुगलों के पहले के समय को ले लीजिये । अभिजात वर्ग के जो लोग थे वह संस्कृत बोलते थे और बाकी जनता पाली बोलती थी । मुगलों के समय में शासक लोग फारसी बोलते थे पर जनता उर्दू बोलती थ । अंग्रेजी के समय में शासक दल की भाषा अंग्रेजी रही है और इस देश की भाषा हिन्दी और अन्य भाषायें रहीं हैं । जन साधारण और शासकों की भाषा में अब तक फर्क होता चला आया है। वही हम आज तक चलाते आ रहे हैं । इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भाषा का संबंध जनता के शोषण से जुड़ा हुआ है । जब तक हमारे देश में अंग्रेजी भाषा रहेगी तब तक जो हमारे देश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की गरीब जनता है उसका शोषण होता रहेगा । जो भ्रष्टाचार आज है उसको हटाने के लिए यह लाजिमी है कि अंग्रेजी को हर विभाग से हटाया जाय।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कि भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिये हर विभाग से शीघ्रातिशीघ्र अंग्रेजी को हटाना होगा ।

मान्यवर, आज अनेक जगहों पर अंग्रेजी का ही बोलबाला है । बड़े-बड़े स्थान जैसे हवाई अड्डा या हवाई जहाज पर जब नौकरी के चपरासी आदि की भर्ती की जाती है तो पूछा जाता है कि क्या तुम अंग्रेजी में नम्बर जानते हो । इसी तरह से तमाम दफ्तर हैं जहां अंग्रेजी जो जानते हैं केवल उनको ही नौकरी मिलती है और जो बेचारे नहीं जानते है, हिन्दी जानते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है । मान्यवर, फौज में भर्ती होती है । लोग तरक्की करते करते सूबेदार तो हो जाते हैं लेकिन जब कैप्टेन, लेफ्टीनेंट आदि जगहों पर जो गटेजेड जगहें हैं उन पर प्रोमोशन की बात होती है तो लोग अंग्रेजी न जानने के कारण नहीं लिये जाते हैं । बशर्ते कि वह बहादुर होते हैं, फौज में लड़ते खूब हैं, अनेक मेडिकल और पुरस्कार पा चुके होते हैं, मगर उनको फौज की नौकरियों में, गजेटेड जगहों पर, कैप्टेन या लेफ्टीनेंट नहीं बनाया जाता है । क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं जानते हैं । इस अंग्रेजी के जरिये हमारा बराबर शोषण हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सही मानों में जनता का राज हम चाहते हैं तो हमें राजकाज जनता की भाषा में चलाना पड़ेगा । चन्द लोगों की भाषा से जनता का राज नहीं चलाया जा सकता है । आप आर्डीनेंस लाते हैं । और कई काम जल्दी करते हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत से लोग यह कहते हैं कि अगर शासन चाहे तो वह दो घंटे में यह कर सकता है । आज जो इन कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, जो अंग्रेजी में परिपत्र निकालते हैं, इनके विरुद्ध कार्यवाही करके इस अंग्रेजी को दो घंटे में रोका जा सकता है । मान्यवर, हमने निश्चय किया था कि विधान सभा का शासन हिन्दी में चलेगा, हमारी राष्ट्रभाषा में चलेगा । अगर हम चाहें तो इन कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, यह अफसर अंग्रेजी में परिपत्र जारी करने की जुर्रत नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, यह जो आदेश अंग्रेजी में निकाले जाते हैं आज इनमें लिखा कुछ होता है और इनको समझ न सकने के कारण इन पर कार्यवाही कुछ होती है । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन चीजों के ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा और अभी जो हमारे रामायण राय जी ने कहा वह भाषा विज्ञान पर बोल रहे थे । मान्यवर, इन २७ सालों में अंग्रेज़ी का प्रयोग घटने के बजाय बढ़ा है । आज बच्चों को घर में मम्मी-डैडी कहना सिखाया जाता है । और इस उत्तर प्रदेश के अन्दर छोटे-छोटे बच्चों को ए०, बी०, सी०, डी० पढ़ायी जाती है ।

मान्यवर, यह काल्विन कालेज है, यह हमारे प्रदेश में और जो ऐसे अंग्रेज़ी के स्कूल हैं यह हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर एक कलंक हैं ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं नहीं कहता कि कोई अंग्रेज़ न पढ़े, जिसको पढ़ना हो पढ़े, मगर जो हमारे छोटे बच्चे हैं इनकी भाषा उत्तर प्रदेश के अन्दर अंग्रेज़ नहीं हो सकती । आज जरूरत इस बात की है कि इन अंग्रेज़ी स्कूलों के ऊपर लगाम लगायी जाये, पर होता यह है कि उनको एड दी जाती है । मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन स्कूलों को जो पूंजीपतियों के स्कूल है, जिनमें छोटे छोटे बच्चों की फीस ५०-५० रुपये ली जाती है, जो स्कूल एक नये समाज को पैदा कर रहे हैं, इन अंग्रेज़ी स्कूलों को तत्काल बन्द किया जाय ।

(मेज़ों को थपथपाने की आवाजें)

[श्री काशी नाथ मिश्र]

मान्यवर, जब इन स्कूलों से पढ़कर बच्चे निकलते हैं और बड़ी-बड़ी जगहों पर जाते हैं, नौकरी करते हैं तो एक गैर बराबरी का समाज बनाते हैं, एक नयी सभ्यता चलाते हैं। एक गैर बराबरी की तहजीब बनाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच इन २५–२६ सालों से इन कुर्सियों पर बैठने वालों की मंशा नहीं थी कि हिन्दी की उन्नति हो। इन कुर्सियों पर बैठने वालों की मंशा तो हिन्दी का विकास करने की थी, राष्ट्र भाषा का विकास करने की थी, लेकिन इन बड़े-बड़े अफसरों ने यह मंशा पूरी नहीं होने दी और वह बराबर हिन्दी पर हावी रहे। तो मान्यवर, इन अधिकारियों पर अब अंकुश लगाना होगा जिससे जो मुल्क की भाषा है उसकी तरक्की हो। और जो एक लम्बे अर्से से अंग्रेजी का प्रयोग होता आया है उसका प्रयोग बन्द किया जाय इस ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

श्रीमन्, इस चर्चा के माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हर विभागों में एक ऐसा आदेश जारी किया जाय कि तत्काल सारे अंग्रेजी टाइपराइटर जमा कर दिये जायं। इस प्रकार अंग्रेजी के माध्यम से किसी विभाग का काम न चलने दिया जाय। आज जो चर्चा हुई है उसका यही मकसद है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)---

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, अभी पहले माननीय रामायण राय जी ने जो सदन में अंग्रेजी भाषा के सिलसिले में एक वकालत की है सरकार की, तो मेरे जैसा आदमी यह समझता है कि अंग्रेजी भाषा देश को गुलाम बनाने की एक निशानी है।

श्री रामायण राय---

आप मेरा निवेदन सून लीजिये। मैंने अंग्रेजों की हिमायत नहीं किया है। मैंने यह बताया है कि इधर बैठने वालों ने हिन्दी की कितनी सेवा की है आप लोग केवल भाषायी झगड़े कर'ते हैं।

श्री हरिकेवल---

मैं वही कहना चाहता हूं आप परेशान न हों।

श्री अध्यक्ष---

अगर किसी दल, किसी व्यक्ति या किसी समूह ने हिन्दी की सेवा की है तो जो सेवा की है उससे तो कई गुना सेवा हिन्दी ने उनके साथ कर दिया है। मैं कह रहा हूं कि हिन्दी राष्ट्र की जो भाषा है उसी का उद्धरण सब लोग कर रहे हैं जबकि उसी के द्वारा वे सभी स्वयं उद्धरित हैं।

*श्री हरिकेवल---

श्रीमन्, मेरा जैसा आदमी गांव का किसी बड़े आफिसर के वहां जाता है तो जाने के बाद यदि वह जन भाषा तथा हमारी भाषा में बात नहीं करता है तो हमारे जैसे व्यक्ति के मन में यह बैठता है कि अंग्रेज भाषा मुल्क को गुलाम बनाने की प्रतीक है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि सत्ताधारी दल ने २७ वर्षों के शासन काल में हिन्दी की बड़ी सेवा की है। अभी वह दिन याद है जब आप लोग हमारे दल में बैठा करते थे और उस समय सारे नगर में एक नारा चलाया गया था कि अंग्रेज यहां से चले गये और अंग्रेजी हमें हटाना है। जगह-जगह लगे हुए साइन बोर्डों में अंग्रेजी शब्दों को मिटाने का काम किया जाता था। सत्ताधारी दल के लोगों ने केवल अंग्रेज के शब्दों को हटाने के लिये अंग्रेजी भाषा जाय इस बात को कहने के लिये सहमत नहीं है। परन्तु डा० राम मनोहर लोहिया से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर तमाम लोगों को, अंग्रेज़ी को जाने के लिये कहने पर, जेलों में बन्द किया गया था और तमाम लोगों के सर फटे थे । यह मुझे याद है । तो मैं कहना चाहता हूं कि सत्ताधारी लोगों पर सीधा मेरा आक्षेप है कि अंग्रेज चले गये लेकिन देश के अन्दर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक काले अंग्रेज बैठे हैं जिनकी हमदर्दी आप करते हैं । आप अंग्रेज़ी के पोषक हैं । आप अंग्रेजी को इस देश और प्रदेश में चालू रखना इसलिये चाहते हैं जिससे कि गरीब तबके का और मजदूर तबके का हर जगह शोषण करते रहें और आपकी कुर्सी बरकरार रहे ।

श्रीमन् मैं इसलिये सिद्ध करना चाहता हूं कि आपने हिन्दी की सेवा की भावना से कभी भी गजट और सर्कुलर हिन्दी में निकाला कि हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है और सारा काम हिन्दी में किया जाय । आप कभी हिन्दी को माता नहीं समझते । २७ वर्षों की आजादी के बाद भी आपने हिन्दी को अपनी मां नहीं समझा बल्कि पराई मां समझा है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने अधीनस्थ काम करने वाले कितने कर्मचारियों और अधिकारियों को अंग्रेज़ी में काम करने पर निलम्बित किया है । आप तो अंग्रेज़ी के पोषक हैं । आपको मान्यवर, मैं एक सर्कुलर दिखाना चाहता हूं जो भेजा गया है वह अंग्रेज़ी में है । आज इस देश का कितना प्रतिशत व्यक्ति अंग्रेज़ी जानता है लेकिन फिर भी अंग्रेज़ी में काम होता है । मैं महसूस करता हूं कि अंग्रेज़ी को इसलिये बढ़ाया जाता है कि देश की ९५ प्रतिशत जनता दूर रह सके । आप देखेंगे कि न्यायालयों---उच्च न्यायालय से लेकर नीचे के न्यायालय तक मुद्दई और मुद्दालेह, दोनों बगल में खड़े हो जाते हैं और उनके वकील लोग गिटपिट बोलते रहते हैं और,टुकुर-टुकुर, मुंह ताकता रहता है और ढाई रुपये देने के बाद तारीख ले लेते हैं और कह देते कि फलां दिन आना । वह चले जाते हैं । तो ऐसी भाषा में देश का राजकाज चल रहा है । जिससे सारी जनता को न्याय पाने से अलग कर दिया जाता है उसको जानकारी भी नहीं होती तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर निश्चित रूप से आपकी यह मंशा है, आपको हिन्दी की प्रगति करनी है, सारा काम हिन्दी में चलाना है, तो आपको यह घोषणा करनी चाहिये कि गांव की झोपड़ियों में रहने वाले किसान का गरीब लड़का और मंत्रियों और पूंजीपतियों के लड़कों के लिये---सभी के लिये सामान्य तरीके से शिक्षा दी जायेगी---सबको जनभाषा में शिक्षा मिलेगी । मैं जानता चाहता हूं कि आप नहीं करेंगे, इसलिये कि आपको कुर्सी प्यारी है आपको कुर्सी बरकरार रखना है । मैं यह महसूस करता हूं कि भाषा में ऊंच नीच, छोटी जाति और बड़ी जाति, राजनीति सभी कुछ है । मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेज़ी इस मुल्क को गुलाम बनाने का काम कर रही है और माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आ गये हैं, आपको यह घोषणा करनी चाहिये कि किसी भी विभाग में हिन्दी में काम नहीं होगा और जो अधिकारियों ने अंग्रेजी में काम किया है हमें बतायें कि कितने लोगों को उन्होंने निलम्बित किया है सेवा से अगर मंत्री जी दो का भी नाम बतला दें तो मैं समझूंगा कि हमारे प्रदेश के मंत्री गरीब जनता के हमदर्द हैं, अंग्रेज़ी को हटा कर हिन्दी को प्रमुखता देना चाहते हैं अगर मंत्री जी ने अबतक नहीं किया तो अब से करें, जनभाषा की उपेक्षा न करें ।

एक सदस्य---

अगर कोई विधायक अंग्रेज़ी में लिखे ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

आज सदन उठ रहा है । यह महत्वपूर्ण विषय है । दो-दो मिनट दे दीजिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)---

यह मातृ भाषा का प्रश्न है । उस हस्ती का प्रश्न है जिसकी गोद में पल कर हम बड़े हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात तो आपके आग्रह से प्रकट हो गयी। अब समय नहीं है। ३ बजकर १६ मिनट पर शुरू हुआ था। उस समय बहुत से माननीय सदस्य यहां नहीं थे।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, दो घंटे की चर्चा हुई। मैं कहना चाहता हूं कि शासन की नीति हिन्दी के बारे में रही है और मौजूदा मुख्य मंत्री जी ने उस नीति का आक्षरश: पालन किया है और जहां-जहां सम्भव हुआ हमेशा निर्देश निर्गत किये हैं कि प्रदेश का सारा कार्य हिन्दी में हो। लेकिन मान्यवर, कुछ हमारी मजबूरियां हैं। हमारी मजबूरी यह है कि साइन्स, टेक्नालाज़ी और मेडिसिन्स में जो शब्द हैं वह आज भी अंग्रेजी शब्द हैं और उनका हिन्दी में रूपान्तर नहीं हो सका है। अभी एक सदस्य ने सवाल पूछा कि फार्म को क्या कहेंगे? उसको हम हिन्दी में प्रपत्र कहते हैं लेकिन उसकी डेफीनेशन प्रपत्र में कवर नहीं होती। टाइम-टेबिल शब्द है। गांव का किसान भी इसको समझ लेता है। लेकिन समय सारिणी वह नहीं समझ पाता। कहने का मतलब है कि हिन्दी की उपेक्षा जो भी करता हो गलत है। नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी मजबूरी म करनी पड़ती है। मैं स्वत: हाई स्कूल तक हिन्दी पढ़ा हूं लेकिन जो आज संस्कृताइज्ड हिन्दी है वह क्लिष्ट हो गयी है जो समझ के बाहर है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्लिष्ट नहीं मिष्ठ हो गयी है।

श्री राजमंगल पांडेय--

पता नहीं हमारे कौशिक जो चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानते हैं या नहीं। चौधरी साहब अपने ३ घंटे के भाषण में १ हजार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। माधव बाबू जो हिन्दी को अपनी संपत्ति मानते हैं अपने भाषण में कुछ नहीं तो दो सौ चार सौ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर ही जाते हैं। यह बात नहीं है कि कोई बड़ी बदनीयत से इन शब्दों को इस्तेमाल करना चाहता है। हम चाहते हैं कि स्वभाविक रूप से हिन्दी के शब्द जवान पर आयें लेकिन पर्यायवाची शब्द बहुत से अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी में जबान पर नहीं आते हैं। बहुत कोशिशों के बाद हिन्दी का शब्द कोष तैयार हुआ है लेकिन टेक्निकल तथा साइंटिफिक टर्मोनालोजी में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनका हिन्दी में रूपान्तल नहीं हो सका।

कृष्णाराय (जिला देवरिया)--

अंग्रेजी स्कूल खुलवाते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी खत्म करना चाहते हैं। इनकी नीयत पर मुझे शक है।

श्री राजमंगल पांडेय--

हमारे माननीय सदस्य हिन्दी भी कम पढ़े हैं और अंग्रेजी भी लेकिन समझदार ज्यादा हैं। जब मेरे पास आयेंगे तो कहेंगे पांडेय जी स्कूटर दे दीजिये। स्कूटर की हिन्दी पूछी तो नहीं बतला सकते। अब रेल है, इसकी हिन्दी क्या होगी? इसी तरह बहुत से अंग्रेजी के शब्द हैं उनको हिन्दी में ले लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हिन्दी का विकास हो तो आपको यह करना होगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

स्कूटर की हिन्दी है "अंधे की रेवड़ी जो अपने में बांटी जाती है।"

श्री राजमंगल पांडेय--

पब्लिक स्कूलों की बड़ी चर्चा की गयी। मैं उनकी वकालत करने नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन उधर से बोलने वाले बहुत से माननीय सदस्य हिन्दी का सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं

लेकिन अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना ही पसन्द करते हैं और कानवेंट स्कूल्स की पढ़ी हुई लड़की से अपने लड़के की शादी करना पसन्द करते हैं लेकिन सदन में जब बोलने की बात आयेगी तो हिन्दी की बात सबसे ज्यादा करेंगे। आज भी जनसंघ के जो बहुत से आल इंडिया नेता हैं उनके घरों में बच्चे ममी और डेडी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं (व्यवधान) सवाल यह है कि गांव मे जो प्राथमिक पाठशालायें हैं उनके स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाय? दूसरी समस्या यह भी है क्या पब्लिक स्कूलों के स्तर को जिनका स्तर आज भी ऊंचा है गिरा दिया जाय? पब्लिक स्कूलों का स्तर अंग्रेज़ी शासन काल से ऊंचा है और केवल हिन्दी के नाम पर उनके स्तर को गिरा दें तो यह कहां तक उचित होगा? आज जो डिग्री कालेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं उनका स्तर गिरता जा रहा है तो जिनका स्तर बना हुआ है अथवा पहले से कम गिरा है और हिन्दी के नाम पर उनके स्तर को गिरा दें तो यह उचित बात नहीं होगी। हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि जो प्राथमिक पाठशालायें गांव-गांव में हैं उनके स्तर को इतना ऊंचा कर दें जिससे बच्चों का सही निर्माण हो सके, देश व प्रदेश का कल्याण भी होगा, और हिन्दी की सेवा भी हो सकेगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। मुगल काल में अमीर खुसरो ने हिन्दी की उत्कृष्ट रचना की थी। उसके बाद जायसी, बिहारी, रहीम, रसखान तथा तुलसी आदि कवियों ने मुगल काल में ही हिन्दी की उत्कृष्ट रचनायें की थीं। अंग्रेज़ों के काल में भी उत्कृष्ट रचनायें लिखी गयीं। जिनमें कामायनी, आंसू, यशोधरा और प्रेम चन्द की अनेकों कलाकृतियां हैं लेकिन आप यह बता दें कि २७ वर्षों की आजादी में इस तरह की एक भी रचना की? इसका कारण ही यह है कि शासन ने इसकी उपक्षा की और इसे राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, किन्तु यह गलत है, हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। आज भी जर्मन आथर्स संस्कृत की किताबें लिख रहे हैं और उन्होंने अपनी नेशनलिटी नहीं छोड़ी है। आज भी योरोपियन संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। बाहरी लोगों ने भाषाओं के ज्ञान को अर्जित करना अपना मौलिक अधिकार माना है और विभिन्न भाषाओं को सीखना चाहा है। आज भी रसियन्स, अंग्रेज़ी और हिन्दी अपने इन्टरप्रिटेशन के लिये ले रहे हैं। विभिन्न देशों के लोग अपने लड़कों को दूसरे विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न भाषाओं को सीखने के लिये भेज रहे हैं। वे जानते हैं कि यदि उन्हें बाहर के देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करना है तो उन्हें एक लिंक भाषा ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे वे बाहर के लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकें ताकि वे विश्व की समस्याओं को समझने में समर्थ हो सकें। अगर हम हिन्दी के नाम पर और भाषा के नाम पर ऐसी मनोवृत्ति पैदा करेंगे तो एक बड़ी भारी कठिनाई पैदा हो जायेगी।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उसी से सम्बन्धित मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि आपके सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभागों में टेन्डर का जो फार्म होता है वह अंग्रेज़ी में है? दूसरे जो सर्कुलर आप विकास खंडों में भेजते हैं जिसमें प्रधानों की अपेक्षा की जाती है वे इस प्रपत्र को अंग्रेज़ी में भेजें। तो पहले यह सारे काम आपको बन्द करने पड़ेंगे। मुख्यतः यह चीज होनी चाहिए। मुख्यतः हमारी राजभाषा हिन्दी नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। हिन्दी इतनी कमज़ोर नहीं है...हो सकता है हिन्दी न जानते होंगें आप बहस को शब्दों में क्यों ले जा रहे हैं। आप स्वस्थ बहस नहीं चलने देना चाहते हैं। अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हिन्दी में होता ही है।

राजमंगल पांडेय--

मान्यवर ,अंग्रेज़ी के जो फार्म थे उन्हें हिन्दी में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। टेन्डर के लिये अखबारों में निविदा के नाम से लिखा जाता है। आपने इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिये हैं उनके बारे में हम देखेंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज नियम ५१ के अन्तर्गत ५ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। चूंकि आज सदन उठ रहा है इसलिये सभी सूचनायें अस्वीकार हैं और इन्हें कार्यवाही के लिये भेज दिया जायेगा।

जिला परिषदों के सदस्यों के अनुमेलन, परिषदों का संघटन तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के परिवर्तित निर्वाचन कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब इस समय सदन में नहीं हैं उनकी यह इच्छा थी कि जिला परिषद् का इलेक्शन १ अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया जाय। उन्होंने अपनी इच्छा माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजी है। अब संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार से कर दिया गया है--

१--उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेशन) नियमावली, १९६३

(१)	जिलाधीश की आज्ञा	५-९-१९७४
(२)	नोटिस जारी होना	५-९-१९७४
(३)	नाम निर्देशन, उनके परीक्षण, वापसी तथा मतदान	१५-९-१९७४

२--जिला परिषद् का संघटन--शासन की विज्ञप्ति २०-९-१९७४

३--अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों का चुनाव

(१)	शासन की अधिसूचना	१७-१०-१९७४
(२)	नाम निर्देशन एवं परीक्षण	२८-१०-१९७४
(३)	नाम वापसी	३१-१०-१९७४
(४)	मतदान	३-११-१९७४

मतदान का समय पूर्वाह्न ८-०० बजे से १२-०० बजे तक।

विविध विषय

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

एक नियम ३०१ के अन्तर्गत दिया गया था नगरमहापालिका इलाहाबाद के मामले में, उसके बारे में मैं मुख्य मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

(भ्रमवश) आप (मुख्य मंत्री के खड़े होने पर) अन्त में बोलें, तभी तो ठीक रहेगा, अभी मुझे भी बोलना है ।

श्री अध्यक्ष---

हिन्दी का विषय अब समाप्त हो गया है ।

श्री रामसेवक यादव---

जो वहां की स्थिति है। उसके अनुसार मुख्य नगर प्रमुख के चुनाव की तिथि आ गई है लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सूचना सदन में नहीं आई है। क्या तिथि बढ़ाई जाएगी ? माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर रोशनी डालें कि वास्तव में क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष--

यह उस वक्त कह दिया था।

मुख्य मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

मैं तत्काल कुछ नहीं बता सकता हूं। देखूंगा तो बता सकूंगा ।

श्री रामसेवक यादव---

आप जानकारी की कह रहे हैं, लेकिन आप तो काफी जानकार हैं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

यह सवाल तो कई दिन पहले ही दिया गया था, लेकिन....

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

हिन्दी के मामले में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं---

श्री अध्यक्ष---

हिन्दी का मामला तो समाप्त हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि हिन्दी में कार्य होता है और जहां नहीं होता है, उसके बारे में रामसेवक जी वगैरह जो कहेंगे तो उसे देख लिया जायगा ।

श्री श्रीनारायण---

इस सदन में भोजपुरी भाषा की आलोचना की गई उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा मैं उसका जवाब दूंगा। वास्तविक स्थिति मालूम होनी चाहिए ।

एक सदस्य---

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद जहां से हम हैं और आप भी हैं, वहां पर सब साइन-बोर्ड अंग्रेजी में लिखे गये हैं। आप आदेश दें कि वहां सब जगह और कमरों में हिन्दी में लिखवा दिया जाएगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, इसके पहले कि मैं प्रस्ताव करूं कि सदन अनिश्चितकाल के लिए आज से उठे। मैं सबसे पहले सदन के माननीय नेता विरोधी दल, सभी दलों के नेताओं, सभी माननीय सदस्यों और इस सारे सदन के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़े शानदार इतिहास की रचना इस सदन को चलाने में मान्यवर, आपके शान्निध्य में हुई उन्होंने हमें बड़ा अच्छा अवसर दिया। इस निवेदन के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए।

सी० पी० एम० टी० में आरक्षण समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

इसमें तो कोई बहस का मुद्दा है नहीं। किन्तु जो छूट गया है, सी० पी० एम० टी० के बारे में और जिसके बारे में देने का श्री पांडेय जी ने कहा था, उस पर भी बता दें?

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

वह तो मैं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब तो यह आ गया है।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)

कोई विशिष्ट परिस्थिति हो तो मेरे प्रस्ताव को तब तक मुल्तवी रखा जाए, बाद में उसे ले लिया जाए।

श्री राजमंगल पांडेय--

प्रदेश के छः राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, झांसी, गोरखपुर तथा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में एम० बी० बी० एस० तथा बी० डी० एस० कोर्स में प्रवेश के लिये कम्बाइण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। वर्ष १९७४ में इस टेस्ट के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में राजभवन में ५ मार्च, १९७४ की मीटिंग में, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति, मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपल तथा चिकित्सा, शिक्षा एवं न्याय विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया था, लिये गये निर्णय के अनुसार १९७४ में कम्बाइण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट पिछले ३ वर्षों की भांति ही मेरठ विश्वविद्यालय से सम्पादित कराया गया था और एतत्संबंधी राजाज्ञा २० मार्च, १९७४ को जारी की गई थी, जिसमें सभी मेडिकल कालेजों के लिए एम० बी० बी० एस० के लिये निर्धारित ८८२ सीटों की सूची भी दे दी गई थी। सूची में सीटों का वितरण निम्नवत् था।

जनरल सीटें	४४६
सुरक्षित सीटें:--	
गर्ल्स २० प्रतिशत	१७६
रूरल एरिया १२ प्रतिशत (तीन सीटों को छोड़कर) ..	१०४
हिल एरिया ३ प्रतिशत	२७
उत्तराखण्ड डिवीजन ३ प्रतिशत	२७
अनुसूचित जाति ७ प्रतिशत	६३
रूरल अनुसूचित जाति ३ प्रतिशत	२७
अनुसूचित जनजाति १ प्रतिशत	९
राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे	२ सीटें (रूरल से)
युद्ध में मारे गयेजवानों के बच्चे	१सीट (रूरल से)
	कुल ८८२ सीटें

इसके अतिरिक्त बी०डी०एम० कोर्स के लिए ३० सीटें हैं जिनमें से २८ सामान्य तथा २ सीटें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए सुरक्षित हैं।

२---मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा तैयार मैरिट सूचियां जिनके पश्चात् उन्होंने प्रतीक्षा सूचियां तैयार की थीं पर कम्बाइंड प्री-मेडिकल टेस्ट की उप-समिति द्वारा सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में १ अगस्त, १९७४ को विचार किया गया और अनुमोदन के पश्चात् इन सूचियों को मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों द्वारा समाचार पत्रों में २ अगस्त, १९७४ तथा तदनन्तर प्रकाशित करा दिया गया। उक्त मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुसार मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों ने सफल अभ्यर्थियों को कालेज में प्रवेश के लिए मेडिकल चेक-अप आदि के लिए १२ अगस्त, १९७४ से बुलवाना तय किया था।

३---इसी बीच ५ अगस्त, १९७४ को उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने वर्ष १९७३ के कम्बाइंड प्री-मेडिकल टेस्ट के परिणाम के आधार पर प्रदीप टण्डन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि के रिट पेटीशन के मामले में रिजर्व्ड जजमेंट दे दिया जिसके अनुसार उच्च न्यायालय ने रूरल, हिल तथा उत्तराखंड क्षेत्र के लिए सुरक्षित सीटों को असंवैधानिक करार दिया और प्रदीप टंडन को किसी राजकीय मेडिकल कालेज में दाखिला दिये जाने के आदेश प्रदान किये हैं।

४---अब तक स्थिति यह थी कि १९७१ में सुभाषचन्द्र ने रिट पेटीशन हाई कोर्ट में दायर किया था और डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उक्त रेजर्वेशंस के सम्बन्ध में सरकार के पक्ष में फैसला दिया था ।

५---१९६८ के सी० पी० एम० टी० के सम्बन्ध में दिलीपकुमार ने उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) में रिट पेटीशन दायर किया था जिसमें सरकार जीत गयी थी लेकिन बाद में अपील में डिवीजन बेंच के जजमेंट में उक्त रिजर्वेशंस असंवैधानिक करार दिये गये और फलस्वरूप १९७३ में दिलीपकुमार को हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में लिया गया ।

६---सरकार ने दिलीपकुमार के मामले में उच्च न्यायालय से लीव फार पेटीशन फार अपील टु सुप्रीम कोर्ट दायर किया लेकिन वह खारिज हो गया । अतः सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए पेटीशन दिया जो मान लिया गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वे पहले सुभाषचन्द्र द्वारा अपील पर सुनवाई करेंगे। यह हकीकत उच्च न्यायालय इलाहाबाद की फुल बेंच को मालूम थी और उन्होंने उपरोक्त प्रदीप टंडन के मामले में सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व्ड कर दिया था लेकिन सी० पी०एम० टी० का नतीजा निकलते ही ५ अगस्त, १९७४ को फैसला दे दिया।

७---फुल बेंच के फैसले को देखते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रवेश रोक दिये गये हैं । मेरठ विश्वविद्यालय का रेजल्ट रिकास्ट करने के आदेश दे दिये गये ।

८---इस बीच सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्टे आर्डर प्राप्त करने के लिए अर्जी दी और पेटीशन फार लीव टु अपील टु सुप्रीम कोर्ट भी दाखिल कर दिया। उच्च न्यायालय ने स्टे-एप्लीकेशन गत १४ अगस्त, १९७४ को अस्वीकृत कर दी है। पेटीशन फार लीव टु अपील टु सुप्रीम कोर्ट पर हाई कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है जिसके प्राप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट में पेटीशन दाखिल कर दिया जायगा ।

९---वर्तमान स्थिति यह हो गयी है कि यदि अब रूरल, हिल और उत्तराखंड के लिए सुरक्षित सीटों पर प्रवेश दिये जाते हैं तो यह कंटेम्ट आफ कोर्ट हो सकता है ।

१०---कुल १०४ रूरल के, २७ उत्तराखंड के तथा २७ हिल के अभ्यार्थी इस फैसले से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त बी० डी० एस० के २ अभ्यर्थी उत्तराखंड के भी स्वतः प्रभावित हो जाते हैं और रूरल के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी भी स्वतः ही रूरल समाप्त हो जाने से प्रभावित होकर केवल अनुसूचित जाति क रूप में मेरिट के अनुसार ही लिये जायंगे ।

[श्री राजमंगल पांडे]

यह मामला विचाराधीन है कि रूरल, हिल तथा उत्तराखंड की प्रभावित सीटों को भरा जायगा या नहीं और यदि भरा जायगा तो किस तरह से।

११—मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये पुनरीक्षित मैरिट सूचियों पर कम्बाइंड प्री-मेडिकल टेस्ट की उप-समिति द्वारा २० अगस्त, १९७४ को विचार किया जायेगा और सम्पूर्ण स्थिति पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा। आज २२ अगस्त, हो गया है। अन्य कोई प्रश्न पूछने पर नोटिस की अपेक्षा होगी ।

श्री रामसेवक यादव—

माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह जो आपने सीटें सुरक्षित की हैं, संविधान के अनुच्छेद १५ और उसकी उपधारा (४) के तहत, जिसके अन्दर साफ-साफ लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही हो सकता है। इसी पर उच्च न्यायालय ने फैसला किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आरक्षण करने से पहले सरकार ने एल० आर० से इन लोगों से राय ले ली थी, और ले ली थी तो क्या राय बतायी? दूसरे इस निर्णय से कितने विद्यार्थी प्रभावित हैं?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने नम्बर भी बता दिया है। अभी तक पूरा फैसला प्राप्त नहीं हुआ है। कौन-कौन मुद्दों पर क्या चीज हुई है यह अभी नहीं आया है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

सदन के अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय।

मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमने आपके सानिध्य में सदन का सुचारु रूप से कार्य किया है और हमने आपको बहुत टेस्ट किया है और जिस तरह से आपके निर्देशन में इस सदन का कार्य चला उसके लिये मैं सारे सदन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हम सब लोग जनता के मामले में मिल जुल कर काम कर सकेंगे। एक बार मैं फिर अपने प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इससे पहले कि मैं इस प्रस्ताव पर वोट लूं मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं आप सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करूं। जिस शान्ति के साथ आप लोगों ने काम किया और जरूरत हुई तो उग्रता के साथ भी आपने काम किया। आपने इस सदन को एक आइना बनाया और मैं अपने अधीन कर्मचारीवर्ग को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कठोर परिश्रम करके अपना सहयोग मुझे दिया और उनके सहयोग का मुझे अहसास है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं यह कहना भूल गया था, मैं भी अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २७ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ अगस्त, १९७४।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७४ पर]

वर्ष १९७१

एम्बेस्डर टैक्सी, कानपुर रीजन

क्रम-सं०	गाड़ी का नम्बर	श्रेणी जिसमें निबन्धित हुई
१	यू० पी० जी०–६४७५	टैक्सी
२	यू० पी० जी–६५२४	टैक्सी
३	यू० पी० जी०–७३०७	टैक्सी
४	यू० पी० जी०–७७७२	टैक्सी
५	यू० पी० जी०–६६०४	प्राइवेट
६	यू० पी० जी०–७१२७	टैक्सी
७	यू० टी० सी०–६८	टैक्सी
८	यू० पी० डब्लू०–५१८	टैक्सी
९	यू० पी० डब्लू०–५१७	टैक्सी
१०	यू० टी० सी०–३५८	टैक्सी
११	यू० टी० सी०–८५	टैक्सी
१२	यू० पी० जी०–१६४५	टैक्सी

६ आवंटियों ने गाड़ी की डिलेवरी नहीं ली।

वर्ष १९७१

फीएट टैक्सी, कानपुर रीजन

१	यू० पी० जी०–१५०६	टैक्सी
२	यू० पी० जी०–८२८१	टैक्सी
३	यू० पी० जी०–५९६१	टैक्सी
४	यू० पी० जी०–७५११	टैक्सी
५	यू० पी० जी०–७३३०	टैक्सी
६	यू० पी० जी०–७३१६	प्राइवेट
७	यू० पी० जी०–७४४७	टैक्सी
८	यू० पी० जी०–७४३४	प्राइवेट
९	यू० पी० जी०–७३७०	प्राइवेट
१०	यू० पी० जी०–८९५५	प्राइवेट
११	यू० पी० जी०–७२६२	प्राइवेट
१२	यू० टी० ई०–१५८५	प्राइवेट
१३	यू० एस० एस०–९८९८	प्राइवेट

एक आवंटी ने गाड़ी की डिलेवरी नहीं ली।

वर्ष १९७२

एम्बेस्डर टैक्सी कानपुर रीजन

क्रम-सं०	गाड़ी का नम्बर	श्रेणी जिसमें निबन्धित हुई
१	यू० टी० सी०–२५१	टैक्सी
२	यू० टी० सी०–२०९	टैक्सी
३	यू० टी० सी०–३२९	टैक्सी
४	यू० टी० सी०–२२२	टैक्सी

एक आवंटी ने गाड़ी की डिलीवरी नहीं ली।

वर्ष १९७२

फीयट टैक्सी कानपुर रीजन

१	यू० एस० जेड०–८८७	टैक्सी
२	यू० पी० ई०–४२२	टैक्सी
३	यू० टी० ई०–२७४०	टैक्सी
४	यू० टी० ई०–४२९०	टैक्सी
५	यू० टी० ई०–४१४२	टैक्सी
६	यू० टी० सी०–१६८	प्राइवेट

एक आवंटी का आवंटन आदेश कार्यालय में वापस आ गया था तथा एक आवंटी के बारे में जांच की जा रही है।

नत्थी 'ख'

[नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ....५७४...पर]

दिनांक १-१-७४ से ३०-६-७४ तक सर्किल कानपुर, जिला वाराणसी के विभिन्न थानों पर दर्ज करायी गयी रिपोर्टों के सम्बन्ध में सूचना

	संख्या जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	चालान हुए	अन्तिम रिपोर्ट लगी	विवेचनाधीन	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
	१	२	३	४	५	६	७
डकैती ..	१२	१२	..	२	२	८	३६
लूट ..	११	११	..	..	६	५	८
चोरी, नकबजनी ..	२१४	२१०	४	२५	९४	९१	४६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७६ पर)

१—अकादमी के उद्देश्य

(१) उर्दू भाषा तथा उसके साहित्य का संरक्षण करना, उसे प्रोत्साहित तथा उसका विकास करना ।

(२) उर्दू में साहित्यिक तथा अकादमीय महत्ता की कुल कृतियों अथवा लोकप्रिय और बच्चों की पुस्तकों को प्रोत्साहन देना तथा प्रकाशित करना ।

(३) साहित्यिक एवं वैज्ञानिक कृतियों और ऐसे अन्य विषयों की कृतियों के अनुवाद की जिनका अभी तक उर्दू भाषा में अनुवाद नहीं हुआ है, व्यवस्था करना ।

(४) उर्दू में अभिदेश कृतियों को तैयार तथा प्रकाशित करना ।

(५) वैज्ञानिक रूप से सम्पादित उर्दू के प्राचीन साहित्य के मूल ग्रंथों को प्रकाशित करना ।

(६) अब तक अप्रकाशित उर्दू की कृतियों को प्रकाशित करना ।

(७) उर्दू के सुपात्र लेखकों को उनकी कृतियों के प्रकाशन में सहायता देना ।

(८) उर्दू लेखकों को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रकाशित उनकी कृतियों पर वार्षिक पुरस्कार देना ।

(९) उर्दू के वृद्धि तथा जरूरतमंद लेखकों को मासिक आर्थिक सहायता देना ।

(१०) उर्दू अध्ययनार्थियों को उच्च अध्ययन के निमित्त निर्दिष्ट अवधि के लिये सुविधायें, प्रदान करना जिसके अन्तर्गत आर्थिक सहायता भी है ।

(११) प्रख्यात विद्वानों तथा अन्य ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को भाषण देने के निमित्त आमंत्रित करना ।

(१२) अन्य बातों के साथ-साथ, विश्वव्यापी साहित्यिक धाराओं के परिक्षेप्य में उर्दू सम्बन्धी समस्याओं के विचार-विमर्श के लिये अध्ययन गोष्ठियों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा अन्य अकादमीय प्रकार के समारोहों का आयोजन ।

(१३) उर्दू में उच्च स्तरीय पत्रिकायें, नियतकालिक पत्रिकायें, मैगजीनें अथवा इसी प्रकार के प्रकाशन निकालना ।

(१४) इन नियमों के अधीन प्रकाशित वस्तुओं के विक्रय का प्रबन्ध करना ।

(१५) अकादमी के लिये चल तथा अचल सम्पत्ति का अर्जन करना किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि अचल संपत्ति का अर्जन करने की दशा में सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी ।

(१६) ऐसे सभी कार्य और ऐसी सभी कार्यवाहियां करना जिनसे ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्यों के आगे बढ़ने की सम्भावना हो ।

२—अकादमी के कृत्य

उर्दू अकादमी में अपनी स्थापना से ३० जून १९७४ तक प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उर्दू पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकायें क्रय करने के लिये दो लाख चौरासी हजार रुपया (२,८४,०००) अनुदान दिया। लगभग दो लाख अस्सी हजार रुपया (२,८०,०००) १९६९ से १९७३ के अन्त तक प्रकाशित होने वाली उर्दू पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार दिया। लगभग

उन्तीस हजार छः सौ रुपया (२९,६००) उर्दू के लेखकों को उनकी पाण्डुलिपियां प्रकाशित करने के लिये दिया । अकादमी कुछ प्रसिद्ध उर्दू लेखकों की सात पुस्तकें अपने संरक्षण में छपवाने का प्रबंध कर रही है। लगभग चौबीस हजार एक सौ रुपया (२४,१००) वह उर्दू के कुछ वृद्ध एवं रोगी लेखकों को दे चुकी है और बारह हजार एक सौ रु० छात्रवृत्ति के रूप में नवीं कक्षा से लेकर एम० ए० की कक्षा के विद्यार्थियों एवं उर्दू में शोध कार्य करने वालों को वितरित कर चुकी है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८० पर)

दानदाताओं की सूची जिन्होंने गवर्नर्स गरीबी हटाओ फण्ड, १९७३ में स्वेच्छा से दान दिया

		धनराशि
१—महामहिम श्री अकबर अली खां, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	..	७७.२०
२—श्री याकूब भारती, गन्ना वाली गली, अमीनाबाद, लखनऊ	..	२.००
३—श्री दुर्गा प्रसाद, दस्तावेज नवीस, तहसील पूर्वा, जिला उन्नाव	..	२.५०
४—श्री दुर्गा प्रसाद, दस्तावेज नवीस, तहसील पूर्वा, जिला उन्नाव	..	२.६५
५—श्री अनिल कुमार, १०/४७२, खल्लासी लाइन्स, कानपुर	..	२०.००
६—श्री वी० वी० लाल, पार्टनर दी पंजाब जनरल मैन्यूफैक्चरिंग वर्क्स, कृष्णानगर, मथुरा ।	..	५,०००.००
७—श्री जगत नारायन सक्सेना, एकाउन्टेन्ट, इटावा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, इटावा ।	..	१०.००
८—श्री ईश नारायन, डिस्ट्रिक्ट जज, विजनौर	..	९०.००
९—श्री ईश नरायन, डिस्ट्रिक्ट जज, बिजनौर	..	९०.००
१०—मैसर्स मोहन गोल्ड वाटर बेवरीज लिमिटेड, डालीगंज, लखनऊ	..	१,००१.००
११—महामहिम श्री अकबर अली खां, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ..	..	१४०.८०
१२—श्री ए० के० दास, इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	..	७५.००
१३—श्री एम० ए० कुरेशी, श्री राज्यपाल के सलाहकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	..	११३.००
१४—श्री मंगल देव विशारद, अध्यक्ष, भूमि-व्यवस्था जांच समिति, १०४, रायल होटल, लखनऊ ।	..	५०.००
१५—श्री के० एन० मोदी, उपाध्यक्ष, मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, मोदीनगर, मेरठ ।		१२,५००.००
१६— उपरोक्त		१२,५००.००
१७—श्री एम० ए० कुरेशी, श्री राज्यपाल के सलाहकार, उत्तर प्रदेश	..	७३.००
१८—श्री मंगल देव विशारद, अध्यक्ष, भूमि-व्यवस्था जांच समिति, १०४ रायल होटल, लखनऊ ।	..	५०.००
१९—महामहिम श्री अकबर अली खां, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	..	१४०.८०
२०— उपरोक्त	..	१४०.८०
२१—श्री मंगल देव विशारद, अध्यक्ष, भूमि-व्यवस्था जांच समिति, १०४, रायल होटल, लखनऊ ।	..	५०.००
२२—अतिरिक्त जिलाधिकारी, नगर, कानपुर	..	८५०.००
२३—महामहिम श्री अकबर अली खां, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	..	१४०.८०
२४—श्री मंगल देव विशारद, अध्यक्ष, भूमि-व्यवस्था जांच समिति, १०४, रायल होटल, लखनऊ।	..	५०.००

	धनराशि
२५—महामहिम, श्री अकबर अली खां, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	१४०.८०
२६—मैसर्स स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, सहारनपुर ..	२५,०००.००
२७—श्री मंगल देव विशारद, अध्यक्ष, भमि-व्यवस्था जांच समिति, १०४, रायल होटल लखनऊ ।	५०.००
२८—महामहिम श्री अकबर अली खां, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	१४०.८०
२९—श्री मंगल देव विशारद, अध्यक्ष,भूमि-व्यवस्था जांच समिति,१०४, रायल होटल, लखनऊ ।	५०.००
३०— उपरोक्त ..	५०.००
योग ..	५८,६११.१५

(अट्ठावन हजार छः सौ ग्यारह रुपया तथा पन्द्रह पैसे मात्र)

———

नत्थी सं०—

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८२ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	मुसिफ का नाम	सेवा काल
१	श्री हीरा दास	लगभग ९ साल
२	,, संवल सिंह	,, ८ ,,
३	,, खेम करन	,, ५ १/२ ,,
४	,, राम स्वरूप	,, ५ १/२ ,,
५	,, शारदा प्रसाद लाल	,, ५ १/२ ,,
६	,, जिले सिंह	,, ४ ,,
७	,, भंवर सिंह	,, ४ ,,
८	,, मोहम्म असगर खां	,, ४ ,,
९	,, शिव बरन सिंह	,, ४ ,,
१०	,, रमेश चन्द्र पान्डे	,, ४ ,,
११	,, घन श्याम दास	,, ४ ,,
१२	,, होरी लाल कुरील	,, ४ ,,
१३	,, कृष्ण शंकर मिश्र	,, ४ ,,
१४	,, गया प्रसाद	,, ४ ,,
१५	,, शील कुमार वर्मा	,, ४ ,,
१६	,, वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल	,, ४ ,,
१७	,, भोज राज सिंह	,, ४ ,,
१८	,, कवल जीत सिंह राखरा	,, ४ ,,
१९	,, चक्रवर्ती प्रभाकर मिश्रा	,, ४ ,,
२०	,, प्रेम चन्द्र अग्रवाल	,, ४ ,,
२१	,, घन श्याम पान्डेय	,, ४ ,,
२२	,, श्री मती मिथलेश गुप्ता	,, ४ ,,
२३	,, प्रकाश चन्द्र माथुर	,, ४ ,,
२४	,, रवीन्द्र नाथ तिवारी	,, ४ ,,
२५	,, कृष्ण पाल सिंह मलिक	,, ४ ,,
२६	,, राम प्रसाद मिश्र	,, ४ ,,
२७	,, विजय शंकर बाजपेयी	,, ४ ,,
२८	,, प्रनव कुमार चटर्जी	,, ४ ,,
२९	,, रामेश चन्दर	,, ४ ,,
३०	,, गंगू राम	,, ४ ,,
३१	,, सुशील कुमार	,, ४ ,,
३२	,, परमेश्वर	,, ४ ,,
३३	,, कबूल चन्द्र	,, ४ ,,
३४	,, सुशील कुमार पान्डेय	,, ४ ,,
३५	,, ब्रजेन्द्र सिंह	,, ४ ,,
३६	,, ओम प्रकाश श्रीवास्तव	,, ४ ,,

क्रम-संख्या	मुसिफ का नाम			सेवा काल	
३७	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	..	..	लगभग	साल
३८	,, देवेंद्र प्रसाद गु'ता	..	..	,, ४	,,
३९	,, शलेंद्र शंकर कुलश्रेष्ठ	..	..	,, ४	,,
४०	,, अंकारेश्वर भट्ट	..	..	,, ४	,,
४१	,, गोपाल कृष्ण गुप्ता	..	..	,, ४	,,
४२	,, वकटेश्वर नरायनसिंह	..	..	,, ४	,,
४३	,, रज पाल सिंह	..	..	,, ४	,,
४४	,, पूरन चन्द्र जोशी	..	..	,, ४	,,
४५	,, योगेन्द्रराम त्रिपाठी	..	..	,, ४	,,
४६	,, राधे श्याम त्रिपाठी	..	..	,, ४	,,
४७	,, प्रद्युम्नसिंह छावड़ा	..	..	,, ४	,,
४८	,, कैला: नाथ सिन्हा	..	..	,, ४	,,
४९	,, शिवबाबू मिश्रा	..	..	,, ४	,,
५०	,, धीरेन्द्र पाल वार्शाणी	..	..	,, ४	,,
५१	, नरेन्द्र बिशेर मेहरोत्रा	..	..	,, ४	,,
५२	,, मुक्तेश्वर प्रसाद	..	..	,, ४	,,
५३	, भूपेश्वर पान्डेय	..	..	,, ४	,,
५४	,, कैलाश नाथ ओझा	..	..	,, ४	,,
५५	,, जगदीश प्रसाद	..	..	,, ४	,,
५६	,, राम प्रसाद यादव	..	..	,, ४	,,
५७	,, राधाकांत	..	..	,, ४	,,
५८	,, बेसराजसिंह	..	..	,, ४	,,
५९	,, कृष्ण देव राय	..	..	,, ४	,,
६०	,, श्याम बाबू वैश्य	..	..	,, ४	,,
६१	,, शैलेन्द्र सक्सेना	..	..	,, ४	,,
६२	,, अवध बिहारी शुक्ला	..	..	,, ४	,,
६३	,, ओंकार नाथ खण्डेलवाल	..	..	,, ४	,,
६४	,, जगदीश	..	..	,, ४	,,
६५	,, जगमोहन पालीवाल	..	..	,, ४	,,
६६	,, सच्चिदानन्द शुक्ला	..	..	,, ४	,,
६७	,, निर्मल चन्द्र सिन्हा	..	..	,, ४	,,
६८	,, प्रकाश नरायन राय	..	..	,, ४	,,
६९	,, भारत भूषण अग्रवाल	..	..	,, ४	,,
७०	,, बृज नन्दन तिवारी	..	..	,, ४	,,
७१	,, कृष्ण प्रकाश निगम	..	..	,, ४	,,
७२	,, सरस्वती प्रसाद वर्मा	..	..	,, ४	,,
७३	,, ज त प्रकाश	..	..	,, ४	,,
७४	,, चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव	..	..	,, ४	,,
७५	,, ग नेशशंकरपान्डेय	..	..	,, ४	,,
७६	,, इर्शादहुसेन	..	..	,, ४	,,
७७	,, विक्रमाजीत	..	..	,, ४	,,
७८	,, फूलसिंह	..	..	,, ४	,,

क्रम-संख्या	मुसिफ का नाम	सेवा काल
७९	श्री सत्य नरायन	लगभग ४ साल
८०	,, हरीसिंह बेनीवाल	,, ४ ,,
८१	,, मोहनलाल	,, ४ ,,
८२	,, ओम प्रकाश वर्मा	,, ४ ,,
८३	,, राम सूरत	,, ४ ,,
८४	,, दया राम	,, ४ ,,
८५	,, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव	,, ४ ,,
८६	,, ओम पाल	,, ३ १/२ ,,
८७	,, अशोक कुमार	,, ३ १/२ ,,
८८	,, मसर्रत अहमद खां	,, ३ १/२ ,,
८९	,, मुरीन्द्र कुमार मित्तल	,, ३ १/२ ,,
९०	श्रीमती मोहिनी राजानी	,, ३ १/२ ,,
९१	,, हरी प्रसाद त्रिपाठी	,, ३ १/२ ,,
९२	,, रघुनाथ किशोर रस्तोगी	,, ३ १।२ ,,

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८३ पर)

बोर्ड की हंगामी बैठक दिनांक २६/५/७४ के प्रस्ताव संख्या १ की प्रतिलिपि

१--बोर्ड ने कल रात दिनांक २५-५-७४ को चौकी चुंगी पुरैना पर हुये नाखुशगवार वाकियात पर गौर किया रिपोर्ट चुंगी अधीक्षक दिनांक २५-५-७४ तथा रिपोर्ट श्री कैलाश चन्द्र नायब चुंगी मुहर्रिर दिनांक २६-५-७४ की निम्नलिखित वाकियात से संबोधित है पढ़ कर सुनाई गई । वाकिया एक बैलगाड़ी में लदी प्याज के बिला अदायगी महसूल चुंगी के चेकिंग द्वारा पकड़े जाने पर मालदार व उसके तरफदारान की ओर से अमला चुंगी व चुंगी व अधीक्षक को अपशब्द कहने और कुछ देर बाद कुछ लोगों का लाठी डन्डे लेकर चौकी पर हमला करना और वाके की रिपोर्ट थाना अध्यक्ष आवला को दिये जाने के पश्चात् उल्टा पुलिस की ओर से हिफाजती इन्तजाम के बजाय चुंगी के अमले को धमकाने के संबंध में है जिसके कारण अमला चुंगी व नगरपालिका के दीगर कर्मचारी अपने को गैर महफूज समझ रहे हैं। बोर्ड पुलिस की इस बेजा और नाजेबा कार्य की घोर निन्दा करता है और साथ ही नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय के साथ थाना अध्यक्ष द्वारा किये दुर्व्यवहार जिसकी सूचना अध्यक्ष महोदय ने दिनांक २३-३-७४ को जिला मैजिस्ट्रेट, बरेली तथा अन्य अधिकारीगण को दी है की भी यह बोर्ड घोर निन्दा करता है इसके अतिरिक्त २३-३-७४ को अध्यक्ष द्वारा एक पत्र पुलिस अधीक्षक बरेली का, आंवला पुलिस द्वारा उनके कर्तव्यों की लापरवाही तथा नगरपालिका को कानूनी सहयोग न देने के संबंध में भी लिखा जा चुका है जिनके संबंध में बोर्ड को खेद है कि कार्यवाही आज तक अमल में नहीं लाई गई ।

शासन से समय-समय पर ऐसे आदेश प्राप्त होते रहे हैं कि नगरपालिकायें यातायात की सुविधा हेतु सड़कों व रास्तों पर हुये अनाधिकृत अतिक्रमण हटवायें । इसके अतिरिक्त ऐसे भी आदेश प्राप्त हुये हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध नगरपालिकायें कड़ी कार्यवाही करें। उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु पुलिस की सहायता की क्या आशा की जा सकती है। जबकि वह नगरपालिका के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं ।

बोर्ड सर्व सम्मति से तजवीज करता है कि इस प्रस्ताव की एक एक प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, लखनऊ, क्षेत्रीय विधान सभा सदस्य, लखनऊ, सचिव एवं आयुक्त गृह-(पुलिस) विभाग, लखनऊ, सचिव एवं आयुक्त स्वायत्त शासन विभाग, लखनऊ, आयुक्त रोहेलखण्ड मण्डल बरेली, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उप पुलिस महानिरीक्षक, बरेली, जिला मजिस्ट्रेट बरेली, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली, परगना मजिस्ट्रेट, आंवला, उप पुलिस अधीक्षक, आंवला सर्किल, बरेली की सेवा में २३-३-७४ के दोनों पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए इस प्रार्थना के साथ भेज दी जावे कि कस्बा आंवला शहरी इन्तजामात को सुचारु रूप से चलते रहने के संबंध में उचित आदेश जारी करने का कष्ट करें और अब तक थानाध्यक्ष आंवला की जान बूझकर लापरवाही के फलस्वरूप नगरपालिका के अधिकारीगण का सम्मान न करने तथा कर्मचारियों की जान माल खतरे में होने के कारण नगरपालिका की आय को भारी हानि पहुंचना आरम्भ हो गया है। बोर्ड इस संबंध में उपरोक्त अधिकारियों से यह भी मांग करता है कि इन वाकियात की जांच थानाध्यक्ष आंवला को हटा कर सी० आई० डी० द्वारा कराई जावे ।

प्रमाणित

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका आंवला,
(बरेली)

प्रतिलिपि कर्ता--मोहम्मद जहीर खां

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८६ पर)

सेवा में, लखनऊ

माननीय गृह मंत्री महोदय, दिनांक २२–३–७४

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

महोदय,

दिनांक २८–२–७४ को कैसरगंज में जनसंघ के भारी मतों से जीत की खुशी में भारी संख्या में जनता जरवल रोड में अपने विधायक के स्वागत में उपस्थित हुई थी । बहराइच से जरवल रोड पहुंचने में विलम्ब के का ण मैं रात्रि ८ बजे पहुंच पाया। उसकेपूर्व जनसंघ के एक वयोवृद्धि कार्यकर्ता जौतौरा ग्राम के प्रधान श्री रामफल वर्मा करीब ४ बजे बस द्वारा बहराइच से जरवल रोड पहुंचे । बस से उतरते ही उन्हें ५–६ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया तथा उन्हें बुरी तरह पीटा । कई गम्भीर चोटे आईं । इस कांड में कांग्रेस के हारे हुये प्रत्याशी जो चुनाव से पूर्व विधायक एवं उप मंत्री भी रह चुके हैं, का लड़का भी शामिल था, जिसके खिलाफ भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है । श्री रामफल वर्मा की डा टरी रिपोर्ट भी मौजूद है। ५ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है । इस घटना का समाचार मुझे २८–२–७४ को डेढ़ बजे दिन में बहराइच में ही मिल चुकी थी जिसमें मुझे बताया गया था कि मैं जरवल रोड किसी भी दशा में न जायें क्योंकि मेरी हत्या के लिये रास्ते में व जरवल रोड में हथियार बन्द आदमी बैठ गये हैं। मैंने इसकी सूचना जिला आरक्षी अधीक्षक को भी दिया और साहस के साथ जरवल रोड पहुंचा किन्तु भीड़ इतनी अधिक थी कि किसी को कोई हिंसात्मक कार्यवाही करने का साहस नहीं हुआ ।

किन्तु पुलिस ने इस घटना के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं के आतक एवं भय के कारण १०७/११७ का दो तरफा मुकदमा चलाया है। थानाध्यक्ष कैसरगंज जो कुछ करें कांग्रेसी नेताओं का निकट का रिश्तेदार है ने भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस घटना में अब तक क्या कार्यवाही की गई, मुझे सूचित करने की कृपा करें तथा उपरोक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय ।

भवदीय,

ह० बाबू लाल वर्मा,

विधायक, कैसरगंज, बहराइच ।

अभि प्रमाणित

ह० कृते पुलिस अधीक्षक,

बहराइच ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९३ पर)

जिला कानपुर के अन्तर्गत थाना मूसानगर में हुए अपराधों का विवरण

	अपराध	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किये गये	लापता अंतिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	मामले जो एक्सपंज हुये
	१	२	३	४	५	६	७	८
१	बलवा १४७/१४८ ..	१५	१२	३	७	२	..	३
२	हत्या ३०२ भा०द०वि० ..	३	३	..	१	१	१	..
३	डकैतियां ३९५/३९७ ..	५	५	..	२	१	..	२
४	राहजनी ३९२/३९४ ..	८	८	..	१	३	..	४
५	३०७ भा० द० वि० ..	१	१	..	१	..	..	..
६	नकबजनी ४५७/३८० ..	४३	४३	..	७	३२	..	४
७	चोरी साधारण ३७९/३८०/३८१ ..	२४	१८	६	८	१०	..	..
८	चोरी मवेशी ३७९ ..	३	३	..	२	१	..	..
९	चोरी साइकिल ३७९ ..	६	६	..	..	६	..	..
१०	३२४/३२३ ..	७	४	३	४	..	..	..
११	३२५/३२३ ..	६	५	१	४	१	..	..
१२	३२६/३२३ ..	१	१	..	..	१	..	..
१३	४५२/३२३ ..	४	३	१	३	..	..	..
१४	२७९/३३७ ..	१	१	..	..	१	..	..
१५	२७९/३०४ ए ..	३	३	१	१	१	..	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	१		२	३	४	५	६	७	८
१६	४१६/४२०	..	३	२	१	१	१	..	..
१७	४०६/४०६	..	२	..	२	..	..	..	..
१८	४३५/४३६	..	४	४	..	..	३	..	१
१६	३५४	..	१	१	..	१	..	..	..
२०	३६३/३६६	..	३	३	..	१	१	..	१
२१	४४७/४४८	..	३	३	..	२	१	..	..
२२	३४२	..	१	१	..	..	..	..	१
२३	६ अफीम ऐक्ट	..	१	१	..	१	..	..	..
२४	६० आबकारी ऐक्ट	..	७	७	..	६	..	१	..
२५	२५ आर्म्स ऐक्ट	..	५	५	..	५	..	..	..
२६	जुआ ऐक्ट	..	३	३	..	३	..	..	..
२७	३/७ ई० एस० ऐक्ट	..	२	२	..	१	..	१	..
२८	३/७ ई० एस० टी०पी० ऐक्ट	..	३	३	..	३	..	..	..

जून, १६७४

१	बलवा१४७/३२३/३२५	..	१	१	..	..	..	१	..
२	हत्या ३०२	..	१	१	..	..	..	१	..
३	चोरी साधारण ३७६/३८०	..	२	२	..	..	..	२	..
४	चोरी पश ३७६	..	१	१	..	..	..	१	..
५	२५ आर्म्स ऐक्ट	..	१	१	..	..	..	१	..
६	६० आबकारी ऐक्ट	..	५	५	..	..	..	५	..
७	६ अफीम ऐक्ट	..	३	३	..	..	..	३	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थो 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९३ पर)

जुबानी वादी

मेरा नाम अमीर हुसैन वालिद का नाम रजा हुसैन शेख अंसारी मौजा उमरी कलां में रहता हूं। मैं और मेरे गांव के हसीनुद्दीन वल्द अब्दुल रज्जाक साथ-साथ सूत से मलमल बनाकर बेंठ बाजार में बेचने के लिये जाते हैं परसों रात हसीनुद्दीन अपने मकान पर सोया हुआ था करीब करीब २ ०० बजे रात खटक से उसकी नींद खुली तो अपनी छत पर चढ़ गया दो आदमी मकान के बाहर दिखाई दिये उसने चुपके से अपने वालिद अब्दुल रज्जाक, मुझे और पड़ोसियों को दिखाया और बदमाश समझ कर हशमुद्दीन ने इन पर फैर कर दिया वह दोनों आदमी गांव के ही बन्दू वल्द रोनक हुसैन २, नन्हे वल्द मकबूल थे उस वक्त यह दोनों गालियां दे कर यह कहते हुये कि जल्दी ही देखे के भाग लिये थे। आज मैं हशमुद्दीन और गांव के अब्दुल शकूर वल्द अल्ला दिया अपनी अपनी साईकिल पर घर से कांठ के लिये जा रहे थे। मलमल के थान भैंसा गाड़ी में लदवा कर चालू कर दिया था आगे मैं मेरे पीछे हशमुद्दीन और उसके पीछे अब्दुल शकूर था। करीब १० बजे दिन जब हम लोग अपने गांव के करीब १ १/२ मील मोहम्मदपुर भगवान दास गांव की हद में पहुंचे तो रास्ते के पश्चिम बगिया में से बुन्दु वल्द रौनक हुसैन व नन्हे वल्द मकबूल गांव से निकल कर रास्ते की तरफ आगे दिखाई दिये सड़क के नजदीक पहुंच कर बुन्दू ने एक फायर किया मैं कुछ आगे बढ़ गया अब्दुल शकूर ने अपनी साइकिल पीछे रोक दी नन्हें ने दौड़कर हशमुद्दीन की साईकिल पीछे से पकड़ ली तभी हशमुद्दीन साइकिल से नीचे उतर गया कि बुद्धू ने उसके आगे पहुंच कर तमन्चे का फायर कर दिया जिससे हशमुद्दीन जमीन पर गिर गया। वह दोनों उसे मारते-पीटते, घसीटते, नोचते पूरब की तरफ गेहूं के खाली खेत में ले गये और खेत की मेड़ पर रख कर नन्हें ने उसकी गर्दन काट ली और दोनों कटा सिर लेकर पूरब जंगल में भाग गये हम लोग तमन्चे के फायर के डर की वजह से पीछा नहीं कर सके। इस वाक्या को गांव के मुन्ने वल्द इब्राहीम ने भी देखा है। जो कांठ से अमरोहा जाने के लिये उमरी गांव बस में बैठने उसी रास्ते से जा रहे थे। लोग ने लाश के पास जाकर देखा कि खाली खेत की मेड़ पर हशमुद्दीन की लाश पड़ी है। गर्दन से कटा सर गायब है सीने पर दाहिने बायें मुंडे पर चोट लगी है उसकी साइकिल वहीं रास्ते पर पड़ी है मैंने इसको खबर गांव में की और गांव से हशमुद्दीन के बाप वगैरह आ गये लाश के पास अब्दुल शकूर वगैरह को छोड़ कर इत्तिला को आया हूं जरूरी कार्यवाही की जावे अपना लिखाया सुना वही लिखाया है। दसखत बनाता हूं अमीर हुसैन।

लेखक राजपाल शर्मा हे० का०
१३-३-७४

चिक नं०--६१--

मुयायना नं० २२ धारा ३०२/२०१ भारतीय दण्ड विधान
बकुअ--१३-५-७४ समय करीब १० बजे
सूचना--१३/५/७४ समय १४ बजे
घटना स्थल--वहद गांव ग्राम मुहम्मद पुर भगवान दास
वादी--अमीर हुसैन पुत्र रज्जाक हुसैन शेष अंसारी निवासी ग्राम उमरी कलां थाना छजलेट।

अभियुक्त १--बुन्दू पुत्र रौनक हुसैन } साकिन ग्राम उमरी कलां थाना छजलेट जिला
२ नन्हें पुत्र मकबूल } मुरादाबाद।

तफतीश कुनिन्दा श्री भगवत तिवारी थानाध्यक्ष।

नोट--नकल मुताबिक असल के हैं।

ह०/अपठित

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६७ पर)

माह अप्रैल

१--यू० पी० के० ८२६ ट्रक, २--यू० एस० यू० ८०२ जीप, ३--एस० पी० सी० ४४६६ ट्रक, ४--यू० टी० ई० ६६ जीप, ५--वी० आर० ए० ३१६८ जीप, ६--यू० पी० के० ११११ ट्रक, ७--अ० अ० ५०१ ट्रक ।

माह मई

१--यू० पी० सी० ४४६६ ट्रक, २--यू० पी० के० १२७३ जीप, ३--यू० टी० ई० ६६५० जीप, ४--यू० पी० के० ७६१ जीप, ५--यू० पी० के० ८२६ ट्रक, ६--यू० पी० एक्स, ६७६ ट्रक, ७--ल० अ० ३०८ जीप, ८--यू० एस० यू० ८०२ जीप, ६--ल० अ० ८०३ जीप, १०--ल० अ० ३५६ जीप ।

माह जून

१--यू० पी० के० ८२६ ट्रक, २--यू० टी० ई० ६६५० जीप, ३--यू० एस० यू० ८० २ जीप, ४--अ० अ० ५०१ ट्रक, ५--स० अ० ३५६ जीप, ६--यू० पी० के० ७६१ जीप, ७--यू० पी० के० ११११ ट्रक, ८--यू पी० जेड०, ७६११ ट्रक, ६--डी० एल० ई० ४२७३ जीप, १०--यू० पी० डी० ३१६६ जीप, ११--यू० पी० के० १४०० जीप ।

परिशिष्ट 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९७ पर)

पावर हाउस का नाम एवं जहां स्थापित है	डिरेटेड क्षमता मेगावाट में	उत्पादन वर्ष ७३–७४ में मिलियन यूनिट में ।
बड़े थर्मल पावर हाउस		
१—ओबरा	२५०.०	१३०१.००
२—ओबरा एक्सटेन्शन स्टेज–१ ..	१००.०	१५८.००
३—हरदुआगंज (अ)	७०.०	३१२.१७
४—हरदुआगंज (ब)	२१०.०	८१३.९७
५—पनकी	६२.०	३८७.७६
६—रिवर साइड पावर हाउस, कानपुर ..	५५.०	३४९.४०
छोटे थर्मल पावर हाउस		
१—चन्दौसी	५.५	३३.५९
२—मैनपुरी	८.०	२८.२२
३—ऐशबाग, लखनऊ	७.०	५२.१५
४—तालकटोरा, लखनऊ	९.०	६९.४५
५—सोहावल	१२.०	६९.६८
६—गोरखपुर	१२.०	६४.०१
७—मऊ	१२.०	४३.८०
८—इलाहाबाद	६.०	२२.३०
९—बलरामपुर	१.५	७.५९
१०—आगरा, किला	१०.०	६८.४०
११—आगरा, नया	९.०	५१.८५
कुल योग ..	८३९.०	३८३३.३४

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९८ पर)

सूची

पावर हाउस का नाम एवं जगह जहां स्थापित है	पावर हाउस की क्षमता मेगावाट में	सन् १९७३–७४ में उत्पादन मिलियन यूनिट में
१—रिहन्द	३००.०	६७१.२५८
२—ओबरा (हा०)	९९.०	२८४.२५०
३—माताटीला	३०.०	१२४.७७३
४—खटीमा	४१.४०	२०८.४४८
५—यमुना स्टेज प्रथम		
ढकरानी	३३.७५	१८६.०८३
ढालीपुर	५१.०	२७०.७०१
६—गंगा नहर पावर हाउस—		
१—पथरी	२०.४	९९.४५९
२—मोहम्दपुर	९.३	४१.७३८
३—निरगजनी	५.०	३२.२२२
४—चित्तौढ़ा	३.०	२०.७६५
५—सालवा	३.०	२०.६२३
६—भोला	२.७	११.६८६
७—पलरा	०.६	०.९३९
८—सुमेरा	१.२	१.०९१
कुल योग ..	५९८.३७	१९७४.०३६

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 आगे पृष्ठ ५५९ पर)

No. O-3365/II—1003-1947

FROM

K. P. BHARGAVA, ESQ., I.C.S.,
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES,

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND
PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UNITED PROVINCES.

Dated Lucknow, November 1, 1947.

SUBJECT :—*Relief to political sufferers and concessions to those who have done national service.*

SIR,

pointment
partment.

I AM directed to say that on the achievement of independence, the Government of the United Provinces announced certain concessions in September, 1947, for persons who have devoted themselves to the service of the country and in doing so had either lost their life or a career which they hoped to build for themselves. This letter enunciates the policy of Government in respect of matters relating to admission of such political sufferers to the various services in the province and I am to convey the following orders for guidance and compliance :

(1) Government may grant exemption in age limits up to four years to political sufferers if they are otherwise qualified for posts for which they may apply.

(2) Participation in national work should be considered as an extra qualification for Government service.

(3) Other things being equal preference should be given for public employment to the candidates who made sacrifices or suffered for the country's independence.

2. Persons who claim the above concessions should give satisfactory proof of their claims.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
K. P. BHARGAVA,
Joint Secretary.

No. O-3365 (1) /II—1003-1947

COPY forwarded for information and necessary action to—

(1) ALL Departments of the Secretariat.
(2) THE Secretary, Public Service Commission, United Provinces.
(3) THE Accountant General, United Provinces.
(4) THE Secretary to the Governor, United Provinces.

By order,
K. P. BHARGAVA,
Joint Secretary to
Government, United Provinces.

नत्थी 'घ'

(देखियें अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०० पर)

क्रम-संख्या	सब इन्स्पेक्टर का नाम	वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस एवं अग्नि शमन सेवा पदक अथवा पुलिस पदक दिया गया।	पदक के दिये जाने की तिथि	इन्स्पेक्टर पद पर पदोन्नति की तिथि	पदोन्नति न किये जाने के कारण
१	२	३	४	८	६
१	श्री अच्छे लाल तिवारी, एस०आई०सी०पी०, शाहजहांपुर	पुलिस पदक	१४-१-६४	२०-४-७१	
२	श्री इन्द्रपाल सिंह, पी०सी०, ४थी वाहिनी पी०एस० सी०, इलाहाबाद	पुलिस पदक	३०-१-६४	..	चूंकि ये पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाये गए और पदोन्नति की शर्तों को पूरा नहीं करते थे।
३	श्री मोहम्मद सुलेमान पी० सी०, ४ थी वाहिनी पी०ए०सी, इलाहाबाद	,,	३०-१-६४	..	,, ,,
४	श्री रमीन्द्र नारायण पाण्डेय, एस०आई०सी० पी०, फतेहगढ़	राष्ट्रपति का पुलिस एवं अग्निशमन सेवा पदक	१७-२-६४	१३-८-६४	
५	श्री हर नन्दन सिंह, एस०आई०, सी०पी०, झांसी	पुलिस पदक	२३-५-६४	..	पदोन्नति के लिए उपर्युक्त नहीं पाये गये।
६	श्री बीरेन्द्र सिंह पचौरी, एस०आई०सी०पी०, इटावा	,,	१९-६-६४	२५-४-६२ से पहले ही इंस्पेक्टर पद पर कार्य कर रहे हैं।	

क्रम-संख्या	सब इंस्पेक्टर का नाम	वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस एवं अग्निशमन सेवा पदक अथवा पुलिस पदक दिया गया	पदक दिये जाने की तिथि	इंस्पेक्टरपद पर पदोन्नति की तिथि	पदोन्नति न किये जाने के कारण
१	२	३	४	५	६
७	श्री श्री नारायण शर्मा, एस०आई०,सी०पी०, इटावा	पुलिस पदक	२४–७–६४	अक्तूबर, १९७०	
८	श्री मोती लाल गुप्ता, एस०आई०, सी०पी०, हमीरपुर	,,	४–९–६४	३–९–६४	
९	श्री सुरेश सिंह, एस०आई०,सी०पी०, फतेहपुर	,,	७–१–६५	..	ये स्थानापन्न इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति हेतु अनुमोदित हैं और सुअवसर पर प्रोन्नति दी जायगी ।
१०	श्री यज दत्त राय, एस०आई०, सी०पी०, फतेहपुर	,,	७–१–६५	..	पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए ।
११	श्री सुखरामपाल सिंह,एस०आई० सी०पी०, फतेहगढ़	,,	१९–५–६५	अक्तूबर, १९६५	
१२	श्री परस राम यादव, एस०आई०,सी०पी०, झांसी	,,	५–६–६५	..	पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाये गये

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१३	श्री मनी राम सिंह, पी०सी०, ४थी वाहिनी पी०ए०सी०, त्रिपुरा	,,	६–७–६५	..	चूंकि ये पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाये गये और पदोन्नति की शर्तों को पूरा नहीं करते थे ।
१४	श्री काशी नाथ मिश्रा, स्थानापन्न, एस०आई०, सी०पी०, देवरिया	,,	१६–८–६५	..	ये हेड कांटेबिल थे और सब-इन्सपेक्टर पद पर प्रोन्नत हो गये ।
१५	श्री श्रीकृष्ण यादव, एस०आई०,सी०पी०, आगरा	,,	१६–१०–६५	२८–५–६८	
१६	श्री रमेश पाल सिंह, एस०आई,०सी०पी०, आगरा	,,	१६–१०–६५	९–६–६८	
१७	श्री प्रेमेन्द्र सिंह, एस०आई०,सी०पी०, आगरा	,,	१८–११–६५	१४–४–७४	
१८	श्री रघुवीर सिंह चौहान, एस०आई०,सी०पी०, आगरा	,,	१८–११–६५		पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए ।
१९	श्री रुद्र दत्त तिवारी, एस०आई०,सी०पी०, फतेहगढ़	,,	२४–११–६५	१६–६–६६	
२०	श्री सखरामपाल सिंह, एस०आई०,सी०पी०, फतेहगढ़	पुलिस पदक का बार	१९–२–६६	अक्तूबर, १९६५	
२१	श्री रमीन्द्र नारायण पाण्डेय, एस०आई०,सी० पी० फतेहगढ़	पुलिस पदक	१९–२–६६	१३–८–६४	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
२२	श्री ओम प्रकाश यादव, एस०आई०,सी०पी०, बांदा	पुलिस पदक	१४–६–६६	..	पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये ।
२३	श्री शिव चरन सिंह, एस०आई०,सी०पी०, आगरा	,,	२६–९–६६	..	
२४	श्री दिगविजय सिंह, एस०आई०सी०पी०, झांसी	,,	२४–१२–६६	..	पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये ।
२५	श्री राम दास सिंह, एस० आई०, सी० पी०, उन्नाव	,,	१–५–६७	११–४–६९	
२६	श्री लक्ष्मी राज सिंह, एस० आई० सी० पी०, एटा	,,	१५–९–६७	६–८–६६	
२७	स्व० ब्रिज बिहारी तिवारी, एस० आई०, सी० पी०, आजमगढ़	,,	२२–४–६९ (पुलिस पदक मरणोपरान्त प्रदान किया गया)	..	मृत्यु हो गई अतः प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।
२८	श्री रनवीर सिंह यादव, एस० आई०, सी०पी०, झांसी	,,	९–५–६९	८–१–७१	
२९	श्री चन्द्रधर राजपेयी, एस० आई०, सी० पी०, रामपुर	,,	२६–५–६९	..	ये हेड कान्स्टेबिल थे और २३–७-७० से ए० एस०आई० के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३०	श्री स्व० बख्शीश हुसेन, एस० आई०, सी० पी०, उन्नाव	,,	२२-९-६९ (पुलिस पदक मरणोपरान्त प्रदान किया गया)	..	मृत्यु हो गई अतः प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता।
३१	श्री सुरेन्द्र किशोर त्रिवेदी, एस० आई०, सी० पी०, उन्नाव	,,	२२-९-६९	..	पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये ।
३२	श्री मेघ सिंह राना, एस० आई०, सी० पी० झांसी	राष्ट्रपति का पुलिस एवं अग्निशमन सेवा पदक	१९-१-७०	..	,,
३३	श्री जगदीश लाल चावला, एस० आई०, सी० पी०, आगरा	पुलिस पदक	१९-६-७०	२३-१२-७०	
३४	श्री सीता राम सिंह, एस०आई०, एल० आई० यू०, गोरखपुर	पुलिस पदक	१०-६-७०	..	ये १-३-७० को रिटायर हो गये पुलिस आफिस मैनुअल के पैराग्राफ १९१ के अन्तर्गत प्रोन्नति होने के कारण इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नत नहीं किये गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'न'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०० पर)

१ अक्टूबर, १९७३ से २६ फरवरी, १९७४ तक की अवधि में उत्तर प्रदेश में हुए प्रधान मंत्री के दौरों का विवरण

क्रम-संख्या	दौरे की तिथि	दौरे का स्थान
(१)	(२)	(३)
१	१ अक्टूबर,१९७३	जोशीमठ (जिला चमोली), श्रीनगर तथा पौड़ी (जिला गढ़वाल) ।
२	२ अक्टूबर, १९७३	मथुरा ।
३	३ अक्टूबर, १९७३	कालागढ़ (जिला बिजनौर) तथा नैनीताल ।
४	२० अक्टूबर, १९७३	खैर (जिला अलीगढ़) ।
५	२२ अक्टूबर, १९७३	छितौनी (जिला देवरिया), रायबरेली तथा कानपुर ।
६	१७ नवम्बर, १९७३	लखनऊ ।
७	१८ नवम्बर, १९७३	कानपुर, उन्नाव तथा कालपी (जिला जालौन) ।
८	१ दिसम्बर, १९७३	इलाहाबाद, किसनपुर (जिला फतेहपुर) तथा करछना (जिला इलाहाबाद) ।
९	२ दिसम्बर, १९७३	हरिद्वार तथा खेखरा (जिला मेरठ)।
१०	८ जनवरी, १९७४	संडीला (जिला हरदोई), खीरी, बाराबंकी तथा गाजियाबाद।
११	९ जनवरी, १९७४	रामपुर, कैमगंज, (जिला फर्रुखाबाद), फतेहपुर, करबी (जिला बांदा) बांदा तथा झांसी ।
१२	१० जनवरी, १९७४	मथुरा, हरदुआगंज (जिला अलीगढ़), मुरादाबाद, हरीपुर बांध का स्थल (जिला नैनीताल) तथा बिजनौर ।
१३	१३ जनवरी, १९७४	नरोरा (जिला बुलन्दशहर) ।
१४	१५ जनवरी, १९७४	फैजाबाद, अकबरपुर (जिला फैजाबाद), मऊ (जिला आजमगढ़), सथियाऊं (जिला आजमगढ़) आजमगढ़ ।
१५	१६ जनवरी, १९७४	डल्ला (जिला मिर्जापुर) सोन पम्प कैनाल का स्थल (जिला मिर्जापुर) ओबरा (जिला मिर्जापुर), फूलपुर (जिला इलाहाबाद), रसडा (जिला बलिया) तथा वाराणसी।
१६	६ फरवरी, १९७४	रुदौली एवं रामनगर (जिला बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर (जिला गोंडा), गोंडा, बांसी (जिला बस्ती), सुल्तानपुर तथा जौनपुर ।

क्र०सं०	दौरे की तिथि	दौरे का स्थान
(१)	(२)	(३)
१७	७ फरवरी, १९७४	सरायमीर (जिला आजमगढ़) गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कसिया (जिला देवरिया), महराजगंज (जिला गोरखपुर), बस्ती तथा गोरखपुर ।
१८	१२ फरवरी, १९७४	हलद्वानी (जिला नैनीताल), कौटद्वार एवं लैन्सडाउन (जिला गढ़वाल), गोचर (जिला चमोली), उत्तर-काशी, देहरादून तथा सहारनपुर ।
१९	१३ फरवरी, १९७४	फतेहाबाद (जिला आगरा), इटावा, अजीतमल (जिला इटावा), जालौन गैरोथ (जिला झांसी), चारखारी एवं मौदहा (जिला हमीरपुर) फतेहपुर तथा प्रतापगढ़।
२०	१४ फरवरी, १९७४	जेतपुर (जिला बाराबंकी), महमूदाबाद (जिला सीतापुर), लखीमपुर, हरदोई, गुरसहायगंज, (जिला फर्रुखाबाद), फतेहगढ़, पटियाली (जिला एटा), एटा शिकोहाबाद, (जिला मैनपुरी) तथा जलेसर (जिला एटा) ।
२१	१८ फरवरी, १९७४	मुजफ्फरनगर, बिजनौर, धामपुर (जिला बिजनौर), अमरोहा (जिला मुरादाबाद), बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद तथा दादरी (जिला बुलन्दशहर) ।
२२	१९ फरवरी, १९७४	बरेली, आंवल (जिला बरेली), बदायूं, पीलीभीत, शाहजहां-पुर, तथा लखनऊ ।
२३	२१ फरवरी, १९७४	शामली (जिला मुजफ्फनगर) बरनावा (जिला मेरठ), मोदीनगर, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर तथा वाराणसी ।
२४	२२ फरवरी, १९७४	मिर्जापुर, रजवाड़ी, (जिला वाराणसी), सैदाबाद, सोरांव, बारा एवं सराय अकिल (जिला इलाहाबाद,) कुन्डा (जिला प्रतापगढ़) दीह, गुरुवागंज, पूरे पांड़े एवं काकोरन (जिला रायबरेली) तथा रायबरेली ।
२५	२३ फरवरी, १९७४	मैनपुरी, हाथरस (जिल अलीगढ़) अलीगढ़, मथूरा आगरा, गाजियाबाद तथा इलाहाबाद ।

पी ० एस० यू० पी ०—ए०पी० १५१ वि० सभा—(१७३३)—१९७५—८४५(मैग०)